




सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का
राजस्व क्षेत्र का प्रतिवेदन



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 3

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का

राजस्व क्षेत्र का प्रतिवेदन

झारखण्ड सरकार

वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या 3

विषय सूची

	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय - I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकाये का विश्लेषण	1.2	4
करनिर्धारण में बकाये	1.3	5
विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन	1.4	6
प्रतिदाय मामलों की विचाराधीनता	1.5	7
लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया	1.6	7
लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषयों को निपटाने हेतु प्रणाली का विश्लेषण	1.7	11
लेखापरीक्षा योजना	1.8	15
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.9	16
इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र	1.10	16
अध्याय - II: बिक्री व्यापार आदि पर कर		
कर प्रशासन	2.1	19
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	19
मू.व.क. के अंतर्गत करनिर्धारण की प्रणाली (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)	2.3	21
तिर्यक जाँच के परिणाम	2.4	57
वास्तविक आवर्त के निर्धारण में अनियमितताएँ	2.5	59
ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना	2.6	63
केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अनुपालन में अनियमितताएँ	2.7	66
इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के स्वीकृति में अनियमितताएँ	2.8	69
झा.मू.व.क. अधिनियम के तहत कर के गलत दर का अनुप्रयोग	2.9	71
झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत छूट की गलत अनुमति	2.10	72
कर की गणना में त्रुटियाँ	2.11	72
अर्थदंड का आरोपण नहीं किया जाना	2.12	73
स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) नहीं किया जाना	2.13	74

	कंडिका	पृष्ठ
अध्याय - III: राज्य उत्पाद		
कर प्रशासन	3.1	75
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	75
अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं होना	3.3	77
खुदरा उत्पाद दुकानों के अबंदोबस्ती	3.4	77
खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव	3.5	78
स्थापना लागत की वसूली नहीं होना	3.6	79
अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क की वसूली नहीं होना	3.7	80
अध्याय - IV: वाहनों पर कर		
कर प्रशासन	4.1	81
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	81
'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली के साथ प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर बल' (एक निष्पादन लेखापरीक्षा)	4.3	83
अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन/पालन नहीं होना	4.4	110
परिवहन वाहनों से करों का संग्रहण नहीं होना	4.5	112
वैयक्तिक वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं होना	4.6	113
बैंकों द्वारा संग्रहित राजस्व को जमा करने में विलंब के कारण भुगतये ब्याज का उद्ग्रहण नहीं होना	4.7	114
ट्रेलर का अल्प निबंधन	4.8	114
अध्याय - V: अन्य कर प्राप्तियाँ		
अ. भू-राजस्व		
कर प्रशासन	5.1	117
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	117
सलामी हेतु प्रावधानों का पालन नहीं होना	5.3	119
पट्टों का नवीकरण नहीं होने के कारण राजस्व का उद्ग्रहण नहीं होना	5.4	119
ब. मुद्रांक एवं निबंधन फीस		
कर प्रशासन	5.5	121
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.6	121
अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं होना	5.7	122
अभिहस्तांतरण विलेख का विकास अनुबंध के रूप में गलत वर्गीकरण	5.8	122

	कंडिका	पृष्ठ
पट्टों पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना	5.9	123
स. विद्युत पर कर एवं शुल्क		
कर प्रशासन	5.10	125
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.11	125
अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना	5.12	126
विद्युत शुल्क एवं अधिभार का नहीं/कम भुगतान के लिए अर्थदंड का आरोपण नहीं किया जाना	5.13	126
विद्युत शुल्क एवं अधिभार का नहीं/कम आरोपण	5.14	127
अध्याय - VI: खनन प्राप्ति		
कर प्रशासन	6.1	129
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.2	129
अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना	6.3	131
गलत दर के अनुप्रयोग के कारण स्वामिस्व का कम आरोपण	6.4	131
कोयले की श्रेणी को निम्न करने के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण	6.5	134
स्वामिस्व का अल्पारोपण	6.6	135
नियत लगान का नहीं/कम आरोपण	6.7	135
अवैध खनन के लिए दंड का नहीं आरोपण	6.8	136
बालूघाट के लिए बंदोबस्ती राशि की कम वसूली	6.9	137
मासिक विवरणियों को नहीं/विलम्ब से समर्पित करने के लिए दंड का अनारोपण	6.10	138
<i>परिशिष्ट</i>		141

प्रस्तावना

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों और/अथवा राजस्व क्षेत्रान्तर्गत वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद एवं मद्य निषेध, परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार, निबंधन और खान एवं भूतत्व विभागों के सहित झारखण्ड सरकार के विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा को समाहित करता है।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामलों में वैसे मामले, जो 2014-15 की अवधि के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रकाश में आए थे, परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, वर्ष 2014-15 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के आधार पर लेखापरीक्षा की गई है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में ` 1,049.00 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के कर/शुल्क के अनारोपण/अल्पापरोपण/हानि से संबंधित दो निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 32 कंडिकायें सम्मिलित हैं, जिसमें ` 1,026.48 करोड़ वसूलनीय है एवं शेष ` 22.52 करोड़ की राशि सरकार को हुई परिहार्य सैद्धान्तिक क्षति थी। ` 22.52 करोड़ के सैद्धान्तिक क्षति सहित ` 672.01 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को सरकार/विभागों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। मुख्य निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख निम्न कंडिकाओं में किया गया है।

I. सामान्य

वर्ष 2013-14 की कुल प्राप्तियाँ ` 26,136.79 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 में झारखण्ड सरकार की कुल प्राप्तियाँ ` 31,564.56 करोड़ थी। कर राजस्व के ` 10,349.81 करोड़ एवं कर-भिन्न राजस्व के ` 4,335.06 करोड़ को मिलाकर राज्य सरकार ने कुल ` 14,684.87 करोड़ का राजस्व सृजित किया। भारत सरकार से ` 16,879.69 करोड़ (विभाज्य संघीय करों से राज्यों का हिस्सा: ` 9,487.01 करोड़ एवं सहायता अनुदान: ` 7,392.68 करोड़) प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य सरकार कुल राजस्व का मात्र 47 प्रतिशत ही सृजित कर सकी। वर्ष 2014-15 की अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर (` 8,069.72 करोड़) और अ-लौह खनन और धातुकर्मीय उद्योग (` 3,472.99 करोड़) क्रमशः कर राजस्व एवं कर-भिन्न राजस्व के मुख्य स्रोत थे।

(कंडिका 1.1)

31 मार्च 2015 को राजस्व के बकाये, राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के संबंध में यथा, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, वाहनों पर कर एवं राज्य उत्पाद ` 3,311.93 करोड़ के थे, जिनमें ` 2,347.84 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी। कुल बकाये में से ` 392.78 करोड़ की वसूली के लिए बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये और ` 745.94 करोड़ न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष कार्यवाहियों, भूल सुधार/पुनर्विचार आवेदन, पार्टियों के दिवालिया हो जाने के कारण रुका हुआ था, जबकि शेष ` 2,173.21 करोड़ के संबंध में की गई विशिष्ट कार्रवाई की जानकारी संबंधित विभागों द्वारा नहीं दी गयी।

(कंडिका 1.2)

दिसम्बर 2014 तक निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों (नि.प्र.) एवं लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या, जिसका निपटारा जून 2015 तक नहीं हो पाया था, क्रमशः 1,065 एवं 8,677 थीं, जिनमें ` 13,276.87 करोड़ सन्निहित थे। दिसम्बर 2014 तक निर्गत 182 नि.प्र. के संबंध में प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे यद्यपि निर्गत प्रतिवेदनों के जारी होने के एक माह के अंदर उनका उत्तर दिया जाना अपेक्षित था।

(कंडिका 1.6.1)

वर्ष 2014-15 अवधि में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन फीस, विद्युत पर कर एवं शुल्क, खनन प्राप्तियाँ के 114 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कुल ₹ 1,219.56 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि के 6,699 मामले प्रकाश में आये। वर्ष के दौरान संबद्ध विभागों ने 4,052 मामलों में सन्निहित ₹ 687.45 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य त्रुटियों को स्वीकार किया एवं 2014-15 में 340 मामलों में ₹ 3.37 करोड़ वसूल की गयी।

(कंडिका 1.9)

II. बिक्री, व्यापार आदि पर कर

“मू.व.क. के अन्तर्गत करनिर्धारण की प्रणाली” के एक निष्पादन लेखापरीक्षा से निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान स्व-करनिर्धारण के केवल 12 मामले थे और विभाग ने व्यवसायियों के बीच स्व-करनिर्धारण को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई पहल नहीं किया जिसका कार्मिकों की कमी और निबंधित व्यवसायियों के निरंतर वृद्धि के साथ परिणाम, वर्ष 2009-10 में 11,313 से 2013-14 में 22,614 कर निर्धारणों में भारी बकाये के संचयन में हुआ।

(कंडिका 2.3.8, 2.3.10.1 एवं 2.3.22.4)

हालाँकि अधिनियम में अनिबंधित व्यवसायियों की पहचान करने हेतु सर्वेक्षण का प्रावधान विद्यमान था, पर ऐसे सर्वेक्षण के लिए तौर तरीके निर्धारित नहीं किये गये हैं। 54 अनिबंधित व्यवसायियों का पता करने हेतु विभाग ने निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध टी.डी.एस. विवरणों का उपयोग नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ₹ 3.82 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.3.10.2 एवं 2.3.10.3)

13 अंचलों में निबंधित 45,732 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,062 व्यवसायियों में से 70 व्यवसायियों के मामले में बिक्री/खरीद में ₹ 1,404.19 करोड़ के आवर्त का छिपाव हुआ था परिणामस्वरूप ₹ 128.51 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ₹ 192.75 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.3.11)

नौ अंचलों में 35,129 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,186 में से 24 व्यवसायियों के मामलों में ₹ 8.35 करोड़ के आई.टी.सी. दावों में अनियमिततायें थीं यथा अनियमित/गैर स्वीकार्य आई.टी.सी. के दावे, अतिरिक्त दावे, आई.टी.सी. का व्युत्क्रमण न होना और उस पर ब्याज का प्रभारित नहीं किया जाना।

(कंडिका 2.3.13)

सात अंचलों में 27,528 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 852 में से 13 व्यवसायियों के मामले में मालों के गलत वर्गीकरण और कर के गलत दर के अनुप्रयोग के कारण ` 6.27 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 2.3.14)

12 अंचलों में 43,000 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,125 में से 46 व्यवसायियों के मामले में स्वीकृत कर/देय कर का भुगतान नहीं किया जाना/विलंब से भुगतान, बिना प्रमाणवाले अस्वीकृत दावे, गलत छूटों और रियायतों पर ` 38.43 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.3.16)

10 अंचलों में 40,911 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 2,075 में से 34 व्यवसायियों के मामले में अंतर्राज्यीय और राज्यांतर्गत भंडार अंतरण, मार्गस्थ बिक्री, घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग और अवैध प्रपत्रों के विरुद्ध छूट की गलत अनुमति दी गयी जिसके परिणामस्वरूप ` 49.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.20)

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान 39,061 और 45,732 व्यवसायियों में से मू.व.क. लेखापरीक्षा हेतु क्रमशः 838 और 906 व्यवसायी चयनित किये गये, पर मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा मात्र 170 और दो व्यवसायियों की लेखापरीक्षा की गयी और 668 और 904 व्यवसायियों की लेखापरीक्षा बकाया रह गई।

(कंडिका 2.3.22.1)

सात लोक कार्य प्रमंडलों एवं तीन कंपनियों से प्राप्त अभिलेख/आँकड़े की छः वाणिज्यकर अंचलों के अभिलेखों के साथ की गई तिर्यक-जाँच से आवर्त के छिपाव का पता चला परिणामस्वरूप 16 संवेदकों के मामलों में ` 7.85 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ` 11.78 करोड़ के कर की कम वसूली हुई।

(कंडिका 2.4.2)

सात वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित 27 व्यवसायियों के मामले में निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा आवर्त के गलत निर्धारण के फलस्वरूप वर्ष 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान ` 144.96 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.5)

चार वाणिज्यकर अंचलों के सात निर्धारितियों के मामले में 2010-11 की अवधि के दौरान छूट के दावे प्रलेखों द्वारा समर्थित नहीं होने पर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ` 34.30 करोड़ का ब्याज आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.6)

तीन वाणिज्यकर अंचलों में 2009-10 से 2010-11 की अवधि के दौरान चार निर्धारितियों द्वारा घोषणा प्रपत्र 'सी' एवं 'एफ' के दुरुपयोग पर करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा ` 4.63 करोड़ का अर्थदंड आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 2.7)

चार वाणिज्यकर अंचलों में 15 निर्धारितियों के मामले में कर के गलत दर के अनुप्रयोग के कारण ` 1.91 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 2.9)

III. राज्य उत्पाद

चार उत्पाद जिलों में वर्ष 2013-14 के दौरान 51 दुकाने अबंदोबस्त रही।

(कंडिका 3.4.)

सात उत्पाद जिलों में 542 दुकानों द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान शराब के कम उठाव के परिणामस्वरूप ` 4.67 करोड़ के उत्पाद शुल्क का आरोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 3.5.)

IV. वाहनों पर कर

“परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली के साथ प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर बल” के एक निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित उद्घटित हुआ:

नीलामपत्रवाद मामलों का निष्पादन अत्यंत अपर्याप्त था क्योंकि विभाग वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 23,561 मामलों के विरुद्ध 669 नीलामपत्रवाद मामलों का ही निष्पादन कर सका, जिसमें 20,214 मामले 2009-10 के पूर्व के थे।

(कंडिका 4.3.9)

चयनित कार्यालयों में 10,653 वैयक्तिक वाहनों में से 1,172 वैयक्तिक वाहनों, जिनकी कर वैधता जुलाई 2005 एवं नवम्बर 2014 के बीच समाप्त हो गयी थी, के मामले में ` 2.92 करोड़ के एकमुश्त कर का आरोपण नहीं किया गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में प्रमादियों को माँग पत्र स्वतः सृजित करने का प्रावधान नहीं था।

(कंडिका 4.3.10.1)

झा.मो.वा.क. (संशोधन) अधिनियम, 2011 के लागू होने के चार वर्ष के उपरान्त भी विभाग द्वारा अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने हेतु लोक सेवा वाहनों का उनकी उम्र और यात्री सुविधा के आधार पर एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स, ए.सी. डीलक्स बस में वर्गीकरण एवं तदनुसार करारोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 4.3.13)

11 परिवहन कार्यालयों में 26,121 वाहनों में से 5,374 वाहन स्वामियों द्वारा जून 2009 एवं जून 2015 के मध्य देय ` 26.51 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का न तो भुगतान किया और न ही विभाग द्वारा माँग की गयी।

(कंडिका 4.3.16 एवं 4.3.17)

11 चयनित जिलों में से आठ परिवहन कार्यालयों एवं परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय में 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान संग्राहक बैंकों ने उनके द्वारा संग्रहित राजस्व को विलम्ब से सरकारी खाते में प्रेषण पर देय ` 7.29 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया।

(कंडिका 4.3.19.1)

राज्य में मार्च 2014 तक कुल निबंधित 34,51,564 वाहनों में शामिल 9,09,001 वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने थे, लेकिन विभाग द्वारा पुराने वाहनों को क्रमिक रूप से हटाने की कोई नीति नहीं थी।

(कंडिका 4.3.20.1)

राज्य के 24 जिलों में से मात्र 11 जिलों में ही प्रदूषण जाँच केन्द्र प्राधिकृत थे। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 8.84 लाख नये निबंधित वाहनों के विरुद्ध 4.09 लाख पी.यू.सी. प्रमाणपत्र निर्गत किया गया। विभाग को पी.यू.सी. के सहित या रहित वाहनों की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। प्रदूषण जाँच उपकरण जैसे स्मोक मीटर, गैस एनालाइज़र आदि परिवहन पदाधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराये गये थे

(कंडिका 4.3.20.2 एवं 4.3.20.3)

मोटर यान निरीक्षकों ने सेवा कर राशि सहित ` 27.67 करोड़ का राजस्व वाहनों के फिटनेस मद में वसूल किया गया लेकिन ` 3.07 करोड़ के सेवा कर की राशि '0044 सेवा कर' शीर्ष के अंतर्गत जमा नहीं किया गया।

(कंडिका 4.3.22)

सात परिवहन कार्यालयों से संबंधित 1,803 वाहन स्वामियों से मार्च 2010 एवं मार्च 2015 की अवधि के मध्य देय ` 5.49 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का न तो वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान किया गया और न ही विभाग द्वारा माँग की गयी।

(कंडिका 4.5)

V. अन्य कर प्राप्तियाँ

भू-राजस्व

एक अंचल कार्यालय में 22 पट्टों जो वर्ष 1960 एवं 1996 के मध्य समाप्त हो गये थे, के नवीनीकरण नहीं किये जाने के कारण सलामी, दाण्डिक लगान एवं ब्याज के रूप में ` 2.24 करोड़ के सरकारी राजस्व का वसूली नहीं किया जाना।

(कंडिका 5.4)

मुद्रांक एवं निबंधन फीस

एक जिला अवर निबंधक कार्यालय में 11 हस्तांतरण विलेखों को विकास अनुबंधों के रूप में गलत ढंग से वर्गीकरण का परिणाम वर्ष 2012-13 के दौरान ` 19.46 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के कम आरोपण में हुआ।

(कंडिका 5.8)

विद्युत पर कर एवं शुल्क

तीन वाणिज्यकर अंचलों में 2005-06 से 2012-13 के दौरान सात निर्धारितियों के मामलों में विद्युत शुल्क एवं अधिभार के नहीं/कम भुगतान पर करनिर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ` 7.35 करोड़ का अर्थदंड आरोपित नहीं किया गया।

(कंडिका 5.13)

तीन वाणिज्यकर अंचलों में पाँच निर्धारितियों के मामलों में विद्युत शुल्क के गलत दर के अनुप्रयोग एवं अधिभार का आरोपण नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ` 3.83 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं अधिभार के नहीं/कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 5.14)

VI. खनन प्राप्तियाँ

सात जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा 34 पट्टेधारियों के मामले में 2009-10 से 2013-14 की अवधि में 161.55 लाख मी.ट. बॉक्साइट, कोयला एवं लौह अयस्क के प्रेषण पर स्वामिस्व के गलत दर के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ` 338.59 करोड़ के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.4)

चार जिला खनन कार्यालयों में चार कोयला खानों द्वारा प्रेषित 50.55 लाख मी.ट. कोयले के निम्नश्रेणीकरण एवं जिला खनन पदाधिकारियों द्वारा विवरणियों के छानबीन द्वारा इसे पता लगाने की विफलता के परिणामस्वरूप 2013-14 के दौरान ` 27.60 करोड़ के स्वामिस्व का कम आरोपण हुआ।

(कंडिका 6.5)

अध्याय - ।

सामान्य

अध्याय-1: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2014-15 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश, शुल्कों के निवल प्राप्ति में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े तालिका - 1.1.1 में उल्लिखित हैं।

तालिका - 1.1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(करोड़ में)

क्र. सं.		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व					
	• कर राजस्व	5,716.63	6,953.89	8,223.67	9,379.79	10,349.81
	• कर-भिन्न राजस्व	2,802.89	3,038.22	3,535.63	3,752.71	4,335.06
	कुल	8,519.52	9,992.11	11,759.30	13,132.50	14,684.87
2	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	6,154.35	7,169.93	8,188.05	8,939.32	9,487.01 ¹
	• सहायता अनुदान	4,107.25	5,257.41	4,822.20	4,064.97	7,392.68
	कुल	10,261.60	12,427.34	13,010.25	13,004.29	16,879.69
3	राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2)	18,781.12	22,419.45	24,769.55	26,136.79	31,564.56
4	1 की 3 से प्रतिशतता	45	45	47	50	47

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2014-15 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व (14,684.87 करोड़) कुल राजस्व प्राप्ति का 47 प्रतिशत था। वर्ष 2014-15 के दौरान शेष 53 प्रतिशत प्राप्तियाँ भारत सरकार से थी।

1.1.2 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान सृजित किये गये कर राजस्व का विवरण तालिका - 1.1.2 में दिया गया है।

¹ पूर्ण विवरण के लिये कृपया सरकार के वर्ष 2014-15 के सरकार के वित्त लेखे में विवरणी संख्या 11-लघु शीर्षवार राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। मुख्य शीर्ष 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर (लघुशीर्ष-107-व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर को छोड़कर), 0032-सम्पत्ति पर कर, 0044-सेवा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038- संघीय उत्पाद शुल्क एवं 0045-वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, लघु शीर्ष-901 निवल प्राप्तियों में राज्यों का समानुदिष्ट हिस्सा के अधीन दर्ज आँकड़े जो वित्त लेखा में "ए - कर राजस्व" शीर्ष में दिखाये गये हैं, इस विवरणी में राज्य द्वारा सृजित राजस्व से अलग कर दिये गये हैं और विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में सम्मिलित किये गये हैं।

तालिका - 1.1.2
सृजित कर राजस्व का विवरण

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष		(' करोड़ में)					2013-14 की तुलना में 2014-15 में वृद्धि (+) कमी (-) की प्रतिशतता
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	ब.अ.	4,503.00	5,633.25	6,650.00	7,874.50	9,267.95	(+) 17.70
		वास्तविक	4,473.43	5,522.02	6,421.61	7,305.08	8,069.72	(+) 10.47
2	राज्य उत्पाद	ब.अ.	525.00	445.00	650.00	700.00	1,931.84	(+) 175.98
		वास्तविक	388.34	457.08	577.92	627.93	740.16	(+) 17.87
3	मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	ब.अ.	302.50	450.00	490.00	568.00	680.48	(+) 19.80
		वास्तविक	328.35	401.17	492.40	502.61	530.67	(+) 5.59
4	वाहनों पर कर	ब.अ.	440.00	356.00	550.00	639.40	836.33	(+) 30.80
		वास्तविक	312.37	391.92	465.36	494.79	660.37	(+) 33.46
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	ब.अ.	53.56	100.00	142.00	161.00	193.82	(+) 20.39
		वास्तविक	53.50	72.76	110.72	145.79	175.40	(+) 20.31
6	भू-राजस्व	ब.अ.	66.00	83.49	82.00	95.00	300.14	(+) 215.94
		वास्तविक	130.65	52.94	96.38	229.84	83.54	(-) 63.65
7	माल एवं यात्रियों पर कर-स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	ब.अ.	65.37	30.00	20.00	अनिर्धारण	0.15	--
		वास्तविक	21.08	40.95	0.51	1.08	0.28	(-) 74.07
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	ब.अ.	12.00	36.75	28.00	34.50	41.91	(+) 21.48
		वास्तविक	8.91	15.05	15.28	22.76	32.57	(+) 43.10
9	व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	ब.अ.	एस.ओ.-7 दिनांक 29 जून 2012 द्वारा लागू		65.00	80.00	61.38	(-) 23.28
		वास्तविक			43.49	49.91	57.11	(+) 4.43
	कुल	ब.अ.	5,967.43	7,134.49	8,677.00	10,152.40	13,314.00	(+) 31.14
		वास्तविक	5,716.63	6,953.89	8,223.67	9,379.79	10,349.81	(+) 10.34

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान।

उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है कि विगत वर्ष की तुलना में बजट अनुमानों में वृद्धि (-) 23.28 से 215.94 प्रतिशत के मध्य रही। राज्य उत्पाद एवं भू-राजस्व के संबंध में वास्तविक प्राप्तियों की प्रवृत्ति पर बिना विचार किये बजट अनुमानों में 175.98 प्रतिशत एवं 215.94 प्रतिशत की वृद्धि की गयी। संबंध विभागों ने बजट अनुमानों में वृहत वृद्धि की वजहें अनुरोध के बावजूद सूचित नहीं किया (अगस्त 2015)।

कर राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों से संबंधित 2013-14 की तुलना में 2014-15 की प्राप्तियों में विचरण के कारण निम्न थे:

बिक्री, व्यापार आदि पर कर: विभाग द्वारा 10.47 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बेहतर एवं प्रभावकारी कर प्रशासन साथ ही ₹ 37.79 करोड़ के बकाये की पर्याप्त वसूली बताया गया (जुलाई 2015)।

राज्य उत्पाद: विभाग द्वारा 17.87 प्रतिशत की वृद्धि का कारण भा.नि.वि.श. के शुल्क के दर में वृद्धि का होना बताया गया (जून 2015)।

मोटर वाहन: विभाग द्वारा 33.46 प्रतिशत की वृद्धि का कारण प्रमादी वाहनों से बकाये कर की वसूली एवं नये वाहनों के निबंधन में बढ़ोतरी को बताया गया (अगस्त 2015)।

विद्युत पर कर एवं शुल्क: विभाग द्वारा 20.31 प्रतिशत की वृद्धि का कारण बेहतर कर प्रशासन बताया गया (जुलाई 2015)।

वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क: 43.10 प्रतिशत वृद्धि का कारण बेहतर एवं प्रभावकारी कर प्रशासन बताया गया (जुलाई 2015)।

अनुरोध के बावजूद राजस्व के अन्य शीर्षों के विचरण की वजह से संबंधित विभागों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.1.3 वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान सृजित कर भिन्न राजस्व के विस्तृत विवरण तालिका - 1.1.3 में दर्शाये गये हैं:

तालिका - 1.1.3
सृजित कर-भिन्न राजस्व का विवरण

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2013-14 की तुलना में
								2014-15 में वृद्धि (+) कमी (-) की प्रतिशतता
1	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	ब.अ.	2,086.76	2,759.75	3,209.92	3,500.00	4,699.47	(+) 34.27
		वास्तविक	2,055.90	2,662.79	3,142.47	3,230.22	3,472.99	(+) 7.52
2	वानिकी एवं वन्य जीवन	ब.अ.	11.79	4.17	4.80	5.25	4.18	(-) 20.38
		वास्तविक	4.76	3.71	4.22	5.17	3.66	(-) 29.21
3	ब्याज प्राप्तियाँ	ब.अ.	279.41	100.64	65.00	115.00	243.36	(+) 111.62
		वास्तविक	98.74	44.16	72.23	69.48	143.04	(+) 105.87
4	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	ब.अ.	11.15	33.00	19.00	20.00	3.62	(-) 81.90
		वास्तविक	23.85	15.42	20.48	5.24	4.16	(-) 20.61
5	अन्य	ब.अ.	740.53	711.10	542.37	703.40	742.39	(+) 5.54
		वास्तविक	619.64	312.14	296.23	442.60	711.21	(+) 60.69
कुल	ब.अ.	3,129.64	3,608.66	3,841.09	4,343.65	5,693.02	(+) 31.07	
	वास्तविक	2,802.89	3,038.22	3,535.63	3,752.71	4,335.06	(+) 15.52	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान

विभागों ने हमारे आग्रह के बावजूद आधिक्य/कमी का कारण प्रस्तुत नहीं किया (अप्रैल एवं अगस्त 2015 के बीच)।

1.2 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2015 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व के बकाये की राशि ₹ 3,311.93 करोड़ थी, जिसमें ₹ 2,347.84 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक से बकाया था, जैसा कि तालिका - 1.2 में वर्णित है।

तालिका - 1.2

राजस्व बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को बकाया राशि	31 मार्च 2015 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	3,005.51	2,254.72	₹ 3,005.51 करोड़ में से ₹ 162.16 करोड़ की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये। ₹ 450.81 करोड़ एवं ₹ 258.00 करोड़ की वसूली पर क्रमशः न्यायालयों एवं अन्य अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा रोक लगायी गयी। ₹ 13.28 करोड़ एवं ₹ 15.85 करोड़ की माँग पर क्रमशः सुधार/पुनर्विचार आवेदन एवं व्यवसायी/पार्टी के दिवालिया हो जाने के कारण रोक लगायी गयी। शेष ₹ 2,105.41 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (अक्टूबर 2015)।
2.	वाहनों पर कर	276.09	82.28	₹ 276.09 करोड़ में से ₹ 215.34 करोड़ माँग की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये, ₹ 1.41 लाख की वसूली पर न्यायालयों द्वारा रोक लगायी गयी। शेष ₹ 60.74 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (अक्टूबर 2015)।

तालिका - 1.2
राजस्व बकाया

(करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2015 को बकाया राशि	31 मार्च 2015 को पाँच वर्षों से अधिक से बकाया राशि	अभ्युक्तियाँ
3	राज्य उत्पाद	30.33	10.84	31 मार्च 2015 को ` 30.33 करोड़ के बकाये अंत शेष में से ` 15.28 करोड़ माँग की वसूली के लिए भू-राजस्व के बकाये की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये, ` 7.72 करोड़ की वसूली पर न्यायालयों एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा रोक लगायी गयी। ` 10.56 लाख की वसूली पार्टियों के दिवालिया हो जाने के कारण रोक लगायी गयी एवं ` 16.08 लाख की राशि का अपलेखन संभावित था। शेष ` 7.06 करोड़ के बकाये के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना नहीं दी गयी (अक्टूबर 2015)।
कुल		3,311.93	2,347.84	

` 3,311.93 करोड़ के कुल लंबित राजस्व में से ` 392.78 करोड़ की वसूली के लिये बकाये भू-राजस्व की तरह नीलामपत्रवाद दायर किये गये एवं ` 745.94 करोड़ की वसूली पर न्यायालयों, अन्य अपीलीय प्राधिकारियों, भूल सुधार/पुनर्विचार आवेदन एवं पार्टियों के दिवालिया हो जाने के कारण रोक लगायी गयी, शेष ` 2,173.21 करोड़ के संबंध में की गयी विशिष्ट कार्रवाई की सूचना संबंधित विभागों द्वारा नहीं दी गयी।

हमारे द्वारा सक्रिय अनुसरण (अप्रैल एवं अगस्त 2015 के बीच) के बावजूद 2014-15 के अन्त में अन्य विभागों से संबंधित संग्रहण हेतु लंबित राजस्व के बकाये की स्थिति प्रस्तुत नहीं की गयी (अक्टूबर 2015)।

1.3 करनिर्धारण में बकाये

मूल्यवर्द्धित कर, मनोरंजन कर, विद्युत शुल्क एवं कार्य संविदाओं पर करों के संबंध में वर्ष के प्रारंभ में करनिर्धारण संबंधित लंबित मामले, वर्ष के दौरान करनिर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निष्पादित किये गये मामले एवं वर्ष के अंत में निष्पादन योग्य लंबित मामलों की संख्या का विस्तृत विवरण, जैसा वाणिज्यकर विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया तालिका - 1.3 में दिया गया है।

तालिका - 1.3
करनिर्धारण में बकाये

वर्ष	प्रारंभिक शेष	करनिर्धारण हेतु लंबित नये मामले	कुल लंबित करनिर्धारण	निष्पादित मामले	वर्ष के अंत में शेष	कॉलम 6 से 4 की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
2009-10	13,235	56,106	69,341	49,422	19,919	28.73
2010-11	19,919	64,145	84,064	66,874	17,190	20.45
2011-12	17,190	63,515	80,705	50,473	30,232	37.46
2012-13	31,244	58,087	89,331	53,385	35,946	40.24
2013-14	33,505	63,903	97,408	63,519	33,889	34.79
2014-15	37,983	68,303	1,06,286	65,464	40,822	38.41

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग, झारखण्ड सरकार।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान, विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े पिछले वर्ष में शेष के रूप में प्रतिवेदित आँकड़ों से भिन्न थे। करनिर्धारण में बकाये की भिन्नता का कारण यद्यपि माँगा गया था (अगस्त 2015), प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)। अग्रेतर, 31 मार्च 2015 को 40,822 मामले करनिर्धारण के निष्पादन हेतु लंबित थे। इसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हो सकती है क्योंकि मामले कालबाधित हो सकते हैं।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन

वाणिज्यकर विभाग द्वारा पता लगाये गये कर अपवंचन के मामले, निष्पादित मामले एवं अतिरिक्त कर हेतु सृजित माँग जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किये गये, के विस्तृत विवरण तालिका - 1.4 में दिये गये हैं।

तालिका - 1.4
पता लगाये गये कर अपवंचन

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2014 तक लंबित मामले	2014-15 के दौरान पता लगाये गये मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें करनिर्धारण/जाँच पूर्ण हुई तथा अर्थदंड सहित अतिरिक्त सृजित माँग आदि		31 मार्च 2015 को निष्पादन हेतु लंबित मामलों की संख्या
				मामले की संख्या	माँग की राशि (₹ करोड़ में)	
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	33	64	97	63	1.14	34

विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े पिछले वर्ष में शेष के रूप में प्रतिवेदित आँकड़ों से भिन्न है। भिन्नता का कारण यद्यपि माँगा गया था (सितम्बर 2015) प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)। करनिर्धारण का समापन एवं जाँच का शुद्ध प्रभाव ₹ 1.14 करोड़ की माँग थी, जो संग्रहित करों अर्थात् ₹ 9,267 करोड़ का नगण्य अंश है, जो विभाग की जाँच करने वाली तंत्र की अपर्याप्तता को दर्शाती है।

1.5 प्रतिदाय मामलों की विचाराधीनता

वर्ष 2014-15 के आरंभ में प्रतिदाय के लंबित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदाय तथा वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर लंबित मामले, जैसा कि विभाग द्वारा प्रतिवेदित किये गये, तालिका - 1.5 में दिया गया है।

तालिका - 1.5
लंबित प्रतिदाय मामलों का विवरण

(लाख में)

क्र. सं.	विवरण	मू.व.क./विद्युत पर कर एवं शुल्क	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित दावे	503	2,132.96
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	18	648.61
3.	वर्ष के दौरान किये गये प्रतिदाय	16	359.21
4.	वर्ष के अंत में बकाया शेष	505	2,422.36
5.	विलम्बित प्रतिदाय के कारण भुगतान किया गया ब्याज	शून्य	शून्य

स्रोत: वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत सूचना।

विभाग द्वारा प्रस्तुत आँकड़े पिछले वर्ष में शेष के रूप में प्रतिवेदित आँकड़ों से भिन्न थे। भिन्नता का कारण यद्यपि माँगा गया था (सितम्बर 2015), प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)। झारखण्ड मू.व.क. अधिनियम प्रतिदाय के दावे का आवेदन नब्बे दिनों से अधिक अवधि तक यदि आधिक्य राशि व्यवसायी को वापस नहीं किया जाता है तो ऐसे आदेश की तिथि से प्रतिदाय की वापसी की तिथि तक छः प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान करता है।

बिक्री कर/मू.व.क. के प्रतिदाय मामलों के निष्पादन की प्रगति प्राप्त किये गये दावों की तुलना में अत्यंत धीमी थी और ब्याज के भुगतान के लिए संवेदनशील है।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/सरकार की प्रतिक्रिया

हम संव्यवहारों की नमूना जाँच करने हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं तथा निर्धारित नियमावलियों और प्रक्रियाओं के अनुसार लेखाओं और अन्य अभिलेखों के संधारण की जाँच करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात जाँच के दौरान पाए गए एवं कार्यस्थल पर नहीं निपटाए गए अनियमितताओं को सम्मिलित करते हुए निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जो अगले उच्चतर प्राधिकारियों के प्रतियों सहित निरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु जारी किये जाते हैं। कार्यालयों के प्रमुख/सरकार को निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अवलोकनों पर तत्परता से अनुपालन करना, चूक एवं त्रुटियों को सुधारना और प्रारंभिक उत्तर के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी किये जाने की तिथि से एक माह के भीतर

अनुपालन प्रेषित करना अपेक्षित है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती हैं।

दिसम्बर 2014 तक निर्गत नि.प्र. की हमने समीक्षा की और पाया कि 1,065 नि.प्र. से संबद्ध ₹ 13,276.85 करोड़ की 8,677 कंडिकाएँ जून 2015 के अंत तक लंबित थी, जैसा कि पिछले दो वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े सहित तालिका - 1.6 में नीचे उल्लिखित है।

तालिका - 1.6
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2013	जून 2014	जून 2015
लंबित नि.प्र. की संख्या	994	977	1,065
लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	6,945	8,127	8,677
सन्निहित राशि	10,977.96	12,704.36	13,276.85

(करोड़ में)

1.6.1 30 जून 2015 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा अवलोकनों और सन्निहित राशि का विभागवार विवरण तालिका - 1.6.1 वर्णित हैं।

तालिका - 1.6.1
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	235	4,289	4,349.41
		प्रवेश कर	41	96	24.40
		विद्युत शुल्क	21	67	87.98
		मनोरंजन कर आदि	10	10	0.53
2	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	राज्य उत्पाद	139	716	622.68
3	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	87	571	1,728.11
4	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	216	1,297	522.32
5	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	134	475	3,646.67
6	खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	182	1,156	2,294.75
कुल			1,065	8,677	13,276.85

(करोड़ में)

वर्ष 2003-04 से दिसम्बर 2014 तक निर्गत 182 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रथम उत्तर भी, जिसे निरीक्षण प्रतिवेदन निर्गत होने की तिथि से एक माह के अंदर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त होना अपेक्षित है, प्राप्त नहीं हुए। संभाव्य वसूली योग्य राजस्व का परिमाण ₹ 13,276.85 करोड़, जैसा कि नि.प्र. में लाया गया है, राज्य के कुल राजस्व संग्रहण ₹ 14,684.87 करोड़ से आँका जा सकता है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार, कर्मचारियों/अधिकारियों जो लेखापरीक्षा के संवैधानिक कर्तव्य के अभिप्राय का पालन करते हुए निर्धारित समय सीमा के अनुसार निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं का उत्तर भेजने में विफल रहते हैं, के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रणाली स्थापित कर सकती है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के कंडिकाओं की प्रगति के अनुश्रवण एवं शीघ्र निपटारे के लिए लेखापरीक्षा समितियां स्थापित करती है। वर्ष 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की हुई बैठकें एवं निष्पादित कंडिकाओं के विवरण तालिका - 1.6.2 में वर्णित है।

तालिका - 1.6.2
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

राजस्व शीर्ष	संपन्न बैठकों की संख्या	निष्पादित कंडिकाओं की संख्या	राशि (लाख में)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2	64	2,347.85
मुद्रांक एवं निबंधन फीस	1	7	0
राज्य उत्पाद	1	24	1,198.92
वाहनों पर कर	2	41	2,333.78
भू-राजस्व	2	36	5,00.14
अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	2	111	11,109.10
कुल	10	283	22,389.79

परिवहन विभाग एवं वाणिज्यकर विभाग से संबंधित कंडिकाओं के निष्पादन की प्रगति वृहत रूप से विचाराधीन निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की तुलना में नगण्य था।

1.6.3 लेखापरीक्षा को संवीक्षा हेतु अभिलेखों का प्रस्तुत नहीं किया जाना

कर/कर-भिन्न प्राप्तियों से संबंधित कार्यालयों का स्थानीय लेखापरीक्षा कार्यक्रम पर्याप्त रूप से अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभाग को, लेखापरीक्षा प्रारंभ किये जाने से सामान्यतः एक माह पूर्व सूचनाएं भेज दी जाती हैं जिससे कि वे संबंधित अभिलेखों को संवीक्षा के लिए तैयार रख सकें।

वर्ष 2014-15 के दौरान, हमें लेखापरीक्षा हेतु चार विभागों (वाणिज्य कर, परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा निबंधन विभाग) के 17 कार्यालयों से संबंधित 256 अभिलेख उपलब्ध नहीं करायी गयी। ऐसे मामलों का कार्यालयवार विघटन तालिका - 1.6.3 में दिया गया है।

तालिका - 1.6.3

अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण का विवरण

कार्यालय का नाम	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत न किये गये करनिर्धारण मामलों/अभिलेखों की संख्या
वाणिज्यकर उपायुक्त, कतरास	36
वाणिज्यकर उपायुक्त, गोड्डा	14
जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका	1
भूमि सुधार उप-समाहर्ता (भू.सु.उ.स.), खूँटी	3
अंचल कार्यालय, अड़की	27
अंचल कार्यालय, बाँसजोर	2
अंचल कार्यालय, बोलबा	4
अंचल कार्यालय, करी	27
अंचल कार्यालय, केरसई	5
अंचल कार्यालय, खूँटी	27
अंचल कार्यालय, कोलेबिरा	7
अंचल कार्यालय, कुरडेग	7
अंचल कार्यालय, मुरहू	27
अंचल कार्यालय, रनिया	27
अंचल कार्यालय, ठेठईटांगर	11
अंचल कार्यालय, तोरपा	27
जिला अवर निबंधक, गोड्डा	4
कुल	256

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों का प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं को महालेखाकार (म.ले.) द्वारा, संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा अवलोकनों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने एवं छः सप्ताह के अंदर प्रत्युत्तर भेजने का आग्रह करते हुए, अग्रसारित किया जाता है। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति का तथ्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसी कंडिकाओं के अंत में हमेशा दर्शाया जाता है।

दो निष्पादन लेखा परीक्षा एवं 46 प्रारूप कंडिकाएँ (30 कंडिकाओं में से संकलित कर) मई एवं जुलाई 2015 के बीच संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों के नाम से भेजे गये थे। विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों ने 12 प्रारूप कंडिकाओं का उत्तर अनुस्मारक (जुलाई एवं अगस्त 2015 के बीच) निर्गत करने के बावजूद नहीं भेजा और इन्हें विभागों के प्रत्युत्तर के बिना ही इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन - संक्षेपित स्थिति

दिसम्बर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) की आंतरिक कार्य प्रणाली ने निर्धारित किया कि विधानसभा में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के पश्चात, विभाग लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्रवाई प्रारंभ करेंगे एवं सरकार द्वारा उन पर कृत कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन माह के अंदर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहिए। बावजूद इन प्रावधानों के, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ में असाधारण विलंब हुआ। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2010, 2011, 2012, 2013 एवं 2014 को समाप्त हुए वर्षों के झारखण्ड सरकार के राजस्व क्षेत्र पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित 138 कंडिकायें (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) अगस्त 2011 एवं मार्च 2015 के बीच राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखी गयीं। प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संबंध में इन कंडिकाओं पर कृत कार्रवाई पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ संबंधित विभाग से औसतन 3 माह विलंब से प्राप्त हुए। विभागों से 91 कंडिकाओं के संबंध में कृत कार्रवाई पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ जो प्राप्त नहीं हुए थे तालिका - 1.6.5 में वर्णित हैं।

तालिका - 1.6.5

क्र. सं.	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समाप्ति का वर्ष	विधानमण्डल में प्रस्तुति की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुईं	कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुईं
1	31 मार्च 2010	29.08.2011	26	10	16
2	31 मार्च 2011	06.09.2012	32	26	06
3	31 मार्च 2012	27.07.2013	25	1	24
4	31 मार्च 2013	04.03.2014	27	0	27
5	31 मार्च 2014	26.03.2015	28	10	18
कुल			138	47	91

लो.ले.स. ने वर्ष 2009-10 से 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 43 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की तथा प्रतिवेदन (2009-10) में सम्मिलित खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित एक कंडिका पर अपनी अनुशंसाएँ दी। तथापि, नवम्बर 2000 में राज्य बनने के समय से लो.ले.स. की अनुशंसाओं पर इन विभागों से ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुई है।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये विषयों को निपटाने हेतु प्रणाली का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाए गए मुद्दों पर विभागों/सरकार द्वारा दक्षता का विश्लेषण के लिये, विगत दस वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में

सम्मिलित कंडिकाओं और निष्पादन लेखापरीक्षा पर की गयी कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया एवं इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया।

अनुवर्ती कंडिकाओं 1.7.1 एवं 1.7.2 में **वाणिज्यकर विभाग** के अंतर्गत राजस्व शीर्ष **बिक्री, व्यापार आदि पर कर** का विगत दस वर्षों में किये गये स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता चले मामलों एवं वर्ष 2005-06 से 2014-15 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर की गई कार्रवाई की चर्चा है।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वाणिज्यकर विभाग के राजस्व शीर्ष बिक्री व्यापार आदि पर कर से संबंधित वर्ष 2005-06 से 2014-15 की अवधि में निर्गत निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं की संक्षेपित स्थिति एवं 31 मार्च 2015 को उनकी स्थिति नीचे **तालिका - 1.7.1** में सारणीबद्ध है।

तालिका - 1.7.1
निरीक्षण प्रतिवेदन की स्थिति

(करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान परिवर्धन			वर्ष के दौरान निष्पादन			वर्ष के दौरान अंतिम शेष		
	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि	नि.प्र.	कंडिकाएँ	राशि
2005-06	504	6,688	825.50	24	384	233.09	0	107	2.59	528	6,965	1,056.01
2006-07	528	6,965	1,056.01	13	244	166.89	0	59	0.82	541	7,150	1,222.08
2007-08	541	7,150	1,222.08	23	438	221.28	0	26	2.11	564	7,562	1,441.25
2008-09	564	7,562	1,441.25	21	432	330.64	121	1,589	61.79	464	6,405	1,710.10
2009-10	464	6,405	1,710.10	16	397	580.67	122	1,401	174.46	358	5,401	2,116.30
2010-11	358	5,401	2,116.30	31	596	428.41	72	1,360	242.16	317	4,637	2,302.55
2011-12	317	4,637	2,302.55	16	528	759.49	173	2,039	330.45	160	3,126	2,731.59
2012-13	160	3,126	2,731.59	27	632	510.61	1	94	7.30	186	3,664	3,234.21
2013-14	186	3,664	3,234.21	22	484	743.89	3	199	42.94	205	3,949	3,935.17
2014-15	205	3,949	3,935.17	25	344	276.91	2	201	59.26	228	4,092	4,152.82

2005-06 से 2014-15 की अवधि के दौरान ` 4,251.88 करोड़ के वित्तीय प्रभाव सहित 4,479 कंडिकाओं से अंतर्विष्ट 218 नि.प्र. निर्गत किया गया। इसी समय में ` 924.56 करोड़ मौद्रिक मूल्य की 494 नि.प्र. में सन्निहित 7,075 कंडिकाओं का विभाग के साथ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों एवं नियमित पारस्परिक संपर्क के द्वारा निष्पादन किया गया। वर्तमान में ` 4,152.82 करोड़ मौद्रिक मूल्य की 228 नि.प्र. में अन्तर्विष्ट 4,092 कंडिकाएँ निष्पादन हेतु लंबित है, जिसमें से ` 1,558.47 करोड़ मौद्रिक मूल्य की 98 नि.प्र. में अन्तर्विष्ट 1,736 कंडिकाएँ 5 वर्षों से अधिक समय से लंबित है (2005-06 से 2009-10 के बीच)।

1.7.2 स्वीकृत मामलों में वसूली

विभाग द्वारा स्वीकार किये गये और वसूल की गयी राशि से संबंधित कंडिकाओं की स्थिति तालिका - 1.7.2 में वर्णित है।

तालिका - 1.7.2
स्वीकृत मामलों में वसूली

(करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित कंडिका की संख्या	कंडिकाओं का मौद्रिक मान	स्वीकार किये गये कंडिका की संख्या	स्वीकार किये गये कंडिकाओं का मौद्रिक मान	वसूल की गयी राशि
2004-05	9	47.34	0	0	अनुपलब्ध
2005-06	1	375.50	0	0	अनुपलब्ध
2006-07	13	338.59	3	286.15	अनुपलब्ध
2007-08	16	294.95	16	294.95	अनुपलब्ध
2008-09	16	199.13	14	115.13	अनुपलब्ध
2009-10	9	208.10	4	118.42	0.96
2010-11	10	320.19	8	307.56	4.42
2011-12	8	224.20	6	104.67	2.27
2012-13	9	304.67	5	290.11	10.07
2013-14	9	741.05	5	705.64	8.50

विभाग ने 2004-05 से 2008-09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए स्वीकृत मामलों के विरुद्ध की गई वसूली की सूचना नहीं दी। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वसूली की प्रगति शेष वर्षों 2009-10 से 2013-14 में स्वीकृत मामलों में 1.14 प्रतिशत एवं 3.47 प्रतिशत के बीच रहा जो नगण्य था। स्वीकृत मामलों में वसूली अनुसरण की जानी चाहिए चूंकि संबंधित पक्षों से बकाए वसूलनीय हैं। विभाग/सरकार के द्वारा स्वीकृत मामलों के अनुसरण हेतु कोई तंत्र संस्थापना नहीं की गयी थी।

हम अनुशंसा करते हैं कि विभाग स्वीकार किये गये मामलों में वसूली के प्रयास एवं अनुश्रवण हेतु त्वरित कार्रवाई कर सकती है। स्वीकृत मामलों में लंबित वसूली के मामलों को संबंधित पदाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से विनिहित किया जा सकता है, चूंकि राज्य के राजस्व की रक्षा के लिये पूर्ण गंभीरता निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है।

1.7.3 विभाग/सरकार द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गयी कार्यवाही

हमारे द्वारा संचालित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा संबंधित विभागों/सरकार को उनके सूचनार्थ उनके उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ अग्रसारित किया गया। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हेतु निष्पादन लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देते समय बहिर्गमन सम्मेलन में इन निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर भी चर्चा की गयी तथा विभागों/सरकार के मंतव्यों को शामिल किया गया।

पिछले पाँच वर्षों में वाणिज्यकर विभाग के राजस्व शीर्ष बिक्री व्यापार आदि पर कर के संबंध नि.ले.प. में निम्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किया गया। अनुशंसाएँ एवं उनकी स्थिति का विवरण तालिका - 1.7.3 में वर्णित है।

तालिका - 1.7.3

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाएँ
2010-11	अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य में घोषणा प्रपत्रों का उपयोग	<p>अंचलों के केन्द्रीय घोषणा प्रपत्रों के भंडार पंजी/लेखाबही के प्रारूप का मानकीकरण एवं प्रपत्रों के क्रमानुसार निर्गमन को सुनिश्चित करना;</p> <p>टैक्स ऑडिट विंग को सुदृढ़ करने, अ.ब्यू. द्वारा नियमित सर्वेक्षण कार्य, क्रय विक्रय से संबंधित ऑकड़े/सूचनाओं का संग्रहण तथा लेन-देन की तिर्यक जाँच के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों एवं उपक्रमों के ऑकड़े/सूचनाओं से डाटाबेस तैयार करना;</p> <p>व्यवसायियों के ऑकड़े एवं उन्हें निर्गत प्रपत्रों को अपलोड करने तथा करनिर्धारण के समय टिनेक्सिस पर उपलब्ध डाटाबेस से उनके द्वारा समर्पित प्रपत्रों की जाँच करना; एवं</p> <p>विभागीय वेबसाईट और डाटा सेन्टर से प्रमाणित होने के पश्चात हस्तचालित पद्धति को ऑनलाइन पद्धति में परिवर्तन करने के लिए एक निश्चित समय सीमा का निर्धारण करना।</p>
2013-14	कार्य/आपूर्ति संविदाओं पर कर का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण	<p>मामलों के त्वरित निपटान हेतु लगातार अनुश्रवण और बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों को प्रयुक्त कर बकाये की वसूली भू-राजस्व की बकाये की तरह वसूली हेतु विभाग को निर्देश जारी करना;</p> <p>नियमित बाजार सर्वेक्षण का संचालन ऑकड़े/अभिलेखों का अन्तर्विभागीय तिर्यक जाँच तथा कार्य/आपूर्ति संवेदकों के निबंधन हेतु अन्य समुचित मानदण्डों को विभाग में स्थापित करना सुनिश्चित करना;</p> <p>नियमित रूप से अपने विभाग के मुख्य संवेदक के कर निर्धारण अभिलेखों से उपसंवेदकों द्वारा भुगतान प्राप्ति की तिर्यक जाँच की प्रणाली स्थापित करना,</p> <p>लोक/निजी क्षेत्र के उपक्रमों/निगमों को संविदाओं को विखंडित अनुबंध करने से रोकने हेतु उचित निर्देश जारी करना, जहाँ उपस्करों की आपूर्ति मार्गस्थ बिक्री मान कर किया गया, जिससे कर का अपवंचन हुआ;</p> <p>ठेकादाता/मुख्य संवेदकों को एकल पहचान संख्या जारी करते हुए विवरणियों के द्वारा टी.डी.एस. के संग्रहण एवं कोषागार में उनके प्रेषण के अनुश्रवण हेतु एक तंत्र स्थापित करना;</p>

तालिका - 1.7.3

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का नाम	अनुशंसाएँ
		झा.मू.व.क. लेखापरीक्षा शाखा द्वारा सावधिक लेखापरीक्षा और उन उप-संवेदकों के अभिलेखों के चयन के मानदण्ड जो निबंधित बड़े संवेदकों से भुगतान प्राप्त करते हो, को सुनिश्चित करना; और
		कार्य संवेदकों के विनियमन एवं विभागों द्वारा डाटाबेस का सृजन एवं राज्य/केन्द्र सरकार के उपक्रमों एवं अन्य बड़े उपक्रमों से आँकड़े/सूचनाएँ नियमित रूप से संग्रह करने एवं उसके तिर्यक जाँच हेतु अ.ब्यू. के कार्यों को सुदृढ़ करना।

इन अनुशंसाओं में से, अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की सूचना विभाग द्वारा नहीं दी गयी।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार निर्गमन सम्मेलन के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा में सम्मिलित की गयी हमारी अनुशंसाओं के विरुद्ध दिये गये आश्वासनों पर की गयी कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई के अनुश्रवण हेतु उपयुक्त कदम उठाने पर विचार कर सकती है।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा अवलोकनों की पूर्व प्रवृत्तियाँ और अन्य मानदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम इकाइयों में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की तैयारी जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकार की राजस्व प्राप्ति एवं कर प्रशासन के विवेचनात्मक मुद्दे, यथा बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की अनुशंसाएँ, पिछले पाँच वर्षों के राजस्व अर्जन का सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टताएँ, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पिछले पाँच वर्षों में इसका प्रभाव आदि सम्मिलित होता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, सम्पूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्र में कुल 505 लेखापरीक्षा इकाइयाँ शामिल थी जिनमें से 114 इकाइयों को लेखापरीक्षा की योजना बनायी गयी एवं लेखापरीक्षा की गयी। विवरण तालिका - 1.8 में वर्णित है।

तालिका - 1.8
लेखापरीक्षा योजना

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	इकाइयों की कुल संख्या	इकाइयाँ जिनके लिये लेखापरीक्षा की योजना बनायी गयी	2014-15 के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयाँ
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	46	26	26
2	वाहनों पर कर	27	17	17
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	46	14	14
4	राज्य उत्पाद	23	18	18
5	भू-राजस्व	307	20	20
6	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	50	18	18
7	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम	5	00	00
8	झारखण्ड स्टेट बेभरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	1	01	01
कुल		505	114	114

उपरोक्त अनुपालन लेखापरीक्षाओं के अतिरिक्त “मू.व.क. के अंतर्गत करनिर्धारण की प्रणाली” तथा “परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली के साथ प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर बल” के दो निष्पादन लेखापरीक्षा भी इन प्राप्तियों के कर प्रशासन की क्षमता की जाँच करने के लिए लिये गये।

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान संचालित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2014-15 के दौरान वाणिज्यकर, राज्य उत्पाद, परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार, निबंधन एवं खान एवं भूतत्व विभागों के 114 इकाइयों के अभिलेखों के नमूना जाँच से 6,699 मामलों में ₹ 1,219.56 करोड़ के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व की हानि को दर्शाया। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने हमारे द्वारा इंगित 4,052 मामलों में ₹ 687.47 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें 4,016 मामलों में सन्निहित ₹ 684.42 करोड़ 2014-15 में एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित किया गया। विभागों ने 2014-15 में 340 मामलों में ₹ 3.37 करोड़ वसूल किया।

1.10 इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र

इस प्रतिवेदन में ₹ 1,049.00 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 30 कंडिकाएँ उपर संदर्भित स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान एवं पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गये लेखापरीक्षा अवलोकनों, जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, से चयनित एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षा “मू.व.क. के अंतर्गत करनिर्धारण की प्रणाली” एवं “परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली के साथ प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर बल” हैं जिसमें से ₹ 1,026.48 करोड़ वसूलनीय हैं।

विभाग/सरकार ने ` 22.52 करोड़ के परिहार्य सैद्धांतिक क्षति सहित ` 672.01 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया एवं ` 3.18 करोड़ वसूल किया। शेष मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय II से VI में की गयी है।

अध्याय - ॥

बिक्री, व्यापार आदि पर कर

अध्याय- 11: बिक्री, व्यापार आदि पर कर

2.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्यवर्द्धित कर और केंद्रीय बिक्री कर का आरोपण और संग्रहण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (झा.मू.व.क.) अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होते हैं। वाणिज्यकर के सचिव-सह-आयुक्त वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) में इन अधिनियमों और नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं और उन्हें वाणिज्यकर के अपर आयुक्त एवं संयुक्त आयुक्त (वा.क.सं.आ.), वाणिज्यकर के अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.), निगरानी एवं अनुश्रवण के संयुक्त आयुक्तों के साथ वाणिज्यकर के अन्य उप/सहायक आयुक्तों का सहयोग प्राप्त होता है।

राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमंडलों¹ में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक के प्रभारी संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) होते हैं एवं 28 अंचलों² में विभाजित है जिसमें प्रत्येक के प्रभारी वाणिज्यकर उपायुक्त/सहायक आयुक्त (वा.क.उ./वा.क.स.आ.) होते हैं। अंचल के वा.क.उ./वा.क.स.आ., जिन्हें वाणिज्यकर पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है, सरकार को देय कर का आरोपण और संग्रहण के अलावे सर्वेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं। वा.क.सं.आ. (प्रशासन) को सहयोग करने के लिए प्रत्येक प्रमंडल में अ.ब्यू. के एक उपायुक्त पदस्थापित होते हैं तथा मुख्यालय के नियंत्रण में प्रत्येक प्रमंडल में एक वा.क.उ. (निगरानी एवं अनुश्रवण) पदस्थापित होते हैं।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2014-15 के दौरान, बिक्री व्यापार आदि पर करों से संबंधित 46 इकाइयों में से 26 इकाइयों (₹ 7,178.65 करोड़ के राजस्व संग्रहण वाले) के अभिलेखों की नमूना जाँच की और 345 मामलों में अंतर्ग्रस्त ₹ 670.35 करोड़ के कर का अवनिर्धारण और अन्य अनियमितताओं का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत हैं, जैसा कि तालिका - 2.2 में दिए गए हैं:

तालिका - 2.2

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	'मू.व.क. के अंतर्गत करनिर्धारण की प्रणाली' - एक निष्पादन लेखापरीक्षा	1	393.45
2	कर का कम/नहीं लगाया जाना	74	164.30
3	कर से छूट की अनियमित स्वीकृति	30	7.57

¹ धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

² आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

तालिका - 2.2

(` करोड़ में)

क्रम सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
4	ब्याज का नहीं लगाया जाना	48	45.42
5	कर की गलत दरों का अनुप्रयोग	23	3.22
6	अर्थदंड का नहीं लगाया जाना	15	3.80
7	गलत आवर्त निर्धारण के कारण कर का कम लगाया जाना	32	5.40
8	कर के रियायती दर की अनियमित स्वीकृति	21	0.66
9	अधिक कर संग्रहण हेतु अर्थदंड का नहीं लगाया जाना/संगणना में भूल	4	0.62
10	अन्य मामले	97	45.91
कुल		345	670.35

वर्ष के दौरान विभाग ने 136 मामलों में ` 598.32 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिसमें से 100 मामलों में अंतर्गस्त ` 595.05 करोड़ वर्ष 2014-15 में इंगित किए गये थे एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षों में 14 मामलों में ` 5 लाख की राशि वसूली की गई।

इस अध्याय में हम ` 393.45 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 'मू.व.क. के अंतर्गत करनिर्धारण की प्रणाली' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा और ` 201.60 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामलों को प्रस्तुत करते हैं। विभाग ने ` 595.05 करोड़ के वित्तीय प्रभाव वाले सभी लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

2.3 मू.व.क. के अंतर्गत करनिर्धारण की प्रणाली

विशिष्टताएँ

वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान स्व-करनिर्धारण के केवल 12 मामले थे और विभाग ने व्यवसायियों के बीच स्व-करनिर्धारण को लोकप्रिय बनाने के लिए कोई पहल नहीं किया जिसका कार्मिकों की कमी और निबंधित व्यवसायियों के निरंतर वृद्धि के साथ परिणाम, वर्ष 2009-10 में 11,313 से 2013-14 में 22,614 करनिर्धारणों में भारी बकाये के संचयन में हुआ।

(कंडिका 2.3.8, 2.3.10.1 एवं 2.3.22.4)

हालाँकि अधिनियम में अनिबंधित व्यवसायियों की पहचान करने हेतु सर्वेक्षण का प्रावधान विद्यमान था, पर ऐसे सर्वेक्षण के लिए तौर तरीके निर्धारित नहीं किये गये हैं। 54 अनिबंधित व्यवसायियों का पता करने हेतु विभाग ने निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध टी.डी.एस. विवरणों का उपयोग नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ₹ 3.82 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.3.10.2 एवं 2.3.10.3)

13 अंचलों में निबंधित 45,732 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,062 व्यवसायियों में से 70 व्यवसायियों के मामले में बिक्री/खरीद में ₹ 1,404.19 करोड़ के आवर्त का छिपाव हुआ था परिणामस्वरूप ₹ 128.51 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ₹ 192.75 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.3.11)

नौ अंचलों में 35,129 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,186 में से 24 व्यवसायियों के मामलों में ₹ 8.35 करोड़ के आई.टी.सी. दावों में अनियमिततायें थीं यथा अनियमित/गैर स्वीकार्य आई.टी.सी. के दावे, अतिरिक्त दावे, आई.टी.सी. का व्युत्क्रमण न होना और उस पर ब्याज का प्रभारित नहीं किया जाना।

(कंडिका 2.3.13)

सात अंचलों में 27,528 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 852 में से 13 व्यवसायियों के मामले में मालों के गलत वर्गीकरण और कर के गलत दर के अनुप्रयोग के कारण ₹ 6.27 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

(कंडिका 2.3.14)

12 अंचलों में 43,000 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,125 में से 46 व्यवसायियों के मामले में स्वीकृत कर/देय कर का भुगतान नहीं किया जाना/विलंब से भुगतान, बिना प्रमाणवाले अस्वीकृत दावे, गलत छूटों और रियायतों पर ₹ 38.43 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

(कंडिका 2.3.16)

10 अंचलों में 40,911 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 2,075 में से 34 व्यवसायियों के मामले में अंतर्राज्यीय और राज्यांतर्गत भंडार अंतरण, मार्गस्थ बिक्री, घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग और अवैध प्रपत्रों के विरुद्ध छूट की गलत अनुमति दी गयी जिसके परिणामस्वरूप 49.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

(कंडिका 2.3.20)

वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान 39,061 और 45,732 व्यवसायियों में से मू.व.क. लेखापरीक्षा हेतु क्रमशः 838 और 906 व्यवसायी चयनित किये गये, पर मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा मात्र 170 और दो व्यवसायियों की लेखापरीक्षा की गयी और 668 और 904 व्यवसायियों की लेखापरीक्षा बकाया रह गई।

(कंडिका 2.3.22.1)

2.3.1 प्रस्तावना

मूल्यवर्द्धित कर (मू.व.क.) का निर्धारण, आरोपण, और संग्रहण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005, झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (झा.मू.व.क.) नियमावली, 2006 और सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अधिसूचनाओं/निर्देशों द्वारा शासित होता है।

वाणिज्यकर विभाग करनिर्धारण, आरोपण, और संग्रहण हेतु उत्तरदायी है और अधिनियम, नियमावलियों के विभिन्न प्रावधानों और उसके अधीन निर्गत विभिन्न अधिसूचनाओं/परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। मू.व.क. के अंतर्गत करनिर्धारण की प्रक्रिया में, व्यवसायियों को एक लेखाकार या टैक्स प्रैक्टिशनर द्वारा तैयार वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे के साथ संलग्न उनके व्यापार खाते में बिक्री व खरीद से संबंधित उनके लेनदेनों की विवरणी प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में प्रस्तुत करना है। व्यवसायियों से विवरणी की प्राप्ति पर, करनिर्धारण प्राधिकारियों का यह सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व है कि विवरणियाँ सभी तरह से पूर्ण एवं सही हैं जैसे कि देय कर, भुगतान की गई राशि, इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा (आई.टी.सी.) और देय कर का इसके विरुद्ध समायोजन, कर के विलंबित जमा पर ब्याज और इसकी अंकगणितीय परिशुद्धता। व्यवसायी अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमावलियों के प्रावधानानुसार सभी दस्तावेज अधिनियम के प्रावधान में दिये गये समय के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निबंधित व्यवसायी, विहित घोषणा प्रपत्रों³ की प्रस्तुति पर आई.टी.सी. कर के रियायतों और छूटों के योग्य हैं। राज्य सरकार व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने हेतु व्यवसायियों को इन प्रोत्साहनों को स्वीकृत करती है। घोषणा प्रपत्रों/प्रमाण पत्रों जिस पर कर राहत की स्वीकृति दी गयी है के दुरुपयोग के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करना वाणिज्यकर विभाग का दायित्व है।

2.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

वाणिज्यकर विभाग सरकार के स्तर पर वाणिज्यकर विभाग के सचिव-सह-आयुक्त के क्षेत्राधीन है। वाणिज्यकर के सचिव-सह-आयुक्त वाणिज्यकर विभाग (वा.क.वि.) में अधिनियमों और नियमावलियों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। विभाग के मुख्यालय स्तर पर, वाणिज्यकर आयुक्त (वा.क.आ.) विभाग के प्रमुख होते हैं। उन्हें अपर आयुक्त और वाणिज्यकर के संयुक्त आयुक्तों, वाणिज्यकर अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.) के संयुक्त आयुक्त के साथ-साथ अन्य उपायुक्त/सहायक आयुक्तों एवं वाणिज्यकर पदाधिकारियों (वा.क.प.) का सहयोग प्राप्त होता है।

³ झा.मू.व.क.-404: इनपुट टैक्स क्रेडिट; झा.मू.व.क. -506: राज्यांतर्गत शाखा स्थानांतरण; झा.मू.व.क. 400: स्रोत पर कर कटौती; झा.मू.व.क. 407: कर की कटौती नहीं किया जाना; झा.मू.व.क. 403: कर की विशेष दर के अंतर्गत वस्तुओं की कर प्रदत्त बिक्री।

राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमंडलों⁴ में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक के प्रभारी संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) होते हैं जो प्रमंडलीय अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.) प्रमुख भी हैं। वाणिज्यकर के उपायुक्त/सहायक आयुक्त (वा.क.उ./वा.क.स.आ.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 28 अंचल⁵ कार्यरत हैं। अंचल के वा.क.उ./वा.क.स.आ./वा.क.प., बाजार सर्वेक्षण के अलावा, सरकार को देय मू.व.क./के.बि.क. के आरोपण और संग्रहण के लिए भी उत्तरदायी हैं।

राज्य तीन वाणिज्यकर प्रमंडलों⁶ (मू.व.क. अंकेक्षण) में विभाजित है, जिसमें प्रत्येक के प्रभारी एक संयुक्त आयुक्त होते हैं जिन्हें आयुक्त द्वारा परिभाषित मापदंड के अनुसार चयनित व्यवसायियों के कर लेखापरीक्षा करने में वा.क.उ., वा.क.स.आ. और वा.क.प. द्वारा सहयोग किया जाता है।

2.3.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संचालित की गयी कि :

- झा.मू.व.क. अधिनियम के प्रावधान और उसके अधीन बनायी गयी नियमावलियाँ पर्याप्त हैं, और राज्य के राजस्व की सुरक्षा करने के लिए ठीक से लागू हैं;
- कर की छूटें/रियायत, व्यवसायियों द्वारा आवर्त से दावा की गयी कटौतियाँ और कर निर्धारण प्राधिकारियों (क.नि.प्रा.) द्वारा दी गयी अनुमति व्यवस्थित थे; और
- विभाग में एक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली विद्यमान था और राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए पर्याप्त और प्रभावी था।

2.3.4 लेखापरीक्षा मानदंड

- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005;
- झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2006;
- केन्द्रीय बिक्री कर (के.बि.क.) अधिनियम, 1956;
- केन्द्रीय बिक्री कर (निबंधन एवं आवर्त) नियमावली, 1957;
- केन्द्रीय बिक्री कर (झारखण्ड) नियमावली, 2006;
- समय-समय पर जारी निर्देश/अधिसूचनाएं; और
- न्यायालय के निर्णय।

⁴ धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, राँची और संथाल परगना।

⁵ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, चिरकुंडा, देवघर, धनबाद, धनबाद नागरीय, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, झरिया, कतरास, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची विशेष, राँची पश्चिमी, साहिबगंज, सिंहभूम और तेनुघाट।

⁶ धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

2.3.5 लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली

2.3.5.1 2009-10 से 2013-14 की अवधि से संबंधित वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान पूर्ण किये गये करनिर्धारणों के संबंध में "मू.व.क. के अंतर्गत करनिर्धारण की प्रणाली" पर निष्पादन लेखापरीक्षा अक्टूबर 2014 से मई 2015 के बीच संचालित की गयी। लेखापरीक्षा वाणिज्यकर विभाग के आयुक्त का कार्यालय, प्रशासन अपील और मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध के तीन प्रमंडलीय संयुक्त आयुक्तों⁷, वाणिज्यकर न्यायाधिकरण और प्रत्येक अंचल द्वारा सृजित राजस्व के आधार पर उच्च (₹ 150 करोड़ और उससे अधिक), मध्यम (₹ 25 करोड़ और ₹ 150 करोड़ के बीच) और न्यून जोखिम (₹ 25 करोड़ से नीचे) में वर्गीकृत कर यादृच्छिक प्रतिचयन विधि द्वारा राज्य के 28 अंचलों में से चयनित 13 वाणिज्यकर अंचलों⁸ (वा.क.अं.) में संचालित की गयी।

2.3.5.2 हमने आवधिक विवरणियाँ, झा.मू.व.क.-409 में व्यापार खाते, 'सी' और 'एफ' घोषणा प्रपत्रों की उपयोगिता प्रमाण पत्र, झा.मू.व.क. -'504 जी' एवं '504 बी' में रोड परमिटों की उपयोगिता, इनपुट टैक्स क्रेडिट हेतु प्रपत्र झा.मू.व.क.-404 में घोषणा की उपयोगिता, राज्यांतर्गत शाखा स्थानांतरण हेतु झा.मू.व.क.-506, स्रोत पर कर की कटौती हेतु झा.मू.व.क.-400, स्रोत पर कर की गैर कटौती हेतु झा.मू.व.क.-407, कर के विशेष दर के अंतर्गत कर भुगतान के बाद वस्तुओं की बिक्री हेतु झा.मू.व.क.-403 की नमूना जाँच की और कर अपवंचन एवं अनिबंधित संवेदकों/व्यवसायियों का पता लगाने के लिए राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के उपक्रमों और संवेदकों के करनिर्धारण अभिलेखों से एकत्र आँकड़े/सूचनाओं से तिर्यक जाँच किया। वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड के अपर आयुक्त और संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) के साथ 13 फरवरी 2015 को एक प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा की गयी। सचिव-सह-आयुक्त, झारखण्ड सरकार के साथ बहिर्गमन सम्मेलन 19 अगस्त 2015 को आयोजित किया गया जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों, निष्कर्षों एवं अनुशंसाओं पर चर्चा की गयी। सरकार/विभाग के विचारों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित कर लिया गया है।

2.3.6 आभारोक्ति

भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचनायें और अभिलेखों को उपलब्ध कराने में वाणिज्य कर विभाग के सहयोग हेतु आभार प्रकट करता है।

⁷ धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

⁸ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और तेनुघाट। वर्तमान चक्र के साथ ही पिछले लेखापरीक्षा चक्रों में संचालित लेखापरीक्षा।

2.3.7 राजस्व की प्रवृत्ति

2009-14 के दौरान बजट अनुमानों (ब.अ.) और वास्तविक के बीच भिन्नता तालिका - 2.3.7 में दिखाया गया था।

तालिका - 2.3.7

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	राज्य के वित्त लेखे के अनुसार वास्तविक प्राप्तियाँ	भिन्नता आधिक्य (+) / कमी (-)	भिन्नता का प्रतिशत
2009-10	4,200.00	3,597.20	(-) 602.80	(-)14.35
2010-11	4,503.00	4,473.43	(-) 29.57	(-) 0.66
2011-12	5,633.25	5,522.02	(-) 111.23	(-)1.97
2012-13	6,650.00	6,421.61	(-) 228.39	(-)3.43
2013-14	7,874.50	7,305.08	(-) 569.42	(-)7.23

स्रोत: विभागीय आँकड़े और राज्य के वित्त लेखे

उपरोक्त से यह देखा गया कि वर्ष 2009-10 में 14.35 प्रतिशत की कमी के बाद, विभाग ने वर्ष 2010-12 में वापसी की जिसका काफी हद तक श्रेय कर की दर में वृद्धि था।

2.3.8 करनिर्धारण में बकाये

2009-14 के दौरान 12 वाणिज्य कर अंचलों⁹ के करनिर्धारण के बकाये तालिका - 2.3.8 में दिखाये गये हैं।

तालिका - 2.3.8

वर्ष	प्रारंभिक शेष	योग	कुल	निष्पादन	अंतिम शेष
2009-10	2,550	29,610	32,160	20,847	11,313
2010-11	11,313	30,017	41,330	30,705	10,625
2011-12	10,625	34,455	45,080	27,656	17,424
2012-13	17,424	28,240	45,664	25,743	19,921
2013-14	19,921	30,349	50,270	27,656	22,614

उपरोक्त से यह देखा गया कि करनिर्धारण के बकाये में, इन वर्षों में 2009-10 में 11,313 से 2013-14 के अंत में 22,614 की संचयी वृद्धि हुई। यह अवलोकित किया गया कि विभाग में पदाधिकारियों और सहायक कर्मचारियों की कमी थी जो इन बकायों के संचयन का कारण हो सकता है।

⁹ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, दक्षिणी, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

2.3.9 राजस्व में बकाया

31 मार्च 2014 को नमूना जाँच किये गये 12 अंचलों¹⁰ में राजस्व के संग्रहण में 1,225.51 करोड़ बकाया था जैसा कि तालिका - 2.3.9 में दर्शाया गया है।

तालिका - 2.3.9

(करोड़ में)

अवधि	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान योग	कुल	वर्ष के दौरान वसूली	अंतिम शेष
2009-10	1,747.79	161.21	1,910.00	518.86	1,391.14
2010-11	1,381.94	81.14	1,463.08	71.28	1,391.80
2011-12	1,761.68	131.85	1,893.53	234.94	1,658.59
2012-13	1,583.33	395.33	1,978.66	414.34	1,564.32
2013-14	1,564.32	175.42	1,739.74	514.23	1,225.51

बकायों का कारण और उनकी वसूली हेतु की गयी कार्रवाई हालाँकि पूछा गया (जून 2015), प्राप्त नहीं हुआ है। संबंधित अंचलों ने बकायों की आवधिकता और सन्निहित राजस्व सहित नीलामपत्रवाद दायर किये जाने योग्य मामलों को प्रस्तुत नहीं किया। बकायों के आवधिकता की अनुपलब्धता के कारण बकायों का अवधिवार विश्लेषण नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हालाँकि झा.मू.व.क. अधिनियम 1 अप्रैल, 2006 से अस्तित्व में आया, लेखापरीक्षा ने करनिर्धारण प्रणाली की समीक्षा की और कई कमियाँ पायीं जिनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

2.3.10 करनिर्धारण में कमियाँ

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत धारा 35 और धारा 9, के.बि.क. अधिनियम, 1956 एवं इसके अधीन बनाई गई नियमावलियों में कर के निर्धारण और स्व-करनिर्धारण का प्रावधान है। उचित करनिर्धारण और एक सशक्त संग्रहण तंत्र सक्षम एवं प्रभावी कर प्रबंधन के आवश्यक तत्व हैं। लेखापरीक्षा ने करनिर्धारण, कर का संग्रहण, ब्याज और अर्थदंड हेतु झा.मू.व.क. और के.बि.क. अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में कमियाँ पायीं।

¹⁰ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरी, रामगढ़, राँची पूर्वी, दक्षिणी, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

2.3.10.1 कर के स्वनिर्धारण की प्रणाली का व्यवहार नहीं किया जाना

विभाग पूर्ववर्ती बिक्री कर काल की तरह निबंधित व्यवसायियों का कर निर्धारण जारी रखा और व्यवसायियों को स्वनिर्धारण का व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 35 प्रावधान करता है कि एक निबंधित व्यवसायी या निबंधित होने योग्य एक व्यवसायी से एक कर अवधि से संबंधित देय कर की राशि स्वनिर्धारित माना जाएगा यदि व्यवसायी ने निर्धारित अवधि के भीतर सारे आवश्यक दस्तावेजों सहित सभी विवरणियाँ और वार्षिक विवरणी दाखिल किया है और इस तरह दाखिल विवरणियाँ व्यवस्थित और गणितीय रूप से सही पाया गया हो।

हमने 13 अंचलों¹¹ से स्वनिर्धारण के आँकड़े एकत्र किये जो तालिका 2.3.10.1 में निम्नानुसार थे।

तालिका 2.3.10.1

वर्ष	निबंधित व्यवसायियों की कुल संख्या	दाखिल स्व-करनिर्धारण की संख्या	स्वीकार किये गये स्व-करनिर्धारण की संख्या
2009-10	35,090	12	1
2010-11	39,061	12	3
2011-12	45,732	11	2
2012-13	50,347	7	2
2013-14	55,835	8	4

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि 2009-14 के दौरान मात्र 50 व्यवसायियों ने स्व-करनिर्धारण का चुनाव किया और इनमें से, 12 व्यवसायियों के मामले में स्व-करनिर्धारण स्वीकार किया गया। परिणामस्वरूप, अधिनियम की घोषणा के समय से स्व-करनिर्धारण का प्रावधान विद्यमान होने के बावजूद इन वर्षों में लगभग सभी मामले पूर्ववर्ती बिक्री कर काल की तरह क.नि.प्रा. द्वारा निर्धारित किये गये। प्रतिवर्ष निबंधित व्यवसायियों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिये विभाग में पदाधिकारियों और सहायक कर्मियों की काफी कमी थी जिसके परिणामस्वरूप 2009-10 में 11,313 से 2013-14 के अंत में 22,614 निर्धारण के बकायों में संचित वृद्धि हुई जैसा कि इस प्रतिवेदन के कंडिका 2.3.22.4 एवं 2.3.8 में इंगित किया गया है। निर्धारण के बढ़ते बकायों को ध्यान में रखते हुए, झा.मू.व.क. अधिनियम को मई 2011 में स्व-निर्धारण के साथ 'निर्धारण' शब्द शामिल करने के लिये संशोधित (वर्ष 2011 का अध्यादेश 2) किया गया और निर्धारण हेतु समय सीमा दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दिया गया।

¹¹ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची पश्चिमी, राँची दक्षिणी और तेनुघाट।

31 मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में स्व-करनिर्धारण को लोकप्रिय बनाने हेतु पहल के अभाव को पहले ही इंगित किया गया था जिसमें इस उद्देश्य हेतु आवंटित निधि का उपयोग नहीं किया गया।

हमने मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार निबंधित व्यवसायियों के बीच स्व-करनिर्धारण को लोकप्रिय बनाने पर विचार कर सकती है।

2.3.10.2 उचित सर्वेक्षण का संचालन नहीं किया जाना

सर्वेक्षणों के तौर तरीके अर्थात्, तय किये जाने वाले क्षेत्रों, सर्वेक्षणों की आवधिकता और प्रत्येक सर्वेक्षण में ली जाने वाली व्यवसायियों की संख्या निर्धारित नहीं की गयी है।

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 25 प्रावधान करता है कि कर भुगतान का उत्तरदायी होने पर कोई भी व्यवसायी व्यवसाय नहीं करेगा जब तक वह निबंधित नहीं हुआ हो। अग्रेतर, धारा 71 ऐसे व्यवसायियों जो कर के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं लेकिन अनिबंधित है, की पहचान का प्रावधान करता है, विहित प्राधिकारी समय-समय पर अनिबंधित व्यवसायियों का सर्वेक्षण करेगा।

हमने 13 अंचलों¹² से व्यवसायियों के निबंधन एवं सर्वेक्षण के संचालन से संबंधित सूचनाएँ एकत्र की और देखा कि संचालित किये गये 4,063 सर्वेक्षणों के बाद 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान मात्र 1,959 नए व्यवसायी¹³ निबंधित किये गये जैसा कि तालिका - 2.3.10.2 में दर्शाया गया है।

तालिका - 2.3.10.2

वर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		कुल	
	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब
आदित्यपुर	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	10	9	5	5	29	16	3	3	47	33
बोकारो	205	31	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	77	12	153	15	435	58
चाईबासा	77	15	72	15	50	8	31	6	66	10	296	54
देवघर	103	25	62	28	72	49	84	52	44	31	365	185
धनबाद	3	18	5	23	6	25	8	35	8	32	30	133
गिरिडीह	38	32	2	2	18	15	34	28	191	162	283	239
जमशेदपुर	261	175	77	43	70	32	124	65	150	78	682	393
जमशेदपुर नागरीय	118	31	49	18	34	15	58	20	14	7	273	91
रामगढ़	35	10	25	8	85	57	69	62	83	23	297	160
राँची पूर्वी	89	26	29	5	28	15	16	7	शून्य	शून्य	162	53

¹² आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर शहरी, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

¹³ आदित्यपुर-33, बोकारो-58, चाईबासा - 54, देवघर-185, धनबाद-133, गिरिडीह-239, जमशेदपुर-393, जमशेदपुर नागरीय-91, रामगढ़-160, राँची पूर्वी -53, राँची दक्षिणी-6 और राँची पश्चिमी-81, तेनुघाट-473।

तालिका - 2.3.10.2

वर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		कुल	
	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब	अ	ब
राँची दक्षिणी	अप्रस्तुत	अप्रस्तुत	17	शून्य	14	शून्य	16	3	73	3	120	6
राँची पश्चिमी	84	7	103	11	119	16	127	21	137	26	570	81
तेनुघाट	83	76	112	108	124	116	96	88	88	85	503	473
कुल	1,061	436	538	262	540	296	700	353	927	452	4,063	1,959

'अ'-संचालित सर्वेक्षणों की संख्या। 'ब' - निर्बंधित व्यवसायियों की संख्या।

अधिनियम में अनिबंधित व्यवसायियों के सर्वेक्षण का प्रावधान था, फिर भी सर्वेक्षण के तौर तरीके अर्थात् तय किये जाने वाले क्षेत्रों, सर्वेक्षणों की आवधिकता और प्रत्येक सर्वेक्षण में ली जाने वाली व्यवसायियों की संख्या निर्धारित नहीं की गयी है। हमने, आगे पाया कि शीर्ष स्तर पर इन सर्वेक्षणों का अनुश्रवण नहीं किया गया।

2.3.10.3 अनिबंधित कार्य संवेदकों का पता नहीं लगाया जाना

विभाग ने अनिबंधित संवेदक व्यवसायियों का पता लगाने के लिये करनिर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध टी.डी.एस. विवरण का उपयोग नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 8(5) (डी) के प्रावधानों के अंतर्गत, कार्य संवेदक निर्बंधित होने और तदनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं यदि आवर्त ₹ 25,000 से अधिक है। अग्रेतर धारा 38(2) के प्रावधानों के अंतर्गत व्यवसायी निर्धारित कर की राशि के अलावा, निर्धारित कर की राशि के बराबर राशि या दस हजार रुपये की राशि जो भी अधिक हो, अर्थदंड के रूप में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

हमने वाणिज्य कर विभाग के दो निर्धारितियों¹⁴ के करनिर्धारण अभिलेखों से सूचना/आँकड़ा प्राप्त किया (जून 2014 और जनवरी 2015 के बीच) और देखा कि उक्त निर्धारितियों ने 54 अनिबंधित उप संवेदकों की सूची प्रस्तुत किया जिन्हें उप-संविदा प्रदान किया गया था और उन्हें वर्ष 2008-09 से 2010-11 के दौरान ₹ 15.29 करोड़ का भुगतान किया गया था। क.नि.प्रा. ने निर्धारितियों का करनिर्धारण किया (मार्च 2011 और दिसंबर 2013 के बीच) लेकिन आँकड़ों के विभागांतर्गत आदान-प्रदान हेतु तंत्र के अभाव के कारण उन 54 अनिबंधित उप संवेदकों की पहचान नहीं कर सके।

क.नि.प्रा. द्वारा निबंधन हेतु उत्तरदायी व्यवसायियों/संवेदकों का पता नहीं लगाये जाने के कारण ₹ 1.91 करोड़ के अर्थदंड सहित ₹ 3.82 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ (परिशिष्ट-1)।

¹⁴ नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. राँची पूर्वी अंचल में निर्बंधित (2008-09, 2009-10 और 2010-11) और लार्सन एंड टुब्रो (2010-11) जमशेदपुर अंचल में निर्बंधित।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखा परीक्षा अवलोकनों से सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। अवलोकनों को इंगित किये जाने हेतु आयुक्त ने आभार व्यक्त किया और कहा कि कोषागार के साथ अन्य विभागों से भी आँकड़ों के आदान-प्रदान के माध्यम से व्यवसायियों की पहचान करने की कार्रवाई की जा रही है। आगे यह कहा गया कि अगस्त 2015 में झा.मू.व.क.नियम, 2006 में एक नया संशोधन भी किया गया है जिसमें इस नीति के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में व्यवसायियों को निबंधन हेतु आकर्षित करने के लिये व्यवसायियों के नए निबंधन पर सुरक्षित जमा की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है। सीमा-रेखा से नीचे के व्यवसायियों के निबंधन के लिए एक डाटाबेस तैयार करने के संबंध में यह कहा गया कि विकसित किये जा रहे नये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रणाली द्वारा इसका ध्यान रखा जाएगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार अनिबंधित व्यवसायियों की पहचान हेतु शीर्ष स्तर पर उचित अनुश्रवण के साथ उन्हें कर के दायरे में लाने के लिये आवधिक सर्वेक्षण और आँकड़ों के विभागान्तर्गत आदान-प्रदान करने पर विचार कर सकती है।

2.3.11 खरीद/बिक्री आवर्त का छिपाया जाना

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 37(6) और के.बि.क. अधिनियम की धारा 9 के साथ पठित धारा 40(1) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि विहित प्राधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि व्यवसायी ने ऐसे आवर्त के ब्यौरे को छुपाया है या ऐसे आवर्त का गलत विवरण प्रस्तुत किया है जिससे विवरणित के आँकड़े वास्तविक राशि से कम हैं, तो विहित प्राधिकारी व्यवसायी के छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त अर्थदंड के रूप में इस तरह निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के दुगुने के समतुल्य राशि का भुगतान करने का निर्देश देगा।

हमारी जाँच से उद्घटित हुआ कि 13 अंचलों में निबंधित 45,732 व्यवसायियों में नमूना जाँच किये गये 1,062 व्यवसायियों में से 70 व्यवसायियों के मामले में ₹ 1,404.19 करोड़ के खरीद/बिक्री आवर्त का छिपाव हुआ था, परिणामस्वरूप ₹ 128.51 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ₹ 192.75 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

2.3.11.1 मू.व.क. के अंतर्गत खरीद/बिक्री आवर्त का छिपाया जाना

2009-10 से 2011-12 की अवधि हेतु व्यवसायियों द्वारा दाखिल विवरणित
` 14,082.80 करोड़ के बजाय वास्तविक खरीद/बिक्री ` 15,313.35 करोड़ थी।
` 1,230.55 करोड़ के आवर्त के छिपाव के परिणामस्वरूप ` 157.25 करोड़ के
कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमने 11 वाणिज्यकर अंचलों¹⁵ में देखा (फरवरी 2014 और मई 2015 के बीच) कि विभिन्न वस्तुओं¹⁶ का व्यापार करने वाले 1,045 व्यवसायियों में से 53 व्यवसायियों (फरवरी 2012 और मार्च 2015 के बीच कर निर्धारित) ने वर्ष 2009-10 से 2011-12 तक की अवधि हेतु ` 14,082.80 करोड़ के सकल खरीद/बिक्री की विवरणियाँ दाखिल की। तथापि, करनिर्धारण अभिलेखों¹⁷ में उपलब्ध दस्तावेजों की हमारी जाँच ने इंगित किया कि इन व्यवसायियों ने वास्तव में ` 15,313.35 करोड़ का माल खरीदा/बेचा था। क.नि.प्रा. ने करनिर्धारण करते समय इसकी संवीक्षा नहीं की और व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार, इन व्यवसायियों ने अपने विवरणियों में खरीद/बिक्री में ` 1,230.55 करोड़ के आवर्त को छिपाया था। इसके परिणामस्वरूप ` 104.84 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ` 157.25 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ (परिशिष्ट - II)।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार सहमत हुए और कहा कि संबंधित वाणिज्यकर अंचलों को उचित कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.11.2 तिर्यक-जाँच द्वारा पता लगाये गये बिक्री/खरीद का छिपाव

अंतर्विभागीय आँकड़े/सूचनाओं के तिर्यक जाँच ने बिक्री/खरीद आवर्त के छिपाव और परिणामी ` 35.50 करोड़ के कर के अवनिर्धारण को उद्घटित किया।

हमने अन्य विभागों¹⁸ और झारखण्ड में उसी या अन्य वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित अन्य व्यवसायियों से आँकड़ा/सूचना प्राप्त किया तथा सात वाणिज्यकर अंचलों¹⁹ में व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों के साथ तिर्यक-जाँच किया और

¹⁵ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, धनबाद, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर शहरी, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

¹⁶ फोर्जिंग्स, पिग आयरन, मोटर पार्ट्स, कोयला और कोक, लौह एवं इस्पात, एच.ई.एम.एम. पार्ट्स, कंप्यूटर, पेट्रोलियम उत्पाद इत्यादि।

¹⁷ आवधिक विवरणियाँ, झा.मू.व.क.- 409 में व्यापार खाते, घोषणा प्रपत्रों 'सी' और 'एफ' के उपयोगिता प्रमाण पत्रों, झा.मू.व.क. 504-जी एवं झा.मू.व.क.-504 बी में सड़क परमितों की उपयोगिता।

¹⁸ निदेशक, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, राँची, कार्यपालक अभियंता, आर.डी.एस., बोकारो, जिला खनन पदाधिकारी चाईबासा और कार्यपालक अभियंता, आर.डब्ल्यू.डी., बोकारो, टाटा स्टील और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम, हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, डोरी और अरगंडा क्षेत्रों के करनिर्धारण अभिलेख।

¹⁹ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, देवघर, रामगढ़, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

देखा (जनवरी 2015 और अप्रैल 2015 के बीच) कि 17 व्यवसायियों/कार्य संवेदकों ने, 2009-10 और 2010-11 के बीच की अवधि के दौरान आवधिक विवरणियों/वार्षिक अंकेक्षित खातों, जिस पर फरवरी 2011 और मार्च 2014 के बीच अंतिम रूप से करनिर्धारण किया गया, के माध्यम से ₹ 959.99 करोड़ की खरीद/बिक्री का आवर्त दिखाया था। तथापि, हमारे तिर्यक-जाँच ने उद्घटित किया कि व्यवसायियों/संवेदकों ने वास्तव में ₹ 1,133.63 करोड़ का माल प्राप्त किया/बेचा था। इस प्रकार, व्यवसायियों ने ₹ 173.64 करोड़ का आवर्त छिपाया था और वे ₹ 23.67 करोड़ के अनिवार्य अर्थदंड सहित ₹ 35.50 करोड़ कर के भुगतान के उत्तरदायी थे (परिशिष्ट - III)।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.12 झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत सकल आवर्त का गलत निर्धारण

₹ 1,703.81 करोड़ के वास्तविक स.आ. के बजाय ₹ 1,598.64 करोड़ का सकल आवर्त (स.आ.) निर्धारित किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 105.18 करोड़ के गलत स.आ. का निर्धारण एवं परिणामी ₹ 11.05 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 2 (xxv) के प्रावधानों के अंतर्गत, सकल आवर्त (स.आ.) किसी देय अवधि के दौरान कार्य संविदा के निष्पादन अथवा अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के क्रम राज्य के बाहर वस्तुओं की बिक्री अथवा निर्यात के लिए प्राप्त या प्राप्य सकल राशियों का योग है।

हमने सात वाणिज्यकर अंचलों²⁰ में (मार्च 2014 और मार्च 2015 के बीच) 717 व्यवसायियों में से 622 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की और देखा कि 13 व्यवसायियों के मामले में 2007-08, 2010-11 और 2011-12 की अवधि हेतु ₹ 1,598.64 करोड़ का स.आ. निर्धारित किया गया जबकि वास्तविक सकल आवर्त ₹ 1,703.81 करोड़ था। यह अवलोकित किया गया कि इन सभी मामलों में या तो दस्तावेजों, जैसे वार्षिक विवरणियाँ, प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में अंकेक्षित लेखे, व्यापार खाते की उचित ढंग से जाँच नहीं की गयी या अधिनियम की बिक्री आवर्त के तत्वों को परिभाषित करने वाली संबंधित धारा की ठीक से व्याख्या नहीं की गई। क.नि.प्रा. ने (मार्च 2010 और मार्च 2014 के बीच) करनिर्धारणों को संपन्न करते समय विवरणियों/अभिलेखों में उल्लिखित आँकड़े पर विचार नहीं किया जिसके फलस्वरूप ₹ 105.18 करोड़ के स.आ. का गलत निर्धारण और परिणामी ₹ 11.05 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट - IV)।

²⁰ चाईबासा, देवघर, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमति व्यक्त की और कहा कि विवरणियों के आँकड़ों और सकल आवर्त के निर्धारण के बीच अंतर का ध्यान रखने हेतु प्रणाली को अद्यतन किया जा रहा है। अधिनियम/नियमावलियों में आवश्यक संशोधन हेतु कदम उठाने का आश्वासन दिया गया। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.13 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के स्वीकृति में अनियमितताएँ

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 18 और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमावलियों के प्रावधानों के अंतर्गत एक निबंधित व्यवसायी कर अवधि के दौरान राज्यान्तर्गत उसके क्रय आवर्त पर दूसरे निबंधित व्यवसायी को भुगतान की गई राशि पर आई.टी.सी. का हकदार है। विभाग के अभिलेखों की हमारी जाँच ने नौ अंचलों में 35,129 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,186 में से 24 व्यवसायियों के मामले में आई.टी.सी. दावों में अनियमितता यथा अनियमित/गैर-स्वीकार्य आई.टी.सी. दावे, अधिक दावे, आई.टी.सी. का अव्युत्क्रमण और उस पर ₹ 8.35 करोड़ के ब्याज प्रभारित नहीं किया जाना उद्घटित किया जैसा कि निम्नांकित कंडिकाओं में चर्चा की गयी है :

2.3.13.1 आई.टी.सी. की अधिक स्वीकृति

व्यवसायी ने वस्तुओं के राज्यान्तर्गत खरीद पर ₹ 156.76 करोड़ के आई.टी.सी. का दावा किया था। तथापि, समर्पित झा.मू.व.क.-404 में घोषणाओं के आधार पर व्यवसायी वास्तव में केवल ₹ 148.50 करोड़ के आई.टी.सी. के हकदार थे।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 18 प्रावधान करता है कि जब एक निबंधित व्यवसायी दूसरे निबंधित व्यवसायी से राज्य के भीतर अधिनियम के धारा 13 के अंतर्गत उसे कर के भुगतान के बाद कोई कर योग्य माल खरीदता है तो वह निर्धारित तरीके से इनपुट टैक्स के क्रेडिट का दावा करने के हकदार है।

हमने नौ वाणिज्य कर अंचलों²¹ में (मार्च 2014 और मई 2015 के बीच) देखा कि नमूना जाँच किये गये 1,002 व्यवसायियों में से 20 व्यवसायियों ने 2008-09 और 2011-12 के बीच वस्तुओं के राज्यान्तर्गत खरीद पर ₹ 156.76 करोड़ के आई.टी.सी. का दावा किया था। क.नि.प्रा. ने करनिर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 2011 और मार्च 2015 के बीच) व्यवसायियों द्वारा प्रस्तुत झा.मू.व.क.-404 में घोषणाओं और आई.टी.सी. के संविभाजन के आधार पर ₹ 153.47 के आई.टी.सी. की स्वीकृति दे दी। झा.मू.व.क. 404 में घोषणाओं और कर योग्य आवर्त के विवरणियों की हमारी जाँच ने, हालाँकि, उद्घटित किया कि राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण, अनिबंधित

²¹ बोकारो, चाईबासा, धनबाद, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

व्यवसायियों को की गयी अंतर्राज्यीय बिक्रियाँ, अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण का गलत संविभाजन, नकारात्मक सूची के सामानों की खरीद पर आई.टी.सी. के दावा इत्यादि, के मामले थे और ये व्यवसायी वास्तव में मात्र ` 148.50 करोड़ की राशि के आई.टी.सी. के हकदार थे। इसके परिणामस्वरूप क.नि.प्रा. द्वारा ` 4.98 करोड़ अधिक आई.टी.सी. की स्वीकृति दी गयी। इसके अलावा, व्यवसायी गलत आई.टी.सी. का लाभ उठाने हेतु ` 2.80 करोड़ के ब्याज के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी थे (परिशिष्ट - V)।

2.3.13.2 आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति

व्यवसायी ने एल.पी.जी. सिलेंडरों को पैकिंग सामग्री मानते हुए इसकी राज्यान्तर्गत खरीद पर ` 8.65 लाख के आई.टी.सी. का दावा किया था। क.नि.प्रा. ने पूर्ण आई.टी.सी. की स्वीकृति दी। हालाँकि, एल.पी.जी. सिलेंडर पूँजीगत वस्तु है जिसकी सुरक्षित जमा के भुगतान पर उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाती है और इसे उपभोक्ताओं को बेचा नहीं जाता है।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 18 और उसके अधीन बनाए गए नियमावलियों के प्रावधानों के अंतर्गत पूँजीगत वस्तुओं के संबंध में इनपुट कर का दावा करने वाला व्यवसायी करयोग्य वस्तुओं के वाणिज्यिक उत्पादन या बिक्री के शुरू होने के तीस दिनों के भीतर विहित प्राधिकारी को प्रपत्र झा.मू.व.क.-118 में आवेदन करेगा।

हमने जमशेदपुर वाणिज्यकर अंचल में देखा (जनवरी 2015) कि पेट्रोलियम उत्पादों का व्यवसाय करने वाले एक व्यवसायी के मामले में, पैकिंग सामग्री मानते हुए एल.पी.जी. गैस सिलेंडरों की राज्यांतर्गत खरीद पर ` 8.65 लाख के आई.टी.सी. का दावा किया था। क.नि.प्रा. ने नवंबर 2013 में वर्ष 2010-11 का करनिर्धारण संपन्न करते समय पूर्ण आई.टी.सी. की स्वीकृति दी। तेल कंपनियों द्वारा एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री नहीं की जाती बल्कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित जमा के भुगतान पर आपूर्ति की जाती है जो एल.पी.जी. कनेक्शन के समर्पण के समय वापसी योग्य है। इस प्रकार, एल.पी.जी. सिलेंडर को पूँजीगत वस्तुओं के बजाय पैकिंग सामग्री (मूल वस्तु के साथ बेचे जाने योग्य) मानना गलत था, फलस्वरूप ` 8.65 लाख के आई.टी.सी. की गलत अनुमति हुई, साथ ही व्यवसायी नियत तिथि तक ` 8.65 लाख के वास्तविक कर के भुगतान नहीं किये जाने के लिए ` 2.68 लाख की राशि के ब्याज भुगतान का उत्तरदायी था। इसके अतिरिक्त, व्यवसायी अर्थदंड के भुगतान का भी उत्तरदायी था।

2.3.13.3 कार्य संवेदकों को आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति

कार्य संवेदकों जिन्होंने सामग्रियों के सही आवर्त के निर्धारण के लिए लेखाओं का संधारण नहीं किया था को ₹ 46.22 लाख की आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति हुई।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 के अंतर्गत, जहाँ किसी संवेदक मू.व.क. व्यवसायी ने वस्तुओं के सही मूल्य का निर्धारण करने हेतु लेखाओं का संधारण नहीं किया है, वह प्राप्त कुल प्रतिफल पर उच्चतर दर से कर का भुगतान करेगा और आई.टी.सी.दावे का पात्र नहीं होगा।

हमने जमशेदपुर शहरी और राँची दक्षिणी वाणिज्यकर अंचलों में 183 व्यवसायियों का नमूना जाँच किया (जनवरी और मार्च 2015 के बीच) और देखा कि तीन संवेदक मू.व.क. व्यवसायियों ने कार्य संविदा में प्रयुक्त सामग्रियों की राज्यान्तर्गत खरीद पर ₹ 47.99 लाख के आई.टी.सी. का दावा किया और इसे देय आउटपुट कर के विरुद्ध समायोजित किया था। चूँकि संवेदकों ने लेखाओं का संधारण नहीं किया था, क.नि.प्रा. ने 2010-11 और 2011-12 हेतु करनिर्धारण को संपन्न करते समय (जून 2013 और मार्च 2014 के बीच) प्रपत्र झा.मू.व.क.-404 में अपेक्षित घोषणाओं के प्रस्तुतिकरण के आधार पर ₹ 46.22 लाख के आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 46.22 लाख के आई.टी.सी. की गलत स्वीकृति दी गयी।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार तथ्य से सहमत हुए और कहा कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। प्रपत्र झा.मू.व.क.-404 में घोषणा के संभावित दुरुपयोग के बारे में इंगित किये जाने पर आयुक्त द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि इस संबंध में निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत प्रपत्र झा.मू.व.क.-404 के विरुद्ध आई.टी.सी.की अनुमति सुनिश्चित करने के लिए यथासंभव उपाय किया जायेगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.14 कर का अल्पारोपण

करनिर्धारण प्राधिकारी (क.नि.प्रा.) ने करनिर्धारण संपन्न करते समय, दरों की अनुसूची में दिये गये कर की सही दर को लागू नहीं किया, कुछ मामलों में वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण कर के निम्नतर दर को लागू किया गया।

सात वाणिज्य कर अंचलों²² में करनिर्धारण अभिलेखों के हमारी जाँच से 27,528 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 852 व्यवसायियों में से 13 व्यवसायियों के मामले में वस्तुओं के गलत वर्गीकरण और कर के गलत दर के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 6.27 करोड़ के कर का अल्पारोपण उद्घटित हुआ जैसा कि निम्न कंडिकाओं में चर्चा की गयी है:

²² आदित्यपुर, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची दक्षिणी, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

2.3.14.1 वस्तुओं के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अल्पारोपण

व्यवसायियों ने वस्तुओं की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत के आरोप्य दर के बजाय चार प्रतिशत की दर स्वीकार कर अपना विवरणी दाखिल किया, परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 के धारा 9 और 13 के प्रावधानों और उसके साथ संलग्न अनुसूची-II भाग - डी के अधीन पेंट, कोल ब्रिकेट और ग्लास 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य है।

हमने चार वाणिज्यकर अंचलों²³ में (मार्च 2014 और अप्रैल 2015 के बीच) देखा कि नमूना जाँच किये गये पेंट, सीमेंट, कोल ब्रिकेट और ग्लास का व्यवसाय करने वाले 368 व्यवसायियों में से छः व्यवसायियों के मामले में, 2009-10 और 2010-11 के बीच की अवधि हेतु चार प्रतिशत की दर स्वीकार करते हुए अपना विवरणियाँ दाखिल की थी। क.नि.प्रा. ने मार्च 2013 और मार्च 2014 के बीच इन व्यवसायियों के करनिर्धारण संपन्न करते समय ₹ 14.41 करोड़ मूल्य के सामानों की बिक्री पर अनुसूची में दी गयी दर के बजाय व्यवसायी के द्वारा उनकी विवरणियों में प्रस्तुत कर को स्वीकार किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.22 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ जैसा कि तालिका 2.3.14.1 में उल्लिखित है (परिशिष्ट - VI)।

तालिका- 2.3.14.1

(₹ लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम व्यवसायी की संख्या	अवधि करनिर्धारण माह	अवलोकनों की प्रकृति	आरोप्य कर आरोपित कर	अल्प आरोपण
1	रामगढ़ एक	2010-11 मार्च 2014	हालाँकि, ग्लास की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोप्य था, लेकिन कर चार प्रतिशत की दर से आरोपित किया गया।	52.23 16.71	35.52
2	जमशेदपुर नागरीय एक	2009-10 मार्च 2013	हालाँकि, पेंट की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोप्य था, लेकिन चार प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया	33.68 10.78	22.90

²³ जमशेदपुर, रामगढ़, राँची पश्चिमी और तेनुघाट।

तालिका- 2.3.14.1

(लाख में)

क्रम सं	अंचल का नाम व्यवसायी की संख्या	अवधि करनिर्धारण माह	अवलोकनों की प्रकृति	आरोप्य कर आरोपित कर	अल्प आरोपण
3	तेनुघाट दो	2010-11 अगस्त 2013 और जनवरी 2014 के बीच	क.नि.प्रा. ने एक मामले में कोल ब्रिकेट की बिक्री पर 12.5 प्रतिशत की सही दर के बजाय 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। अग्रेतर, एक अन्य मामले में, व्यवसायी ने अधिनियम की धारा 58 के अधीन कंपोजीशन स्कीम का विकल्प दिया था। हालाँकि, आवर्त 50 लाख से अधिक था पर क.नि.प्रा.ने 4/12.5 प्रतिशत की सही दर के बजाय 0.5 प्रतिशत की दर से गलत रूप से कर आरोपित किया।	7.01 2.03	4.98
4	राँची पश्चिमी दो	2010-11 जून और जुलाई 2013 के बीच	क.नि.प्रा. ने सीमेंट/मोटर वाहन पर 12.5 प्रतिशत के आरोप्य दर के बजाय 4 प्रतिशत की दर से गलत रूप से कर आरोपित किया।	86.57 27.70	58.87
कुल				179.49 57.22	122.27

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने तथ्य से सहमत हुए और कहा कि संबंधित वाणिज्यकर अंचलों को उत्तर/की गयी कार्रवाई के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.14.2 कर के गलत दर के अनुप्रयोग के कारण कर का अल्पारोपण

आवश्यक दस्तावेजों के अप्रस्तुतिकरण के कारण, क.नि.प्रा. ने करनिर्धारणों को संपन्न करते समय 59.41 करोड़ के दावे को अस्वीकृत किया और 12.5 प्रतिशत की सही दर के बजाय 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि संवेदक मू.व.क. व्यवसायी ने वस्तुओं का सही मूल्य निर्धारित करने हेतु खातों का संधारण नहीं किया है, तो वह निर्दिष्ट कटौती (अन्य संविदा के मामले में 30 प्रतिशत) के बाद कुल प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल पर 12.5 प्रतिशत (7 मई 2011 से 14 प्रतिशत) की दर से कर का भुगतान करेगा।

हमने पाँच वाणिज्यकर अंचलों²⁴ में देखा (जनवरी 2015 और मार्च 2015 के बीच) कि 484 व्यवसायियों (कार्य संवेदकों) में से सात व्यवसायियों के मामले में व्यवसायियों ने 2008-09 और 2011-12 के बीच की अवधि हेतु ₹ 316.45 करोड़ का सकलावर्त निर्धारित करते हुए अपनी विवरणियाँ दाखिल की थी, जिसमें, व्यवसायियों ने श्रम और अन्य गैर करयोग्य व्ययों पर ₹ 119.58 करोड़ के छूट का दावा किया था। तथापि, अपेक्षित दस्तावेजों के अप्रस्तुतिकरण के कारण क.नि.प्रा. ने मार्च 2011 और मार्च 2014 के बीच इन व्यवसायियों के करनिर्धारण को संपन्न करते समय ₹ 59.41 करोड़ के दावे को अस्वीकृत किया और 12.5 प्रतिशत/14 प्रतिशत के बजाय 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 5.05 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ (परिशिष्ट-VII)।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार इस तथ्य पर सहमत हुए और कहा कि संबंधित वाणिज्य कर अंचलों को उत्तर/की गयी कार्रवाई के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.15 क्रय कर का आरोपण नहीं होना

क.नि.प्रा. ने करारोपण से छूट वाली वस्तुओं के उत्पादन में उपभोग किये गये वस्तुओं की खरीद पर क्रय कर का आरोपण नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत कर के भुगतान का उत्तरदायी प्रत्येक व्यवसायी जो किसी व्यवसायी से उन परिस्थितियों में, जहाँ इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कर का भुगतान नहीं किया गया है, किन्हीं वस्तुओं की खरीद करता है तो वह ऐसी वस्तुओं के क्रय मूल्य पर कर भुगतान का उत्तरदायी होगा यदि ऐसी खरीद के बाद वस्तुओं का उपयोग या उपभोग उन वस्तुओं के उत्पादन पर किया जाता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर मुक्त घोषित हो। ऐसा कर उसी दर से आरोपित किया जायेगा जो ऐसी वस्तुओं की राज्यान्तर्गत बिक्री पर आरोपित होती।

हमने देवघर और तेनुघाट वाणिज्यकर अंचलों में (मई 2014 और मार्च 2015 के बीच) देखा कि क.नि.प्रा. ने 2009-10 और 2010-11 की अवधि हेतु करनिर्धारण को फरवरी 2011 और जनवरी 2014 के बीच करते समय नमूना जाँच किये गये 177 व्यवसायियों में से दो व्यवसायियों के मामले में क्रय कर का आरोपण नहीं किया, जिन्होंने अनिबंधित व्यवसायियों से ₹ 9.15 करोड़ मूल्य के सामानों के क्रय के बाद उसका उपभोग कर आरोपण से छूट वाली वस्तुओं के उत्पादन में और खनन प्रक्रिया में किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 95.64 लाख के क्रय कर का आरोपण नहीं हुआ।

²⁴ आदित्यपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

इसे हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.16 देय कर का नहीं/अल्प भुगतान के लिए ब्याज का अनारोपण/अल्पारोपण

क.नि.प्रा. ने अस्वीकृत दावों/स्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) के अनियमित समायोजन पर ब्याज का आरोपण नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 30 (1) और (3) के अंतर्गत, यदि एक व्यवसायी, बिना पर्याप्त कारण के, किसी कर अवधि हेतु विवरणी के अनुसार कर की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो क.नि.प्रा., व्यवसायी को कर भुगतान देय होने की तिथि से कर भुगतान की तिथि या आदेश की तिथि तक, जो भी पहले हो, एक प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज भुगतान करने का निर्देश देगा और व्यवसायी को निर्धारित अतिरिक्त कर और भुगतये ब्याज पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अर्थदंड भुगतान का निर्देश दे सकता है।

12 अंचलों में 43,000 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 1,125 में से 46 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की हमारी जाँच से स्वीकृत कर/देय कर के भुगतान नहीं/विलंब होने, अस्वीकृत असमर्थित दावे, गलत छूटें और रियायतों पर ₹ 38.43 करोड़ का ब्याज का अनारोपण उद्घटित हुआ, जैसा कि निम्नांकित कंडिकाओं में चर्चा की गयी है :

2.3.16.1 छूटें और रियायत के असमर्थित दावों पर ब्याज का अनारोपण नहीं होना

क.नि.प्रा. ने करनिर्धारण को संपन्न करते समय दावा किये गये छूटों/रियायतों /आई.टी.सी. उपभोग के प्रमाण/आवश्यक प्रपत्रों के अप्रस्तुतिकरण के कारण ₹ 2,068.53 करोड़ के दावे को अस्वीकृत किया और ₹ 112.12 करोड़ का अतिरिक्त कर आरोपित किया पर देय कर का भुगतान न करने पर ब्याज आरोपित नहीं किया।

हमने (फरवरी 2014 और मई 2015 के बीच) 12 वाणिज्यकर अंचलों²⁵ में विभिन्न वस्तुओं²⁶ का कारोबार करने वाले 1,037 व्यवसायियों में से 45 व्यवसायियों के

²⁵ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, धनबाद, देवघर, गिरिडीह, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

²⁶ लौह एवं इस्पात, लौह अयस्क, एस्बेस्टस शीट, कोयला, स्क्रेप, सिलिको मँगनीज, ग्लास, मोबाइल फोन, एयर कंडीशनर्स, वाटर कूलर्स, फायर ब्रिक्स, आईटी उत्पादों, पेट्रोलियम उत्पादों, मोटर वाहन, मशीनरी पार्ट्स आदि।

मामले में देखा कि व्यवसायियों ने 2009-10 और 2011-12 के बीच की अवधि के दौरान देय कर का भुगतान, आई.टी.सी., रियायती दर पर बिक्री, राज्य के बाहर भंडार अंतरण के छूट, निर्यात बिक्री, मार्गस्थ बिक्री का ₹ 29,205.83 करोड़ का दावा किया था और तदनुसार करों का भुगतान किया था।

क.नि.प्रा. ने दिसंबर 2012 और जनवरी 2015 के बीच करनिर्धारण संपन्न करते समय ₹ 2,068.53 करोड़ के दावे को आवश्यक घोषणा प्रपत्रों/ऐसे दावाकृत छूटों/रियायतों के प्रमाण के अप्रस्तुतिकरण के कारण अस्वीकृत कर दिया और या तो आई.टी.सी. को अस्वीकृत करते हुए या राज्य में आरोप्य उचित दर पर कर आरोपित करते हुए ₹ 112.12 करोड़ का अतिरिक्त कर आरोपित किया।

हमने अग्रेतर अवलोकित किया कि क.नि.प्रा. द्वारा विवरणियों की आवधिक जाँच नहीं की गयी और व्यवसायियों को करनिर्धारण की तिथि तक वास्तविक देय कर को रोक रखने की अनुमति दी गयी। इस प्रकार, व्यवसायियों ने वास्तव में गलत विवरणियाँ प्रस्तुत कीं और वास्तविक देय कर का भुगतान नहीं किया था। हालाँकि क.नि.प्रा. ने व्यवसायियों के अस्वीकृत दावों पर अतिरिक्त कर आरोपित किया पर देय कर का भुगतान नहीं करने के लिए ₹ 38.28 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं किया। इसके अलावा, व्यवसायी अर्थदंड के भुगतान के भी उत्तरदायी थे।

2.3.16.2 देय कर और उस पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना

व्यवसायी ने अपने आपूर्तिकर्ताओं/एजेंसियों से काटी गयी ₹ 10.84 लाख की टी.डी.एस. की राशि को देय कर से समायोजित किया हालाँकि टी.डी.एस. की राशि को अलग से जमा किये जाने की आवश्यकता थी।

हमने राँची पूर्वी वाणिज्यकर अंचल में 88 व्यवसायियों (2014 नवंबर) की नमूना जाँच की और पाया कि एक व्यवसायी ने 2010-11 के दौरान विवरणी के अनुसार भुगतेय कर का भुगतान ₹ 246.52 करोड़ दर्शाया था जिसका करनिर्धारण क.नि.प्रा. द्वारा किया गया (मार्च 2014) और ₹ 246.42 करोड़ के निर्धारित कर से जमा किये गये कर को घटाकर तदनुसार माँग पत्र निर्गत किया गया। तथापि, हमारी जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी द्वारा भुगतान किये गये ₹ 246.52 करोड़ में से, ₹ 10.84 लाख व्यवसायी के द्वारा अपने आपूर्तिकर्ताओं/एजेंसियों से काटी गयी टी.डी.एस. की राशि थी, जिसे झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 23 के अंतर्गत अलग से जमा किया जाना था। इस प्रकार, व्यवसायी ने ₹ 10.84 लाख का वास्तविक देय कर जमा नहीं किया और वास्तविक भुगतेय कर जमा नहीं करने हेतु ₹ 3.80 लाख²⁷ के ब्याज भुगतान करने का भी उत्तरदायी था।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और कहा कि झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005

²⁷ ब्याज की गणना, कर पर एक प्रतिशत प्रति माह के दर से 35 महीनों के लिए।

की धारा 30 और 35 के अधीन प्रावधानों के संदर्भ में मामले को देखा जाएगा। मामलों को संबंधित वाणिज्यकर अंचलों में उचित कार्रवाई करने के लिए अग्रसारित कर दिया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.17 धारा 40 (2) के अंतर्गत ब्याज का आरोपण नहीं होना

क.नि.प्रा. ने वस्तुओं को नहीं/कम लेखापित करने, वस्तुओं के अवमूल्यन का अवनिर्धारण का पता लगाने और गलत, अपूर्ण एवं अविश्वसनीय लेखा पुस्तों के प्रस्तुतिकरण के बाद अनिवार्य ब्याज आरोपित नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 40 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि विहित प्राधिकारी करनिर्धारण के पूर्व या अन्यथा पता लगाता है कि किसी निबंधित व्यवसायी ने उसके द्वारा भुगतये कर की राशि को कम करने की दृष्टि से किसी बिक्री या खरीद या उसका कोई ब्यौरा छिपाया है या स्वयं द्वारा प्रस्तुत विवरणी में अपने आवर्त का गलत तथ्य या अपने बिक्री या खरीद का गलत ब्यौरा प्रस्तुत किया है, वह निर्धारिती को अप्रकट किये गये या छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित अतिरिक्त कर के अलावा ब्याज के रूप में एक राशि दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से भुगतान करने का निर्देश देगा।

हमने 10 वाणिज्यकर अंचलों²⁸ में लेखापरीक्षा हेतु अधियाचित 1,138 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों में से 955 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की (मार्च 2014 और मई 2015 के बीच) और देखा कि 16 व्यवसायियों ने 2009-10 और 2011-12 के बीच की अवधि हेतु खरीद/बिक्री के लिए ₹ 2,045.15 करोड़ का सकल आवर्त स्वीकार करते हुए अपनी विवरणियाँ दाखिल की थी। क.नि.प्रा. ने इन व्यवसायियों का करनिर्धारण संपन्न करते समय (दिसंबर 2012 और नवंबर 2014 के बीच) वस्तुओं को नहीं/कम लेखापित करने दर्शाने, वस्तुओं के अवमूल्यन और गलत, अपूर्ण या अविश्वसनीय लेखा पुस्तों के प्रस्तुतिकरण के आधार पर, इसे ₹ 542.74 करोड़ की अतिरिक्त राशि बढ़ाते हुए, ₹ 2,587.89 करोड़ का सकलावर्त निर्धारित किया। तथापि, हमारी जाँच ने यह इंगित किया कि क.नि.प्रा. ने छिपाये गये आवर्त पर ₹ 44.69 करोड़ का अतिरिक्त कर आरोपित किया पर ₹ 31.66 करोड़ का ब्याज हालाँकि आरोप्य था, तथापि, आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.66 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

²⁸ आदित्यपुर, बोकारो, चाईबासा, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, तेनुघाट, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

2.3.18 कर के अधिक संग्रहण के लिए अर्थदंड का नहीं लगाया जाना

व्यवसायियों ने अपने कर दायित्व से ` 16.90 करोड़ अधिक का कर संग्रहित किया था। तथापि, क.नि.प्रा. ने कर के अधिक संग्रहण के लिए ` 33.80 करोड़ का अर्थदंड आरोपित नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 47(1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत, यदि कोई निबंधित व्यवसायी उसके द्वारा भुगतये कर से अधिक कोई राशि कर के रूप में संग्रह करता है तो उसके द्वारा भुगतये कर जिसके लिये वह उत्तरदायी हो सकता है के अतिरिक्त, कर के रूप में इस तरह संग्रहित राशि के दुगुना के बराबर राशि के अर्थदंड का उत्तरदायी होगा।

हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों²⁹ में अधियाचित 271 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों में से 233 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा (मार्च 2014 और मार्च 2015 के बीच) कि चार व्यवसायियों ने 2008-09 और 2010-11 के बीच की अवधियों के लिए ` 55.00 करोड़ के कर का संग्रहण किया था। क.नि.प्रा. ने करनिर्धारण संपन्न करते समय (मार्च 2011 और मार्च 2014 के बीच) व्यवसायियों द्वारा भुगतये ` 38.10 करोड़ का करनिर्धारण किया। इसलिए व्यवसायियों ने अपने कर दायित्व से ` 16.90 करोड़ अधिक का कर एकत्र किया था और वे एकत्र की गयी अधिक कर की जब्ती के अलावा, कर के रूप में इस तरह संग्रहित राशि के दुगुने के बराबर एक राशि के अर्थदंड के भुगतान के उत्तरदायी थे। इसका परिणाम ` 33.80 करोड़³⁰ के अर्थदंड के अनारोपण के अलावा, ` 16.90 करोड़ के अधिक संग्रहित कर की गैर-जब्ती में हुआ।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.19 झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत दंड का अधिरोपण नहीं होना

झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र में लेखापरीक्षित खातों के अप्रस्तुतिकरण हेतु अनिवार्य दंड का अनारोपण/कम आरोपण।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 63 के अनुसार जहाँ किसी वर्ष विशेष में किसी व्यवसायी का सकल आवर्त ` 40 लाख से अधिक हो, तो ऐसा व्यवसायी निर्दिष्ट तरीके से अपने लेखाओं का लेखापरीक्षा करवाएगा और कर अवधि की

²⁹ जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय और राँची दक्षिणी।

³⁰ ` 16.90 करोड़ के अधिक संग्रहित कर की दुगुनी राशि।

समाप्ति से नौ महीने के भीतर इसे प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में प्रस्तुत करेगा। यदि व्यवसायी ऐसा करने में विफल रहता है तो, विहित प्राधिकारी उस पर अपने सर्वश्रेष्ठ निर्णय द्वारा निर्धारित आवर्त के 0.1 प्रतिशत के समतुल्य एक राशि अर्थदंड के रूप में आरोपित करेगा।

हमने (जनवरी और फरवरी 2015 के बीच) जमशेदपुर शहरी और देवघर वाणिज्यकर अंचलों में निबंधित 189 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच की और दो व्यवसायियों के मामले में देखा कि क.नि.प्रा. ने ₹ 154.80 करोड़ सकल आवर्त निर्धारित किया। दोनों ही मामलों में लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत नहीं किये गये जिसने उन्हें ₹ 15.48 लाख के अर्थदंड भुगतान का उत्तरदायी बनाया। क.नि.प्रा. ने एक मामले में मात्र ₹ 6.83 लाख का अर्थदंड आरोपित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.65 लाख के अर्थदंड का अल्पारोपण हुआ।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.20 छूट की गलत स्वीकृति

10 वाणिज्यकर अंचलों³¹ में 40,911 व्यवसायियों से नमूना जाँच किये गये 2,075 व्यवसायियों में से 34 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच से अंतर्राज्यीय एवं राज्यांतर्गत भंडार अंतरण, मार्गस्थ बिक्री घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग और अमान्य घोषणा प्रपत्रों के विरुद्ध छूट की गलत स्वीकृति उद्घटित हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 49.36 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ जैसा कि निम्न कंडिकाओं में चर्चा की गयी है:

2.3.20.1 अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण पर छूट की गलत स्वीकृति

क.नि.प्रा. ने ₹ 15,271.46 करोड़ के भंडार अंतरण पर करारोपण से छूट की अनुमति दी हालाँकि व्यवसायी ने ₹ 14,685.88 करोड़ के लिए प्रपत्र 'एफ' में घोषणाएँ प्रस्तुत की थी।

के.बि.क. अधिनियम की धारा 6ए के अनुसार, राज्य के बाहर वस्तुओं के भंडार अंतरण पर कर से छूट का लाभ लेने के लिए प्रपत्र 'एफ' में घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सौदे जो प्रपत्र 'एफ' द्वारा समर्थित न हो के मामले में, राज्य में लागू उचित दर पर कर आरोप्य है।

हमने जमशेदपुर नागरीय वाणिज्यकर अंचल में 129 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और मार्च 2014 में पाया कि एक व्यवसायी ने

³¹ आदित्यपुर, बोकारो, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़, राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिमी।

2009-10 की अवधि के दौरान ` 15,271.46 करोड़ के भंडार अंतरण पर कर के आरोपण से छूट का दावा किया था। क.नि.प्रा. ने, मार्च 2013 में करनिर्धारण संपन्न करते समय ` 15,271.46 करोड़ के आवर्त पर गलत रूप से करारोपण से छूट की अनुमति दी हालाँकि व्यवसायी ने मात्र ` 14,685.88 करोड़ के लिए प्रपत्र 'एफ' में घोषणाएँ प्रस्तुत की थीं। इसका परिणाम ` 585.58 करोड़ पर करारोपण से अधिक छूट की अनुमति और फलतः ` 23.42 करोड़³² के कर के अल्पारोपण में हुआ।

इसे हमारे इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.20.2 झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत छूट की गलत स्वीकृति

` 22.15 करोड़ मूल्य के राज्य के अन्दर किये गये भंडार अंतरण, रूपांतरण प्रभार, बोनस एवं मूल्य में अंतर जो घोषणा प्रपत्रों और आवश्यक दस्तावेजों से समर्थित नहीं था, पर कर के आरोपण से छूट दी गयी।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 44 के अनुसार, जहाँ कोई व्यवसायी राज्य के अंदर अपनी शाखाओं में वस्तुओं के भंडार अंतरण पर कर के आरोपण से छूट का दावा करता है तो व्यवसायी इस उद्देश्य हेतु स्थानांतरण करने वाली शाखा द्वारा अपेक्षित तरीके से निर्गत प्रपत्र झा.मू.व.क.-506 प्रस्तुत करेगा, जिसमें विफल रहने पर, व्यवसायी राज्य में लागू उचित दर पर कर भुगतान का उत्तरदायी होगा। अग्रेतर रूपांतरण प्रभारों, मूल्य में अंतर एवं श्रम प्रभारों पर कर के आरोपण से छूट अनुमत्य है, बशर्ते ऐसे दावे उसके प्रमाणों द्वारा समर्थित हो।

हमने तीन वाणिज्य कर अंचलों³³ में 289 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और सात व्यवसायियों के मामलों में पाया (नवंबर 2014 और अप्रैल 2015 के बीच) कि व्यवसायियों ने 2009-10 एवं 2010-11 की अवधि के दौरान राज्य के अंदर भंडार अंतरण, रूपांतर प्रभारों, बोनस एवं मूल्य अंतर के आधार पर ` 37.89 करोड़ के कर के आरोपण से छूट का दावा किया जिसे करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा करनिर्धारण संपन्न करते समय (जून 2013 एवं फरवरी 2014) स्वीकार कर लिया गया। हालाँकि, हमने पाया कि ` 37.89 करोड़ के स्वीकृत छूट में से, व्यवसायी प्रपत्र झा.मू.व.क.-506 में आवश्यक घोषणा और रूपांतरण जाँच पर श्रम प्रभारों की अस्वीकृति से व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में श्रम प्रभारों को और अंतर्राज्यीय भंडार प्राप्तियों पर मूल्य के अंतर के दावे से संबंधित अन्य दस्तावेजों के अप्रस्तुतिकरण के कारणों से ` 22.15 करोड़ के छूट के हकदार नहीं थे। इसका

³² ` 585.58 करोड़ पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित।

³³ रामगढ़, राँची पूर्वी और राँची दक्षिणी।

परिणाम छूटों की गलत अनुमति और फलस्वरूप ₹ 1.61 करोड़ के कर के अवनिर्धारण में हुआ (परिशिष्ट-VIII)।

इसे हमारे इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.20.3 कार्य-संविदा के अंतर्गत छूट की गलत स्वीकृति

₹ 987.45 के अनुमत्य दावों के विरुद्ध ₹ 1,073.42 करोड़ मूल्य के श्रम एवं अन्य समान प्रभारों के दावों पर कर के आरोपण से छूट की गलत स्वीकृति।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 का नियम 22 कार्य संविदा के उद्देश्य हेतु सकल आवर्त से श्रम के प्रभार एवं अन्य गैर कर योग्य व्ययों को घटाने के पश्चात कर योग्य आवर्त के निर्धारण का प्रावधान करता है। जहाँ संवेदक/वैट व्यवसायी ने वस्तुओं के सही मूल्य निर्धारण के लिये लेखाओं को संधारित नहीं किया है, वह प्राप्त कुल प्रतिफल पर उच्चतर दर से कर का भुगतान करेगा। अग्रेतर, संवेदक द्वारा घोषित ठेके में कार्य के संपादन में उपयोग किये गये वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से कम नहीं होगा।

हमने आठ वाणिज्य कर अंचलों³⁴ में 715 संवेदकों/व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया (जुलाई 2014 एवं मई 2015 के बीच) कि 2010-11 की अवधि हेतु 11 व्यवसायियों/कार्य संवेदकों ने ₹ 2,103.96 करोड़ के उनके सकल आवर्त से श्रम एवं अन्य सदृश प्रभारों पर ₹ 1,078.56 करोड़ के कटौती का दावा किया था। क.नि.प्रा. ने करनिर्धारण संपन्न करते समय (जुलाई 2012 एवं जुलाई 2014 के बीच) पुष्टिकारक प्रमाणों के समर्पण के आधार पर ₹ 1,073.42 करोड़ के आवर्त पर छूट हेतु दावा स्वीकार किया। तथापि, सकल आवर्त से निश्चित प्रभार यथा श्रम प्रभार, उपयोज्य सामग्रियों का मूल्य, श्रम आपूर्ति से संबंधित स्थापना लागत एवं श्रम आपूर्ति से संबंधित अर्जित लाभ और उपसंवेदकों को किये गये भुगतान इत्यादि घटाने के पश्चात, वास्तविक अनुमत्य आवर्त मात्र ₹ 987.45 करोड़ था। इसका परिणाम उनके सकल आवर्त से ₹ 85.97 करोड़ की अधिक कटौती की स्वीकृति में और फलतः ₹ 10.75 करोड़ के कर का अवनिर्धारण में हुआ (परिशिष्ट-IX)।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

³⁴ आदित्यपुर, बोकारो, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, जमशेदपुर नागरीय, रामगढ़ और राँची दक्षिणी।

2.3.20.4 मार्गस्थ बिक्री में छूट की गलत अनुमति

क.नि.प्रा.ने गलत रूप से ` 231.87 करोड़ के मार्गस्थ बिक्रियों पर छूट की अनुमति दी हालाँकि व्यवसायी मात्र ` 136.44 करोड़ के छूट के हकदार थे क्योंकि बिक्रियाँ राज्यांतर्गत बिक्रियाँ थीं न कि अंतर्राज्यीय बिक्रियाँ।

के.बि.क. अधिनियम की धारा 6(2) के अन्तर्गत, मार्गस्थ बिक्री का दावा कर के आरोपण से मुक्त है, जहाँ ऐसी बिक्री वस्तुओं के परिवहन के दौरान वस्तुओं के स्वामित्व के दस्तावेजों के स्थानांतरण द्वारा की गयी हो और ऐसी परावर्ती बिक्री भी पूर्ववर्ती बिक्री द्वारा उत्पन्न उसी संचालन के दौरान होनी चाहिये बशर्ते प्रपत्र 'सी' एवं प्रपत्र 'ई-1' में घोषणाएँ प्रस्तुत हो।

हमने चार वाणिज्य कर अंचलों³⁵ में 339 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों³⁶ की नमूना जाँच की और पाया (नवम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) कि चार व्यवसायियों के मामलों में क.नि.प्रा. ने निर्धारण के समय (मार्च 2013 एवं मई 2014 के बीच) ` 231.87 करोड़ की राशि के मार्गस्थ बिक्री पर गलत रूप से छूट की स्वीकृति दी यद्यपि हमारी जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी मात्र ` 136.44 करोड़ के छूट के हकदार थे। क.नि.प्रा. द्वारा अधिक छूट की स्वीकृति उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन था, परिणामतः ` 95.43 करोड़ के अधिक छूट की अनुमति और परिणामी ` 4.73 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। आयुक्त को बड़े कार्य संवेदकों द्वारा दोहरे अनुबंधों की प्रक्रिया अपनाने, एकल एन.आई.टी. (निविदा आमंत्रण सूचना) के विरुद्ध अनुबंधों को आपूर्ति एवं निर्माण कार्यों में विभाजित करने और मार्गस्थ बिक्री पर ठेकादाता को वस्तुओं की आपूर्ति की प्रक्रिया अपनाने के द्वारा कर के अपवंचन से अवगत कराया गया। यह आश्वस्त किया गया कि मामले को देखा जायेगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हम यह अनुशंसा करते हैं कि राजस्व के रिसाव को रोकने के लिये सरकार छूटों एवं रियायतों की अनुमति देने और क.नि.प्रा. द्वारा उचित जाँच सुनिश्चित करने के लिये निर्देशों को निर्गत करने पर विचार कर सकती है।

³⁵ जमशेदपुर, रामगढ़, राँची पूर्वी और राँची दक्षिणी।

³⁶ क.नि.प्रा. द्वारा पारित आदेश, इ 1/इ 11 के उपयोग की विवरणी, प्रपत्र सी, जेवैट-409 इत्यादि।

2.3.20.5 घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग

व्यवसायियों ने प्रसंस्करण में इस्तेमाल हेतु वस्तुओं, जो बेची नहीं गयीं बल्कि मालों के तैयार मालों अग्रेतर प्रसंस्करण हेतु विनिर्माता को स्थानांतरित किया गया, के कर के रियायती दर पर क्रय के लिए प्रपत्र 'सी' में घोषणाओं का, दुरुपयोग किया था।

के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 8 के प्रावधानों के अंतर्गत एक निबंधित व्यवसायी प्रपत्र 'सी' में घोषणाओं के विरुद्ध कर के रियायती दर पर राज्य के बाहर से सामग्री खरीद सकता है यदि ऐसी सामग्रियाँ के.बि.क. अधिनियम के अधीन निबंधन प्रमाणपत्र (नि.प्र.) द्वारा अच्छादित न हो या राज्य के बाहर से कर की रियायती दर पर खरीदी गयी सामग्री नि.प्र. में अनुमत उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य हेतु उपयोग में लाया जाता है, व्यवसायी के.बि.क. अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत अभियोजन का उत्तरदायी होगा। तथापि यदि क.नि.प्रा. उचित समझता हो, तो अभियोजन के बदले में के.बि.क. अधिनियम की धारा 10 ए के अंतर्गत ऐसी वस्तुओं की बिक्री पर भुगतये कर के डेढ़ गुने तक अर्थदंड अधिरोपित कर सकता है। अग्रेतर, बेनटोक रबर प्रा.लि. बनाम केरल राज्य (1997) 106 एस टी सी 591 के मामले में न्यायिक निर्णय है कि क्रेता को जॉब वर्क से प्राप्त सामग्रियों की बिक्री अवश्य करनी चाहिये, यदि वह वस्तुओं को आगे उत्पादन हेतु उपयोग में लाता है, तो जॉब वर्क करने वाले व्यवसायी को रियायत उपलब्ध नहीं है।

हमने तीन वाणिज्य कर अंचलों³⁷ में 227 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (जनवरी एवं मार्च 2015 के बीच) और पाया कि चार व्यवसायियों ने वर्ष 2008-09 एवं 2011-12 के बीच प्रपत्र 'सी' में घोषणाओं का उपयोग करते हुए कर के रियायती दर पर ₹ 77.72 करोड़ मूल्य की सामग्रियाँ उत्पादन या प्रसंस्करण में उपयोग हेतु क्रय किया था जिसे या तो अन्य विनिर्माता को अग्रेतर प्रसंस्करण के लिये या तैयार माल की बिक्री के लिये विनिर्माता स्थानांतरित कर दिया गया या सामग्रियाँ उनके नि.प्र. द्वारा अच्छादित नहीं थीं। क्रेता को जॉब वर्क से प्राप्त सामग्रियों को अवश्य बेचना चाहिये यदि वह वस्तुओं को अग्रेतर उत्पादन हेतु उपयोग में लाता है, तो जॉब वर्क करने वाले व्यवसायी को रियायत उपलब्ध नहीं है। क.नि.प्रा. ने सितम्बर 2010 एवं मार्च 2014 के बीच करनिर्धारण संपन्न करते समय न तो के.बि.क. अधिनियम के अन्तर्गत नि.प्र. का तिर्यक-जाँच किया और न ही व्यवसायियों द्वारा रियायती दर पर खरीदी गयी सामग्रियों के उपयोग का सत्यापन किया। इसके फलस्वरूप घोषणा प्रपत्र 'सी' का अनधिकृत उपयोग हुआ और परिणामी ₹ 4.72 करोड़ के अर्थदंड का अनारोपण हुआ।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई

³⁷ देवघर, जमशेदपुर और तेनुघाट

की जायेगी। जमशेदपुर के कुछ मामलों पर विस्तृत चर्चा की गयी। यह आश्वस्त किया गया कि मामले को देखा जायेगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.20.6 अमान्य प्रपत्र स्वीकार करने के कारण रियायतों/छूटोंकी गलत अनुमति

१94.06 करोड़ मूल्य के 232 अमान्य घोषणा प्रपत्रों 'सी' एवं 'एफ' के प्रस्तुतिकरण पर ४.13 करोड़ के क्रमशः छूट/कर के रियायती दर की गलत रूप से स्वीकृति हुई।

के.बि.क. अधिनियम एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत, निबंधित व्यवसायियों को सामग्रियों की विहित घोषणा प्रपत्रों 'एफ'/'सी' द्वारा समर्थित शाखा स्थानांतरण/अंतर्राज्यीय बिक्रियाँ समय-समय पर लागू कर की रियायती दर पर छूट/आरोप्य है। 11 मई 2002 से प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत करना अनिवार्य बना दिया गया है। अग्रेतर, प्रपत्र 'सी' में एकल घोषणा प्रपत्र एक तिमाही की अवधि के दौरान हुए लेन-देन को आच्छादित करेगा।

हमने चार वाणिज्य कर अंचलों³⁸ (जुलाई 2014 एवं अप्रैल 2015 के बीच) में देखा कि नमूना जाँच किये गये 376 व्यवसायियों में से सात व्यवसायियों के मामले में क.नि.प्रा. ने 2010-11 एवं 2011-12 की अवधि हेतु करनिर्धारण संपन्न करते समय (नवम्बर 2013 एवं मार्च 2015 के बीच) प्रपत्र 'सी'/'एफ'³⁹ में 4,299 घोषणा प्रपत्रों की प्रस्तुति पर १5,918.72 करोड़ मूल्य के लेन-देन पर आरोपित कर के आरोपण से रियायत/छूट की अनुमति दे दी। हालाँकि, 'सी'/'एफ' में 4,299 घोषणा प्रपत्रों में से १94.06 करोड़ मूल्य के 232 घोषणा प्रपत्र⁴⁰ अमान्य प्रपत्रों के प्रस्तुतिकरण, प्रपत्रों की प्रतिलिपि का प्रस्तुतिकरण, अन्य व्यवसायियों के नाम (नामों) से निर्गत प्रपत्रों का समर्पण, एक तिमाही से अधिक की अवधि के लेन-देन से आच्छादित प्रपत्रों का समर्पण और ऐसे प्रपत्रों जिनमें विक्रेता का नाम एवं निबंधन संख्या इत्यादि अंकित नहीं था के समर्पण इत्यादि के आधार पर अस्वीकृति योग्य थे। क.नि.प्रा. द्वारा ऐसे त्रुटिपूर्ण/अमान्य प्रपत्रों की स्वीकृति पर कर में छूट/रियायत प्रदान करने के परिणामस्वरूप ४.13 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ (परिशिष्ट-X)।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए, और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

³⁸ बोकारो, धनबाद, रामगढ़ और राँची दक्षिणी।

³⁹ प्रपत्र 'सी'-4194 और प्रपत्र 'एफ'-105 में घोषणा।

⁴⁰ प्रपत्र 'सी'-226 और प्रपत्र 'एफ'- 6 में घोषणा।

2.3.21 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा उठाए गए लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुसरण में करनिर्धारण

झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 42 (3) में यह प्रावधान है कि जहाँ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत करनिर्धारण पुनर्निर्धारण दाखिल किसी विवरणी की जाँच के संबंध में आपत्ति किया गया है, तो विहित प्राधिकारी कार्यवाही की शुरुआत के एक माह के भीतर व्यवसायियों के पुनर्निर्धारण की प्रक्रिया करेगा।

हमने पाया कि महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के निम्नांकित निरीक्षण प्रतिवेदनों के विरुद्ध विभाग द्वारा प्रारंभिक उत्तर प्रस्तुत नहीं किये गये, जैसा कि तालिका-2.3.21 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.3.21

क्र. सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	कार्यालय का नाम	कंडिकाओं की संख्या	सन्निहित राशि (रूपये लाख में)
1	वर्ष 2011-12 का 121	वा.क.उ., देवघर अंचल	20	510.61
2	वर्ष 2012-13 का 55	वा.क.उ., जमशेदपुर अंचल	29	506.76
3	वर्ष 2012-13 का 94	वा.क.उ., देवघर अंचल	15	736.85
4	वर्ष 2013-14 का 46	वा.क.उ., गिरिडीह अंचल	25	984.69
5	वर्ष 2013-14 का 68	वा.क.उ., राँची पूर्वी अंचल	14	366.77
6	वर्ष 2013-14 का 100	वा.क.उ., चाईबासा अंचल	22	912.47
कुल			125	4,018.15

हमने मामले सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.22 आंतरिक नियंत्रण तंत्र

आंतरिक नियंत्रणों का प्रयोजन कानून, नियमावलियों और विभागीय निर्देशों के उचित अमल का तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करना है। ये धोखे एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और बचाव में भी मदद करते हैं। आंतरिक नियंत्रण शीघ्र एवं दक्ष सेवाओं के लिए और करों और शुल्कों के अपवंचन के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए विश्वसनीय वित्तीय एवं प्रबंधन सूचना प्रणालियों के सृजन में भी मदद करते हैं। अतः यह सुनिश्चित करना विभाग का दायित्व है कि एक उचित आंतरिक नियंत्रण संरचना की स्थापना, समीक्षा हो और इसे प्रभावी रखने के लिए यह समय-समय पर अद्यतन किया जाय।

2.3.22.1 मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध का कार्य

मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान मू.व.क. लेखापरीक्षा के लिए चयनित 1,744 व्यवसायियों में से 1,572 व्यवसायियों का बकाया रहते हुए मात्र 172 (9.98 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गयी।

झा.मू.व.क. नियमावली 2006 के नियम 33 के साथ पठित झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 34 विभाग द्वारा चयनित व्यवसायियों की कर लेखापरीक्षा धारा 37 के प्रावधानों के अनुसार उनके व्यवसाय परिसर में किये जाने की परिकल्पना करता है। हालाँकि झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005, 1 अप्रैल 2006 को अस्तित्व में आया, तथापि मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध वा.क.सं.आ., वा.क.उ., वा.क.स.आ., वा.क.प. और सहायक कर्मियों के पृथक कार्यबल के साथ तीन मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रमंडल⁴¹ सहित सी.टी.डी. मुख्यालय में अगस्त 2009 में गठित किया गया।

सभी तीन वैट लेखापरीक्षा प्रमंडलों में 2009-10 से 2013-14 के दौरान वर्षवार स्वीकृत और कार्यरत बल जैसा कि तालिका 2.3.22.1(i) में दर्शाया गया है था।

तालिका - 2.3.22.1(i)

वर्ष	वा.क.सं. आ.	वा.क.उ.	वा.क.स. आ.	वा.क. प.	विपत्र लिपिक	कंप्यूटर लिपिक	कंप्यूटर ऑपरेटर	चालक	गुप डी स्टाफ
स्वीकृत बल	3	6	12	24	3	6	9	9	12
मू.व.क. लेखापरीक्षा प्रमंडलों में कार्यरत बल									
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	2	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	3	4	7	2	0	2	2	1	0
2012-13	3	4	4	6	0	3	3	2	4
2013-14	3	4	3	8	0	3	3	3	5

मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध की हमारे जाँच ने निम्नलिखित उद्घटित किया:

- मुख्यालय एवं प्रमंडलीय इकाई द्वारा वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में किये जाने वाले कर लेखापरीक्षा हेतु 84,793 व्यवसायियों में से (2010-11 : 39,061 एवं 2011-12 : 45,732) 10 करोड़ एवं अधिक सकल आवर्त (स.आ.) वाले 1,744 व्यवसायियों का चयन आयुक्त द्वारा किया गया। उपरोक्त चयनित व्यवसायियों के विरुद्ध संचालित कर लेखापरीक्षा का विवरण जैसा कि तालिका 2.3.22.1(ii) में है -

⁴¹ धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

तालिका- 2.3.22.1(ii)

मू.व.क. लेखापरीक्षा इकाई	चयनित व्यवसायियों की संख्या		लेखापरीक्षित व्यवसायियों की संख्या		लेखापरीक्षित नहीं किये गये व्यवसायियों की संख्या		कुल लंबित मामले
	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	2010-11	2011-12	
मुख्यालय	102	53	शून्य	शून्य	102	53	155
धनबाद	186	240	48	शून्य	138	240	378
जमशेदपुर	199	453	95	2	104	451	555
राँची	351	160	27	शून्य	324	160	484
कुल	838	906	170	2	668	904	1,572

इस प्रकार, उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-12 में चयनित 1,744 व्यवसायियों में से मात्र 172 (9.86 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गयी जो निर्धारित लक्ष्य से काफी कम था और 1,572 व्यवसायियों के लेखापरीक्षा का भारी बकाया था।

- उपरोक्त बकायों के कारण आयुक्त ने वर्ष 2012-13 और 2013-14 में कर लेखापरीक्षा के लिए व्यवसायियों का आगे चयन न करने का निर्णय लिया।
- मानव बल की कमी, जैसा कि उपरोक्त में दिखाया गया है, के कारण कर लेखापरीक्षा के बकाये का संचयन हुआ।
- यह भी पाया गया कि अब तक संचालित 172 कर लेखापरीक्षाओं में से, 115 कर लेखापरीक्षा व्यवसायियों के व्यापार परिसर में, जैसा कि झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 34 में परिकल्पित है, संचालित नहीं किया गया था।
- विभाग ने मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध के लिए लेखापरीक्षा हस्तक तैयार नहीं किया है। हस्तक के अभाव में विभाग विभिन्न गतिविधियों के दिन प्रतिदिन संचालन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया से वंचित रहा।
- यह भी पाया गया कि 2011-12 से 2014-15 की अवधि के दौरान मू.व.क. लेखापरीक्षा के सभी तीन प्रमंडलों के लिए कार्यालय स्वचालन उपकरण और फर्नीचर की खरीद हेतु ₹ 13.48 लाख व्यय किया गया जिनमें से अधिकांश अप्रयुक्त पड़े हुए हैं।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों से सहमत हुए और यह आश्वासन दिया कि मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध को मजबूत करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

हम अनुशंसा करते हैं कि उचित मानव बल और अनुश्रवण के साथ कर लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की एक उचित हस्तक की रचना करके सरकार मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध को मजबूत कर सकती है।

2.3.22.2 अन्वेषण ब्यूरो (अ. ब्यू.) का कार्यचालन

अन्वेषण ब्यूरो (अ.ब्यू.) ने कर के अपवंचन का पता लगाने हेतु इसके तिर्यक जाँच के लिये विभिन्न संगठनों/केंद्रीय/राज्य उपक्रमों के कार्यालयों, रेलवे गोदामों और वाणिज्यिक बैंकों से क्रय/आयातों से संबंधित आँकड़ों के संग्रहण के अपने कार्यों को निष्पादित नहीं किया।

झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 अन्वेषण ब्यूरो के वा.क.आ. के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करने का प्रावधान करता है और वह ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा जो उसे सौंपा जाय। हमने पाया कि अगस्त 2009 तक कोई काम सौंपे नहीं जाने के कारण अ.ब्यू. अक्रियाशील रहा। तथापि, वा.क.आ. द्वारा अगस्त 2009 में निर्गत एक आदेश के द्वारा, वा.क.सं.आ. (प्रशासन) के अधीन प्रमंडलीय अ.ब्यू.को कार्य सौंपा गया कि :

- वैसे व्यवसायी जो अंतर्राज्यीय भंडार स्थानांतरण करते हैं, के.बि.क. अधिनियम, 1956 के अनुसार व्यापार के अतिरिक्त स्थान और निबंधन प्रमाण पत्र में उनकी प्रविष्टि का सत्यापन करना, बड़े विनिर्माताओं/व्यवसायियों का निरीक्षण, बड़े विनिर्माताओं, राज्य/केंद्रीय उपक्रमों, रेलवे गोदामों, ट्रांसपोर्टों और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किये गये खरीद/आयातों से संबंधित आँकड़ों का संग्रह। सीमावर्ती क्षेत्रों में योजनाबद्ध एवं नियमित रूप से ट्रकों का निरीक्षण, अंतर्राज्यीय खरीदों के क्रम में विशेष सामग्रियों पर निर्धारित कर के दर का सत्यापन, भंडार अंतरण/आयातों के माध्यम से आगमन और घोषणा प्रपत्रों की शुद्धता का तिर्यक सत्यापन।

हमने तीन प्रमंडलीय अ. ब्यू.⁴² के कार्य संपादन की जाँच की और पाया कि अ.ब्यू., इन वर्षों में मुख्य रूप से विनिर्माताओं/व्यवसायियों और परिवहन वाहनों का निरीक्षण कर रहा था लेकिन न तो बड़े उत्पादकों, केन्द्रीय/राज्य उपक्रमों, रेलवे गोदामों, ट्रांसपोर्टों, वाणिज्यिक बैंकों आदि से उसके परवर्ती सत्यापन हेतु किए गये कोई आँकड़ा संग्रहित पाया गया और न ही घोषणा प्रपत्रों का तिर्यक सत्यापन किया गया।

- प्रमंडलीय अ.ब्यू. को वा.क.आ. को मासिक प्रतिवेदन/विवरणियाँ प्रस्तुत करनी थीं पर कोई मासिक प्रतिवेदन/विवरणियाँ नियमित रूप से जमा नहीं पाया गया और शीर्ष स्तर पर अ.ब्यू. के कार्यचालन का कोई नियमित अनुश्रवण नहीं था।
- प्रमंडलीय अ.ब्यू. में सहायक कर्मियों की अत्यंत कमी थी।

इसे हमारे द्वारा इंगित किए जाने के बाद, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार, लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमत हुए और कहा कि उनका व्यापार खुफिया प्रणाली चौकसी उत्पत्ति में तेजी से प्रगति कर रहा था।

सरकार विभिन्न लेन-देनों के आँकड़े/सूचनाओं के नियमित संग्रहण हेतु अ.ब्यू. के कार्यकलाप को मजबूत करने और कर अपवंचन का पता लगाने हेतु नियमित आधार

⁴² धनबाद, जमशेदपुर और राँची।

पर लेनदेनों के तिर्यक जाँच के लिये राज्य/केंद्र सरकार के विभागों व उपक्रमों और अन्य के डाटाबेस के सृजन पर पर विचार कर सकती है।

2.3.22.3 कंप्यूटरीकरण

वाणिज्य कर विभाग (सीटीडी) का कंप्यूटरीकरण पूर्ण नहीं था। अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर 'विक्टरी' के विभिन्न मॉड्यूल्स अभी तक विकसित नहीं किये गये थे।

झारखण्ड सरकार का वाणिज्य कर प्रशासन के कंप्यूटरीकरण हेतु मिशन मोड परियोजना (एम.एम.पी.सी.टी.) केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्रमशः ₹ 24.51 करोड़ (65 प्रतिशत) और ₹ 13.18 (35 प्रतिशत) करोड़ के अंश सहित ₹ 37.69 करोड़ की कुल परियोजना लागत के साथ नवंबर, 2010 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। काम वर्ष 2012-13 के अंत तक पूरा किया जाना था। विभाग द्वारा प्रारंभ किये गये 'विक्टरी' (वैट इन्फोर्मेशन कंप्यूटराईजेशन टू ऑप्टिमाइज़ रेवेन्यू यील्ड्स) नाम के वाणिज्य कर विभाग के अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर की स्थापना का कार्य निष्पादन एजेंसी मेसर्स राइट्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा बीच में छोड़ दिया गया और विभाग ने अपेक्षित सिस्टम रिक्वायरमेंट स्टडी (एस.आर.एस.) और अभिकल्पना के बिना ही नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेन्टर (एन.आई.सी.), झारखण्ड की मदद से स्वचालन प्रारंभ किया। जनवरी 2013 में, मेसर्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मार्च 2014 में पूरा किये जाने की नियत तिथि के साथ ₹ 35.18 करोड़ की लागत से विभाग के कंप्यूटरीकरण के लिए एक अनुबंध निष्पादित किया गया। हालाँकि, काम अभी भी अपूर्ण है और झारखण्ड सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय झारखण्ड सूचना और प्रौद्योगिकी संवर्धन एजेंसी (जैप-आई.टी.) द्वारा उक्त कार्य पर आज तक ₹ 16.54 करोड़ का व्यय किया जा चुका है।

व्यवसायी सूचना प्रणाली, विवरणी प्रसंस्करण प्रणाली, भुगतान प्रबंधन प्रणाली और और प्रपत्र नियंत्रण प्रणाली जैसे मॉड्यूल्स पूरी तरह क्रियाशील नहीं बनाये गये थे। अग्रेतर, औद्योगिक छूट प्रणाली, व्यवसायी करनिर्धारण प्रणाली और विभाग के प्रशासनिक कार्य से संबंधित व्यक्तिगत सूचना प्रणाली जैसे मॉड्यूल को विकसित करने पर विचार नहीं किया गया। विभाग ने मैनुअल प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से हटाने और कंप्यूटरीकृत प्रणाली में परिवर्तित करने हेतु कोई प्रलेखित योजना प्रस्तुत नहीं किया। विकसित प्रणाली शुरुआत से मैनुअल प्रणाली के समानांतर चल रहा था। इसलिये मैनुअल पंजियो की समाप्ति और विभाग के कार्यचालन प्रणाली की दक्षता में सुधार के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हुई।

हमने मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.3.22.4 मानव संसाधन प्रबंधन

मानव संसाधन प्रबंधन का विश्लेषण करने के लिए हमने (मई और जून 2015 के बीच) वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान अंचल में अधिकारियों और अन्य सहायक कर्मियों के स्वीकृत बल और कार्यरत बल का अंचल-वार स्थिति माँगा। प्रस्तुत आँकड़ों से हमने मार्च 2015 को निम्न स्वीकृत बल और कार्यरत बल पाया जो तालिका - 2.3.22.4 में है।

तालिका - 2.3.22.4							
क्र. सं.	अंचल का नाम	स्वीकृत बल		कार्यरत बल		कमी	
		अधिकारी	अन्य	अधिकारी	अन्य	अधिकारी	अन्य
1	आदित्यपुर	9	39	7	17	2	22
2	बोकारो	10	49	7	15	3	34
3	चाईबासा	6	22	6	11	0	11
4	देवघर	8	26	5	13	3	13
5	धनबाद	7	39	7	14	0	25
6	गिरिडीह	6	27	4	13	2	14
7	जमशेदपुर	11	44	9	17	2	27
8	जमशेदपुर नागरीय	10	36	6	14	4	22
9	रामगढ़	8	31	7	13	1	18
10	राँची पूर्वी	8	30	5	11	3	19
11	राँची दक्षिण	11	35	4	10	7	25
12	राँची पश्चिमी	11	34	10	18	1	16
13	तेनुघाट	6	29	4	7	2	22
कुल		111	441	81	173	30	268

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि नमूना जाँच किये गये अंचलों में अधिकारियों (27 प्रतिशत) एवं सहायक कर्मियों (61 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी थी जो अधिनियम के प्रशासन को प्रभावित कर सकता है। हमने नमूना जाँच किये गये 12 अंचलों में पाया कि 2013-14 के अंत में करनिर्धारणों के 22,614 मामले लंबित थे जिससे इंगित हुआ कि मानवबल की कमी ने विभाग के कार्यकलाप को प्रभावित किया है।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिये स्वीकृत बल के अनुसार मानवबल की तैनाती पर विचार कर सकती है।

2.3.23 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने निम्नांकित पाया:

- अधिनियम में स्व-करनिर्धारण के प्रावधान के विद्यमान होने के बावजूद विभाग पूर्ववर्ती बिक्री कर काल की तरह ही व्यवसायियों के करनिर्धारण का अनुसरण कर रही है अर्थात् जहाँ करनिर्धारण के सभी मामले क.नि.प्रा. द्वारा निर्धारित किये गये थे और व्यवसायियों को स्व-करनिर्धारण की प्रक्रिया के

लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया जिसका कार्मिकों की कमी और निबंधित व्यवसायियों के निरंतर वृद्धि के साथ, परिणाम करनिर्धारण में भारी बकाये के संचयन में हुआ।

- निबंधन हेतु उत्तरदायी व्यवसायियों की पहचान हेतु विभाग में सर्वेक्षण का तंत्र अपर्याप्त था। विभाग ने अनिबंधित व्यवसायियों के पता लगाने के लिए करनिर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध टी.डी.एस. विवरणी का उपयोग नहीं किया था;
- क्रय/विक्रय आवर्तों का छिपाव, कर का अनारोपण/अल्पारोपण, आई.टी.सी. की अनियमित स्वीकृति, ब्याज एवं अर्थदंड का अनारोपण/अल्पारोपण, और अंतर्राज्यीय एवं राज्यांतर्गत स्टॉक अंतरण, अंतर्राज्यीय बिक्री एवं मार्गस्थ बिक्री में छूट/रियायतों की स्वीकृति में अनियमिताओं से राजस्व का रिसाव हुआ;
- आंतरिक नियंत्रण संरचना मू.व.क. लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा संचालित लेखापरीक्षा के संदर्भ में आंतरिक लेखापरीक्षा अपूर्ण था और अ.ब्यू. को सौंपी गयी तिर्यक-जाँच के निष्पादन नहीं होने से राजस्व का रिसाव हुआ; और
- विभाग का कंप्यूटरीकरण पूर्ण नहीं था। सॉफ्टवेयर में विभिन्न मॉड्यूल्स जैसे विवरणी प्रसंस्करण प्रणाली, भुगतान प्रबंधन प्रणाली, प्रपत्र नियंत्रण प्रणाली विकसित किया जाना अब तक बाकी था।

2.4 तिर्यक जाँच के परिणाम

संव्यवहारों के तिर्यक जाँच के उद्देश्य के लिये आँकड़ें/सूचनाओं के आदान-प्रदान में वा.क.वि. और अन्य सरकारी विभागों के बीच समन्वय के अभाव के कारण 2006-07 एवं 2012-13 के मध्य की अवधि में ₹ 13.82 करोड़ के राजस्व का कम आरोपण हुआ जिसकी चर्चा कंडिका 2.4.1 और 2.4.2 में की गई है।

2.4.1 व्यवसायियों का निबंधन नहीं होना

स्टोन चिप्स के व्यवसायी और संवेदकों के निबंधन के लिये निर्धारित अवसीमा क्रमशः ₹ 50,000 और ₹ 25,000 से अधिक विक्रय आवर्त होने के बावजूद विभाग में निबंधित नहीं पाये गये।

हमने दिसंबर 2013 से मार्च 2015 तक जिला खनन कार्यालय, साहिबगंज के 313 पट्टेदारों में से 44 खनन पट्टेदारों के स्टोन चिप्स की बिक्री तथा संविदा कार्य के विरुद्ध लोक निर्माण विभाग⁴³ से संवेदकों को किए गये भुगतान का आँकड़ा प्राप्त किया और उसका तीन वाणिज्य कर अंचलों⁴⁴ के अभिलेखों से तिर्यक-जाँच किया। हमारे तिर्यक-जाँच से पता चला कि 2008-09 से 2012-13 के बीच 16 खनन पट्टेदारों ने ₹ 6.77 करोड़ मूल्य के 2.85 लाख घन मीटर स्टोन चिप्स विक्रय/प्रेषित किया था और तीन संवेदकों ने ₹ 3.32 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था।

उक्त आँकड़े विभाग के डेटाबेस के साथ-साथ वाणिज्यकर अंचलों के अभिलेखों से सत्यापित किये गये और पाया गया कि वे अंचलों में निबंधित नहीं थे। चूँकि स्टोन चिप्स के व्यवसायियों का विक्रय आवर्त ₹ 50,000 से अधिक और संवेदकों का ₹ 25,000 से अधिक था इसलिए वे झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 8 (5) के प्रावधानों के तहत निबंधित होने तथा कर के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस प्रकार तिर्यक-जाँच के लिये, आँकड़े/सूचनाओं के आदान-प्रदान में वा.क.वि. और अन्य सरकारी विभागों के बीच समन्वय की कमी के कारण ₹ 1.02 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ। झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 38 के तहत निर्धारित कर की राशि के बराबर अर्थदंड ₹ 1.02 करोड़ भी आरोप्य था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.02 करोड़ के अर्थदंड सहित ₹ 2.04 करोड़ कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमने जुलाई 2014 और अप्रैल 2015 के मध्य विभाग को मामला प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी। लेखापरीक्षा अवलोकन इंगित करने के लिए आयुक्त ने अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि

⁴³ मैथन आर.बी.टी.पी.पी. स्थित बी.एच.ई.एल., भवन निर्माण प्रमण्डल-1, राँची और पथ निर्माण प्रमण्डल, साहिबगंज।

⁴⁴ चिरकुंडा, राँची विशेष और साहिबगंज।

व्यवसायियों की पहचान करने के लिए अन्य विभागों के साथ-साथ कोषागार से आँकड़े का आदान-प्रदान किया जा रहा है (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

एक सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.10.1 में बताया गया था, विभाग ने हमारे आपत्ति को स्वीकार किया। तथापि, इस प्रकार की गलतियाँ/अनियमितताएँ निरंतर जारी हैं जो राज्य के राजस्व को सुरक्षित करने की पहल का अभाव और राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अप्रभावशीलता को दर्शाती हैं।

2.4.2 अन्य विभागों के आँकड़ों से तिर्यक जाँच के दौरान विक्रय आवर्त के छिपाव का पता लगना

संवेदको द्वारा दाखिल विवरणियों का उनके द्वारा किये गये कार्यों के लिए लोक निर्माण प्रमण्डलों और राज्य के कंपनियों के द्वारा भुगतान से संबंधित आँकड़ों के तिर्यक-जाँच ने आवर्त का छिपाव एवं कर का परिणामी अवनिर्धारण इंगित किया।

हमने सात लोक निर्माण प्रमण्डलों और तीन कंपनियों⁴⁵ से संविदा कार्यों के विरुद्ध कार्य संवेदकों के भुगतान से संबंधित आँकड़ा प्राप्त किया तथा छः अंचलों⁴⁶ के अभिलेखों से इनकी तिर्यक-जाँच की और पाया कि 16 संवेदको ने वर्ष 2006-07 से 2010-11 की अवधि में ₹ 35.17 करोड़ के आवर्त की अपनी विवरणी दाखिल की थी। करनिर्धारण जून 2009 से मार्च 2014 के बीच उनके द्वारा दाखिल विवरणियों के आधार पर संपन्न किया गया। तथापि, लोक निर्माण प्रमण्डलों से संग्रहित आँकड़ों के तिर्यक-जाँच से उद्घटित हुआ कि संवेदकों ने वास्तव में ₹ 67.20 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था, जिसमें से ₹ 66.58 करोड़ करयोग्य था। इस प्रकार, संवेदकों ने ₹ 31.41 करोड़ के विक्रय आवर्त को छुपाया था। इस प्रकार, तिर्यक-जाँच के उद्देश्य से अंतर्विभागीय आँकड़े/सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए तंत्र का अभाव होने के कारण, झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 40 (1) के साथ पठित 37(6) के प्रावधानों के तहत ₹ 7.85 करोड़ के अनिवार्य अर्थदण्ड सहित ₹ 11.78 करोड़ के कर का अल्पारोपण हुआ (परिशिष्ट-XI)।

हमने (जुलाई 2014 और अप्रैल 2015 के बीच) विभाग को मामला प्रतिवेदित किया। वाणिज्यकर उपायुक्त, चिरकुंडा ने (अगस्त 2015) सूचित किया कि एक मामले में ₹ 24.32 लाख का मांग पत्र निर्गत किया गया है। तदंतर, बहिर्गमन सम्मेलन में

⁴⁵ भवन निर्माण प्रमण्डल, राँची, पथ निर्माण प्रमण्डल, धनबाद, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, बोकारो और कोडरमा, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, धनबाद, जि.न.नि. धनबाद, पथ निर्माण प्रमण्डल, साहिबगंज, भेल, हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स निर्माण लिमिटेड और मैथन पावर लिमिटेड।

⁴⁶ चिरकुंडा, धनबाद नागरीय, हजारीबाग, कतरास, राँची विशेष और साहिबगंज।

विभाग/सरकार ने तथ्यों पर सहमति व्यक्त की और कहा कि उचित कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

एक सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.10.2 में बताया गया था। तथापि, इस प्रकार की गलतियाँ/अनियमितताएँ निरंतर जारी हैं जो राज्य के राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

2.5 वास्तविक आवर्त के निर्धारण में अनियमितताएँ

उचित करनिर्धारण एवं देय कर के आरोपण के लिये आवर्त का वास्तविक निर्धारण आवश्यक है। इस कंडिका में विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना तथा आवर्त का गलत निर्धारण के कारण अर्थदण्ड सहित ₹ 144.96 करोड़ के कर का अल्पारोपण/अनारोपण सम्मिलित है जैसा कि कंडिका 2.5.1 और 2.5.2 में उल्लिखित है।

2.5.1 झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना

निर्धारण प्राधिकारियों ने करनिर्धारण संपन्न करते समय पृथक अभिलेखों में उपलब्ध अतिरिक्त सूचनाओं से विवरणियों की जाँच नहीं करने के फलस्वरूप वास्तविक आवर्त का छिपाव हुआ तथा परिणामी अर्थदण्ड और कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमने सात वाणिज्यकर अंचलों⁴⁷ में निबंधित 24,558 व्यवसायियों में से 555 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (फरवरी 2012 एवं मार्च 2015 के बीच) और देखा कि 15 व्यवसायियों ने 2008-09 से 2011-12 की अवधि के दौरान आवधिक विवरणियों और प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में निर्धारित वैट ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से ₹ 3,878.52 करोड़ का क्रय/विक्रय आवर्त दर्शाया था जिसके आधार पर (नवम्बर 2010 एवं अक्टूबर 2014 के बीच) करनिर्धारण संपन्न किया गया। तथापि, व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किये गये घोषणा प्रपत्र 'एफ' और 'सी' की अधियाचना और उपयोग, वार्षिक विवरणी, ब्यापार लेखा, अंकेक्षित वार्षिक लेखा, लाभ और हानि लेखा तथा अनुज्ञा प्रपत्र की विस्तृत विवरणी की हमारी जाँच से यह पता चला कि व्यवसायियों ने वास्तव में ₹ 4,674.80 करोड़ मूल्य के वस्तुओं⁴⁸ का क्रय/प्राप्ति/विक्रय किया था। इस प्रकार, व्यवसायियों ने अपनी विवरणियों में ₹ 796.28 करोड़ के सामग्रियों के क्रय/विक्रय को छिपाया था। यह दर्शाता है कि निर्धारण प्राधिकारियों ने संबंधित व्यवसायियों द्वारा दाखिल किये गये अभिलेखों में उपलब्ध प्रासंगिक सूचनाओं से विवरणियों का तिर्यक सत्यापन नहीं किया।

⁴⁷ धनबाद नागरीय, हजारीबाग, झरिया, कतरास, पाकुड़, पलामू एवं सिंहभूम।

⁴⁸ बीयर/आइ.एम.एफ.एल, कोल, सान्द्र तांबा, सिमेंट, फुटवेयर, मशीनरी पार्ट्स, ऑक्सीजन एवं औद्योगिक गैस, स्टोन चिप्स और बोल्टर, स्पीज आयरन और टायर।

चूँकि व्यवसायियों ने आवर्त के ब्यौरे को जान बूझकर छिपाया, छोड़ा या दर्शाने में विफल रहे जिससे विवरणित राशि वास्तविक राशि से कम था, वे झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 40(1) के साथ पठित अधिनियम 37(6) के प्रावधानों के अंतर्गत, छिपाये गये आवर्त पर निर्धारित कर के अतिरिक्त, अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार निर्धारित अतिरिक्त कर की राशि के दुगुनी राशि के समतुल्य राशि का भुगतान करने का उत्तरदायी था। इसके फलस्वरूप अर्थदण्ड ` 93.71 करोड़ सहित ` 140.57 करोड़ के कर का अवनिर्धारण हुआ (परिशिष्ट-XII)।

हमने अधिकतम वित्तीय प्रभाव वाले पाँच वाणिज्यकर अंचलों के पाँच व्यवसायियों से संबंधित विनिर्दिष्ट मामलों को तालिका- 2.5.1 में दर्शाया है।

तालिका - 2.5.1

(` करोड़ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	अवधि निर्धारण माह	आपत्तियों की प्रकृति	छिपाया गया आवर्त कर की दर (%)	मू.व.क. का कम आरोपण अर्थदण्ड
1	हजारीबाग एक	2009-10 अप्रैल 2012	व्यवसायी के अंकेक्षित वार्षिक लेखा के अनुसार वास्तविक आवर्त ` 2,617.53 करोड़ था लेकिन ` 2,097.32 करोड़ लेखापित किया जिसके आधार पर करारोपण संपन्न हुआ था।	520.21 4	20.81 41.62
2	सिंहभूम एक	2008-09, 2010-11 जनवरी 2010, मार्च 2014	व्यवसायी ने जान बूझकर सीमेंट के उत्पादन की लागत कम करने के लिए ` 158.85 करोड़ उत्पाद शुल्क को घटाया था जो झा.मू.व.क. अधिनियम 2005 की धारा 2 (xlviii) के प्रावधानों के अनुसार क्रय आवर्त का एक भाग था, इस तरह विवरणित आवर्त वास्तविक रकम से कम था, जिस पर कर निर्धारण संपन्न हुआ।	158.85 12.5	19.86 39.72
3	झरिया एक	2010-11 अगस्त 2013	प्रपत्र झा.मू.व.क.-400 में टी.डी.एस. विवरणी तथा संलग्न सामग्रियों की आपूर्ति की विवरणी के अनुसार ` 16.75 करोड़ निर्धारित किया गया, जबकि व्यवसायी ने व्यापार खाते में केवल ` 5.47 करोड़ की बिक्री दिखाया था, जिस पर कर निर्धारण संपन्न हुआ।	11.28 12.5	1.41 2.82
4	पाकुड़ एक	2009-10 फरवरी 2011	व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत पत्थर के उत्पादन विवरणी के अनुसार, वास्तविक उत्पादन 1,62,87,937 सी.एफ.टी. था जिसका संगणित मूल्य ` 10.20 करोड़ था लेकिन व्यवसायी ने व्यापार खाते में ` 7.50 करोड़ मूल्य के 1,19,74,207 सी.एफ.टी. लेखापित किया जिस पर कर निर्धारण संपन्न हुआ।	2.70 12.5	0.34 0.68

तालिका - 2.5.1

(` करोड़ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	अवधि निर्धारण माह	आपत्तियों की प्रकृति	छिपाया गया आवर्त कर की दर (%)	मू.व.क. का कम आरोपण अर्थदण्ड
5	धनबाद नागरीय एक	2010-11 जून 2013	व्यापार खाते और खरीद विवरणी के अनुसार विक्रय आवर्त ` 23.16 करोड़ संगणित की गई जबकि यह ` 20.69 करोड़ दिखाया गया।	2.47 12.5	0.31 0.62

हमारे द्वारा मामले (फरवरी 2012 और मार्च 2015 के बीच) को बताये जाने पर, एक मामले में, वाणिज्यकर उपायुक्त, सिंहभूम ने अक्टूबर 2014 में संशोधित आदेश पारित किया तथा ` 28.59 करोड़ के लिये अतिरिक्त माँग पत्र जारी किया, जबकि अन्य मामलों में क.नि.प्रा. ने कहा (नवम्बर 2013 और मार्च 2015 के बीच) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी।

हमने मई 2012 और अप्रैल 2015 के बीच विभाग को मामला प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने सहमति व्यक्त की और कहा कि संबंधित वाणिज्यकर अंचलों को उचित कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिये गये हैं (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामला 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.4.1 में बताया गया था। सरकार/विभाग ने 31 मामलों में हमारे अवलोकनों को स्वीकार किया और दो मामलों में ` 74.30 लाख का मांग पत्र निर्गत किया (दिसंबर 2013)। तथापि, इस प्रकार की गलतियाँ/अनियमितताएँ निरंतर जारी हैं जो राज्य के राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की अप्रभावशीलता को दर्शाता है।

2.5.2 झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत कर देय आवर्त का गलत निर्धारण

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 के अंतर्गत श्रम एवं सदृश प्रभार, स्वामिस्व और टी.डी.एस. पर गलत छूट की अनुमति के परिणामस्वरूप ` 35.11 करोड़ कर देय आवर्त का कम निर्धारण हुआ तथा ` 4.39 करोड़ कर का परिणामी अवनियमन हुआ।

2.5.2.1 हमने चार वाणिज्य कर अंचलों⁴⁹ में निबंधित 13,621 व्यवसायियों में से 323 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (अप्रैल 2014 और दिसंबर 2014 के बीच) की और देखा कि 11 संवेदकों का 2008-09 से 2010-11 के दौरान श्रम सदृश प्रभार, स्वामिस्व और टी.डी.एस. पर गलत छूट की अनुमति देने के

⁴⁹ धनबाद नागरीय, हजारीबाग, कतरास, एवं कोडरमा।

कारण करयोग्य आवर्त (टी.टी.ओ.) ` 120.15 करोड़ के बदले ` 88.07 करोड़ का आवर्त निर्धारित किया गया।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 का नियम 22, कार्य संवेदकों के करयोग्य आवर्त के निर्धारण के लिए श्रम प्रभार और अन्य गैर करयोग्य व्यय को घटाने की अनुमति प्रदान करता है। संवेदकों द्वारा प्रस्तुत लेखे से जहाँ ऐसे प्रभारों की राशि निश्चित करने योग्य नहीं हो, तो उपरोक्त नियम आगे सिविल कार्यों के मामले में कुल प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के 30 प्रतिशत की दर से उक्त प्रभारों की गणना का प्रावधान करता है।

क.नि.प्रा. ने करनिर्धारण संपन्न करते समय (अगस्त 2009 और फरवरी 2014 के बीच) उपरोक्त नियम के अनुसार कर देय आवर्त का निर्धारण नहीं किया, परिणामस्वरूप ` 32.08 करोड़ कर देय आवर्त का अल्प निर्धारण हुआ, फलस्वरूप ` 4.01 करोड़ का कर नहीं लगाये जाने के कारण अवनिर्धारण हुआ (परिशिष्ट-XIII)।

2.5.2.2 हमने धनबाद नागरीय वाणिज्यकर अंचल में निबंधित 4,167 व्यवसायियों में से 130 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया (अक्टूबर 2013) और पाया कि एक संवेदक के मामले में 2008-09 और 2009-10 की अवधि के लिये वास्तविक कर देय आवर्त ` 14.16 करोड़ के बजाय ` 11.13 करोड़ निर्धारित किया गया। स्वामिस्व, सामग्रियों की आपूर्ति से संबंधित लाभ और स्रोत पर कर की कटौती पर कर से छूट प्रदान करने के कारण कर देय आवर्त का गलत निर्धारण हुआ।

झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (1) (डी) के प्रावधानों के तहत दावा मान्य नहीं था। करनिर्धारण प्राधिकारी ने करनिर्धारण संपन्न करते समय (फरवरी 2011 और मार्च 2013 के बीच) अभिलेख में उल्लिखित आँकड़े पर विचार नहीं किया, परिणामस्वरूप ` 3.03 करोड़ कर देय आवर्त का गलत निर्धारण हुआ तथा ` 37.90 लाख के कर का परिणामी अवनिर्धारण हुआ।

हमने (जुलाई 2014 और मई 2015 के बीच) विभाग को मामला प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति व्यक्त की और कहा कि दाखिल विवरणियों के आँकड़े और सकल आवर्त के निर्धारण के बीच भिन्नता का ध्यान रखने के लिए प्रणाली को अद्यतन किया जा रहा है। अधिनियम/नियमों में आवश्यक संशोधन के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया गया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.6 ब्याज का आरोपण नहीं किया जाना

झा.मू.व.क. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन राज्य के बाहर/भीतर भंडार हस्तांतरण, कर की रियायती दर पर अंतर्राज्यीय बिक्री, सामग्रियों के स्वयं उपभोग, इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे की अस्वीकृति और करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा स.आ. में अभिवृद्धि पर ₹ 34.30 करोड़ का ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया।

2.6.1 हमने चार वाणिज्यकर अंचलों⁵⁰ में निबंधित 13,969 व्यवसायियों में से 372 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की (अगस्त 2014 और जनवरी 2015) और देखा कि छः व्यवसायियों ने 2010-11 के दौरान, दाखिल आवधिक विवरणियों/झा.मू.व.क.-409 के माध्यम से राज्य के बाहर/भीतर भंडार हस्तांतरण, कर के रियायती दर पर अंतर्राज्यीय बिक्री, सामग्रियों/मालों के स्वयं उपभोग और इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से ₹ 2,305.20 करोड़ छूट का दावा किया था।

क.नि.प्रा. ने (नवंबर 2013 और मार्च 2014 के बीच) इन व्यवसायियों के करनिर्धारण संपन्न करते समय, वैसे छूट और अन्य रियायतें जो अपेक्षित सबूत द्वारा समर्थित नहीं थी, की अस्वीकृति सहित आवश्यक समायोजन करने के बाद, छूट की अनुमति दी और ₹ 1,734.51 करोड़ के आवर्त पर रियायती दर पर कर आरोपित किया। ₹ 570.70 करोड़ के शेष आवर्त पर निर्धारित दरों पर ₹ 16.04 करोड़ का कर आरोपित किया गया। तथापि, अधिनियम की धारा 35 (6) के साथ पठित धारा 30 (1) के अंतर्गत आरोपित कर पर प्रति माह एक प्रतिशत की दर से ₹ 5.23 करोड़ का ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया जो तालिका 2.6.1 में उल्लिखित है।

तालिका 2.6.1

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	अवधि निर्धारण माह	आपत्तियों की प्रकृति	निर्धारित अतिरिक्त कर	आरोप्य ब्याज
1	सिंहभूम एक	2010-11 मार्च 2014	व्यवसायी ने ₹ 1.71 करोड़ के आई.टी.सी. का लाभ उठाया था और सामग्री की स्वयं की खपत ₹ 1.07 करोड़ पर कर में छूट का दावा किया। तथापि, क.नि.प्रा. ने ₹ 1.57 करोड़ आई.टी.सी. की अनुमति दी और सामग्री की स्वयं की खपत पर कर में छूट का दावा अस्वीकार कर तदनुसार अतिरिक्त कर का निर्धारण किया। तथापि, निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	0.28	0.10

⁵⁰ धनबाद नागरीय, हजारीबाग, कतरास एवं सिंहभूम।

तालिका 2.6.1

(करोड़ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम व्यवसायियों की संख्या	अवधि निर्धारण माह	आपत्तियों की प्रकृति	निर्धारित अतिरिक्त कर	आरोप्य ब्याज
2	हजारीबाग एक	2010-11 नवम्बर 2013	व्यवसायी ने अंतर्राज्यीय बिक्री ` 292.58 करोड़ पर कर की रियायती दर का दावा किया था। हालाँकि, क.नि.प्रा. प्रस्तुत प्रपत्र 'सी' के आधार पर ` 286.98 करोड़ पर कर की रियायती दर की अनुमति दी और तदनुसार ` 11.18 लाख का अतिरिक्त कर आरोपित किया। तथापि, आरोपित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	0.11	0.04
3	धनबाद एक	2010-11 मार्च 2014	व्यवसायी ने ` 2.99 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर का दावा किया था। तथापि, क.नि.प्रा. प्रस्तुत प्रपत्र 'सी' के आधार पर ` 81.37 लाख पर कर की रियायती दर की अनुमति दी और तदनुसार ` 22.82 लाख का अतिरिक्त कर आरोपित किया। तथापि, निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	0.23	0.08
4	कतरास तीन	2010-11 दिसम्बर 2013	व्यवसायी ने ` 1,876.28 करोड़ के अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रियायती दर तथा भंडार हस्तांतरण पर कर से छूट का दावा किया था, लेकिन ` 1,365.70 करोड़ के लिए फार्म 'सी' और 'एफ' प्रस्तुत किया। पुनः व्यवसायी ने ` 3.51 करोड़ आई.टी.सी. का लाभ उठाया परन्तु झा.मू.व.क. - 404 प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए तदनुसार अतिरिक्त कर ` 15.42 करोड़ आरोपित किया गया। तथापि, निर्धारित अतिरिक्त कर पर एक प्रतिशत की दर से आरोप्य ब्याज आरोपित नहीं किया गया।	15.42	5.01
कुल				16.04	5.23

हमारे द्वारा मामलों को अगस्त 2014 और जनवरी 2015 के बीच बताये जाने पर हजारीबाग और सिंहभूम अंचलों के करनिर्धारण प्राधिकारियों ने कहा (जनवरी 2015) कि मामलों की समीक्षा की जाएगी, जबकि धनबाद नागरीय और कतरास अंचलों के करनिर्धारण प्राधिकारियों ने कहा कि इन मामलों में ब्याज आरोप्य नहीं था। उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि व्यवसायियों ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज/घोषणा प्रपत्रों को प्रस्तुत नहीं किया था और तदनुसार देय कर का भुगतान नहीं किया; इसलिए वे ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।

हमने दिसम्बर 2014 और अप्रैल 2015 के बीच विभाग को मामला प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति व्यक्त की और कहा कि इस मामले को झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 35 और 30 के प्रावधानों के संदर्भ में देखा जायेगा। मामले संबंधित वाणिज्यकर अंचलों को उचित कार्रवाई करने के लिये अग्रसारित किए गये हैं (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.13.2 में बताया गया था, सरकार/विभाग ने दो मामलों में ₹ 1.12 करोड़ के लिये माँग निर्गत किया और कहा (सितम्बर 2013) कि शेष मामलों में विषय सुनवाई के अन्तर्गत है।

2.6.2 हमने हजारीबाग वाणिज्यकर अंचल में निबंधित 5,077 व्यवसायियों में से 100 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच (दिसंबर 2014) की और देखा कि एक व्यवसायी ने 2010-11 की अवधि के लिए सकल आवर्त ₹ 2,515.62 करोड़ का विवरणी दाखिल किया था। करनिर्धारण प्राधिकारी ने अक्टूबर 2013 में करनिर्धारण संपन्न करते समय, क्रय/विक्रय आवर्त को नहीं दर्शाये जाने के कारण सकल आवर्त में ₹ 1,211.22 करोड़ की अतिरिक्त अभिवृद्धि करते हुये ₹ 3,726.84 करोड़ का सकल आवर्त निर्धारित किया और ₹ 48.45 करोड़ अतिरिक्त कर का आरोपण किया। तथापि, हमारी जाँच में पता चला कि झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 40 (2) के प्रावधानों के तहत निर्धारित अतिरिक्त कर पर ₹ 29.07 करोड़⁵¹ का ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया। इस प्रकार, क.नि.प्रा. द्वारा उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप ₹ 29.07 करोड़ के ब्याज का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा मामले को दिसंबर 2014 में बताये जाने पर, क.नि.प्रा. ने जनवरी 2015 में कहा कि व्यवसायी ने प्रपत्र 'सी' के आधार पर पूंजीगत सामान खरीदा था। उसकी बिक्री और उपभोक्ता से कर के संग्रह के साथ इसका कोई संबंध नहीं था। जबाव अनुकूल नहीं था, क्योंकि क.नि.प्रा. ने करनिर्धारण संपन्न करते समय लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं का व्यापार लेखाओं से तुलना के द्वारा राज्य के बाहर से खरीद के साथ कोयले की बिक्री में विसंगतियों का पता लगाया था और तदनुसार आवर्त में अतिरिक्त अभिवृद्धि करते हुए अतिरिक्त कर आरोपित किया था। व्यवसायी के अपीलीय न्यायालय में जाने पर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा भी उपरोक्त आधार पर अतिरिक्त कर के आरोपण की पुष्टि की गई। तथापि, ब्याज यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया।

हमने अप्रैल 2015 में विभाग को मामला प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति व्यक्त की और आश्वस्त किया

⁵¹ दो प्रतिशत की दर से ₹ 48.45 करोड़ पर 30 माह के लिए संगणित।

कि सुधारात्मक कार्रवाई किया जायगा (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.13.1 में बताया गया था, सरकार/विभाग ने दो मामलों में ₹ 45.26 लाख के लिये माँग निर्गत किया और कहा (सितम्बर 2013) कि चार मामलों में विषय सुनवाई के अन्तर्गत था।

2.7 केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के अनुपालन में अनियमितताएँ

के.बि.क. अधिनियम, 1956 के प्रावधानों और उसके अधीन जारी नियमों/अधिसूचनाओं के अंतर्गत करारोपण से छूट/रियायत का दावा करने हेतु विभिन्न घोषणा प्रपत्र निर्धारित हैं। तदंतर अधिनियम घोषणा प्रपत्रों के दुरुपयोग पर दंड के आरोपण की व्यवस्था करता है।

हमने यह पाया कि करनिर्धारण प्राधिकारियों ने अधिनियम के प्रावधानों एवं उसके अधीन जारी अधिसूचनाओं का अनुपालन नहीं किया। परिणामतः ₹ 4.63 करोड़ के दंड एवं कर का अल्पारोपण हुआ। ये मामले अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित हैं:

2.7.1 घोषणा प्रपत्रों का दुरुपयोग

2.7.1.1 अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त वस्तुओं की खरीद के लिए प्रपत्र 'सी' का दुरुपयोग

संवेदक सेवा देने के लिये और कार्य के पर्यवेक्षण के लिये निबंधित था। इस प्रकार वह सामान की आपूर्ति के लिये अधिकृत नहीं था। अतः प्रपत्र 'सी' पर संवेदक द्वारा वस्तुओं की खरीद और अन्य उद्देश्यों के लिए उसका उपयोग यथा संविदादाता को परवर्ती बिक्री करने के कारण प्रपत्र 'सी' का दुरुपयोग हुआ था।

हमने चिरकुंडा वाणिज्यकर अंचल में निबंधित 1970 व्यवसायियों में से 51 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की (नवंबर 2013) और देखा कि क.नि.प्रा. ने 2009-10 और 2010-11 अवधि के लिए के.बि.क. का करनिर्धारण संपन्न करते समय (दिसंबर 2011 और अप्रैल 2013 के बीच) संविदादाता को मार्गस्थ बिक्री के माध्यम से ₹ 39.29 करोड़ के सामानों की आपूर्ति पर कर से छूट की अनुमति दी। हमने संवेदक और संविदादाता के बीच निष्पादित अनुबन्ध और उद्देश्य पत्र से देखा कि संवेदक को सेवा और परिवहन, स्थल कार्य, स्थापना, परीक्षण और बॉयलर टर्बाइन जेनरेटर (बी.टी.जी.) को शुरू करने के पैकेज पर पर्यवेक्षण प्रदान करना था। इस प्रकार वह अन्य प्रयोजनों जैसे संविदादाता को आपूर्ति/बिक्री के लिए प्रपत्र 'सी' के उपयोग से वस्तुओं की खरीद के लिए अधिकृत नहीं था। क.नि.प्रा. द्वारा निष्पादित अनुबन्ध और उद्देश्य पत्र का सत्यापन नहीं किये जाने के कारण संवेदक द्वारा प्रपत्र 'सी' का दुरुपयोग हुआ था और फलस्वरूप के.बि.क. अधिनियम

की धारा 10 ए के तहत इस तरह की बिक्री पर कर और अर्थदंड ` 3.93 करोड़ का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को नवंबर 2013 में हमारे द्वारा बताये जाने पर क.नि.प्रा. ने दिसंबर 2013 में कहा कि व्यवसायी न तो इस अंचल में के.बि.क. अधिनियम के तहत निबंधित था और न ही इस अंचल से प्रपत्र 'सी' प्राप्त किया था; तथापि, मामले की समीक्षा की जाएगी।

2.7.1.2 अपूर्ण उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु वस्तुओं की खरीद में प्रपत्र 'सी' का दुरुपयोग

व्यवसायी ने अपूर्ण उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु प्रपत्र 'सी' का दुरुपयोग कर रियायती दर पर वस्तुओं का खरीद किया जो पुनः पूर्ण उत्पाद में प्रसंस्करण के लिये विनिर्माणकर्ता को स्थानांतरित किया गया था।

हमने वाणिज्यकर अंचल सिंहभूम में निबंधित 2,856 व्यवसायियों में से 86 व्यवसायियों के के.वि.क. के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की (जनवरी 2015) और देखा कि वर्ष 2010-11 के दौरान घोषणा प्रपत्र 'सी' का उपयोग कर एक व्यवसायी ने कर के रियायती दर पर ` 5.86 करोड़ का सामान खरीदा था जो अपूर्ण उत्पाद (सांद्र तांबा) के प्रसंस्करण में उपयोग के लिए था, जिसे बिक्री के लिए तैयार पूर्ण उत्पाद (तांबा) में पुनःप्रसंस्करण के लिये विनिर्माणकर्ता को स्थानांतरित किया गया।

के.बि.क. अधिनियम, की धारा 8(3) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत एक निबंधित व्यवसायी पुनर्बिक्री हेतु या बिक्री के लिये वस्तुओं के प्रसंस्करण या उत्पादन में उसके द्वारा उपयोग में लाये जाने हेतु घोषणा प्रपत्र 'सी' का उपयोग कर रियायती दर पर राज्य के बाहर से वस्तुओं की खरीद कर सकता है बशर्ते कि उक्त वस्तुएँ उसके निबंधन प्रमाणपत्र (नि.प्र.प.) द्वारा आच्छादित हो। पुनः बेनटेक रबर प्रा.लि. बनाम केरल राज्य (1997)106 एस.टी.सी. 591 के मामले में न्यायिक निर्णय हुआ है कि क्रेता को जॉब वर्क से प्राप्त सामानों की बिक्री अवश्य करनी चाहिए, यदि वह वस्तुओं को आगे उत्पादन हेतु प्रयोग में लाता है जॉब वर्क करने वाले व्यवसायी को घोषणा प्रपत्र 'सी' के विरुद्ध रियायती दर पर वस्तुओं की खरीद की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

इस प्रकार, जॉब वर्क करने वाले व्यवसायी द्वारा प्रपत्र 'सी' का उपयोग कर रियायती दर पर सामानों की खरीद न्यायिक निर्णय के प्रतिकूल था। यह इंगित करता है कि क.नि.प्रा. ने घोषणा प्रपत्र 'सी' जारी करने के पूर्व व्यवसायी के निबंधन प्रमाणपत्रों का जाँच नहीं किया कि निर्धारिती द्वारा जॉब वर्क के प्रयोजन के लिए रियायती दर पर सामानों की खरीद की गई थी। क.नि.प्रा. ने नवंबर 2013 में करनिर्धारण संपन्न करते समय अधिनियम की धारा 10 ए के तहत प्रपत्र 'सी' के दुरुपयोग पर अर्थदंड, जो आरोप्य कर के डेढ़ गुना से ज्यादा न हो, अधिरोपित नहीं किया। इसके

परिणामस्वरूप घोषणा प्रपत्र 'सी' का अनधिकृत उपयोग हुआ तथा अर्थदंड ` 35.17 लाख सहित कर ` 58.61 लाख के कर का आरोपण नहीं हुआ।

हमने (जुलाई 2014 और अप्रैल 2015 के बीच) विभाग को मामला प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन पर सहमति व्यक्त की और कहा कि सुधारात्मक कार्रवाई की जायगी। यह आश्वस्त किया कि मामले की जाँच की जायगी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.15.1 में बताया गया था, विभाग ने दो मामलों में ` 1.20 करोड़ के लिये माँग निर्गत किया और कहा (सितम्बर 2013) कि शेष मामलों में विषय सुनवाई के अन्तर्गत थे। तथापि, खामियों की प्रकृति/अनियमितताएँ अभी भी मौजूद हैं जो राज्य के राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाती है।

2.7.2 के.बि.क. के तहत कर की रियायती दर की गलत अनुमति

मार्गस्थ बिक्री और भंडार अंतरण के ` 1.58 करोड़ पर कर भुगतान के दावे से छूट की गलत अनुमति दी गयी यद्यपि सौदे घोषणा प्रपत्र 'सी' और प्रपत्र 'एफ' से समर्थित नहीं थे।

हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों⁵² में निबंधित 12,577 व्यवसायियों में से 211 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों (नवंबर 2013 और मार्च 2015 के बीच) की जाँच की और पाया कि वाणिज्यकर अंचलों, पलामू और सिंहभूम के बिजली के सामान, उपकरण और रसायनों का व्यापार करने वाले दो व्यवसायियों ने 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए मार्गस्थ बिक्री और भंडार अंतरण के ` 1.58 करोड़ पर कर भुगतान से छूट का दावा किया था।

करनिर्धारण प्राधिकारी (क.नि.प्रा.) करनिर्धारण संपन्न करते समय (मार्च 2013 और फरवरी 2014 के बीच) कर के भुगतान से छूट की अनुमति दी यद्यपि सौदे क्रमशः घोषणा प्रपत्र 'सी' और 'एफ' से समर्थित नहीं थे। मार्गस्थ बिक्री पर करारोपण से छूट के दावे की अनुमति है, यदि ऐसी परावर्ती बिक्री उसी संचलन के दौरान हो जो पूर्ववर्ती बिक्री के कारण हुआ हो, बशर्ते के.बि.क. (झारखण्ड), नियमावली, 2006 के नियम 9 के अनुसार प्रपत्र 'सी' एवं प्रपत्र 'ई I' में घोषणाएँ प्रस्तुत की गयी हो। के.बि.क. अधिनियम की धारा 6 (ए) के प्रावधान के तहत करारोपण से छूट के लिए प्रपत्र 'एफ' में घोषणा प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

⁵² चिरकुंडा, पलामू और सिंहभूम।

तदंतर, हमने चिरकुंडा वाणिज्यकर अंचल में देखा (नवंबर 2013) कि क.नि.प्रा. ने एक व्यवसायी के मामले में 2010-11 की अवधि के लिए करनिर्धारण संपन्न करते समय (अप्रैल 2013) मार्गस्थ विक्रय आवर्त से उत्पादन शुल्क की राशि ₹ 31.05 लाख घटाते हुए झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 2 (xLviii) के प्रावधान, जिसमें यह विहित है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन वस्तुओं पर आरोप्य या आरोपित शुल्क या फ़ीस या प्रभारित कोई भी राशि विक्रय मूल्य में शामिल होता है, के प्रतिकूल कर से छूट की गलत अनुमति दी गयी तथा क.नि.प्रा. द्वारा परिणामी ₹ 11.10 लाख के कर का अनारोपण हुआ।

हमने मामला जुलाई 2014 और अप्रैल 2015 के बीच विभाग को प्रतिवेदित किया। वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), धनबाद ने (अगस्त 2015) सूचित किया कि चिरकुंडा अंचल से संबंधित एक मामले में पूरी राशि ₹ 1.24 लाख की वसूली की गई है। तदंतर, बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकनों पर सहमति व्यक्त की और सुधारात्मक कार्रवाई करने हेतु आश्वस्त किया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.15.2 में बताया गया था, विभाग ने दो मामलों में ₹ 34.38 लाख के लिये माँग निर्गत किया और कहा (सितम्बर 2013) कि शेष मामले में विषय सुनवाई के अन्तर्गत थे। तथापि, खामियों की प्रकृति/अनियमितताएँ अभी भी मौजूद हैं जो राज्य के राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाती हैं।

2.8 इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के स्वीकृति में अनियमितताएँ

वस्तुओं के अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण और पूँजीगत वस्तुओं की खरीद पर आई.टी.सी. की गणना के लिए लागू नियमों का गलत प्रयोग के कारण, क.नि.प्रा. द्वारा स्वीकार्य योग्य आई.टी.सी. ₹ 4.76 करोड़ आई.टी.सी. के विरुद्ध ₹ 5.28 करोड़ की स्वीकृति दी गई।

हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों⁵³ में (नवंबर 2013 और मार्च 2015 के बीच) 15,801 व्यवसायियों में से 301 व्यवसायियों के वर्ष 2008-09 से 2010-11 की अवधि के लिए करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और पाया कि चार व्यवसायियों ने भुगतान किए गये कर से ₹ 5.28 करोड़ की आई.टी.सी. समायोजित किया जिसमें तैयार उत्पादों के भंडार अंतरण, पूँजीगत वस्तुओं की खरीद और खरीदे गए सामान की वापसी का दावा भी शामिल था।

क.नि.प्रा. ने (फरवरी 2011 और मार्च 2014 के बीच) करनिर्धारण संपन्न करते समय तैयार वस्तुओं के भंडार अंतरण, पूँजीगत वस्तुओं की खरीद और खरीदे गए

⁵³ झरिया, पलामू एवं राँची विशेष।

सामान की वापसी पर झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 18, झा.मू.व.क. नियमावली के नियम 26 (15) और 27 के प्रावधानों के अंतर्गत आई.टी.सी. की अस्वीकृति को ध्यान में रखे बिना पूर्ण आई.टी.सी. ₹ 5.28 करोड़ की अनुमति प्रदान की। परिणामस्वरूप ₹ 52.49 लाख अतिरिक्त आई.टी.सी. की स्वीकृति दी गयी, साथ ही वास्तविक देय कर का भुगतान न करने के कारण ₹ 2.04 लाख का ब्याज भी आरोप्य था जो तालिका 2.8 में उल्लिखित है:

तालिका 2.8

(लाख में)

क्रम सं.	अंचल का नाम व्यवसायी का संख्या	अवधि कर निर्धारण का माह	आपत्तियों की प्रकृति	अतिरिक्त स्वीकृत आई.टी.सी. आरोप्य ब्याज
1	राँची विशेष दो	2009-10 2010-11 मार्च 2013, मार्च 2014	व्यवसायी को राज्यान्तर्गत खरीद पर ₹ 3.46 करोड़ की आई.टी.सी. की अनुमति दी गयी थी। अंतर्राज्यीय भंडार अंतरण का आनुपातिक और पूँजीगत वस्तुओं पर अस्वीकार्य आई.टी.सी. को घटाने के बाद वास्तविक स्वीकार्य आई.टी.सी. ₹ 3.41 करोड़ की गणना की गई।	4.65 1.67
2	पलामू एक	2009-10 मार्च 2012	राज्यान्तर्गत सामानों के खरीद पर प्राप्त डिस्काउंट ₹ 12.17 लाख का आई.टी.सी. ₹ 1.53 लाख को प्रतिवर्तित किए बिना व्यवसायी को ₹ 24.83 लाख की आई.टी.सी. की अनुमति दी गयी थी।	1.53 0.37
3	झरिया एक	2008-09 फरवरी 2011	व्यवसायी ने वार्षिक विवरणी में ₹ 1.11 करोड़ रुपये की आई.टी.सी. का दावा किया था। क.नि.प्रा. कर निर्धारण संपन्न करते समय गलती से ₹ 1.58 करोड़ की आई.टी.सी. की स्वीकृति दी, परिणामस्वरूप ₹ 46.31 लाख अधिक आई.टी.सी. की स्वीकृति दी गई।	46.31 0.00
कुल				52.49 2.04

हमने मामले विभाग को सितंबर 2014 और अप्रैल 2015 के बीच प्रतिवेदित किया। वा.क.उ. राँची विशेष अंचल ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि एक मामले में ₹ 2.28 लाख का माँग सृजित किया गया था। इसके अलावा, हमारे द्वारा बताये जाने के बाद बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका 2.7 में सट्टा मुद्दा उठाया गया था। विभाग ने एक मामले में ₹ 75.89 लाख का माँग सृजित किया (सितंबर 2013)। शेष 10 मामलों में, क.नि.प्रा. ने बताया

(फरवरी 2013 और फरवरी 2014 के बीच) कि मामले की समीक्षा की जाएगी। तथापि, कमियां/अनियमितताएं फिर भी मौजूद हैं जो कि राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के कमजोर आंतरिक नियंत्रण को इंगित करता है।

2.9 झा.मू.व.क. अधिनियम के तहत कर के गलत दर का अनुप्रयोग

रिट्रेडेड टायर, प्लेटिनम, डीजल इंजन एवं उसके स्पेयर पार्ट्स और क.नि.प्रा. द्वारा कार्य संवेदकों के अस्वीकृत मजदूरी सदृश आवर्त पर मू.व.क. के गलत दर के अनुप्रयोग के कारण ₹ 1.91 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ।

हमने चार वाणिज्यकर अंचलों⁵⁴ में (जुलाई 2013 और दिसंबर 2014 के बीच) निबंधित 13,169 व्यवसायियों में से 344 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और यह पाया कि रिट्रेडेड टायर, प्लेटिनम, डीजल इंजन एवं उसके स्पेयर पार्ट्स का व्यापार करने वाले और कार्य संविदा का काम कर रहे 15 व्यवसायियों ने 2008-09 और 2011-12 के बीच की अवधि के लिए आरोप्य कर की दर 12.5 और मई 2011 से 14 प्रतिशत के बदले एक, चार और पाँच प्रतिशत की दर से कर स्वीकार करते हुये अपनी विवरणियाँ दाखिल की।

करनिर्धारण प्राधिकारी ने मार्च 2011 और फरवरी 2014 के बीच इन व्यवसायियों के करनिर्धारण संपन्न करते समय विवरणियों/अभिलेखों में उल्लिखित आँकड़ों की जाँच झा.मू.व.क. अधिनियम की धारा 9 और 13 और करारोपण के लिए उसके अन्तर्गत संलग्न अनुसूची एवं झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) में वर्णित संवेदकों के अस्वीकृत मजदूरी और मजदूरी सदृश आवर्त पर कर के आरोपण के प्रावधानों के संदर्भ में विचार नहीं किया। इस प्रकार अधिनियम के प्रावधानों के गलत प्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 1.91 करोड़ के कर का कम आरोपण हुआ (परिशिष्ट-XIV)।

हमने मामले को (जुलाई 2014 और अप्रैल 2015 के बीच) विभाग को प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की और कहा कि संबंधित वाणिज्य कर अंचलों को अनुपालन/कृत कार्रवाई पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामला 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.12 में बताया गया था, विभाग ने तीन मामलों में ₹ 88.69 लाख के लिये माँग निर्गत किया और कहा (सितम्बर 2013) कि एक मामले में विषय सुनवाई के अधीन था। तथापि, खामियों की प्रकृति/अनियमितताएँ अभी भी मौजूद हैं जो राज्य के राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाती हैं।

⁵⁴ धनबाद नागरीय, गोड्डा, हजारीबाग, और कतरास।

2.10 झा.मू.व.क. अधिनियम के अन्तर्गत छूट की गलत अनुमति

व्यवसायियों को बोनस, प्रोत्साहन, व्यापारिक छूट एवं रिबेट पर ` 7.80 लाख के कर से छूट की गलत अनुमति दी गई।

हमने वाणिज्यकर अंचलों, धनबाद नागरीय और राँची विशेष में निबंधित 9,792 व्यवसायियों में से 249 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की (अगस्त 2014 और मार्च 2015 के बीच) और पाया कि तीन व्यवसायियों ने 2010-11 के दौरान बिक्री पर ` 1.01 करोड़ का बोनस, प्रोत्साहन, व्यापारिक छूट और रिबेट दिया था जो झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 9 (5) (अप्रैल 2010 से प्रभावी) के प्रावधानों के अनुसार करयोग्य था। करनिर्धारण प्राधिकारी (फरवरी और दिसंबर 2013 के बीच) करनिर्धारण संपन्न करते समय मात्र ` 19.69 लाख पर कर आरोपित किया और ` 80.99 लाख के आवर्त पर कर के आरोपण से छूट की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप गलत छूट की स्वीकृति दी गई और फलस्वरूप ` 7.80 लाख के कर का अवनिर्धारण हुआ।

हमने मामले विभाग/सरकार को जनवरी और अप्रैल 2015 के बीच प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.11 कर की गणना में त्रुटियाँ

करनिर्धारण प्राधिकारी ने करनिर्धारण संपन्न करते समय, भूलवश ` 5.96 करोड़ की सही राशि के बजाय ` 5.33 करोड़ पर कर का आरोपण किया।

हमने तीन वाणिज्य कर अंचलों⁵⁵ में निबंधित 9,448 व्यवसायियों में से 324 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की (जुलाई 2014 और जनवरी 2015 के बीच) और पाया कि तीन व्यवसायियों के मामले में करनिर्धारण प्राधिकारी ने 2010-11 की अवधि के लिए मार्च 2014 में करनिर्धारण संपन्न करते समय गलती से ` 5.96 करोड़ की सही राशि के बजाय ` 5.33 करोड़ पर कर का आरोपण किया था। करनिर्धारण प्राधिकारी को के.बि.क./झा.मू.व.क. अधिनियम के प्रावधानों के तहत अत्यंत सावधानी और दक्षता के साथ करनिर्धारण संपन्न करना है। उन्हें यह देखना चाहिए कि कर की गणना उनके सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार शुद्धतापूर्वक की गई है। इस प्रकार, करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा कर की गणना में गलती के परिणामस्वरूप ` 62.37 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

⁵⁵ धनबाद नगरीय, झरिया एवं सिंहभूम।

हमने मामले विभाग/सरकार को जनवरी और अप्रैल 2015 के बीच प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखा परीक्षा टिप्पणियों पर सहमति व्यक्त की और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामला 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका संख्या 2.11 में बताया गया था। विभाग ने हमारी आपत्ति को स्वीकार किया और एक मामले में करनिर्धारण आदेश संशोधित किया और ₹ 3.71 लाख का अतिरिक्त माँग सृजित किया (मई 2014)। तथापि, खामियों की प्रकृति/अनियमितताएँ अभी भी मौजूद हैं जो राज्य के राजस्व के सतत रिसाव को रोकने में विभाग के कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाती हैं।

2.12 अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जाना

निर्धारित प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में वैट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के लिए ₹ 55.72 लाख अर्थदंड का आरोपण नहीं किया गया था।

हमने वाणिज्यकर अंचलों गोड़डा और कोडरमा में निबंधित 4,564 व्यवसायियों में से 95 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की (अक्टूबर और नवंबर 2014 के बीच) और पाया कि दो व्यवसायियों ने अवधि 2009-10 से 2011-12 की अवधि के लिए सकल आवर्त ₹ 40 लाख से अधिक होने के बावजूद, प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में वैट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया।

हमारी जाँच से पता चला कि क.नि.प्रा. ने मार्च 2013 और मार्च 2014 के बीच करनिर्धारण संपन्न करते समय झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 63(3) के प्रावधानों के अनुसार वैट ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के लिए निर्धारित सकल आवर्त ₹ 557.19 करोड़ पर अर्थदंड ₹ 55.72 लाख का आरोपण नहीं किया, जिसमें विहित है कि यदि कोई व्यवसायी जिसका सकल आवर्त किसी विशेष वर्ष में ₹ 40 लाख से अधिक है तो उसे प्रपत्र झा.मू.व.क.-409 में ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करना आवश्यक है, इसमें विफल होने पर क.नि.प्रा. द्वारा निर्धारित आवर्त पर 0.1 प्रतिशत के बराबर अर्थदंड आरोपित करेगा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 55.72 लाख अर्थदंड का आरोपण नहीं हुआ।

हमने मामले विभाग/सरकार को अप्रैल और मई 2015 के बीच प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सामान्य रूप से सहमति व्यक्त की और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

2.13 स्रोत पर कर की कटौती (टी.डी.एस.) नहीं किया जाना

एक संवेदक ने एक उप-उपसंवेदक को किराया प्रभार के मद में ₹ 1.57 करोड़ का भुगतान किया था लेकिन स्रोत पर कर की कटौती इस आधार पर नहीं की गई कि उप-संवेदक को उक्त अंचल से छूट का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था, लेकिन व्यवसायी अंचल में निबंधित नहीं था।

हमने वाणिज्यकर अंचल, चिरकुंडा में निबंधित 1,970 व्यवसायियों में से 51 व्यवसायियों के करनिर्धारण अभिलेखों की जाँच की (दिसंबर 2013) और पाया कि एक संवेदक ने एक उप-संवेदक को ₹ 1.57 करोड़ किराया प्रभार का भुगतान किया लेकिन इस आधार पर स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई कि उप-संवेदक को इस अंचल से छूट का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। आगे जाँच से पता चला कि व्यवसायी इस अंचल में निबंधित नहीं था। झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 45(1) के अंतर्गत मार्च 2006 में जारी अधिसूचना एस.ओ. 209 के प्रावधानों के अनुसार किराया मद प्रभार में भुगतान करने के उत्तरदायी व्यक्ति को भुगतान करते समय चार प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर की कटौती करना था। करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा छूट प्रमाण पत्र का अंचल के अभिलेखों के साथ तिर्यक-जाँच करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप ₹ 6.29 लाख स्रोत पर कर की कटौती नहीं हुई, इसके अलावा, अधिनियम की धारा 45(5) के अंतर्गत व्यवसायी ₹ 12.58 लाख के अर्थदंड भी अदा करने के उत्तरदायी थे।

हमने मामले विभाग/सरकार को जुलाई 2014 में प्रतिवेदित किया। बहिर्गमन सम्मेलन में विभाग/सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर सामान्य रूप से सहमति व्यक्त की और आश्वस्त किया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

अध्याय - III

राज्य उत्पाद

अध्याय-III: राज्य उत्पाद

3.1 कर प्रशासन

उत्पाद शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमावलियों/निर्गत अधिसूचनाओं, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, से शासित होता है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव राज्य उत्पाद नियमों के प्रशासन के लिए सरकार के स्तर पर उत्तरदायी होते हैं। आयुक्त उत्पाद (आ.उ.) विभाग के प्रमुख होते हैं। वे राज्य सरकार की उत्पाद नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रशासन एवं कार्यान्वयन के लिए मुख्य तौर पर जिम्मेवार होते हैं। मुख्यालय में एक उपायुक्त उत्पाद एवं सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा उनको सहयोग किया जाता है।

झारखण्ड राज्य तीन उत्पाद प्रमण्डलों¹ में, प्रत्येक उपायुक्त उत्पाद के नियंत्रणाधीन, विभक्त हैं। प्रमण्डलों को पुनः 19 उत्पाद जिलों² में, प्रत्येक जिला एक सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद (स.आ.उ./अ.उ.) के प्रभार के अधीन, विभक्त किया गया है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2014-15 के दौरान राज्य उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने ₹ 740.16 करोड़ का संग्रहण किया। राज्य उत्पाद से संबंधित 24 इकाइयों में से ₹ 291.22 करोड़ राजस्व संग्रहण वाले, 19 इकाइयों की हमने नमूना जाँच की और 2,500 मामलों में सन्निहित ₹ 59.55 करोड़ उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क इत्यादि का नहीं/अल्पारोपण के अनियमितताओं का पता चला, जैसा कि विवरण तालिका-3.2 में उल्लिखित है।

तालिका-3.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
1	खुदरा उत्पाद दुकानों की अबंदोबस्ती/बिलंब से बंदोबस्ती	53	22.58
2	बिना शुल्क/घटे अनुज्ञा शुल्क पर शराब का उठाव	1242	22.78
3	खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब के कम उठाव के कारण राजस्व हानि	673	4.77
4.	अन्य मामले	532	9.42
	कुल	2,500	59.55

¹ उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची तथा संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका।

² बोकारो, चाईबासा, धनबाद, देवघर, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला-सह-सिमडेगा, हजारीबाग-सह-रामगढ़-सह-चतरा, जमशेदपुर, जामताड़ा, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू-सह-लातेहार, राँची, साहिबगंज तथा सरायकेला-खरसावाँ।

वर्ष 2014-15 के दौरान विभाग ने हमारे द्वारा इंगित 1,050 मामलों में ₹ 29.65 करोड़ का अनुज्ञा शुल्क, शुल्क का नहीं/अल्प उद्ग्रहण, राजस्व की हानि एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभाग ने 297 मामलों में ₹ 1.80 करोड़ वसूल किया।

इस अध्याय में हम 27.30 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के दृष्टान्तस्वरूप कुछ मामले प्रस्तुत करते हैं। अनुवर्ती कंडिकाओं में इनकी चर्चा की गयी है।

3.3 अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं होना

बिहार उत्पाद अधिनियम 1915 (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) तथा संकल्प संख्या 367 दिनांक 20 फरवरी 2009, गजट अधिसूचना संख्या 150 दिनांक 27 मार्च 2009, एवं उसके अंतर्गत निर्गत पत्र संख्या 191 दिनांक 31 मार्च 2013 में प्रावधान हैं :

- i) खुदरा उत्पाद दुकानों की शत-प्रतिशत बंदोबस्ती ;
- ii) खुदरा उत्पाद दुकानों द्वारा न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू.प्र.मा.) का उठाव, एवं
- iii) न्यू.प्र.मा. से अधिक उठाव पर अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क का उद्ग्रहण।

अधिनियम/नियमावली के कुछ प्रावधानों के अनुपालन नहीं किये जाने के कारण होने वाले राजस्व की हानि/अनुद्ग्रहण का उल्लेख अनुवर्ती कंडिकाएँ 3.4 से 3.7 में किया गया है।

3.4 खुदरा उत्पाद दुकानों की अबंदोबस्ती

जिला उत्पाद प्राधिकारियों के सतत् परिश्रम के अभाव के कारण उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क के रूप में सरकार को ` 22.27 करोड़ के उत्पाद राजस्व से वंचित होना पड़ा।

हमने (अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2015 के बीच) देखा कि चार उत्पाद जिलों³ में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं अनुज्ञाशुल्क, अग्रिम अनुज्ञाशुल्क और प्रतिभूति राशि दर्शाते हुए खुदरा उत्पाद दुकानों की एक सूची जिला स्तर पर तैयार की गई और इन सभी तथ्यों के साथ बिक्री अधिसूचनाएँ प्रकाशित की गईं। वर्ष 2013-14 के लिए 525 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्रक्रिया मार्च 2013 के दौरान संचालित की गई। तथापि 51 खुदरा दुकानें⁴ समय-समय पर बिक्री अधिसूचनाओं के प्रकाशन के बावजूद अबंदोबस्त रहीं। तदंतर, दिनांक 31 मार्च 2013 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सभी सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद दुकानों की संभाव्यता एवं न्यू.प्र.मा. को तर्कसंगत बनाकर खुदरा उत्पाद दुकानों की शतप्रतिशत बंदोबस्ती के लिए उत्तरदायी बनाये गये। जिला उत्पाद प्राधिकारियों ने अबंदोबस्त दुकानों के बंदोबस्ती के संबंध में इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया, जिसके फलस्वरूप सरकार को उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञाशुल्क के रूप में ` 22.27 करोड़ की राशि के उत्पाद राजस्व से वंचित होना पड़ा जैसा कि तालिका 3.4 में वर्णित है-

³ बोकारो, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) धनबाद एवं हजारीबाग-सह-चतरा-रामगढ़।

⁴ अबंदोबस्त/प्रस्तावित दुकानों की संख्या: बोकारो (9/98), धनबाद (6/189), जमशेदपुर (31/195) और रामगढ़ (5/43)।

तालिका - 3.4

(लाख में)

क्रम सं.	जिले का नाम	न्यू.प्र.मा. (एल.पी.एल./बी.एल.में)				अनुज्ञा शुल्क	उत्पाद शुल्क	कुल (अ.शु.+उ. शुल्क)
		दे.श.	म.दे.श.	भा.नि.वि.श.	बीयर			
1	जमशेदपुर	5,86,481	82,800	2,81,962	3,43,178	883.85	217.18	1,101.03
2	रामगढ़	94,452	12,605	77,805	88,800	203.01	54.21	257.21
3	बोकारो	5,43,036	0	85,596	1,07,472	437.43	86.13	523.56
4	धनबाद	15,648	2,280	1,27,956	1,87,680	261.04	83.82	344.86
कुल		12,39,617	97,685	5,73,319	7,27,130	1785.33	441.34	2,226.67

दे.श.- देशी शराब, म.दे.श.-मसालेदार देशी शराब, भा.नि.वि.श.- भारत निर्मित विदेशी शराब, एल.पी.एल.- लंदन पूफ लीटर, बी.एल.-बल्क लीटर।

हमारे द्वारा अक्टूबर 2014 एवं फरवरी 2015 के बीच मामलों को इंगित करने के बाद सहायक आयुक्त उत्पाद, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) तथा धनबाद ने बताया कि दिलचस्पी लेने वाले आवेदकों की अनुपलब्धता के कारण, दुकानें अबंदोबस्त रहीं, जबकि बिक्री अधिसूचना लगातार जारी की गयी थी, जबकि सहायक आयुक्त उत्पाद बोकारो तथा हजारीबाग-सह-चतरा-सह-रामगढ़ ने बताया कि आयुक्त उत्पाद द्वारा न्यू.प्र.मा. के अधिक निर्धारण के कारण दुकानें अबंदोबस्त रहीं।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, विभाग ने सितम्बर 2015 में बताया कि दिलचस्पी लेनेवाले आवेदकों की अनुपलब्धता के कारण घटे हुए अनुज्ञाशुल्क शुल्क पर दुकानों की बंदोबस्ती का प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार, अधिकारियों के प्रयास में कमी के कारण 51 दुकानें अबंदोबस्त रही और परिणामी राजस्व की हानि हुई।

3.5 खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव

खुदरा विक्रेताओं से शराब के कम उठाव के लिए उत्पाद शुल्क अथवा उत्पाद शुल्क की हानि के समतुल्य वित्तीय दण्ड ` 4.67 करोड़ यद्यपि वसूलनीय था, आरोपित नहीं किया गया।

हमने (अक्टूबर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) सात उत्पाद जिलों⁵ में शराब की खपत विवरणी एवं संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं पाया कि वर्ष 2013-14 में 871 खुदरा दुकानों में से 542 विक्रेताओं को जिलों के थोक विक्रेता अनुज्ञाधारियों से दे.श./म.दे.श./भा.नि.वि.श./बीयर के 224.71 लाख एल.पी.एल./बी.एल. का उठाव करना अपेक्षित था, परन्तु वर्ष के दौरान दे.श./म.दे.श./भा.नि.वि.श./बीयर का केवल 179.78 एल.पी.एल./बी.एल. का उठाव किया गया, परिणास्वरूप 44.93 लाख एल.पी.एल./बी.एल. शराब का कम उठाव हुआ। बिहार उत्पाद अधिनियम

⁵ बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), गढ़वा, हजारीबाग-सह-चतरा-सह रामगढ़, पलामू सह-लातेहार, राँची-सह-खूँटी।

के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नीतियों के अधीन खुदरा उत्पाद दुकान के प्रत्येक विक्रेता को अगले माह के लिए देशी शराब के साप्ताहिक आवश्यकता को पूर्ववर्ती माह के अंतिम सप्ताह तक देशी शराब की थोक आपूर्ति के लिए अनन्य विशेषाधिकार के ठेकेदार को समर्पित करना है और विभाग द्वारा प्रत्येक दुकान के लिए हरेक प्रकार के शराब की निर्धारित न्यू.प्र.मा. का उठाव करने के लिए बाध्य है, जिसमें विफल होने पर उत्पाद शुल्क या उत्पाद शुल्क के रूप में हुई हानि के समतुल्य आर्थिक दण्ड खुदरा विक्रेताओं से वसूलनीय होगा। विभाग ने कम उठाव के लिए उत्पाद शुल्क का आरोपण नहीं किया, जिसके फलस्वरूप ₹ 4.67 करोड़ उत्पाद शुल्क का आरोपण नहीं हुआ।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, सितम्बर 2015 में विभाग ने बताया कि ₹ 1.75 करोड़ की राशि बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा एवं राँची के संबंधित अनुज्ञाधारियों के सुरक्षित जमा से समायोजित कर लिया गया है, जबकि शेष राशि का समायोजन प्रक्रियान्तर्गत है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

3.6 स्थापना लागत की वसूली नहीं होना

आसवनी/भा.नि.वि.श. बॉटलिंग प्लांट में प्रतिनियुक्त उत्पाद कर्मचारियों की स्थापना लागत नहीं वसूला गया।

हमने (अक्टूबर और नवम्बर 2014 के बीच) बोकारो एवं धनबाद जिलों में आसवनी⁶/भारत निर्मित विदेशी शराब बॉटलिंग प्लांट⁷ के उत्पाद अभिलेखों के साथ उत्पाद अधिकारियों के प्रतिनियुक्त संचिका एवं वेतन नामावली की नमूना जाँच की तथा पाया कि वर्ष 2013-14 के दौरान पाँच उत्पाद पदाधिकारी प्लांट में प्रतिनियुक्त थे और उन्हें वेतन और भत्ते के रूप में ₹ 20.16 लाख की राशि का भुगतान किया गया। बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 90 एवं इसके अंतर्गत बने नियमों के साथ पठित कंडिका 9, 10 एवं 36 ए के प्रावधान के अनुसार आसवनी/भा.नि.वि.श. बॉटलिंग प्लांट के अनुज्ञाधारी प्रतिनियुक्त उत्पाद अधिकारियों जिनके पर्यवेक्षण में सुषव/पीने योग्य शराब का निर्माण प्रक्रिया का संचालन होता है, के सभी प्रकार के स्थापना लागत वहन करने के लिए बाध्य है। भा.नि.वि.श. बॉटलिंग प्लांट में पूर्ण कालिक या अंशकालिक आधार पर उत्पाद कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त करने के लिए आ.उ. को अधिकार प्राप्त है। तदंतर, अनुज्ञाधारियों को पूर्ण कालिक मामले में प्रत्येक महीने की 7वीं तिथि तक ऐसी राशि का अग्रिम में भुगतान करना है या अल्पकालिक प्रतिनियुक्ति की स्थिति में प्रत्येक महीने के अन्त में इस तरह प्रतिनियुक्त अधिकारियों की स्थापना लागत यद्यपि संबंधित अनुज्ञाधारियों से वसूलनीय थे, नहीं वसूला गया। इसके फलस्वरूप, ₹ 20.16 लाख स्थापना लागत नहीं वसूला गया।

⁶ मेसर्स अंकुर बायोकेम प्रा.लि., धनबाद।

⁷ मेसर्स ओम बोटल्स एण्ड ब्लेण्डर्स प्रा.लि. बोकारो।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, विभाग ने (सितम्बर 2015) बताया कि बोकारो जिले में 3.30 लाख की वसूली कर ली गई है जबकि धनबाद उत्पाद जिला में वसूली हेतु माँग की गई एवं अनुज्ञाधारी ने माननीय उच्च न्यायालय में अर्जी याचिका दायर किया था।

3.7 अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क की वसूली नहीं होना

थैलियों में देश. की निर्धारित न्यू.प्र.मा. से अधिक थोक आपूर्ति के लिए अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क 16.32 लाख की वसूली नहीं की गयी।

हमने (मार्च 2015) आयुक्त उत्पाद, झारखण्ड के कार्यालय में देश. के थोक आपूर्ति हेतु अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने से संबंधित उत्पाद अभिलेखों की नमूना जाँच की एवं पाया कि हजारीबाग क्षेत्र में देशी शराब के थोक आपूर्ति हेतु जुलाई 2012 से मार्च 2014 अवधि के लिए वार्षिक नवीकरण आधार पर एक संवेदक को अनन्य विशेषाधिकार प्रदान किया गया। तदंतर, खपत विवरणी के जाँच से ज्ञात हुआ कि संवेदक द्वारा 22.40 लाख एल.पी.एल. देशी शराब का आपूर्ति किया गया, इस तरह, वर्ष 2013-14 के दौरान 4.08 लाख एल.पी.एल. शराब का अधिक आपूर्ति हुआ। बिहार उत्पाद अधिनियम की धारा 22-डी के साथ पठित देशी शराब के थोक आपूर्ति हेतु निविदा अधिसूचना के अनुसार सरकार किसी भी व्यक्ति/व्यक्तियों को देशी शराब की आपूर्ति हेतु झारखण्ड स्टेट बेभरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (जे.एस.बी.सी.एल.) के माध्यम से क्षेत्र में थोक बिक्री के आधार पर नियत दर से अग्रिम अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर, यथा, संवेदक एवं जे.एस.बी.सी.एल. द्वारा निर्धारित न्यू.प्र.मा. पर दो रुपये प्रति एल.पी.एल. की दर से, अनन्य विशेषाधिकार, किसी भी अवधि तथा शर्त, जो आवश्यक हो, प्रदान कर सकती है। तदंतर, वर्ष के दौरान निर्धारित न्यू.प्र.मा. से अधिक शराब की आपूर्ति होने पर चार रुपये प्रति एल.पी.एल. की दर से अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क वसूलनीय है। इस तरह उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार 16.32 लाख अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क वसूलनीय था, परन्तु आ.उ. द्वारा नहीं वसूला गया। इसके परिणामस्वरूप 16.32 लाख के अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क का अनुदग्रहण हुआ।

हमारे द्वारा मार्च 2015 में मामले को इंगित करने के पश्चात आ.उ. ने बताया कि अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क अगर कोषागार में जमा नहीं हुआ है तो वसूली हेतु सभी उचित कदम उठाये जायेंगे। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को सूचित किया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

अध्याय - IV
वाहनों पर कर

अध्याय-IV: वाहनों पर कर

4.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर वाहन कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 उसके अंतर्गत निर्मित नियमावलियों (झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) नियमावली, 2001), मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम, 1988 एवं बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के द्वारा शासित होता है।

शीर्ष स्तर पर, परिवहन आयुक्त (प.आ.), झारखण्ड परिवहन विभाग में अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्यालय में एक संयुक्त परिवहन आयुक्त (सं.प.आ.) द्वारा उनकी सहायता की जाती है। राज्य को चार क्षेत्रों¹ एवं 24 परिवहन जिलों² में बाँटा गया है, जो राज्य परिवहन प्राधिकारी (रा.प.प्रा.), क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों (क्षे.प.प्रा.) तथा जिला परिवहन पदाधिकारियों (जि.प.प.) से नियंत्रित होते हैं। उनकी सहायता मोटर वाहन निरीक्षकों, प्रवर्तन स्कंध और नौ चेक पोस्ट³ द्वारा की जाती है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2014-15 के दौरान 'वाहनों पर कर' से संबंधित कुल 27 इकाइयों में से 421.48 करोड़ राजस्व संग्रहण वाले 17 इकाइयों के अभिलेखों के नमूना जाँच से 2,737 मामलों में 53.16 करोड़ राशि के कर का अनारोपण/अल्पारोपण, बैठान क्षमता/निबंधित लदान भार के गलत निर्धारण के कारण करों का कम आरोपण, ट्रेलरों से कर का उद्ग्रहण नहीं होना आदि उद्घटित हुआ जैसा कि तालिका-4.2 में वर्णित है।

तालिका-4.2

(करोड़ में)			
क्र.सं.	वर्गीकरण	मामलों की संख्या	राशि
1	'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली के साथ प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर बल' एक निष्पादन लेखापरीक्षा	1	38.91
2	करों का अनारोपण/अल्पारोपण	648	3.94
3	ट्रेलरों से कर का उद्ग्रहण नहीं होना	1410	2.30
4	अन्य मामले	678	8.01
कुल		2,737	53.16

¹ दुमका, हजारीबाग, पलामू एवं राँची।

² बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूँटी (मार्च 2015 में अधिसूचित), कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, रामगढ़ (अप्रैल 2015 में अधिसूचित), राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावाँ, एवं सिमडेगा।

³ बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम), बाँसजोर (सिमडेगा), चास मोड़ (बोकारो), चौपारण (हजारीबाग), चिरकुंडा (धनबाद), धुलियान (पाकुड़), माँझाटोली (गुमला), मेघातरी (कोडरमा), एवं मुरीसेमर (गढ़वा)।

वर्ष के दौरान, विभाग ने 2,737 मामलों में ₹ 53.16 करोड़ की संपूर्ण राशि के मोटर वाहन कर, शुल्क, अर्थदण्ड, इत्यादि के अनारोपण/अल्पारोपण को स्वीकार किया और 20 मामलों में ₹ 1.37 करोड़ की वसूली की, जो लेखापरीक्षा द्वारा 2014-15 में इंगित किये गये।

इस अध्याय में हम ₹ 45.74 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 'परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली के साथ प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर बल' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित कुछ मामले दृष्टांतस्वरूप प्रस्तुत करते हैं। विभाग ने ₹ 45.74 करोड़ सन्निहित वित्तीय मामले की सभी लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया। इनकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

4.3 “परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली के साथ प्रदूषण मानकों के अनुपालन पर बल”

विशिष्टताएँ

नीलामपत्रवाद मामलों का निष्पादन अत्यंत अपर्याप्त था क्योंकि विभाग वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 23,561 मामलों के विरुद्ध 669 नीलामपत्रवाद मामलों का ही निष्पादन कर सका, जिसमें 20,214 मामले 2009-10 के पूर्व के थे।

(कंडिका 4.3.9)

चयनित कार्यालयों में 10,653 वैयक्तिक वाहनों में से 1,172 वैयक्तिक वाहनों के मामले में जिनकी कर वैधता जुलाई 2005 एवं नवम्बर 2014 के बीच समाप्त हो गयी थी, के मामले में ₹ 2.92 करोड़ का एकमुश्त कर का आरोपण नहीं किया गया, क्योंकि सॉफ्टवेयर में प्रमादियों को माँग पत्र स्वतः सृजित करने का प्रावधान नहीं था।

(कंडिका 4.3.10.1)

झा.मो.वा.क. (संशोधन) अधिनियम, 2011 के लागू होने के चार वर्ष के उपरान्त भी विभाग द्वारा अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने हेतु लोक सेवा वाहनों का उनकी उम्र और यात्री सुविधा के आधार पर एक्सप्रेस, सेमी डीलक्स, डीलक्स, ए.सी. डीलक्स बस में वर्गीकरण एवं तदनुसार करारोपण नहीं किया गया।

(कंडिका 4.3.13)

11 परिवहन कार्यालयों में 26,121 वाहनों में से 5,374 वाहन स्वामियों द्वारा जून 2009 एवं जून 2015 के मध्य देय ₹ 26.51 करोड़ के कर एवं अर्थदंड का न तो भुगतान किया और न ही विभाग द्वारा माँग की गयी।

(कंडिका 4.3.16 एवं 4.3.17)

11 चयनित जिलों में से आठ परिवहन कार्यालयों एवं परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय में 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान संग्राहक बैंकों ने उनके द्वारा संग्रहित राजस्व को विलम्ब से सरकारी खाते में प्रेषण पर देय ₹ 7.29 करोड़ का ब्याज जमा नहीं किया।

(कंडिका 4.3.19.1)

राज्य में मार्च 2014 तक कुल निबंधित 34,51,564 वाहनों में शामिल 9,09,001 वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने थे, लेकिन विभाग द्वारा पुराने वाहनों को क्रमिक रूप से हटाने की कोई नीति नहीं थी।

(कंडिका 4.3.20.1)

राज्य के 24 जिलों में से मात्र 11 जिलों में ही प्रदूषण जाँच केन्द्र प्राधिकृत थे। वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान 8.84 लाख नये निबंधित वाहनों के विरुद्ध 4.09 लाख पी.यू.सी. प्रमाणपत्र निर्गत किया गया। विभाग को पी.यू.सी. के सहित या रहित

वाहनों की कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी। प्रदूषण जाँच उपकरण जैसे स्मोक मीटर, गैस एनालाईज़र आदि परिवहन पदाधिकारियों को उपलब्ध नहीं कराये गये थे

(कंडिका 4.3.20.2 एवं 4.3.20.3)

मोटर यान निरीक्षकों द्वारा सेवा कर राशि सहित ` 27.67 करोड़ का राजस्व वाहनों के फिटनेस मद में वसूल किया गया लेकिन ` 3.07 करोड़ सेवा कर की राशि '0044 सेवा कर' शीर्ष के अंतर्गत जमा नहीं किया गया।

(कंडिका 4.3.22)

4.3.1 परिचय

राज्य (तत्कालीन बिहार राज्य) में मोटर वाहन विभाग की स्थापना मोटर वाहन अधिनियम, 1939 जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 द्वारा प्रतिस्थापित हुआ, के प्रावधानों के अंतर्गत 1972-73 में किया गया था। 15 नवंबर 2000 को झारखण्ड राज्य के गठन होने पर बिहार राज्य के विद्यमान अधिनियमों, नियमों, विभागीय निर्देशों को झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया। राज्य में मोटर वाहन कर एवं शुल्क का आरोपण और संग्रहण झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों, (झारखण्ड मोटर वाहन (झा.मो.वा.) नियमावली, 2001), मोटर वाहन (मो.वा.) अधिनियम, 1988 एवं बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के द्वारा शासित होता है।

विभाग का मुख्य कार्य ड्राइविंग लाइसेंस, निबंधन प्रमाण-पत्र, दुरुस्ती प्रमाणपत्र, व्यापार प्रमाणपत्र, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र, संविदा वाहन अनुज्ञापत्र, स्टेज वाहन अनुज्ञापत्र इत्यादि निर्गत करना है। प्रभावी नियंत्रण, शीघ्र अनुवीक्षण और बेहतर लोक सेवा प्रदान करने के लिए विभाग ने अगस्त 2004 में 'वाहन' एवं 'सारथी' सॉफ्टवेयर लागू किया। वाहन सॉफ्टवेयर द्वारा वाहनों का निबंधन, करारोपण एवं अनुज्ञापत्र का कार्य किया जाता है और सारथी द्वारा नौसिखिया ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस एवं कंडक्टर लाइसेंस निर्गत किया जाता है। सारथी सॉफ्टवेयर का कार्य संतोषप्रद था और शुल्क का आरोपण निर्धारित नियम के अनुकूल था।

निजी वाहनों के मामले में 15 वर्षों के लिए एक बार कर का उद्ग्रहण किया जाता है, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिये, वाहन मालिकों के तिमाही, अर्द्धवार्षिक या वार्षिक भुगतान के विकल्प पर यह प्रत्येक वर्ष वसूला जाता है। इस प्रकार से संगृहीत मोटर वाहन कर को मुख्य लेखाशीर्ष '0041 वाहनों के कर' के अंतर्गत सरकारी खाते में जमा किया जाता है। मार्च 2014 तक कुल 34,51,564 वाहनों का निबंधन किया गया जिनमें से 9,09,001 वाहन 15 वर्ष पुराने थे।

जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 4 के अंतर्गत झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (झा.रा.प्र.नि.बो.) गठित किया गया और दिसंबर 2001 से कार्य करना प्रारंभ किया।

4.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

शीर्ष स्तर पर, झारखण्ड परिवहन विभाग में अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के लिए परिवहन आयुक्त (प.आ.) उत्तरदायी हैं। वे मोटर वाहन विभाग के प्रमुख होते हैं जो सभी नीतिगत मामले देखते हैं और राज्य परिवहन प्राधिकार के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं। मुख्यालय में एक संयुक्त परिवहन आयुक्त

द्वारा उनकी सहायता की जाती है। राज्य को चार क्षेत्रों⁴ में बाँटा गया है जिसका नियंत्रण क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा होता है, जो क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। क्षेत्र को अग्रेत्तर 24 परिवहन जिलों⁵ बाँटा गया है जिसका नियंत्रण जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा होता है जो अनुज्ञप्ति, निबंधन एवं करारोपण प्राधिकारी का कार्य करते हुए कर आरोपण और संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उनकी सहायता के लिए प्रवर्तन स्कन्ध, नौ चेक पोस्ट⁶ और मोटर वाहन निरीक्षक (मो.वा.नि.) होते हैं, जो वाहनों की जाँच करने और दुरुस्ती प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

4.3.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संचालित किया कि:

- सरकारी राजस्व के आरोपण और संग्रहण की प्रणाली अधिनियमों, नियमों तथा विभागीय निर्देशों के प्रावधानों को लागू करने हेतु पर्याप्त थे;
- मोटर वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट प्रदूषण मापदंडों का दृढ़तापूर्वक पालन किया गया; और
- राजस्व क्षरण की रोकथाम हेतु कानून, नियम और विभागीय निर्देशों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए विभाग के आंतरिक नियंत्रण उपाय प्रभावकारी थे।

4.3.4 लेखापरीक्षा का आधार

हमने निष्पादन लेखापरीक्षा निम्नलिखित अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत बनाए गये प्रावधानों के सन्दर्भ में संचालित किया :

- मोटर वाहन अधिनियम, 1988;
- केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989;
- झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001;
- झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण नियमावली, 2001;
- झारखण्ड मोटर वाहन नियमावली, 2001; और
- विभागीय निर्देश।

⁴ दुमका, हजारीबाग, पलामू एवं राँची।

⁵ बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूँटी (मार्च 2015 में अधिसूचित), कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, पाकुड़, रामगढ़ (अप्रैल 2015 में अधिसूचित), राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावाँ, एवं सिमडेगा।

⁶ बहरागोड़ा (पूर्वी सिंहभूम), बाँसजोर (सिमडेगा), चास मोड़ (बोकारो), चौपारण (हजारीबाग), चिरकुंडा (धनबाद), धुलियान (पाकुड़), माँझाटोली (गुमला), मेघातरी (कोडरमा), एवं मुरीसेमर (गढ़वा)।

4.3.5 लेखापरीक्षा का विस्तार और कार्य क्षेत्र

वर्ष 2009-10 से 2013-14 अवधि के दौरान अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों के अनुरूप करों/शुल्कों के आरोपण/संग्रहण करने तथा प्रदूषण मानकों के अनुपालन कराने में विभाग की कार्य कुशलता एवं प्रभावकारिता को सुनिश्चित करने में परिवहन विभाग की कार्य प्रणाली को आच्छादित करते हुए अक्टूबर 2014 तथा जून 2015 के बीच निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई। हमने निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची कार्यालय सहित 24 जिला परिवहन कार्यालयों में से 11 जिला परिवहन कार्यालयों का चयन किया। 11 जिला परिवहन कार्यालयों⁷ में से पाँच को उनके उच्च राजस्व संग्रहण तथा छः को यादृच्छिक प्रतिचयन अप्रतिस्थापन विधि द्वारा चयनित किया गया।

4.3.6 लेखापरीक्षा प्रणाली

हमने चयनित जिलों तथा परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय में करारोपण पंजी, निबंधन पंजी, व्यापार कर पंजी/संचिका, अनुज्ञा-पत्र पंजी, बैंक विवरणी, दुरुस्ती प्रमाणपत्र पंजी, वर्तमान पता दर्ज करने की पंजी आदि का नमूना जाँच किया। अग्रेत्तर, राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) झारखण्ड राज्य इकाई, राँची से चयनित जिला परिवहन कार्यालयों का कंप्यूटरीकृत आँकड़ा प्राप्त किया। कंप्यूटरीकृत आँकड़ों की जिलों में संधारित हस्तचालित अभिलेखों से तिर्यक-जाँच की गयी।

हमने सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ 09 फरवरी 2015 को प्रवेश सम्मेलन आयोजित किया जिसमें लेखापरीक्षा का उद्देश्य, लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं इसकी कार्य प्रणाली की विस्तार से चर्चा की गयी। सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ बहिर्गमन सम्मेलन 10 अगस्त 2015 को आयोजित की गयी जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम, निष्कर्ष और अनुशंसाओं की चर्चा की गई। सरकार/विभाग के विचारों को प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

4.3.7 आभारोक्ति

भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग लेखापरीक्षा हेतु आवश्यक सूचनायें और अभिलेखों को उपलब्ध कराने में परिवहन विभाग, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एन.आई.सी.) झारखण्ड राज्य इकाई, राँची के सहयोग हेतु आभार प्रकट करता है।

4.3.8 परिवहन विभाग का राजस्व योगदान

मुख्य शीर्ष '0041-वाहनों पर कर' के अंतर्गत प्राप्तियों में कर, अतिरिक्त मोटर वाहन कर, शुल्क एवं अर्थदंड निहित है।

⁷ बोकारो, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू एवं राँची।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.), भाग-1, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, के प्रावधानों के अनुसार राजस्व के अनुमानों की तैयारी का दायित्व वित्त विभाग (वि.वि.) में निहित है। परिवहन विभाग के सचिव शुद्ध अनुमानों के संकलन और उसे वित्त विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को वित्त विभाग के पास भेजने के लिए उत्तरदायी हैं।

वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान संशोधित अनुमानों (सं.अ.) के विरुद्ध मुख्य शीर्ष '0041-वाहनों पर कर' के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियाँ तथा उसी अवधि के दौरान राज्य का कुल कर राजस्व एवं कुल राजस्व तालिका 4.3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3.8

(` करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	राज्य का कुल कर राजस्व	राज्य का कुल राजस्व	विचरण का प्रतिशत (कॉलम 2 से 3)	राज्य के कुल राजस्व में वाहनों पर करों का योगदान प्रतिशत (कॉलम 3 से 5)	राज्य के कुल कर राजस्व में वाहनों पर करों का योगदान प्रतिशत (कॉलम 3 से 4)
1	2	3	4	5	6	7	8
2009-10	500.00	234.21	4,500.12	6,754.27	(-) 53	3.47	5.20
2010-11	440.00	312.37	5,716.63	8,519.52	(-) 29	3.67	5.46
2011-12	356.00	391.92	6,953.89	9,992.11	(+) 10.09	3.92	5.64
2012-13	550.00	465.36	8,223.67	11,759.30	(-) 15.39	3.96	5.66
2013-14	639.40	494.79	9,379.79	13,132.50	(-) 22.62	3.77	5.28

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व और प्राप्तियों के विवरण के अनुसार संशोधित अनुमान।

उपरोक्त तालिका दर्शाता है कि सिवाय वर्ष 2011-12 के दौरान, विभाग संशोधित बजट अनुमानों की प्राप्ति नहीं कर सका। हालाँकि, 2009-10 की तुलना में 2013-14 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ 111.26 प्रतिशत बढ़ी। वर्ष 2009-10 और 2013-14 की अवधि के दौरान संशोधित बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में कमी का दायरा 53 प्रतिशत एवं 15.39 प्रतिशत था। बजट अनुमानों की तैयारी से संबंधित हमारी पृच्छा के जवाब में विभाग ने कहा (जून 2015) कि बजट अनुमान वित्त विभाग द्वारा तैयार किये गये थे।

4.3.9 बकाये राजस्व का संग्रहण

झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार कोई भी कर, शुल्क और अर्थदंड भू-राजस्व के बकाये की तरह से ही वसूल की जा सकती है। लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के अंतर्गत राजस्व पर्षद के निर्देशानुसार, माँग अधिकारी एवं नीलामपत्रवाद अधिकारी, नीलामपत्रवाद के समयबद्ध निष्पादन के लिए

संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं तथा नीलामपत्रवाद के निष्पादन में अनावश्यक देरी को एक दूसरे के और यदि आवश्यक हो तो समाहर्ता के ध्यान में लाने के लिए बाध्य हैं।

चयनित जिला परिवहन कार्यालयों तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय से बकाए नीलामपत्रवाद के ब्यौरे की माँग की गई। प्रस्तुत सूचना के अनुसार (नवम्बर 2014 और जून 2015 के बीच) वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान बकाए नीलामपत्रवाद और उनके निष्पादन की स्थिति तालिका 4.3.9 में दी गयी है।

तालिका 4.3.9

(करोड़ में)

वर्ष	प्रा शेष.		वर्ष के दौरान योग		वर्ष के दौरान निष्पादन		अंतिम शेष		निष्पादन की प्रतिशतता
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	
2009-10	20,214	107.05	570	2.70	82	0.69	20,702	109.06	0.41
2010-11	20,702	109.05	256	1.02	59	0.24	20,899	109.84	0.28
2011-12	20,899	109.82	1,233	10.02	76	0.96	22,056	118.88	0.36
2012-13	22,056	118.88	509	1.83	242	0.57	22,323	120.14	1.10
2013-14	22,323	120.14	779	3.12	210	1.03	22,892	122.23	0.94
कुल			3,347	18.69	669	3.49			

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि नीलामपत्रवाद का निष्पादन काफी दयनीय था जो 0.28 से 1.10 प्रतिशत के बीच था। हमने, अग्रेत्तर प्रेक्षण किया कि अगस्त 2013 में विभाग द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारियों को नीलामपत्रवाद अधिकारियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया, मामलों के निष्पादन में वर्ष 2013-14 में वृद्धि नहीं हुई थी। बकाए नीलामपत्रवाद का अवधिवार ब्यौरा हालाँकि माँगा गया था (जून 2015), विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था (अक्टूबर 2015)। तथापि, 31 मार्च 2015 को विभाग का नीलामपत्रवाद बकाया ₹ 215.34 करोड़ था जैसा कि इस प्रतिवेदन के कंडिका 1.2 में उल्लिखित है।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (नवंबर 2014 एवं जून 2015 के बीच) जि.प.प. ने कहा (नवंबर 2014 एवं जून 2015 के बीच) कि मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए कार्रवाई की जायेगी। परिवहन सचिव ने आश्वस्त किया (अगस्त 2015) कि नीलामपत्रवाद मामले के निष्पादन के लिए समर्पित सेवानिवृत्त अधिकारियों की तैनाती की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार सभी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए वसूली का लक्ष्य निर्धारित कर बकाए में कमी लाने हेतु उपयुक्त कदम उठाये।

लेखापरीक्षा अवलोकन

हमने परिवहन विभाग के कार्य प्रणाली की समीक्षा की और पाया कि चयनित जिलों में अवधि के दौरान कुल 11,46,256 नये वाहन निबंधित हुए। नमूना जाँच किये गये

10,653 में से 1,172 वैयक्तिक वाहन, 20,151 में से 2,781 परिवहन वाहन एवं 5,970 में से 2,593 ट्रेलरों में बड़ी अनियमितताएँ पायी गयी। इन कमियों के साथ अन्य की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

कर का आरोपण नहीं होना

4.3.10 वैयक्तिक वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं होना

1,178 वैयक्तिक वाहनों से एकमुश्त कर एवं अर्थदंड का आरोपण नहीं हुआ।

4.3.10.1 छः से 10 बैठान क्षमता वाले प्रमादी वैयक्तिक वाहन पर आरोप्य एकमुश्त कर व अर्थदंड ₹ 3.06 करोड़ जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा आरोपित नहीं किया गया।

हमने जून 2014 एवं जून 2015 के बीच चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में करारोपण पंजी एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़े के नमूना जाँच से पाया कि 10,653 वैयक्तिक वाहनों में से 1,172 की कर वैधता जुलाई 2005 और नवम्बर 2014 के बीच समाप्त हो गयी थी। इन मामलों में से किसी में भी झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 9 के अंतर्गत वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन या मो.वा. अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अंतर्गत निबंधन का निरस्तीकरण नहीं पाया गया। जि.प.प. ने न तो माँग, वसूली एवं बकाया पंजियों की आवधिक समीक्षा की और न ही सॉफ्टवेयर में प्रमादियों के लिये माँग पत्र स्वतः उत्पन्न करने का प्रावधान था। इसके परिणामस्वरूप झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 2(जी) तथा झा. मो. वा. क. अधिनियम, 2001 की धारा 7 के तहत उद्ग्रहणीय ₹ 1.26 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 2.92 करोड़ के एकमुश्त कर का आरोपण नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 एवं झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4 के अंतर्गत 22 मई 2011 तक ₹ 9.63 लाख के अर्थदंड सहित ₹ 14.45 लाख का कर भी आरोप्य था।

4.3.10.2 हमने जिला परिवहन कार्यालय, पाकुड़ में पाया (फरवरी 2015) कि छः से 10 सीटों की बैठान क्षमता वाले नमूना जाँच किये गये 118 वैयक्तिक वाहनों में से छः के मामले में वाहन मालिकों से, एकमुश्त कर के बजाय ₹ 37,374 के वार्षिक कर का उद्ग्रहण किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22,900 के ब्याज सहित ₹ 1.03 लाख के सरकारी राजस्व का कम आरोपण हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (नवम्बर 2014 और जून 2015 के बीच) छः जि.प.प.⁸ ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि प्रमादी वाहन मालिकों के विरुद्ध माँग पत्र निर्गत किये गये हैं और चार जि.प.प.⁹ ने 88 मामलों में ₹ 22.73 लाख राशि की वसूली की है। परिवहन सचिव ने जि.प.प. को बड़े प्रमादियों की

⁸ बोकारो, धनबाद, गढ़वा, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

⁹ धनबाद, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

पहचान करने और बकाये कर के उद्ग्रहण के लिए गहन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.3.11 बैठान क्षमता का गलत निर्धारण

लोक सेवा वाहन की बैठान क्षमता का निर्धारण उनके व्हीलबेस के अनुसार नहीं होने के परिणामस्वरूप ` 12.22 लाख के कर का कम आरोपण हुआ।

हमने जून 2014 एवं जून 2015 के बीच चयनित जिलों में कंप्यूटरीकृत आँकड़े के सत्यापन सहित निबंधन पंजी और करारोपण पंजी का नमूना जाँच किया और आठ जि.प.का.¹⁰ में पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,304 परिवहन वाहनों में से 160 वाहनों ने मई 2011 से मार्च 2015 की अवधि के लिए उनके व्हीलबेस के अनुसार बैठान क्षमता से कम बैठान क्षमता अपनाकर करों का भुगतान किया। अधिनियम प्रावधान करता है कि लोक सेवा वाहन के मालिक द्वारा व्हीलबेस के अनुसार निर्धारित बैठान क्षमता के आधार पर करों का भुगतान किया जायेगा। यह इंगित करता है कि जि.प.प. ने परिवहन वाहनों से कर की लोक सेवा वाहनों से करों की वसूली के दौरान झा.मो.वा.क.(संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 7(3) के प्रावधान को लागू नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ` 12.22 लाख राशि के करों का कम आरोपण हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जून 2014 एवं जून 2015 के बीच) पाँच जि.प.प.¹¹ ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि अंतर कर हेतु माँग पत्र निर्गत किये गये हैं और जि.प.प., पलामू ने नौ मामलों में ` 41,980 की वसूली की सूचना दी (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.3.12 लोक सेवा वाहनों का व्हीलबेस अभिलेखित नहीं किया जाना

हमने चयनित जिलों के कंप्यूटर प्रणाली में तथ्यों के सत्यापन सहित निबंधन पंजी का जनवरी एवं मई 2015 के बीच नमूना जाँच किया और सात जिला परिवहन कार्यालयों¹² में पाया कि नमूना जाँच किये गये 2,916 वाहनों में से 1,330 लोक सेवा परिवहन वाहनों का व्हीलबेस कंप्यूटर प्रणाली में अभिलेखित नहीं किया गया था। व्हीलबेस की अनुपस्थिति में, सही बैठान क्षमता का निर्धारण सुनिश्चित नहीं किया जा सका साथ ही यह विभाग के कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को इंगित किया।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जनवरी एवं मई 2015 के बीच) जि.प.प. ने कहा (जनवरी एवं मई 2015 के बीच) कि इस संबंध में कंप्यूटर

¹⁰ बोकारो, दुमका, गढ़वा, गोड्डा, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

¹¹ बोकारो, गढ़वा, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

¹² बोकारो, दुमका, गढ़वा, हजारीबाग, लोहरदगा, पलामू एवं राँची।

ऑपरेटर्स को आवश्यक निर्देश दिये जायेंगे। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.3.13 लोक सेवा वाहनों का वर्गीकरण नहीं होना

अधिनियम के प्रवर्तन के चार वर्षों के उपरांत लोक सेवा वाहनों का एक्सप्रेस, सेमी-डीलक्स, डीलक्स और ए.सी. डीलक्स बसों के रूप में वर्गीकरण नहीं किया गया।

विभाग द्वारा बनायी गयी नीतियों की समीक्षा के दौरान हमने पाया (अप्रैल 2015) कि लोक सेवा वाहनों का वर्गीकरण अभी तक नहीं किया गया यद्यपि प्रावधान 23 मई 2011 से प्रभाव में था। झा.मो.वा.क. (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 7(3) लोक सेवा वाहनों की उनके व्हीलबेस पर बैठान क्षमता का निर्धारण करता है। अग्रेतर, बसों को उनकी उम्र तथा यात्री सुविधाओं के आधार पर एक्सप्रेस, सेमी-डीलक्स, डीलक्स, एवं ए.सी. डीलक्स बस के रूप में वर्गीकृत किया जाना था और अतिरिक्त राजस्व सृजित करने के लिए तदनुसार करारोपित किया जाना था। पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार ने लोक सेवा वाहनों को वर्गीकृत किया है और तदनुसार करारोपण किया जा रहा है। झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 यह प्रावधान करता है कि प्रत्येक परिवहन वाहन के मालिक को पथ कर एवं अतिरिक्त मोटर वाहन कर का भुगतान उसमें उल्लिखित दरों से करना है।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015) परिवहन सचिव ने बहिर्गमन सम्मेलन (अगस्त 2015) में कहा कि कैबिनेट की सहमति से बसों के वर्गीकरण के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार को सॉफ्टवेयर में व्हीलबेस के फील्ड को अनिवार्य बनाना और लोक सेवा वाहनों को उनकी उम्र और यात्री सुविधाओं के आधार पर वर्गीकृत करना चाहिए।

4.3.14 स्थानीय निबंधन चिन्ह का आवंटन नहीं होना

अन्य राज्यों से आए वाहनों को राज्य का स्थानीय निबंधन चिन्ह नहीं दिया गया परिणामस्वरूप ₹ 16.42 लाख के राजस्व का आरोपण नहीं हुआ।

हमने नवम्बर 2014 एवं जून 2015 के बीच चयनित जिलों में वाहनों के कर स्थिति के जाँच से पाया कि नमूना जाँच किये गये 3,297 परिवहन वाहनों में से 2,774 वाहन स्थानीय निबंधन चिन्ह प्राप्त किये बिना पूर्व राज्यों के निबंधन संख्या के साथ 12 महीनों से अधिक अवधि तक जिले में रहे जो मो.वा.अधिनियम, 1988 की धारा 47 के प्रावधानों एवं उसके अंतर्गत बनाए गये नियमावली के विरुद्ध था। अधिनियम कहता है कि जब एक राज्य में निबंधित वाहन अन्य राज्य में 12 महीने से अधिक अवधि तक रखा गया हो तो वाहन मालिक नये निबंधन प्राधिकारी के पास नया निबंधन चिन्ह आवंटित करने हेतु आवेदन देगा। यदि वाहन मालिक 12 महीने के

अंदर आवेदन करने में विफल रहता है तो उसे अर्थदंड का भुगतान करना होगा, जो प्रथम अपराध के लिए ` 100 और दूसरे या परवर्ती अपराधों के लिए ` 300 तक होता है। जि.प.प. द्वारा अन्य राज्यों से स्थानांतरित वाहनों को स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटित करने हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गयी। इसने जि.प.प. द्वारा इस प्रकार के वाहनों को चिन्हित करने के अनुश्रवण में कमी को दर्शाया, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क ` 13.64 लाख और अर्थदंड जुर्माना ` 2.77 लाख के रूप में राजस्व का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (नवम्बर 2014 एवं जून 2015 के बीच) जि.प.प. ने कहा (नवम्बर 2014 एवं जून 2015 के बीच) कि संबंधित वाहन मालिकों को स्थानीय समाचार पत्र/मीडिया द्वारा स्थानीय निबंधन चिन्ह प्राप्त करने के लिए निर्देश दिया जायेगा, जबकि छ: जि.प.प.¹³ ने प्रेस ज्ञापन द्वारा इस संबंध में नोटिस दिया। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.3.15 निबंधन प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं होना

निजी वाहनों के निबंधन प्रमाणपत्र उनकी वैधता की समाप्ति के पश्चात नवीनीकृत नहीं किये गये, परिणामस्वरूप ` 36.02 लाख का आरोपण नहीं हुआ।

हमने अक्टूबर 2014 एवं जून 2015 के बीच चयनित जिलों में कंप्यूटरीकृत आँकड़ों के साथ करारोपण पंजी के नमूना जाँच से पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,191 निजी वाहनों में से 1,051 ने वैधता की समाप्ति के पश्चात निबंधन के नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं दिया। मो.वा.अधिनियम, 1988 की धारा 41(7) के अंतर्गत परिवहन वाहन से भिन्न अन्य वाहनों का निबंधन प्रमाणपत्र जारी किये जाने की तिथि से 15 वर्षों की अवधि के लिए वैध होगा और अगले पाँच वर्षों के लिए नवीनीकरण के योग्य होगा। के.मो.वा. नियमावली, 1989 का नियम 52 प्रावधान करता है कि निबंधन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के लिए आवेदन नियम 81 में निर्दिष्ट उचित शुल्क तथा झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 7 के अंतर्गत अनुसूची-1 (भाग ए) में संलग्न कर के साथ निबंधन प्राधिकारी के समक्ष प्रपत्र-25 में प्रस्तुत किया जायेगा। इनमें से किसी भी मामले में झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 9 के अंतर्गत वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन या मो.वा. अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अंतर्गत निबंधन का निरस्तीकरण अभिलेख में नहीं पाया गया। कार्यालय ने संबंधित वाहन मालिकों को निबंधन प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के आवेदन के लिए नोटिस निर्गत नहीं किया। इसके फलस्वरूप निबंधन शुल्क तथा दुरुस्ती शुल्क सहित कर के रूप में ` 36.02 लाख के सरकारी राजस्व का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अक्टूबर 2014 एवं जून 2015 के बीच) जि.प.प. ने कहा (अक्टूबर 2014 एवं जून 2015 के बीच) कि स्थानीय

¹³ बोकारो, धनबाद, गढ़वा, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

समाचारपत्र/मीडिया के माध्यम से वाहन मालिकों को वाहनों, जिनकी वैधता अवधि समाप्त हो चुकी है, के निबंधन के नवीनीकरण के लिए सूचित किया जायगा, जबकि छ: जि.प.प.¹⁴ ने प्रेस ज्ञापन के माध्यम से इस संबंध में नोटिस दिया। परिवहन सचिव ने जि.प.प को बकाये कर के उद्ग्रहण के लिए एक गहन अभियान आरंभ करने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार वैधता अवधि समाप्त हो चुके वाहनों की पहचान करने के लिये निबंधित वैयक्तिक वाहनों की आवधिक समीक्षा के प्रतिपादन पर विचार कर सकती है।

करों का संग्रहण

4.3.16 परिवहन वाहनों से करों का संग्रहण नहीं होना

प्रमादी वाहन मालिकों से उद्ग्रहणीय ₹ 23.11 करोड़ का कर एवं अर्थदंड जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा संग्रह नहीं किया गया।

हमने चयनित जिलों में जून 2014 और जून 2015 के बीच करारोपण पंजी, मांग संग्रहण एवं बकाया पंजी (मां.सं.ब. पंजी), अभ्यर्पण पंजी एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच से पाया कि नमूना जाँच किये गये 20,151 वाहनों में से 2,781 वाहनों के मालिकों ने जून 2009 एवं जून 2015 के बीच की अवधि के लिए कर का भुगतान नहीं किया। इनमें से किसी भी मामले में झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 9 के अंतर्गत वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन या धारा 17 के अंतर्गत कर के भुगतान से छूट हेतु दस्तावेजों का अभ्यर्पण अभिलेख में नहीं पाया गया। इस तरह, वे धारा 5 एवं झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4 के तहत कर भुगतान के उत्तरदायी थे। जि.प.प. ने भी झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 23 के अनुसार मां.सं.ब. पंजी समय-समय पर अद्यतन नहीं किया, जिस कारण उनके पास प्रमादी वाहन मालिकों की संख्या एवं उनसे वसूल किये जाने वाले करों का विवरण नहीं था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने न तो प्रमादी वाहन मालिकों के विरुद्ध कर एवं अर्थदंड का माँग सृजित किया और न ही सॉफ्टवेयर में माँग पत्रों के स्वतः उत्पन्न होने का प्रावधान था, परिणामस्वरूप ₹ 15.40 करोड़ के अर्थदण्ड सहित ₹ 23.11 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जून 2014 एवं जून 2015 के बीच) छ: जि.प.प.¹⁵ ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि प्रमादी वाहन मालिकों के विरुद्ध माँग पत्र निर्गत किये गये और चार जि.प.प.¹⁶ द्वारा 154 मामलों में ₹ 96.02 लाख की वसूली की गयी। परिवहन सचिव ने जि.प.प. को बड़े प्रमादियों की

¹⁴ बोकारो, धनबाद, गढ़वा, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

¹⁵ बोकारो, धनबाद, गढ़वा, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

¹⁶ बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर एवं राँची।

पहचान करने और बकाया करों की वसूली के लिए उनके विरुद्ध गहन अभियान आरंभ करने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.3.17 ट्रेलरों से करों का संग्रहण नहीं होना

प्रमादी ट्रेलर मालिकों से उद्ग्रहणीय ₹ 3.40 करोड़ का कर एवं अर्थदंड जिला परिवहन पदाधिकारियों द्वारा वसूल नहीं किया गया।

हमने जून 2014 और जून 2015 के बीच चयनित जिलों में करारोपण पंजी एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच से पाया कि नमूना जाँच किये गये 5,970 ट्रेलरों में से 2,593 ट्रेलरों के मालिकों ने मार्च 2010 एवं मार्च 2015 के बीच कर का भुगतान नहीं किया। अभिलेख में इनमें से किसी भी मामले में, झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 9 के अंतर्गत वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन नहीं पाया गया। इस तरह वे धारा 5 एवं झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4 के अंतर्गत कर एवं अर्थदंड के भुगतान के उत्तरदायी थे। जि.प.प. ने भी झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 23 के प्रावधानों के तहत मां.सं.ब. पंजी को समय-समय पर अद्यतन नहीं किया, जिस कारण उनके पास प्रमादी वाहन मालिकों की संख्या एवं उनसे वसूल किये जाने वाले करों का विवरण नहीं था। अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों को विभाग द्वारा लागू करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 2.27 करोड़ के अर्थदंड सहित ₹ 3.40 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ। यही नहीं, ये प्रमादी वाहन दुरुस्ती प्रमाणपत्र के बिना सड़क पर चल रहे थे जिससे प्रदूषण मानकों का पालन नहीं हो रहा था।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जून 2014 एवं जून 2015 के बीच) छ: जि.प.प.¹⁷ ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि प्रमादी वाहन मालिकों के विरुद्ध माँग पत्र निर्गत किये गये हैं और चार जि.प.प.¹⁸ द्वारा 90 मामलों में ₹ 11.30 लाख की वसूली की गयी है। परिवहन सचिव ने जि.प.प. को बड़े प्रमादियों की पहचान करने और बकाया करों की वसूली के लिए गहन अभियान चलाने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। उन्होंने आगे कहा कि 5/10 वर्षों के एकमुश्त कर का प्रस्ताव रखा जाएगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार प्रमादी वाहनों से राजस्व के संग्रहण के अनुश्रवण हेतु मां.सं.ब. पंजी की आवधिक समीक्षा के लिये एक तंत्र के प्रतिपादन पर विचार कर सकती है।

¹⁷ बोकारो, धनबाद, गढ़वा, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

¹⁸ बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर एवं राँची।

4.3.18 राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं होना

परिवहन वाहनों के राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की आवधिकता के दौरान अनुवर्ती प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं किया गया फलस्वरूप ` 40.95 लाख के समेकित शुल्क एवं प्राधिकार शुल्क की वसूली नहीं हुई।

हमने अप्रैल 2015 में परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र पंजी की जाँच में पाया कि नमूना जाँच किये गये 1,980 मामलों में से 138 मामलों में अनुज्ञापत्रों की आवधिकता के दौरान अप्रैल 2011 और मार्च 2014 के बीच की अवधि के लिए अनुवर्ती प्राधिकार का नवीनीकरण नहीं किया गया जैसा कि मो.वा. अधिनियम, 1988 की धारा 81 एवं कें.मो.वा. नियमावली, 1989 के नियम 87 में निर्धारित है। प्राधिकार एक सतत प्रक्रिया है जिसे प्रत्येक वर्ष नवीनीकृत किया जाना है जब तक कि अनुज्ञापत्र की अवधि समाप्त न हो गयी हो या अनुज्ञापत्रधारक द्वारा अभ्यर्पित न किया गया हो। इन वाहनों के अनुज्ञापत्रों की वैधता समाप्त हो गयी थी या अनुज्ञापत्रों को अभ्यर्पित कर दिया गया था, अभिलेखों में ऐसा कुछ उल्लिखित नहीं था। हमने यह भी पाया कि परिवहन आयुक्त के कार्यालय में राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की आवधिकता के दौरान अनुवर्ती प्राधिकार के अनुश्रवण की प्रक्रिया का अभाव था। अग्रेतर, राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र धारक वाहन के मालिक को देश भर में संचालन करने के लिए प्रतिवर्ष समेकित शुल्क के साथ प्राधिकार शुल्क का भुगतान करना है। इसके परिणामस्वरूप ` 40.95 लाख के समेकित शुल्क एवं प्राधिकार शुल्क (समेकित शुल्क ` 38.60 लाख और प्राधिकार शुल्क ` 2.35 लाख) की वसूली नहीं हुई।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015) विभाग ने कहा (अप्रैल 2015) कि संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारियों को बकायों की वसूली हेतु माँग पत्र निर्गत करने के लिए निर्देशित किया गया है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सरकार राष्ट्रीय अनुज्ञापत्रों की आवधिकता के दौरान अनुवर्ती प्राधिकार के अनुश्रवण हेतु एक तंत्र के प्रतिपादन पर विचार कर सकती है।

4.3.19 बैंक के साथ लेन-देन में अनियमितता

4.3.19.1 बैंकों द्वारा संग्रहित राजस्व को जमा करने में देरी के कारण ब्याज का उद्ग्रहण नहीं होना।

संग्राहक बैंकों ने संग्रहित राजस्व के सरकारी खाते में विलंब से स्थानांतरण के लिए ` 7.29 करोड़ का ब्याज क्रेडिट नहीं किया।

हमने चयनित जिलों में संग्रहित राजस्व के प्रेषणों की बैंक विवरणी का नमूना जाँच किया और जून 2014 एवं जून 2015 के बीच परिवहन आयुक्त कार्यालय, झारखण्ड

सहित आठ जिला परिवहन कार्यालयों¹⁹ में पाया कि संग्राहक बैंकों यथा बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और हजारीबाग सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक ने बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के नियम 37 के प्रावधानों तथा परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के अनुदेश (जनवरी 2001) के विपरीत वर्ष 2012-13 से 2013-14 के लिए ₹ 751.26 करोड़ की राशि को निर्धारित समय के अंदर सरकारी खाते में जमा करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक, डोरण्डा शाखा, राँची में क्रेडिट नहीं किया और इस प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) के निर्देशों के अनुसार ₹ 7.29 करोड़ के दंडात्मक ब्याज के भुगतान के उत्तरदायी थे। विलंब का दायरा एक महीने से 11 महीने के बीच था। इसने दर्शाया कि विभाग ने संग्राहक बैंकों के साथ ब्याज के भुगतान के मामले का अनुश्रवण नहीं किया एवं प्रभावी रूप से अनुसरण भी नहीं किया।

मामलों को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जून 2014 एवं जून 2015 के बीच) अवर सचिव तथा जि.प.प. ने कहा (जून 2014 एवं जून 2015 के बीच) कि ब्याज की वसूली हेतु बैंक प्राधिकारियों के साथ पत्राचार किया जायगा। परिवहन सचिव ने जि.प.प. को बैंक द्वारा सरकारी राजस्व के स्थानांतरण पर आवधिक निगाह रखने का निर्देश दिया। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.3.19.2 कालातीत बैंक ड्राफ्ट

वाहन मालिकों से बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त ₹ 88.33 लाख की राशि कालातीत हो गया।

हमने चयनित जिलों में बैंकों द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2013-14 के बैंक विवरणी का समीक्षा किया और अप्रैल 2015 में पाया कि परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय में वाहन मालिकों से बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्राप्त ₹ 88.33 लाख कालातीत हो गया। भा.रि.बैं. के दिशा निर्देशानुसार 1 अप्रैल 2012 से चेकों, बैंक ड्राफ्टों, भुगतान आदेशों एवं बैंकर्स चेकों की अवधि की वैधता, जारी की गयी तिथि से छः माह से घटाकर तीन माह कर दी गयी है। कार्यालय ने सरकारी खाते में वास्तव में जमा की गयी देय राशि का सत्यापन नहीं किया। कालातीत बैंक ड्राफ्टों और उनमें सन्निहित राशियों का पता लगाने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं थी क्योंकि बैंक ड्राफ्ट पंजी का संधारण नहीं किया गया था। इस प्रकार, कार्यालय द्वारा आंतरिक नियंत्रण तंत्र के उपयोग में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 88.33 लाख सरकारी खाते में क्रेडिट नहीं हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015) अवर सचिव ने कहा (अप्रैल 2015) कि आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। परिवहन सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि कालातीत बैंक ड्राफ्टों को पुनर्मान्य किया जायगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

¹⁹ बोकारो, धनबाद, दुमका, गढ़वा, हजारीबाग, लोहरदगा, पाकुड़ एवं राँची।

4.3.20 वाहन संबंधी प्रदूषण

2009-10 से 2013-14 के दौरान निबंधित वाहनों की संख्या में 62.20 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई।

हमने परिवहन आयुक्त, झारखण्ड से चयनित जिलों के प्राप्त आँकड़ों की जाँच से पाया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान निबंधित वाहनों की संख्या में 62.20 प्रतिशत की कुल वृद्धि हुई, जो तालिका 4.3.20 (i) में दर्शाया गया है।

तालिका - 4.3.20 (i)

वर्ष	निबंधित वाहनों की संख्या	वर्ष 2008-09 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
2008-09	1,57,697	--
2009-10	1,89,050	19.88
2010-11	2,30,214	45.99
2011-12	2,30,611	46.24
2012-13	2,40,599	52.57
2013-14	2,55,782	62.20
कुल	11,46,256	

झा.रा.प्र.नि.बो. झारखण्ड के विभिन्न स्थानों पर हवा में मौजूद वाह्य पदार्थों की सान्द्रता की माप करता है। चार जिलों²⁰ में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (एन.ए.ए.क्यू.एस.) की तुलना में सल्फर डाई-ऑक्साइड (SO₂), नाइट्रोजन डाई-ऑक्साइड (NO₂), एवं रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिक्यूलेट मैटर (आर.एस.पी.एम.) के घटक तालिका 4.3.20 (ii) में दर्शाये गये हैं।

तालिका 4.3.20 (ii)

जिला का नाम	सैम्पलिंग की तिथि	सल्फर डाई-ऑक्साइड (SO ₂) (µg/m ³ मे)	नाइट्रोजन डाई-ऑक्साइड (NO ₂) (µg/m ³ मे)	आर एस पी एम (µg/m ³ मे)
एन.ए.ए.क्यू.एस.		80.00	80.00	100.00
धनबाद	27.06.2014	13.16	32.15	218.13
हजारीबाग	27.03.2014	24.00	32.25	118.46
जमशेदपुर	29.03.2014	49.76	58.20	170.16
राँची	27.03.2014	19.60	31.90	217.00

स्रोत: झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

आर.एस.पी.एम. की मात्रा एन.ए.ए.क्यू.एस. (100 µg/m³) से अधिक है, सल्फर डाई-ऑक्साइड (SO₂) एवं नाइट्रोजन डाई-ऑक्साइड (NO₂) सीमा के अन्दर हैं। वाहनों की संख्या में वृद्धि आर.एस.पी.एम. के उच्च स्तर के कारणों में एक हो सकता है।

²⁰ धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015) विभाग ने कहा कि प्रवर्तन, यातायात एवं परिवहन अधिकारियों को प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर निगाह रखने का निर्देश दिया गया था किन्तु उन्हें वाहनों से उत्सर्जित धुएँ की जाँच के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान नहीं किये गये। विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि विभाग द्वारा वाहन संबंधी प्रदूषण पर किसी जन जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया।

4.3.20.1 पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से नहीं हटाया जाना

विभाग के पास वाहन संबंधी प्रदूषण को रोकने हेतु पुराने वाहनों के परिचालन को हतोत्साहित करने की कोई नीति नहीं थी।

वाहन संबंधी प्रदूषकों की बड़ी मात्रा के उत्सर्जन के लिए पुराने वाहन ज्यादा प्रवृत्त हैं। यह देखा गया कि राज्य में मार्च 2014 तक निबंधित वाहनों की कुल संख्या 34,51,564 थी जिसमें 15 वर्ष से अधिक पुराने 9,09,001 वाहन सम्मिलित थे। कुछ राज्यों जैसे बिहार और दिल्ली ने अतिरिक्त कर (ग्रीन टैक्स) आरोपित कर और नये वाहनों के क्रय पर वित्तीय सहायता और ऋण पर सब्सिडी प्रदान करने के द्वारा पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए उपाय अपनाये हैं। हमने अवलोकित किया कि विभाग ने वाहन संबंधी प्रदूषण को रोकने के लिए पुराने वाहनों के परिचालन को हतोत्साहित करने हेतु कोई नीति नहीं अपनायी, इसके बजाय अधिनियम पुराने वाहनों पर अतिरिक्त मोटर वाहन कर पर 10 से 30 प्रतिशत की छूट का प्रावधान करता है।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015) विभाग ने कहा (अप्रैल 2015) सड़क पर पुराने वाहनो के परिचालन को हतोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा इस तरह की कोई नीति नहीं अपनायी गयी। परिवहन सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि ग्रीन टैक्स के आरोपण के प्रस्ताव की योजना बनायी जा रही थी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार पुराने वाहन के परिचालन को हतोत्साहित करने के लिये नीति अपनाने पर विचार कर सकती है।

4.3.20.2 प्रदूषणकारी वाहनों की सूचना का अभाव

प्रदूषण प्रमाणपत्रों वाले वाहनों का कोई डाटाबेस नहीं था। परिवहन कार्यालयों में पी.यू.सी. सहित या रहित परिचालित वाहनों की कोई सूचना नहीं थी।

कें.मो.वा. नियमावली, 1989 के नियम 115(7) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रत्येक निबंधित मोटर वाहन प्रथम निबंधन की तिथि के एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात, राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा निर्गत, एक वैध 'पोल्युशन अंडर कंट्रोल' (पी.यू.सी.) प्रमाण-पत्र साथ रखेगा। प्रमाण-पत्र की वैधता छः माह के लिए होगी। प्रदूषण जाँच केंद्र ` 10,000 के सुरक्षित जमा तथा ` 2000 के

शुल्क (झा.मो.वा.नियमावली, 2001 के नियम 252 डी) के भुगतान पर प्राधिकृत किये जाते हैं। ये केंद्र वाहन के संबंध में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रपत्र पी.सी. में 'पोल्यूशन अंडर कंट्रोल (पी.यू.सी.) प्रमाण-पत्र जारी करते हैं यदि नियम 115(2) के अधीन ऐसे वाहन के संबंध में प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा के अन्दर पाया जाता है।

हमने देखा कि विभाग ने राज्य के 11 जिलों में 39 निजी प्रदूषण जाँच केंद्रों को अधिकृत किया और शेष 13 जिलों में कोई केंद्र नहीं थे। चयनित जिलों में से, मात्र सात जिलों²¹ में 30 प्रदूषण जाँच केंद्र प्राधिकृत थे। नियमावली में पी.यू.सी. प्रमाण-पत्र के संबंध में प्रतिवेदन/विवरणों को संबंधित परिवहन कार्यालयों में प्रस्तुत करने का प्रावधान नहीं है। अग्रेतर, 24 कार्यरत केंद्रों ने बताया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 4.42 लाख वाहनों की जाँच की गयी एवं 4.09 लाख पी.यू.सी. निर्गत किये गये। इसी अवधि के दौरान इन जिलों में 8.84 लाख नये वाहन निबंधित हुए। इस प्रकार, परिवहन कार्यालयों के पास पी.यू.सी. रहित या सहित परिचालित वाहनों की कोई सूचना नहीं थी।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अक्टूबर 2014 एवं जून 2015 के बीच) जि.प.प. ने कहा (अक्टूबर 2014 एवं जून 2015 के बीच) कि पी.यू.सी. प्रमाण-पत्र वाले वाहनों का कोई डाटाबेस नहीं था और इन केंद्रों ने संबंधित परिवहन कार्यालयों को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया था। परिवहन सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि प्रदूषण केंद्र शुरू करने हेतु विज्ञापन दिये गये थे एवं सी.एन.जी./एल.पी.जी इंधन प्रारंभ करने की संभावना का पता लगाया जा रहा था। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार वाहन सॉफ्टवेयर में पी.यू.सी. प्रमाणपत्र के फील्ड को अनिवार्य बनाने एवं राज्य के सभी जिलों में प्रदूषण जाँच केंद्रों की स्थापना सुनिश्चित करने पर विचार कर सकती है।

4.3.20.3 ट्रैफिक पुलिस का सुदृढीकरण नहीं करना

अपर्याप्त मानव बल एवं प्रदूषण जाँच उपकरण के अभाव ने ट्रैफिक पुलिस के काम को प्रभावित किया।

वाहन संबंधी उत्सर्जन मानकों के उल्लंघन करने वालों को दबोचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को मानवबल की पर्याप्त संख्या एवं प्रदूषण जाँच उपकरण की आवश्यकता है।

हमने पुलिस उपाधीक्षक (ट्रैफिक), धनबाद और बोकारो द्वारा प्रस्तुत किये गये आँकड़े की जाँच से पाया कि प्रदूषण जाँच उपकरण जैसे स्मोक मीटर, गैस एनालाइज़र, ब्रेथ एनालाइज़र, स्मार्ट कार्ड रीडर इत्यादि उन्हें नहीं दिये गये थे। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को प्रदूषण रोधी मास्क उपलब्ध नहीं कराना भी सुरक्षा की दृष्टिकोण से खतरनाक था।

²¹ बोकारो, धनबाद, दुमका, हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू एवं राँची।

ट्रैफिक पुलिस में भी कर्मी एकदम अपर्याप्त थे, जैसा कि तालिका 4.3.20.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.3.20.3

क्र.सं.	जिला	उप.आ.		सर्जेंट मेजर		उ.नि./स.उ.ति		जमादार		हवलदार/काँस्टेबल		ड्राइवर		कुल	
		स्वी.ब.	का.ब.	स्वी.ब.	का.ब.	स्वी.ब.	का.ब.	स्वी.ब.	का.ब.	स्वी.ब.	का.ब.	स्वी.ब.	का.ब.	स्वी.ब.	का.ब.
1	बोकारो	1	1	4	4	9	9	6	6	250	85	4	4	274	109
2	धनबाद	1	1	4	3	9	6	6	0	250	129	4	2	274	141
3	राँची	2	2	-	-	9	7	-	-	639	259	5	5	655	273
कुल		4	4	8	7	27	22	12	6	1,139	473	13	11	1,203	523

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बोकारो, धनबाद एवं राँची में 680 ट्रैफिक पुलिस की कमी थी। चयनित जिलों में से दो जिलों, हजारीबाग एवं जमशेदपुर ने ट्रैफिक पुलिस का स्वीकृत बल उपलब्ध नहीं कराया था।

प्रदूषण जाँच उपकरण की कमी एवं ट्रैफिक पुलिस में अपर्याप्त कार्यरत बल के कारण उत्सर्जन मानकों का पालन न करने वाले वाहनों पर कार्रवाई अप्रभावशील हुआ।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार प्रदूषण मानकों के प्रभावशील अनुश्रवण हेतु आवश्यक उपकरणों से लैस पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक कर्मी की तैनाती पर विचार कर सकती है।

4.3.21 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

विभाग को अपने सक्षम तथा मितव्ययी कार्यचालन के लिए कानूनों, नियमों, विभागीय आदेशों का उचित पालन सुनिश्चित कराकर एक प्रभावशील आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का गठन करने की आवश्यकता है। आंतरिक नियंत्रण शीघ्र और प्रभावी निर्णय लेने तथा राजस्व के असंग्रहण/कम संग्रहण एवं क्षरण के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा के लिए एक विश्वसनीय वित्तीय व संचालन सूचना प्रणाली के निर्माण में भी सहयोग करता है। गठित आंतरिक नियंत्रणों को उनकी प्रभावशीलता बरकरार रखने के लिए समय-समय पर समीक्षा और अद्यतन की जानी चाहिये। आंतरिक नियंत्रण में आंतरिक लेखापरीक्षा, उच्च प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण जाँच तथा निर्धारित पंजियों का संधारण शामिल है।

4.3.21.1 परियोजना अनुश्रवण इकाई का गठन नहीं होना

प.अ.इ. के गठन नहीं होने के कारण विभाग कंप्यूटरीकरण के कार्यों का अनुश्रवण नहीं कर सका।

झारखण्ड सरकार ने सरकारी राजस्व में वृद्धि, बेहतर नागरिक सेवाएँ उपलब्ध कराने, बेहतर नियंत्रण लागू करने, समय-समय पर सरकारी नीतियों के त्वरित कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने और किन्हीं अन्य सरकारी विभागों को, यदि आवश्यक हो तो,

तत्काल सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए अगस्त 2004 में एन.आई.सी. की राज्य इकाई के साथ सक्रिय सहयोग से वाहन और सारथी अनुप्रयोग को लागू किया। अग्रेतर, विभाग के कंप्यूटरीकरण हेतु अनुमोदित परियोजना प्रस्ताव के अनुसार, उपयुक्त तकनीकी एवं गैर-तकनीकी मानवबल को किराये पर लेकर इस परियोजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए परिवहन विभाग के अधीन एक परियोजना अनुश्रवण इकाई (प.अ.इ.) का सृजन किया जाना था। एन.आई.सी. जब एवं जैसा आवश्यक हो, तकनीकी सहयोग प्रदान करेगा।

परिवहन आयुक्त के कार्यालय के अभिलेखों के नमूना जाँच के क्रम में, हमने अप्रैल 2015 में पाया कि लेखा परीक्षा की तिथि तक प.अ.इ. सृजित नहीं किया गया था। यह भी पाया गया (नवम्बर 2014 एवं जून 2015 के बीच) कि विद्यमान सॉफ्टवेयर में निम्नांकित त्रुटियाँ थीं :

- सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न प्रमादी की सूची विश्वसनीय नहीं थी क्योंकि वर्तमान कर भुगतान की स्थिति नहीं निकाली जा सकती थी;
- निबंधित वाहनों की डीलरवार गिनती उत्पन्न नहीं होती थी;
- सिस्टम निबंधन प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के समय कर स्थिति की गलत वैधता दर्शाती थी; और
- माँग पत्रों के स्वतः उत्पन्न होने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।

समय पर प.अ.इ. के सृजन से सॉफ्टवेयर में उपरोक्त खामियाँ कम हो जातीं।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जून 2015) विभाग ने कहा (जून 2015) कि प.अ.इ. का गठन प्रक्रियाधीन था। परिवहन सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि प.अ.इ. की स्थापना एन.आई.सी., झारखण्ड के विमर्श से की जा रही है और छः माह में यह क्रियाशील हो जाएगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.3.21.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

वित्त विभाग ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान छः परिवहन कार्यालयों की लेखा परीक्षा सम्पादित की।

आंतरिक लेखापरीक्षा सामान्यतः सभी नियंत्रणों के नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया जाता है क्योंकि यह एक संगठन के लिए स्वयं को यह सुनिश्चित करने का एक माध्यम है कि निर्धारित प्रणालियाँ यथोचित रूप से काम कर रही थीं।

जैसा कि परिवहन विभाग ने हमें सूचित किया, उसकी अपनी कोई आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा नहीं है। तथापि, वित्त विभाग आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहा है। आंतरिक लेखापरीक्षा दलों को सभी लेखा अभिलेखों की शत-प्रतिशत लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता है। हमने चयनित जिलों से 2009-10 से 2013-14 के दौरान संचालित आंतरिक लेखापरीक्षा सम्बन्धी सूचनाओं की माँग की। सूचना के आधार पर, यह पाया गया कि वित्त विभाग ने 2009-10 एवं 2013-14 के बीच की

अवधियों हेतु पाँच परिवहन कार्यालयों में विभिन्न वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षा संचालित नहीं की, विवरण तालिका 4.3.21.2 में है।

तालिका 4.3.21.2

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	वित्त विभाग द्वारा की जाने वाली लेखा परीक्षा हेतु देय अवधि	अवधि जिसकी लेखापरीक्षा वित्त विभाग द्वारा की गयी
1	2	3	4
1	जि.प.प., बोकारो	2009-10 से 2013-14	शून्य
2	जि.प.प., धनबाद	2009-10 से 2013-14	2009-10 एवं 2010-11
3	जि.प.प., दुमका	2009-10 से 2013-14	शून्य
4	जि.प.प., गढ़वा	2009-10 से 2013-14	शून्य
5	जि.प.प., गोड्डा	2009-10 से 2013-14	2009-10
6	जि.प.प., हजारीबाग	2009-10 से 2013-14	शून्य
7	जि.प.प., जमशेदपुर	2009-10 से 2013-14	2009-10
8	जि.प.प., लोहरदगा	2009-10 से 2013-14	2009-10
9	जि.प.प., पाकुड़	2009-10 से 2013-14	2009-10 एवं 2010-11
10	जि.प.प., पलामू	2009-10 से 2013-14	2009-10
11	जि.प.प., राँची	2009-10 से 2013-14	शून्य

आंतरिक लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन हमें उपलब्ध नहीं कराया गया। आंतरिक लेखापरीक्षा निरीक्षणों की अपर्याप्त संख्या के परिणामस्वरूप सिस्टम में त्रुटिपूर्ण कार्य क्षेत्रों से विभाग अनभिज्ञ रहा और इसलिए उपचारात्मक कार्रवाई करने में असमर्थ रहा।

परिवहन सचिव ने स्वीकार किया (2015 अगस्त) कि वित्त विभाग के लेखापरीक्षक आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित करते हैं तथा विभाग का कोई पृथक आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं है।

4.3.21.3 विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण

विभागीय प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण का कोई निश्चित मापदंड नहीं था।

उच्च विभागीय प्राधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण कार्यालयों के उचित कार्यचालन सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

चयनित कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचनाओं से यह पता चला कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान उच्च विभागीय प्राधिकारियों द्वारा इन कार्यालयों का निरीक्षण संचालित नहीं किया गया। जिला कार्यालयों के निरीक्षण सम्बन्धी हमारी पृच्छा पर, विभाग ने जून 2015 में कहा कि विभागीय प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण का कोई निश्चित मापदंड नहीं था।

4.3.21.4 पंजियों का संधारण नहीं किया जाना

माँग संग्रहण एवं बकाया पंजी

झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 23 के प्रावधानों के अंतर्गत, करारोपण अधिकारियों द्वारा प्रपत्र 'एम' में एक कर पंजी और प्रपत्र 'एन' में एक माँग पंजी का संधारण किया जायेगा। प्रत्येक वाहन के लिए अलग पृष्ठ चिन्हित होगा। कर प्रमादी वाहनों पर नजर रखने तथा वाहन मालिकों के विरुद्ध माँग पत्र निर्गत करने के लिए माँग पंजी प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर एवं 31 मार्च को अद्यतन किया जाएगा। अग्रेतर, लेखापरीक्षा अवलोकन के आलोक में विभाग ने मार्च 2000 एवं अगस्त 2005 में क्षेत्रीय कार्यालयों को माँग संग्रहण एवं बकाया पंजियों को संधारण तथा अद्यतन करने का सख्त निर्देश दिया था।

हमने नवंबर 2014 और जून 2015 के बीच चयनित जिलों के अभिलेखों की जाँच से पाया कि कार्यालयों द्वारा करारोपण पंजी एवं माँग पंजी संधारित/अद्यतन नहीं किया जा रहा था।

परिवहन सचिव ने बहिर्गमन सम्मेलन (अगस्त 2015) में कहा कि आँकड़े सिस्टम में संगृहीत किये जाते हैं। तथापि, प्राधिकारी प्रमादी वाहनों पर नजर नहीं रख सके एवं त्वरित रूप से माँग पत्रों को निर्गत करने में विफल रहे जैसा कि कंडिका 4.3.16 और 4.3.17 में वर्णित है।

द्विपक्षीय समझौता पंजी

उड़ीसा के साथ आपसी सहमति (जनवरी 2003) एवं पश्चिम बंगाल (जनवरी 2003) तथा बिहार (अप्रैल 2007) राज्य के साथ हुए द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार, लोक सेवा वाहनों के लिए द्विबिन्दु कराधान प्रणाली अपनायी गयी। इस प्रणाली के अंतर्गत अन्य राज्यों में परिचालित होने वाले सभी वाहन राज्य में आरोप्य सभी करों के भुगतान के उत्तरदायी होंगे। परस्पर अंतर्राज्यीय समझौते की शर्तों के अनुसार, अनुज्ञा-पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी संतुष्ट होने के बाद कि अद्यतन कर का भुगतान किया जा चुका है, अनुज्ञा-पत्र जारी तथा प्रतिहस्ताक्षर करेगा। झारखण्ड में मोटर वाहन कर झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 के प्रावधानों एवं उसके अधीन बनाये गये नियमावलियों के तहत आरोपित किया जाता है।

हमने परिवहन आयुक्त के कार्यालय में द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत परिचालित वाहनों से संबंधित अभिलेखों की जाँच से अप्रैल 2015 में पाया कि करों के भुगतान पर नजर रखने के लिए कराधान पंजी का संधारण नहीं किया गया। पथकर एवं अतिरिक्त पथकर वाहनों की बैठान क्षमता तथा माँडल पर आधारित होता है पर ऐसा कोई विवरण अनुज्ञा पत्र पंजी में अभिलेखित नहीं किया गया। पंजियों के उचित संधारण के अभाव में, प्रमादी वाहनों से देय कर के संबंध में कार्यालय में सूचना उपलब्ध नहीं थी। इस प्रकार, कार्यालय प्रमादी वाहनों के परिचालन को रोकने के लिए आवश्यक नियंत्रणों के उपयोग में विफल रहा।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015), विभाग ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जायेंगे। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.3.22 सेवा कर का उपयुक्त शीर्ष में जमा नहीं किया जाना

दुरुस्ती प्रमाणपत्र निर्गमन/नवीनीकरण शुल्क के साथ संग्रहित ₹ 3.07 करोड़ की सेवा कर की राशि '0044-सेवा-कर' के बजाय '0041-वाहनों पर कर' शीर्ष में जमा किया गया।

हमने नवंबर 2014 एवं जून 2015 के बीच चयनित जिला परिवहन कार्यालयों में मोटर वाहन निरीक्षकों द्वारा संधारित दुरुस्ती प्रमाण-पत्र पंजी का नमूना जाँच किया और पाया कि वर्ष 2009-10 से 2013-14 के दौरान वाहनों के दुरुस्ती के मद में उद्गृहीत राजस्व ₹ 3.07 करोड़ के सेवाकर और उपकर सहित ₹ 27.67 करोड़ था।

परिवहन आयुक्त, झारखण्ड, राँची के कार्यपालक निर्देश सं. 125/06-1434 दिनांक 02.12.2006 तथा सं. 125/2006-385 तथा 29.05.2007 के साथ पठित सेवा-कर नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत, दुरुस्ती प्रमाण-पत्र निर्गत करते समय 12 प्रतिशत की दर से सेवा कर और सेवा कर पर 2 प्रतिशत की दर से शिक्षा उपकर आरोप्य था। मोटर वाहन निरीक्षकों को सेवा कर निबंधन संख्या खोलने और संग्रहित सेवाकर की राशि को शीर्ष '0044-सेवा कर' शीर्षांतर्गत जमा करने का निर्देश दिया गया। तथापि, सेवा कर के रूप में संग्रहीत राशि को शीर्ष '0044-सेवा कर' के बजाय शीर्ष '0041-वाहनों पर कर' में जमा किया गया, जो अनियमित था। हमने यह भी पाया कि सेवा कर की राशि 12.36 प्रतिशत की दर के बजाय 12.50 प्रतिशत की दर से आरोपित किया गया।

सदृश मामला 31 मार्च 2011 को समाप्त हुए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 4.8.9.14 में इंगित किया गया था, सरकार ने एन.आई.सी. को टेबल संरचना में परिवर्तन करने का निर्देश दिया (नवम्बर 2011) ताकि सेवा कर की पृथक गणना और उचित शीर्ष में स्थानांतरण हो सके। तथापि, कमियों की प्रकृति अब तक मौजूद है, जो विभाग की कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को इंगित करता है।

4.3.23 स्मार्ट कार्ड

4.3.23.1 स्मार्ट कार्ड हेतु अनुबंध का नवीनीकरण नहीं होना

विभाग ने स्मार्ट कार्ड में ड्राइविंग लाइसेंस एवं निबंधन प्रमाणपत्र निर्गत करने के अनुबंध का न तो नवीनीकरण किया/न निविदा आमंत्रित किया और न ही वर्तमान वेंडर के कार्य को रोका।

परिवहन विभाग ने स्मार्ट कार्ड आधारित निबंधन प्रमाणपत्र निर्गमन हेतु मेसर्स वेंकटेश उद्योग और मेसर्स ए.के.एस. स्मार्ट कार्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ 16

सितंबर, 2004 के साथ समझौते के द्वारा वाहन व सारथी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर के अंधीन कंप्यूटरीकृत प्रणाली को आंशिक रूप से आउटसोर्स किया। इस अनुबंध की अवधि कार्डों के प्रथम निर्गमन की तिथि से पाँच वर्षों की थी। परियोजना को राज्य के 18 जिलों में कार्य लिए जाने के 16 सप्ताह के अंदर पूरा करना था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार अनुबंध की अवधि हर कार्यालय के लिए भिन्न था। बाद में, 26 जुलाई 2006 को एजेंसी का नाम बदलकर मेसर्स एमिटी इंफो सिस्टम्स लिमिटेड कर दिया गया।

परिवहन आयुक्त के कार्यालय में हमने समझौता संचिका की समीक्षा की और देखा कि वेंडर के साथ की गयी अनुबंध की अवधि सितंबर और दिसंबर 2009 के बीच समाप्त हो गयी थी पर पाँच वर्षों के बीत जाने के बाद भी अनुबंध के बगैर नवीनीकरण के वेंडर ने आवंटित कार्य करना जारी रखा। वेंडर द्वारा अनधिकृत रूप से निरंतर कार्य किये जाने पर विभाग द्वारा न तो आपत्ति की गयी और न ही अनुबंध को नवीनीकृत करने या नयी निविदा आमंत्रित करने के लिए कोई कार्रवाई की गयी। ऐसा अनधिकृत कार्य राजस्व के हानि की संभावना के जोखिम और महत्वपूर्ण आँकड़ों के दुरुपयोग से परिपूर्ण होता है, साथ-साथ वैधानिक जटिलताओं की ओर जाने की संभावना रहती है।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015) विभाग ने कहा कि पुनर्निविदा की कार्रवाई की जा रही थी। परिवहन सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया दिसंबर 2015 तक पूरी कर ली जाएगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.3.23.2 स्मार्ट कार्ड में निबंधन प्रमाण-पत्र का निर्गत नहीं किया जाना

स्मार्ट कार्ड आधारित निबंधन प्रमाण-पत्र निर्गमन नहीं किये जाने के कारण सरकार ₹ 9.43 लाख की राशि के राजस्व से वंचित हुई।

हमने चयनित जिलों में निबंधन पंजी का नमूना जाँच किया और जिला परिवहन कार्यालय, पाकुड़ में पाया (जनवरी 2015), कि वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 की अवधि के दौरान 4,714 निबंधन प्रमाणपत्र स्मार्ट कार्ड में जारी नहीं किये गये यद्यपि कार्यालय में वाहन पैकेज अधिष्ठापित था, इससे प्रयोजन, जिसके लिए सॉफ्टवेयर अधिष्ठापित किया गया था, निष्फल रहा। इस प्रकार, स्मार्ट कार्ड आधारित निबंधन प्रमाणपत्र निर्गमन के सरकार के कार्यान्वयन में खामियों ने सरकार को ₹ 9.43 लाख के राजस्व से वंचित किया जो के.मो.वा. नियमावली, 1989 के नियम 81 के अंतर्गत आरोप्य था।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जनवरी 2015), पर जि.प.प. ने कहा (फरवरी 2015) कि मामले को विभाग को संदर्भित किया जाएगा। परिवहन सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि सभी जिलों को आच्छादित करते हुए दिसंबर

2015 तक ई-टेंडरिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.3.24 वाहनों का दुरुस्ती प्रमाणपत्र

मो.वा.अधिनियम, 1988 की धारा 56 के प्रावधान के अंतर्गत, एक परिवहन वाहन तब तक वैध रूप से निबंधित नहीं माना जाएगा जब तक उसके पास अधिकृत प्राधिकारी द्वारा या अधिकृत जाँच केंद्र द्वारा निर्गत दुरुस्ती प्रमाणपत्र न हो। झारखण्ड मोटर वाहन नियमावली, 2001 के नियम 259 के अंतर्गत, मोटर वाहन निरीक्षक आवश्यक जाँच के उपरांत परिवहन वाहनों को इस आशय का दुरुस्ती प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए प्राधिकृत हैं कि वाहन उस समय मोटर वाहन अधिनियम और उसके अधीन बनायी गयी नियमावली की सभी जरूरतों को पूरा करता था। अग्रेतर, के.मो.वा. नियमावली, 1989 का नियम 63 अनुबंध करता है कि एक लाख के सुरक्षित जमा पर राज्य सरकार द्वारा जाँच केंद्र एक परिवहन वाहन को 5,000 के प्राधिकार पत्र के ग्रांट/नवीनीकरण शुल्क के भुगतान पर दुरुस्ती प्रमाणपत्र निर्गत/नवीनीकृत करने के लिए परिचालित करने हेतु प्राधिकृत किये जाते हैं (के.मो.वा. नियमावली, 1989 का नियम 81)। प्राधिकार पत्र प्रदान/नवीनीकरण किये जाने के आवेदन पर विचार करते समय निबंधन प्राधिकारी स्टाफ की न्यूनतम योग्यता, जाँच केंद्र के परिसर, निरीक्षण लेन, परीक्षण उपकरणों एवं लेनों की जाँच करेंगे।

4.3.24.1 मोटर वाहन निरीक्षकों को वाहनों के निरीक्षण हेतु आवश्यक उपस्कर उपलब्ध नहीं कराए गए।

हमने परिवहन आयुक्त कार्यालय में देखा (जून 2015) कि मोटर वाहन निरीक्षकों को दुरुस्ती प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए आवश्यक उपस्कर और वाहनों के निरीक्षण हेतु परिसर उपलब्ध नहीं कराये गये थे। आधारभूत संरचना के अभाव में दुरुस्ती प्रमाणपत्र का निर्गमन निर्धारित मानदंड के अनुरूप नहीं भी हो सकता है।

4.3.24.2 प्राधिकृत जाँच केंद्र का प्राधिकार पत्र नवीनीकृत किया गया हालांकि अपेक्षित उपस्कर निर्धारित मापदंडों का अनुपालन नहीं करते थे।

हमने अप्रैल 2015 में परिवहन आयुक्त के कार्यालय में छः प्राधिकृत जाँच केंद्रों के संचिकाओं की जाँच के दौरान पाया कि जि.प.प., राँची एवं मो.वा.नि., राँची ने संयुक्त रूप से अप्रैल 2011 तथा जुलाई 2013 में जाँच केंद्रों में से एक की जाँच की तथा प्रतिवेदित किया कि अपेक्षित उपस्कर निर्धारित मापदंडों के अनुरूप नहीं थे। तथापि, निरीक्षण प्रतिवेदन को स्थगित रखते हुए विभाग द्वारा जुलाई 2013 में इस केंद्र का प्राधिकार पत्र मई 2018 तक की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015), पर विभाग ने कहा (अप्रैल 2015) कि जाँच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.3.24.3 निजी अधिकृत जाँच केंद्रों द्वारा दुरुस्ती प्रमाणपत्र के निर्गमन के लिये आरोपित प्रभारों पर सरकार के हिस्सेदारी हेतु कोई प्रावधान नहीं था

हमने नवंबर 2014 और जून 2015 के बीच देखा कि चार जिलों²² में सात प्राधिकृत जाँच केंद्र कार्यरत थे। 2009-10 और 2013-14 की अवधि के दौरान, इन केंद्रों ने परिवहन वाहनों को 38,701 दुरुस्ती प्रमाणपत्र निर्गत किया जिसके लिए ₹ 1.46 करोड़ प्रभारित किया। इस संग्रह में सरकार की हिस्सेदारी का कोई प्रावधान नहीं था। एजेंसी ने ₹ 5,000 शुल्क के भुगतान पर 5 वर्षों के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किया और ₹ 1.46 करोड़ का व्यवसाय किया।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (नवंबर 2014 एवं जून 2015 के बीच) विभाग ने कहा (फरवरी 2015) कि दुरुस्ती शुल्क पर अधिभार आरोपित किया जा सके इस संबंध में मामले को देखा जाएगा। परिवहन सचिव ने स्वीकार किया (अगस्त 2015) कि मो.वा.नि. द्वारा पर्याप्त उपकरणों के बिना ही वाहनों को दुरुस्ती प्रमाणपत्र निर्गत किया जा रहा था। निजी जाँच केंद्रों द्वारा संगृहीत दुरुस्ती शुल्क पर अधिभार आरोपित किये जाने के संबंध में, यह कहा गया कि कानूनी पहलुओं का पता लगाया जाएगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.3.25 विभागीय मुद्रा रसीदों का उपयोग न किया जाना

यातायात पुलिस, राँची मो.वा.अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर दोषों के निपटारे के लिये विभागीय मुद्रा रसीद का उपयोग नहीं कर रही थी।

परिवहन विभाग ने अपने अधिसूचना सं. 953, दिनांक 14.9.2009 द्वारा, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत झारखण्ड के 6 शहरों²³ में यातायात पुलिस जो उपनिरीक्षक के श्रेणी से निम्न न हो, को दोषों के निपटारे का अधिकार प्रदान किया। अधिसूचना ने यातायात पुलिस अधिकारियों को परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची से मुद्रा रसीद, ज़ब्ती रसीद आदि प्राप्त करने और अधिरोपित दंड एवं अर्थदण्ड की राशि को भारतीय स्टेट बैंक, डोरंडा, राँची शाखा के सरकारी खाते में जमा करने का निर्देश दिया।

हमने अप्रैल 2015 में परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के कार्यालय के अभिलेखों की जाँच में पाया कि यातायात पुलिस, राँची दोषों के निपटारे के लिए विभागीय मुद्रा रसीद का उपयोग नहीं कर रही थी इसके बजाय उन्होंने अलग मुद्रा रसीद छपवाया। हालाँकि, यह मामला अनुपालन लेखापरीक्षा में पूर्व में इंगित किया गया था, तब भी इसका प्रचलन जारी रहा। इसने यातायात पुलिस, राँची द्वारा राजस्व के संग्रहण और जमा किये जाने पर विभाग के नियंत्रण में कमी को दर्शाया। तथापि, 2005 से 2013 के दौरान संग्रहण से संबंधित ₹ 4.15 करोड़ की राशि सरकारी खाते में 2010 और 2013 की अवधि के दौरान पाँच वर्ष तक विलंब के उपरांत जमा किया गया।

²² धनबाद, जमशेदपुर, लोहरदगा एवं राँची।

²³ बोकारो, देवघर, धनबाद, जमशेदपुर, हजारीबाग एवं राँची।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (अप्रैल 2015) विभाग ने कहा कि पुलिस अधीक्षक, यातायात, राँची से इस संबंध में पत्राचार किया जाएगा। परिवहन सचिव ने कहा (अगस्त 2015) कि यातायात पुलिस, राँची को विभागीय मुद्रा रसीदों का उपयोग करने के निर्देश दिये गये थे। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.3.26 मानव संसाधन प्रबंधन

किसी संगठन/विभाग के कुशल एवं प्रभावी कार्यचालन हेतु मानव संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पर्याप्त मानव-बल और प्रचलित परिस्थिति/काम के वातावरण में कार्य करने के लिए समुचित प्रशिक्षण योग्यता/सम्मिलित है।

चयनित जिलों के जिला परिवहन कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत स्वीकृत बल और कार्यरत बल तालिका 4.3.26 में है।

तालिका 4.3.26

पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत में)
जिला परिवहन पदाधिकारी	11	11	0
मोटर वाहन निरीक्षक	24	06	75.00
लिपिक	63	43	31.75
कंप्यूटर ऑपरेटर	--	42	--
अन्य	23	17	26.09

उपरोक्त तालिका से हमने देखा कि जिला परिवहन कार्यालयों में सहायक कर्मियों की अत्यधिक कमी थी। इन कार्यालयों में 43 लिपिक कार्यरत थे जिसमें से 23 अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर थे।

4.3.26.1 विभागीय अधिकारियों के लिये पृथक संवर्ग न होना

जिला परिवहन कार्यालय मुख्यतः कानूनों, नियमावलियों, विभागीय निर्देशों के प्रवर्तन और शासकीय देय के आरोपण/संग्रहण हेतु उत्तरदायी हैं, पर विभागीय अधिकारियों के लिए कोई पृथक संवर्ग नहीं था। परिवहन अधिकारियों का काम करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों को तैनात किया गया था। विभागीय संवर्ग के गठन नहीं होने से अधिनियम/ नियमावलियों के प्रावधानों के प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा और फलस्वरूप सरकारी राजस्व की हानि हुई होगी।

4.3.26.2 मोटर वाहन निरीक्षकों की अत्यधिक कमी

मोटर वाहन निरीक्षक (मो.वा.नि.) सड़क परिवहन संबंधी सभी तकनीकी मामलों में जिला परिवहन पदाधिकारियों का सहयोग करते हैं। वे वाहनों के दुरुस्ती की जाँच और दुरुस्ती प्रमाणपत्र प्रदान/नवीनीकरण करने के लिए उत्तरदायी हैं। हमने पाया कि 24 स्वीकृत बल के विरुद्ध मात्र छः मोटर वाहन निरीक्षक थे। प्रत्येक मोटर वाहन निरीक्षक दो से अधिक जिलों में अपना कर्तव्य निष्पादित कर रहे थे। इस संवर्ग में

कमी के फलस्वरूप कार्यभार आवश्यकता से अधिक हो गया जिसने उनके कार्यक्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इस संबंध में मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार ने विभाग को नियमित नियुक्ति न होने तक मो.वा.नि. के रिक्त पद को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने का निर्देश दिया (जनवरी 2014)। तथापि, इस संवर्ग में कमी विद्यमान है (अक्टूबर 2015)।

4.3.26.3 संविदात्मक आधार पर कार्य किया जाना

झारखण्ड सरकार ने परिवहन विभाग के सभी कार्यकलापों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए समन्वित प्रयास की दिशा में अगस्त 2004 में 'वाहन' एवं 'सारथी' अनुप्रयोग को लागू किया। कार्यान्वयन योजना के अनुसार, एन.आई.सी. द्वारा जिला परिवहन कार्यालय के कर्मी/अधिकारी को अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण दिया जाना था। तथापि, कर्मियों को सॉफ्टवेयर की भली-भाँति जानकारी के लिए कोई प्रशिक्षण सूची नहीं बनाई गई। इस प्रकार, 10 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी, विभाग के महत्वपूर्ण कार्य संविदात्मक आधार पर या दैनिक मजदूरी आधार पर रखे गये व्यक्तियों द्वारा किया गया, जिससे गंभीर अनियमितताएँ हो सकती थीं।

हम अनुशंसा करते हैं कि सरकार आंतरिक लेखापरीक्षा शाखा की स्थापना करने तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण हेतु प्रावधानों के प्रतिपादन पर विचार कर सकती है। विभाग को परिवहन कर्मियों का अपना संवर्ग बनाकर, समुचित प्रशिक्षण आयोजन कर और पर्याप्त आधारभूत संरचना एवं उपस्कर उपलब्ध कराकर मानव संसाधनों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

4.3.27 निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने निम्न अवलोकित किया :

- प्रमादी परिवहन तथा वैयक्तिक वाहनों पर कर का आरोपण एवं उद्ग्रहण नहीं होना, प्रमादी राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र धारी, निबंधन का नवीनीकरण नहीं किया जाना, स्थानीय निबंधन चिन्ह आवंटित नहीं किया जाना और निबंधन प्रमाणपत्र का स्मार्ट कार्ड में निर्गत नहीं किया जाना;
- लोक सेवा वाहनों का वर्गीकरण नहीं किया जाना, पुराने वाहनों को क्रमिक रूप से हटाने, ग्रीन टैक्स के आरोपण, वाहन संबंधी प्रदूषण रोकने हेतु प्रदूषण जागरूकता अभियान इत्यादि के लिए नीतियाँ नहीं बनाया जाना। दुरुस्ती का प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु वाहनों के निरीक्षण के लिए आवश्यक उपस्कर एवं परिसर मोटर वाहन निरीक्षकों को उपलब्ध नहीं कराया गया; और
- विभाग में अपना कोई आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध नहीं है, यह वित्त विभाग द्वारा किया जाता है, अपर्याप्त आंतरिक लेखापरीक्षा के कारण सिस्टम में त्रुटिपूर्ण कार्य क्षेत्रों से विभाग अनभिज्ञ रहा। अपर्याप्त कार्यरत बल, उचित

प्रशिक्षण का अभाव और विभागीय संवर्ग का गठन नहीं किये जाने से अधिनियम/नियमावली के प्रावधानों को लागू करना प्रभावित हुआ।

4.4 अधिनियमों/नियमावतियों के प्रावधानों का अनुपालन/पालन नहीं होना

झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (झा.मो.वा.क.) अधिनियम, 2001 मोटर वाहन अधिनियम, 1988 बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) और उसके अधीन बनाये गये नियमों में प्रावधान हैं:

- (i) वाहन मालिकों द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर मोटर वाहन कर का भुगतान;
- (ii) संगृहीत राजस्व को सरकारी खाते में ससमय जमा करना;
- (iii) विनिर्दिष्ट दर से निबंधन शुल्क का भुगतान;
- (iv) राष्ट्रीय अनुज्ञापत्र के प्राधिकार का निर्गमन एवं नवीनीकरण; और
- (v) ड्राइविंग लाइसेंस का निर्गमन एवं नवीनीकरण।

हमने पाया कि परिवहन विभाग ने अनुवर्ती कंडिकाओं में उल्लिखित मामलों में अधिनियमों/नियमावतियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

4.5 परिवहन वाहनों से करों का संग्रहण नहीं होना

प्रमादी वाहन मालिकों से उद्ग्रहनीय ₹ 5.49 करोड़ के कर एवं अर्थदंड की वसूली नहीं की गयी।

4.5.1 हमने जुलाई 2014 और मार्च 2015 के बीच सात जिला परिवहन कार्यालयों²⁴ में करारोपण पंजी, मां.सं.ब. पंजियों, अभ्यर्पण पंजियों एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच में पाया कि नमूना जाँच किये गये 12,151 वाहनों में से 648 वाहनों के मालिकों ने दिसंबर 2010 एवं मार्च 2015 के बीच कर का भुगतान नहीं किया। इनमें से किसी भी मामले में झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 17 के अंतर्गत वाहन मालिकों के पते में परिवर्तन या कर के भुगतान से छूट प्राप्त हेतु दस्तावेजों का अभ्यर्पण अभिलेख में नहीं पाया गया। इस प्रकार, झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के धारा 5 एवं नियम 4 के अंतर्गत वे कर भुगतान के उत्तरदायी थे। झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 23 के अनुसार जि.प.प. ने भी मां.सं.ब. पंजी को आवधिक रूप से अद्यतन नहीं किया, इसलिए उनके पास प्रमादी वाहन मालिकों की संख्या एवं उनसे उद्ग्रहीत किये जाने वाले करों का विवरण नहीं था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने प्रमादी वाहन मालिकों के विरुद्ध कर एवं अर्थदंड का माँग सृजित नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.62 करोड़ के अर्थदंड सहित ₹ 3.92 करोड़ कर का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जुलाई 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) जि.प.प., कोडरमा ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि प्रमादी वाहन मालिकों के विरुद्ध माँग पत्र निर्गत किये गये थे और 10 मामलों में ₹ 5.64 लाख की वसूली की गयी थी। परिवहन सचिव ने जि.प.प. को कि बड़े प्रमादियों की पहचान करने और

²⁴ चाईबासा, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, कोडरमा, साहिबगंज और सरायकेला-खरसावाँ।

उनके विरुद्ध बकाये कर के उद्ग्रहण हेतु एक गहन अभियान चलाने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.5.2 हमने जुलाई 2014 और मार्च 2015 के बीच सात जिला परिवहन कार्यालयों²⁵ के करारोपण पंजी, मां.सं.ब. पंजियों, अभ्यर्पण पंजियों एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़ों के नमूना जाँच में पाया कि 5,903 ट्रेलरों में से 1,155 ट्रेलर के मालिकों ने मार्च 2010 एवं मार्च 2015 के बीच कर का भुगतान नहीं किया। इनमें से किसी भी मामले में मालिकों के पते में परिवर्तन अभिलेख में नहीं पाया गया। इस प्रकार झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 एवं झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4 के अंतर्गत वे कर एवं अर्थदंड के भुगतान के उत्तरदायी थे। जि.प.प. ने भी झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 23 के अनुसार आवधिक रूप से मां.सं.ब. पंजी को अद्यतन नहीं किया, इसलिए उनके पास प्रमादी ट्रेलर मालिकों की संख्या एवं उनसे उद्ग्रहीत किये जाने वाले करों का विवरण नहीं था। जिला परिवहन पदाधिकारियों ने प्रमादी वाहन मालिकों के विरुद्ध कर एवं अर्थदण्ड का माँग सृजित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.05 करोड़ के अर्थदंड सहित ₹ 1.57 करोड़ के कर का आरोपण नहीं हुआ।

मामले को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जुलाई 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) जि.प.प., कोडरमा ने सूचित किया (अगस्त 2015) कि प्रमादी वाहन मालिकों के विरुद्ध माँग पत्र निर्गत कर दिये गये हैं और आठ मामलों में ₹ 55,800 की वसूली की गयी है। परिवहन सचिव ने जि.प.प. को (अगस्त 2015) बड़े प्रमादियों की पहचान करने और उनके विरुद्ध बकाये कर के उद्ग्रहण के लिए एक गहन अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा कि 5/10 वर्षों के एकमुश्त कर का प्रस्ताव रखा जाएगा। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.6 वैयक्तिक वाहनों पर एकमुश्त कर का आरोपण नहीं होना

छः से 10 बैठान क्षमता वाले प्रमादी वैयक्तिक वाहनों से उद्ग्रहणीय एकमुश्त कर व अर्थदंड ₹ 97.50 लाख का आरोपण नहीं किया गया

हमने जुलाई 2014 एवं मार्च 2015 के बीच सात जिला परिवहन कार्यालयों²⁶ में करारोपण पंजी एवं कंप्यूटरीकृत आँकड़ों की नमूना जाँच से पाया कि 4,738 वैयक्तिक वाहनों में से 341 की कर वैधता मार्च 2006 और अगस्त 2014 के बीच समाप्त हो गयी थी। जि.प.प. ने माँग, वसूली एवं बकाया पंजियों की आवधिक रूप से समीक्षा नहीं की। इसके परिणामस्वरूप झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 2(जी) तथा झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 7 के प्रावधानानुसार ₹ 37.14 लाख के ब्याज सहित कुल ₹ 85.92 लाख के एकमुश्त कर का आरोपण नहीं हुआ। साथ ही, 22 मई 2011 तक झा.मो.वा.क. अधिनियम,

²⁵ चाईबासा, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, कोडरमा, साहिबगंज और सरायकेला-खरसावाँ।

²⁶ चाईबासा, देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, कोडरमा, साहिबगंज और सरायकेला-खरसावाँ।

2001 की धारा 5 एवं झा.मो.वा.क. नियमावली, 2001 के नियम 4 के अंतर्गत 7.72 लाख के अर्थदंड सहित 11.58 लाख का कर भी आरोप्य था।

मामलों को हमारे द्वारा इंगित किये जाने के बाद (जुलाई 2014 और मार्च 2015 के बीच) जि.प.प., कोडरमा (अगस्त 2015) ने कहा कि दो मामलों में 55,750 की राशि की वसूली की गयी है। परिवहन सचिव ने जि.प.प को बड़े प्रमादियों की पहचान करने और उनके विरुद्ध बकाया करों के उदग्रहण के लिए एक गहन अभियान चलाने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.7 बैंकों द्वारा संग्रहित राजस्व को जमा करने में विलंब के कारण भुगतये ब्याज का उदग्रहण नहीं होना

संग्राहक बैंक ने संग्रहित राजस्व के सरकारी खाते में विलंब से स्थानांतरण के कारण भुगतये 21.36 लाख का ब्याज निर्धारित समय के अन्तर्गत क्रेडिट नहीं किया।

हमने मार्च 2015 में जिला परिवहन कार्यालय, साहिबगंज में संग्रहित राजस्व के प्रेषणों की बैंक विवरणी के नमूना जाँच के दौरान देखा कि संग्राहक बैंक अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक, साहेबगंज ने बिहार वित्तीय नियमावली (झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) के नियम 37 के प्रावधानों तथा परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के निर्देशों (जनवरी 2001) के प्रतिकूल 2012-13 और 2013-14 वर्षों के लिए 21.12 करोड़ की राशि को निर्धारित समय के अंदर सरकारी खाते में जमा हेतु एस.बी.आई., डोरण्डा शाखा में क्रेडिट नहीं किया और भारतीय रिजर्व बैंक (भा.रि.बैं.) के निर्देशों के अनुसार 21.36 लाख के दंडात्मक ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी है। विलंब का दायरा एक महीने से 10 महीनों के बीच था। इसने इंगित किया कि विभाग ने संग्राहक बैंकों के साथ ब्याज के भुगतान के मामले का अनुश्रवण नहीं किया एवं प्रभावी रूप से अनुसरण भी नहीं किया।

परिवहन सचिव ने जि.प.प. को बैंकों द्वारा सरकारी राजस्व के स्थानांतरण पर आवधिक निगाह रखने का निर्देश दिया (अगस्त 2015)। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

4.8 ट्रेलरों का अल्प निबंधन

ट्रेक्टरों के विरुद्ध ट्रेलरों के अल्प निबंधन ने 15.72 लाख के राजस्व वंचित किया

हमने मार्च 2015 में जिला परिवहन कार्यालय, साहिबगंज में 2009-10 से 2013-14 के दौरान निबंधित वाहनों की सूची के साथ साथ करारोपण और निबंधन पंजी के नमूना जाँच से पाया कि वर्षों के दौरान तीन²⁷ पड़ोसी जिलों की तुलना में, जो 100 प्रतिशत था, निबंधित ट्रेलरों की संख्या निबंधित ट्रेक्टरों की संख्या के मात्र 35 प्रतिशत और 48 प्रतिशत के बीच था। परिवहन विभाग द्वारा जुलाई 2007 में

²⁷ देवघर, दुमका एवं जामताड़ा।

निर्गत निर्देश जिसमें निबंधन के समय ट्रैक्टर एवं ट्रेलर दोनों का निबंधन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था, को स्थगित रखकर 1,061 ट्रैक्टरों के विरुद्ध मात्र 406 ट्रेलर ही निबंधित किये गये। धारा 4 में प्रावधान है कि कृषि उत्पादों के परिवहन हेतु उपयोग किया जाने वाला मोटरवाहन सिर्फ कृषि उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया गया वाहन नहीं माना जायेगा। ट्रेलर की अनुपस्थिति में, ट्रैक्टर की उपयोगिता का ज्यादा महत्व नहीं है। वाहन मालिकों में ट्रेलरों का निबंधन नहीं कराकर झा.मो.वा.क. अधिनियम, 2001 की धारा 5 के अंतर्गत भुगतये ₹ 2,400 का वार्षिक कर छुपाने की प्रवृत्ति है। इस प्रकार, ट्रेलरों के अल्प निबंधन के कारण सरकार ₹ 15.72 लाख के राजस्व से वंचित रही।

परिवहन विभाग ने जि.प.प. को ट्रैक्टर एवं ट्रेलर का निबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। यह भी बताया गया कि दोनों पर सम्मिलित कर आरोपित करने की संभाव्यता का पता लगाया जायेगा। तथापि, विभागीय निर्देशों का अनुसरण करने के लिए जि.प.प. द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

अध्याय - V

अन्य कर प्राप्तियाँ

अध्याय-V: अन्य कर राजस्व !!

अ. भू-राजस्व

5.1 कर प्रशासन

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग¹ का विधिक ढाँचा सचिव/आयुक्त द्वारा प्रशासित होता है। बंदोबस्ती के सभी महत्वपूर्ण मामलों, नीतियों का ढाँचा एवं सरकारी भूमि के हस्तांतरण की स्वीकृति के निर्णय सरकार के स्तर पर लिए जाते हैं। राज्य पाँच प्रमण्डलों² में विभाजित है, प्रत्येक के प्रमुख एक प्रमण्डलीय आयुक्त होते हैं एवं 24 जिलों³ में विभाजित है, प्रत्येक के प्रमुख एक उपायुक्त होते हैं। जिला स्तर पर उपायुक्त को अपर उपसमाहर्ता/अपर उपायुक्त (अ.स./अ.उ.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जिले अनुमण्डलों में विभाजित हैं, जिसके प्रमुख अनुमण्डल पदाधिकारी (अ.प.) होते हैं, जिनकी सहायता भूमि सुधार उपसमाहर्ता (भू.सु.उ.स.) द्वारा की जाती है। अनुमण्डलों को अंचलों में विभाजित किया गया है, जिनके प्रमुख अंचल अधिकारी (अं.अ.) होते हैं।

भू-लगान, सलामी⁴, व्यावसायिक/आवासीय लगान, सेस⁵ इत्यादि भू-राजस्व के अंतर्गत अनेकों प्राप्तियाँ हैं।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 2014-15 के दौरान ₹ 83.54 करोड़ का संग्रहण किया। वर्ष 2014-15 के दौरान हमने भू-राजस्व से संबंधित 307 इकाइयों में से 20 इकाइयाँ, जिनका राजस्व संग्रहण ₹ 5.69 लाख था, के नमूना जाँच में 178 मामलों में सन्निहित ₹ 3.89 करोड़ के उपकरणों के बकाया पर सूद और/या उपकरणों को नहीं/कम लगाया जाना, सलामी और व्यावसायिक लगान नहीं/कम निर्धारण करना, सन्निहित भूमि की बन्दोबस्ती नहीं किया जाना आदि का पता चला। यह 20 इकाइयों

¹ बिहार कास्तकारी अधिनियम, 1985, छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908, संथाल परगना अधिनियम, 1949, बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950, बिहार भूमि सुधार (भू-हदबंदी क्षेत्र का निर्धारण एवं अधिशेष भूमि का अधिग्रहण) अधिनियम, 1961, बिहार भूदान अधिनियम, 1954, बिहार सरकार सम्पदा (खास महल), नियमावली, 1953, बिहार लोक अतिक्रमण अधिनियम, 1956, बंगाल अधिनियम, सेस 1880, समय-समय पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा जारी अधिशासी आदेश।

² दक्षिणी छोटानागपुर (राँची), उत्तरी छोटानागपुर (हजारीबाग), संथाल परगना (दुमका), पलामू (मेदिनीनगर) और कोल्हान (चाईबासा)।

³ बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, देवघर, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गोड्डा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, कोडरमा, खूँटी, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावाँ, सिमडेगा एवं पश्चिमी सिंहभूम।

⁴ "सलामी" भूमि का बाजार मूल्य है।

⁵ शिक्षा सेस: लगान का 50 प्रतिशत, स्वास्थ्य सेस: लगान का 50 प्रतिशत, कृषि विकास सेस: लगान का 20 प्रतिशत और सड़क सेस: लगान का 25 प्रतिशत (कुल 145 प्रतिशत)।

द्वारा भू-राजस्व के संग्रहण के कर्तव्य का लगभग परित्याग को इंगित करता है जैसा कि तालिका - 5.2 में वर्णित है-

तालिका - 5.2

			(करोड़ में)
क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	सन्निहित भूमि की बंदोबस्ती नहीं किया जाना	16	0.10
2	सैरातों का बंदोबस्ती नहीं होना	9	0.02
3	अन्य मामले	153	3.77
कुल		178	3.89

वर्ष के दौरान, विभाग ने 22 मामलों में ` 2.24 करोड़ का पट्टा नवीकरण नहीं किये जाने को स्वीकार किया।

इस अध्याय में दृष्टांतस्वरूप ` 2.24 करोड़ के वसूली योग्य वित्तीय प्रभाव के कुछ मामलों को हम प्रस्तुत करते हैं। अनुवर्ती कंडिकाओं में इनकी चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा अवलोकन

5.3 सलामी हेतु प्रावधानों का पालन नहीं होना

बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) हस्तक, 1953 और समय-समय पर जारी निर्देशों, जैसा झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया, प्रावधान करता है कि:

(i) आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नये पट्टों पर भूमि के वर्तमान बाजार मूल्य के बराबर सलामी के अतिरिक्त क्रमशः दो प्रतिशत एवं पाँच प्रतिशत की दर से वार्षिक लगान देय होगा; और

(ii) लीज के नवीकरण पर सलामी, दाण्डिक लगान एवं ब्याज का आरोपण।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का ठीक ढंग से पालन नहीं किया, जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व का उद्ग्रहण नहीं/कम हुआ जो अनुवर्ती कंडिकाओं में दिये गये हैं:

5.4 पट्टों का नवीकरण नहीं होने के कारण राजस्व का उद्ग्रहण नहीं होना

पट्टा नवीकरण नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप सरकार को सलामी, दाण्डिक लगान एवं ब्याज के राजस्व से वंचित होना पडा।

हमने भूमि सुधार उपसमाहर्ता (भू.सु.उ.स.) के अधीन सिमडेगा जिले के 12 अंचल कार्यालयों में से, सिमडेगा अंचल कार्यालय के खास महल के पट्टा अभिलेखों का अक्टूबर 2014 में नमूना जाँच किया और पाया कि 102 पट्टों में से 2.44 एकड़ भूमि सन्निहित 22 पट्टे वर्ष 1960 से 1996 के मध्य समाप्त हो गये थे। हमने देखा कि पट्टों के नवीकरण के लिए न तो पट्टाधारियों ने निर्धारित समय में आवेदन दिया न ही विभाग ने खास महल अभिलेखों की समीक्षा की और पट्टाधारियों को नवीकरण हेतु आवेदन के लिए सूचनाएँ निर्गत की। यद्यपि, भू.सु.उ.स. द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के आधार पर विभाग द्वारा पट्टाधारियों के नवीकरण के आवेदन हेतु वर्ष 2002-03 में सूचनाएँ निर्गत की गयी थी। तदनुसार, पट्टाधारियों ने पट्टों के नवीकरण हेतु अपनी सहमति समर्पित किया, परन्तु पट्टों का नवीकरण नहीं किया गया (अप्रैल 2015)। वास्तव में बिहार सरकार सम्पदा (खास महल) नियमावली के नियम 9 और इसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) भूमि धारकों को अनाधिकार प्रवेशक माना जायेगा जिसमें यह अनुबंधित है कि यदि पट्टाधारी बिना लगान का भुगतान किये और बिना पट्टा का नवीकरण कराये पट्टावाली सम्पत्ति को रखता है तो, उसे अनाधिकार प्रवेश का दोषी माना जाएगा और पिछले बंधों और शर्तों पर नवीकरण का उसका कोई दावा नहीं होगा। इस प्रकार, विभाग द्वारा समय-समय पर संबंधित अभिलेखों की समीक्षा एवं उपर वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित समय में समाप्त पट्टों के नवीकरण के लिए कार्रवाई करने में असफल रहने के फलस्वरूप सलामी, दाण्डिक लगान एवं ब्याज के रूप में 2.24 करोड़ सरकारी राजस्व का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा मामला बताये जाने के बाद भू.सु.उ.स., सिमडेगा ने अक्टूबर 2014 में कहा कि पट्टों के नवीकरण की कार्रवाई की जा रही है। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामला सरकार को मई 2015 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

ब. मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क

5.5 कर प्रशासन

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 एवं उसके अंतर्गत निर्मित नियमावलियों तथा निबंधन अधिनियम, 1908 के द्वारा झारखण्ड राज्य में मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण एवं संग्रहण शासित होता है। 15 नवम्बर 2000 को झारखण्ड राज्य की स्थापना होने पर बिहार राज्य में विद्यमान अधिनियम, नियमावली एवं कार्यकारी आदेशों को झारखण्ड राज्य द्वारा अंगीकृत किया गया।

5.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

मुद्रांक एवं निबंधन विभाग ने वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 530.67 करोड़ का संग्रहण किया। हमने मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस से संबंधित 46 इकाइयों में से 14 इकाइयों का नमूना जाँच किया। नमूना जाँच किये गये इकाइयों में 626 मामलों में ₹ 2.33 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण, परिसम्पत्तियों का अवमूल्यांकन आदि का पता चला, जैसा कि तालिका - 5.6 में वर्णित है।

तालिका - 5.6

			(₹ करोड़ में)
क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण	26	0.39
2	परिसम्पत्तियों का अवमूल्यांकन	7	0.42
3	अन्य मामले	593	1.52
कुल		626	2.33

वर्ष 2014-15 के दौरान विभाग ने हमारे द्वारा इंगित किये गये 37 मामलों में ₹ 35 लाख के मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस के कम आरोपण आदि को स्वीकार किया।

इस अध्याय में हम ₹ 29 लाख के वित्तीय प्रभाव के दृष्टांतस्वरूप मामले प्रस्तुत करते हैं, जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

5.7 अधिनियमों/नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं होना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, (भा.मु.अधिनियम), निबंधन अधिनियम, 1908 तथा बिहार निबंधन नियमावली, 1937, बिहार निबंधन हस्तक, 1946 और बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यन की रोकथाम) नियमावली, 1995 (झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत) के अधीन प्रावधान हैं:

(i) विनिर्दिष्ट दर से पंजीयन शुल्क का भुगतान; और

(ii) निष्पादक द्वारा विनिर्दिष्ट दर से मुद्रांक शुल्क का भुगतान।

हमने देखा कि निबंधन विभाग ने नीचे उल्लिखित मामलों में अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया:

5.8 अभिहस्तांतरण विलेख का विकास अनुबंध के रूप में गलत वर्गीकरण

एक जिला अवर निबंधक कार्यालय में 11 अभिहस्तांतरण विलेखों का विकास अनुबंधों के रूप में गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 19.46 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

हमने जिला अवर निबंधन (जि.अ.नि.) का कार्यालय, धनबाद के पुस्त-1, फीस बहियों एवं मूल्यांकन पंजियों का नमूना जाँच (जुलाई 2014) किया और पाया कि इस कार्यालय में वर्ष 2012-13 के दौरान 11 विकास अनुबंधों का निबंधन किया गया। जमीन मालिक प्रतिफल प्राप्त करने के बदले में विकसित भूमि का एक भाग प्राप्त करने के अधिकारी थे। विकासकों को अपने हिस्से की विकसित भूमि को जमीन मालिकों के सहमति के बिना अपनी सुविधानुसार, जैसा उचित समझे, निपटारे करने का हक था। हमारे द्वारा दस्तावेजों की आगे जाँच में उद्घटित हुआ कि जमीन मालिकों ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार विकासकों को भूमि पर निर्माण, विकास एवं भूमि का व्यवसाय के लिए भूमि पर स्वत्वाधिकार हेतु प्राधिकृत किया। इसलिए इन दस्तावेजों को विकास अनुबंधों के बदले अभिहस्तांतरण अभिलेखों की तरह निबंधित किए जाने की आवश्यकता थी। क्योंकि किसी दस्तावेज का वर्गीकरण उसमें अभिलेखित संव्यवहार की प्रवृत्ति पर निर्भर है, जैसा कि भा.मु. अधिनियम, 1899 की धारा 2(10) में अनुबद्ध है। परन्तु इन दस्तावेजों को गलत प्रतिफल मूल्य अर्थात् विकासकों को हस्तांतरित भूमि का मूल्यांकन पंजी के आधार पर निबंधित किया गया। विभाग ने ₹ 3.44 करोड़ के प्रतिफल मूल्य पर ₹ 24.07 लाख के बदले ₹ 20.91 लाख के सामान्य अनुबंधों की तरह अग्रिम पर ₹ 4.61 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस आरोपित किया। जिसके परिणामस्वरूप बिहार मुद्रांक (दस्तावेजों के अवमूल्यांकन की रोकथाम) नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुसार भूमि के बाजार मूल्य का प्रयोग करते हुए निर्धारित प्रतिफल पर ₹ 8.34 लाख के निबंधन फीस सहित ₹ 19.46 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को अगस्त 2014 में बताये जाने के बाद जि.अ.नि. धनबाद ने जून 2015 में कहा कि सूचनाएँ निर्गत की गयीं और दो मामलों में ₹ 2 लाख की वसूली की गयी है। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामला सरकार को अप्रैल 2015 में प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका संख्या 6.7.4 में सदृश मामला बताया गया था, सरकार ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन/अपार्टमेंट/निर्माण परियोजना व कुल अनुमानित लागत का दो प्रतिशत निबंधन फीस के आरोपण को अक्टूबर 2014 में निबंधन अधिनियम, 1908 (1908 का xvi) के अधीन अनुच्छेद ई (1) में एक प्रावधान सम्मिलित करते हुए फीस तालिका को संशोधित किया।

5.9 पट्टों पर मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं किया जाना

आँकड़ा/सूचना का अन्तर्विभागीय आदान-प्रदान हेतु तंत्र के अभाव होने के परिणामस्वरूप अंचल कार्यालय, नगर परिषद, पंचायतों आदि के द्वारा निष्पादित पट्टों का निबंधन नहीं किया गया और परिणामतः ₹ 9.77 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं हुआ।

हमने छः कार्यालयों⁶ से सैरात (राजस्व अर्जित करने वाले हाट, बाजार, मेला, वृक्ष, नावघाट आदि के संबंध में अधिकार एवं हित) के बंदोबस्ती से संबंधित सूचना प्राप्त किया और संबंधित चार जि.अ.नि.⁷ के अभिलेखों से तिर्यक-जाँच (जून एवं अक्टूबर 2014 के मध्य) किया। जिससे उद्घटित हुआ कि 29 सैरातों में से 17 सैरातों की बन्दोबस्ती 2012-13 और 2013-14 में विभिन्न डाकवक्ताओं के साथ एक वर्ष से अधिक या वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर किया गया। परन्तु निबंधन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत इनका निबंधन नहीं किया गया। जिसके अंतर्गत वर्ष प्रति वर्ष या एक वर्ष से अधिक किसी अवधि के लिए या वार्षिक रक्षित किराये वाले अचल सम्पत्ति के पट्टों का निबंधन कराया जाना अनिवार्य है। इस प्रकार, इन दस्तावेजों का निबंधन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 4.88 लाख का निबंधन फीस सहित ₹ 9.77 लाख का मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन फीस का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा मामले को जून एवं अक्टूबर 2014 के बीच बताये जाने पर, जि.अ.नि. ने जून एवं नवम्बर 2014 के बीच कहा कि संबंधित विभागों के साथ पत्राचार किया जायेगा और तदनुसार कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

⁶ अंचल अधिकारी, चतरा एवं कोडरमा, नगर परिषद चतरा, नगर पंचायत खूँटी, कोडरमा एवं सिमडेगा।

⁷ चतरा, खूँटी, कोडरमा एवं सिमडेगा।

हमने सरकार को अप्रैल 2015 में मामला प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका संख्या 5.11 में सदृश मामला बताया गया था, सरकार ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (जून 2014) कि संबंधित दस्तावेज निबंधन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे। संबंधित जिलों के उपायुक्तों को बंदोबस्ती के पूर्व पट्टा दस्तावेज निबंधन करवाने हेतु निर्देश दिया गया।

स. विद्युत पर कर एवं शुल्क

5.10 कर प्रशासन

जून 2011 में झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत वाणिज्यकर विभाग विद्युत शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। सचिव-सह-आयुक्त वाणिज्यकर विभाग जिनको एक अपर आयुक्त, तीन वाणिज्यकर संयुक्त आयुक्त (वा.क.सं.आ.), तीन वाणिज्यकर उपायुक्त (वा.क.उ.) एवं दो वाणिज्यकर सहायक आयुक्त (वा.क.स.आ.) द्वारा सहयोग किया जाता है, अधिनियम एवं नियमावलियों के प्रशासन हेतु उत्तरदायी हैं। राज्य पाँच वाणिज्यकर प्रमण्डलों⁸, प्रत्येक के प्रभारी एक वा.क.स.आ. (प्रशासन) एवं 28 अंचलों, प्रत्येक के प्रभारी एक वा.क.आ/वा.क.स.आ. में विभाजित है। वा.क.उ./वा.क.स.आ. विद्युत शुल्क के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी हैं जिन्हें वाणिज्यकर पदाधिकारियों द्वारा सहयोग किया जाता है।

5.11 लेखापरीक्षा के परिणाम

2014-15 की अवधि में विद्युत शुल्क (वि.शु.) का संग्रहण ₹ 175.40 करोड़ था। 2014-15 में विद्युत शुल्क से संबंधित 28 वाणिज्यकर अंचलों में से तीन वाणिज्यकर अंचलों⁹ के अभिलेखों के हमारे नमूना जाँच से 15 मामलों में ₹ 22.86 करोड़ के शुल्क और कर के नहीं/कम आरोपण का पता चला जैसा कि तालिका - 5.11 में वर्णित है।

तालिका - 5.11

(₹ करोड़ में)			
क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1	विद्युत शुल्क का कम आरोपण	6	15.26
2	अधिभार का नहीं/कम आरोपण	6	7.30
3	अन्य मामले	3	0.30
कुल		15	22.86

वर्ष के दौरान विभाग ने 2014-15 में बताये गये एक मामले में ₹ 1.39 करोड़ के विद्युत शुल्क एवं अधिभार के कम आरोपण आदि को स्वीकार किया।

अध्याय के इस भाग में हम ₹ 11.18 करोड़ के वित्तीय प्रभाव का दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले प्रस्तुत करते हैं, जिसकी चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

⁸ धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, राँची एवं संथाल परगना (दुमका)।

⁹ हजारीबाग, झरिया एवं तेनुघाट।

5.12 अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया जाना

बिहार विद्युत शुल्क (बि.वि.शु.) अधिनियम, 1948 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, के प्रावधानों के अंतर्गत खनन प्रयोजनों के लिए विद्युत शुल्क की दर 15 पैसे प्रति इकाई और अधिभार विद्युत उर्जा के उपयोग या खपत का 2 पैसा प्रति इकाई की दर से भुगतये होगा। जून 2011 से दर को संशोधित किया गया, यथा खनन प्रयोजनों के लिए विद्युत शुल्क 20 पैसा प्रति इकाई की दर पर एवं (बि.वि.शु.) अधिनियम, 1948, की धारा 3(ए) के अनुसार विद्युत उर्जा के उपयोग या खपत पर 2 पैसा प्रति इकाई की दर से आरोप्य अधिभार को झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा समाप्त कर दिया गया। बि.वि.शु. अधिनियम, 1948 एवं बिहार विद्युत शुल्क (बि.वि.शु.) नियमावली, 1949, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, ने करनिर्धारण पर अंतिम निर्णय लेने हेतु समय सीमा विहित नहीं किया। तथापि, झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) नियमावली, 2012 के नियम 12 (यथा संशोधित), 18 जून 2012 से प्रभावी, वार्षिक विवरणी दाखिल करने के 18 महीने के अन्दर करनिर्धारकों के करनिर्धारण को पूर्ण करने का प्रावधान करता है।

हमने पाया कि वाणिज्यकर विभाग ने अनुवर्ती कंडिका में वर्णित मामले में अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया।

5.13 विद्युत शुल्क एवं अधिभार का नहीं/कम भुगतान के लिए अर्थदंड का आरोपण नहीं किया जाना

विद्युत शुल्क एवं अधिभार का भुगतान नहीं/कम किये जाने पर बि.वि.शु. अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ₹ 7.35 करोड़ का अर्थदण्ड यद्यपि आरोप्य था, आरोपित नहीं किया गया।

हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों¹⁰ में फरवरी एवं दिसम्बर 2014 के बीच करनिर्धारण अभिलेखों से पाया कि सात निर्धारितियों ने 2005-06 एवं 2012-13 के बीच की अवधि के दौरान 122.49 करोड़ इकाई विद्युत उर्जा के खपत के लिए विद्युत शुल्क एवं अधिभार के रूप में ₹ 12.37 करोड़ की माँग के विरुद्ध ₹ 8.67 करोड़ का भुगतान किया। इस प्रकार, ₹ 3.70 करोड़ का विद्युत शुल्क एवं अधिभार का नहीं/कम भुगतान किया जिसके लिए निर्धारितियों को (बि.वि.शु.) अधिनियम, 1948 की धारा 5 ए(2) के प्रावधानों के अंतर्गत पहली तिमाही के प्रत्येक महीने या इसकी आंशिक अवधि के लिए शुल्क/अधिभार की राशि का पाँच प्रतिशत तक परन्तु ढाई प्रतिशत से कम नहीं, और प्रत्येक अनुवर्ती महीने या उसकी आंशिक अवधि के लिए दस प्रतिशत तक परन्तु पाँच प्रतिशत से कम नहीं, का अर्थदण्ड भुगतये था। करनिर्धारण प्राधिकारियों (क.नि.प्रा.) के द्वारा भी अर्थदण्ड के भुगतान के लिए माँग

¹⁰ राज्य के 28 अंचलों में से हजारीबाग, झरिया एवं तेनुघाट।

सृजित नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 7.35 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हुआ (परिशिष्ट-XV)।

बि.वि.शु. अधिनियम, 1948 की धारा 7 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत आरोपित कोई शुल्क या अर्थदण्ड, जिसका भुगतान नहीं किया गया है, भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।

हमारे द्वारा मामले को बताये जाने पर करनिर्धारण प्राधिकारियों ने फरवरी 2014 एवं जनवरी 2015 के मध्य कहा कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। करनिर्धारण प्राधिकारी तेनुघाट ने मामले की समीक्षा की और जुलाई 2014 में एक निर्धारिती को ₹ 1.39 करोड़ का माँग पत्र निर्गत किया। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने सरकार को मई 2015 में मामला प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) की कंडिका संख्या 6.10.16.2 में सदृश मामला बताया गया था, सरकार ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि अग्रेतर कार्रवाई के लिये निर्धारितियों को सूचनाएँ निर्गत कर दी गयी है।

5.14 विद्युत शुल्क एवं अधिभार का नहीं/कम आरोपण

खनन प्रयोजन के स्थान पर औद्योगिक प्रयोजन के लिए लागू दर से विद्युत शुल्क आरोपित किया गया एवं अधिभार का आरोपण नहीं किया गया।

5.14.1 हमने तीन वाणिज्यकर अंचलों¹¹ में फरवरी एवं दिसम्बर 2014 के बीच करनिर्धारण अभिलेखों का नमूना जाँच किया और पाया कि पाँच निर्धारितियों ने 2006-07 से 2012-13 के दौरान 29.91 करोड़ इकाई विद्युत उर्जा का खपत खनन प्रयोजन के लिए किया। न्यायिक निर्णय¹² के अनुसार जब खान से अयस्क उत्सर्जित होकर, धोकर, छनकर, संवार कर, ढेर कर खनन स्थल पर रखा जाता है तब खनन प्रक्रिया समाप्ति होती है। किन्तु करनिर्धारण प्राधिकारियों ने खनन प्रयोजन के बदले औद्योगिक प्रयोजन पर लागू कम दर से विद्युत शुल्क आरोपित किया जिसके फलस्वरूप ₹ 2.44 करोड़ की विद्युत शुल्क का कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को बताये जाने पर करनिर्धारण प्राधिकारियों ने फरवरी 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच कहा कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

5.14.2 हमने वाणिज्यकर अंचल, झरिया के करनिर्धारण अभिलेखों का अक्टूबर एवं नवम्बर 2014 के बीच नमूना जाँच किया और पाया कि तीन निर्धारितियों ने

¹¹ हजारीबाग, झरिया एवं तेनुघाट।

¹² चौगले एण्ड कं. बनाम भारत संघ (1981) 47 एस.टी.सी. 124 एस.सी.।

2006-07 एवं 2010-11 के मध्य अवधि के दौरान 69.17 करोड़ की विद्युत उर्जा की खपत से संबंधित विवरणियाँ दाखिल की। हमने आगे पाया कि निर्धारितियों ने खपत किये गये उर्जा के लिए ₹ 6.71 करोड़ का विद्युत शुल्क का भुगतान किया परन्तु अधिभार का भुगतान नहीं किया, जैसा कि बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, के प्रावधानों के अनुसार उपयोग में लाये गये या बेची गई उर्जा पर देय शुल्क के अतिरिक्त दो पैसे प्रति इकाई की दर से अधिभार के भुगतान का प्रावधान है। करनिर्धारण प्राधिकारियों द्वारा भी अधिभार के भुगतान के लिए माँग सृजित नहीं किये जाने के फलस्वरूप ₹ 1.39 करोड़ के अधिभार का आरोपण नहीं हुआ।

हमारे द्वारा मामले को बताये जाने पर क.नि.प्रा. ने नवम्बर 2014 में कहा कि मामलों की समीक्षा की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने सरकार को मई 2015 में मामला प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्ति) की कंडिका संख्या 6.10.12.2 एवं 6.10.12.3 में सदृश मामला बताया गया था, सरकार ने हमारे अवलोकन को स्वीकार किया और कहा कि अग्रेतर कार्रवाई के लिये निर्धारितियों की सूचनाएँ निर्गत कर दी गयी है।

विभाग का मुख्य ध्यान मू.व.क./के.बि.क. के प्रशासन, जिसके लिए समयबद्ध रीति से करनिर्धारणों को संपन्न किया जाना है, पर केंद्रित है। इसने बि.वि.शु. अधिनियम के प्रशासन के प्रति प्रतिबद्धता की कमी को इंगित किया।

अध्याय - VI

खनन प्राप्तियाँ

अध्याय-VI: खनन प्राप्तियाँ

6.1 कर प्रशासन

राज्य में खनन से प्राप्तियाँ का आरोपण एवं संग्रहण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, खनिज समानुदान नियमावली, 1960 तथा झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (झा.ल.ख.स.) नियमावली 2004 के द्वारा शासित होता है।

अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन के लिए सरकार के स्तर पर, सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग तथा विभागीय स्तर पर, निदेशक खान उत्तरदायी हैं। मुख्यालय स्तर पर खान निदेशक को एक अपर खान निदेशक (अ.खा.नि.) और एक उप निदेशक खान (उ.नि.खा.) द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। राज्य को छः अंचलों¹ में विभक्त किया गया है, प्रत्येक एक उ.नि.खा. के प्रभार में होते हैं। अंचल को आगे 24 जिला खनन कार्यालयों² में विभक्त किया गया है, प्रत्येक के प्रभारी एक जिला खनन पदाधिकारी (जि.ख.प.)/सहायक खनन पदाधिकारी (स.ख.प.) होते हैं। जि.ख.प./स.ख.प. स्वामिस्व एवं अन्य खनन बकाये के आरोपण एवं संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उन्हें खान निरीक्षकों (खा.नि.) द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। जि.ख.प. तथा खा.नि. खनन पट्टा क्षेत्रों के निरीक्षण और खनिजों के उत्पादन एवं प्रेषण की समीक्षा के लिए प्राधिकृत होते हैं।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2014-15 के दौरान खान एवं भूतत्व विभाग के 50 इकाइयों में से ₹ 2,775.32 करोड़ के राजस्व संग्रहण वाले 18 इकाइयों के अभिलेखों के नमूना जाँच से 298 मामलों में सन्निहित ₹ 407.42 करोड़ के स्वामिस्व, नियत लगान, दण्ड एवं अन्य अनियमितताएँ उद्घटित हुआ जैसा कि तालिका-6.2 में उल्लिखित है।

तालिका - 6.2

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ग	मामलों की संख्या	राशि
1	स्वामिस्व का नहीं/कम आरोपण	38	361.19
2	कोयले की निम्न श्रेणीकरण के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण	5	27.75
3	नीलामवाद प्रक्रिया का असंस्थापन	1	0.96
4	अन्य मामले	254	17.52
कुल		298	407.42

¹ चाईबासा, डाल्टनगंज, धनबाद, दुमका, हजारीबाग एवं राँची।

² बोकारो, चतरा, चाईबासा, डाल्टनगंज, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, रामगढ़, राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसाँवा एवं सिमडेगा।

वर्ष 2014-15 के दौरान हमारे द्वारा इंगित किये गये 68 मामलों में ` 2.20 करोड़ के कम निर्धारण एवं अन्य खामियों को विभाग ने स्वीकार किया। विभाग ने सात मामले में ` 13 लाख की वसूली की।

इस अध्याय में ` 367.20 करोड़ के वसूली योग्य वित्तीय प्रभाव के दृष्टांतस्वरूप कुछ मामले की चर्चा की गयी है।

6.3 अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होना

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (खा.ख.वि.वि.) अधिनियम, 1957 तथा खनिज समानुदान (ख.स.) नियमावली, 1960, पट्टा क्षेत्र से हटाए गये एवं उपभोग किये गये खनिज की मात्रा पर निर्धारित दर से देय तिथि के भीतर स्वामिस्व के भुगतान का प्रावधान करता है।

खान एवं भूतत्व विभाग ने कंडिका 6.4 से 6.10 में उल्लिखित मामलों में स्वामिस्व के सही दर के अनुप्रयोग, मासिक विवरणियों आदि की जाँच एवं सत्यापन संबंधी अधिनियमों/नियमावलियों के प्रावधानों का पालन नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ` 367.20 करोड़ का नहीं/कम आरोपण/उगाही हुआ।

6.4 गलत दर के अनुप्रयोग के कारण स्वामिस्व का कम आरोपण

स्वामिस्व के सही दर के अनुप्रयोग संबंधी अधिनियमों/नियमों एवं कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों को पालन नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ` 338.59 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

6.4.1 हमने चार खनन कार्यालयों³ में कोयले के 139 पट्टों की मासिक विवरणियों की नमूना जाँच (अक्टूबर 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच) की और पाया कि 23 पट्टेधारियों ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि के अंतर्गत 136.66 लाख एम.टी. कोयले का प्रेषण किया। इस प्रेषण पर ` 644.94 करोड़ का स्वामिस्व जो कि कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड (सी.आई.एल.) द्वारा अधिसूचित रन ऑफ माइन्स (आर.ओ.एम.) कोयले की मूलगर्त-शीर्ष मूल्य के आधार पर तथा टेलिंग्स कोयले के बिक्री मूल्य के आधार आरोपित किया जाना था, के बदले ` 308.79 करोड़ के स्वामिस्व का आरोपण किया गया। संबंधित जि.ख.प./स.ख.प. उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत स्वामिस्व की गणना करने में विफल हुए। इसके परिणामस्वरूप गलत दर के अनुप्रयोग के कारण ` 336.15 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ जैसा कि तालिका - 6.4.1 में वर्णित है।

³ धनबाद, हजारीबाग, बोकारो तथा रामगढ़।

तालिका - 6.4.1

(लाख में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम पट्टों की संख्या	खनिज का नाम अवधि	प्रेषित मात्रा (लाख मी.ट. में)	आरोप्य स्वामिस्व आरोपित स्वामिस्व	कम आरोपण	टिप्पणियाँ
1	बोकारो 2	कोयला 2013-14	2.04	516.72 384.47	132.25	स्वामिस्व की गणना सी.आई.एल. द्वारा जनवरी 2012 एवं मई 2013 के बीच अधिसूचित आर.ओ.एम. कोयले के मूलगर्त-शीर्ष कीमत के आधार पर नहीं की गई थी।
2	धनबाद 18	कोयला 2013-14	13.87	4,007.64 3,239.79	767.85	स्वामिस्व की गणना न तो सी.आई.एल. द्वारा दिसम्बर 2007 एवं मई 2013 के बीच अधिसूचित स्टील ग्रेड-1 कोयले के मूलगर्त-शीर्ष कीमत के आधार पर न ही टेलिंग्स कोयले के बिक्री मूल्य के आधार पर की गई थी।
3	हजारीबाग 2	कोयला 2013-14	4.01	739.34 548.14	191.20	
4	रामगढ़ 1	कोयला 2009-10 से 2013-14	116.74	59,230.52 26,706.93	32,523.59	
कुल	23		136.66	64,494.22 30,879.33	33,614.89	

हमारे द्वारा मामले अक्टूबर 2014 एवं जनवरी 2015 के बीच इंगित किये जाने के बाद जि.ख.प. ने कहा कि मामले की जाँचोपरान्त कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

6.4.2 हमने जिला खनन कार्यालय, चाईबासा में लौह अयस्क के 10 पट्टों की मासिक विवरणियों की नमूना जाँच की (मार्च 2015) और पाया कि एक पट्टेधारी ने वर्ष 2013-14 के दौरान 14.29 लाख एम.टी. लौह अयस्क का प्रेषण किया, जिस पर ख.स. नियमावली, 1960 के नियम 64 डी(i) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो (आई.बी.एम.) द्वारा प्रकाशित लौह अयस्क के ग्रेडवार अखिल भारतीय औसत मासिक विक्रय मूल्य, जब आई.बी.एम. द्वारा किसी राज्य के लिए किसी विशिष्ट ग्रेड के खनिज का औसत मूल्य प्रकाशित नहीं किया गया हो, के आधार पर आरोप्य स्वामिस्व ` 44.07 करोड़ के बदले ` 42.34 करोड़ के स्वामिस्व का आरोपण किया गया। जि.ख.प. ने सही दरों के अनुप्रयोग के लिये नियमों के प्रावधानों को लागू नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ` 1.73 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

मामले हमारे द्वारा इंगित (मार्च 2015) किये जाने के बाद, जि.ख.प. ने कहा कि मामले के सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

6.4.3 हमने जिला खनन कार्यालयों, गुमला एवं लोहरदगा में बॉक्साइट के 41 पट्टों की मासिक विवरणियों की नमूना जाँच की (मार्च 2015) और पाया कि 10 पट्टेधारियों ने 2013-14 के दौरान 10.60 लाख एम.टी. बॉक्साइट का प्रेषण किया, जिस पर खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 के द्वितीय अनुसूची एवं ख.स. नियमावली, 1960 के नियम 64 डी(iv) के प्रावधानों में यथा निर्धारित लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस के आधार पर आरोप्य स्वामिस्व 12 करोड़ के बदले 11.29 करोड़ के स्वामिस्व का आरोपण किया गया। जि.ख.प. ने सही दरों के अनुप्रयोग के लिये नियमों के प्रावधानों को लागू नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 70.56 लाख के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ जैसा कि तालिका - 6.4.3 में वर्णित है।

तालिका - 6.4.3

(लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम पट्टों की संख्या	खनिज का नाम अवधि	प्रेषित मात्रा (लाख एम.टी. में)	आरोप्य स्वामिस्व आरोपित स्वामिस्व	कम आरोपण	टिप्पणी
1	गुमला 2	बॉक्साइट 2013-14	0.42	45.99 45.30	0.69	स्वामिस्व की गणना खनन योजना के अनुसार अल्युमिना एवं अल्युमिनियम धातु निष्कर्षण उद्योग में प्रेषित खनिज में अंतर्निहित अल्युमिना की मात्रा के आधार पर नहीं की गई थी।
2	लोहरदगा 8	बॉक्साइट 2013-14	10.18	1,153.84 1,083.97	69.87	
कुल	10		10.60	1,199.83 1,129.27	70.56	

हमारे द्वारा (मार्च 2015) मामले को इंगित किये जाने के बाद, जि.ख.प. ने कहा कि मामले के सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

सदृश मामले 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 7.7 में उठाए गए थे जहाँ सरकार ने सूचित किया कि 32.08 करोड़ के लिए माँग का सृजन किया गया है, जिसमें से 4.23 करोड़ की वसूली कर ली गयी है। यद्यपि, त्रुटियों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है जो राजस्व के आवर्ती रिसाव को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अप्रभावशीलता को दर्शाती है।

6.5 कोयले की श्रेणी को निम्न करने के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण

कोलियरी कन्ट्रोल नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषित श्रेणियों का मासिक विवरणियों में दर्शाये गए श्रेणियों से असत्यापन के परिणामस्वरूप 27.60 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

हमने चार खनन कार्यालय⁴, में 115 कोलियरियों द्वारा समर्पित मासिक विवरणियों के साथ माँग, संग्रहण एवं बकाया पंजी (डी.सी.बी.) की नमूना जाँच की (नवम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) और पाया कि 2013-14 में चार कोलियरियों⁵ ने कोलियरी कन्ट्रोल नियमावली, 2004 के नियम 4(2) के प्रावधानों के अंतर्गत घोषित श्रेणी की तुलना में अपने मासिक विवरणियों में 50.55 लाख एम.टी. कोयले की श्रेणी को निम्नश्रेणीकृत किया। कोयले की श्रेणियों का कोलियरियों द्वारा घोषित श्रेणी से सत्यापन करने में जि.ख.प. असावधान थे और मासिक विवरणियों में दर्शाये गए श्रेणियों पर स्वामिस्व का आरोपण किया। इसके परिणामस्वरूप 27.60 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ जैसा कि तालिका - 6.5 में वर्णित है।

तालिका - 6.5

(लाख में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम पट्टों की संख्या	अवधि	प्रेषित मात्रा (लाख एम.टी. में)	प्रेषित श्रेणी निम्नश्रेणीकृत श्रेणी	आरोप्य स्वामिस्व आरोपित स्वामिस्व	कम आरोपण
1	धनबाद 1	2013-14	1.77	एस.टी.-II(डी.एफ.) डब्ल्यू-II	1,012.78 637.95	374.83
2	पाकुड़ 1	2013-14	48.64	जी-8 जी-9, जी-10, जी-11 एवं जी-12	8,419.65 6,053.93	2,365.72
3	रामगढ़ 1	2013-14	0.10	जी-3 जी-5	53.83 38.75	15.08
4	राँची 1	2013-14	0.04	जी-4 जी-5	21.64 17.36	4.28
कुल	4		50.55		9,507.90 6,747.99	2,759.91

हमारे द्वारा नवम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच मामले को इंगित किये जाने के बाद, जि.ख.प. ने कहा कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

⁴ धनबाद, पाकुड़, रामगढ़ तथा राँची।

⁵ भौरा (एस) 3 पिट ओ.सी.पी., पैनेम कोल माइन्स, सिरका एवं चुरी।

6.6 स्वामिस्व का अल्पारोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 एवं ख.स. नियमावली, 1960 के प्रावधानों के अनुसार पट्टाक्षेत्र से हटाए गये खनिज पर स्वामिस्व के अनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 38.34 लाख के स्वामिस्व का अल्पारोपण हुआ।

हमने जिला खनन कार्यालय, जमशेदपुर में वृहद खनिज के तीन पट्टेधारियों के पट्टा अभिलेखों की नमूना जाँच की (फरवरी 2015) और पाया कि 2012-13 एवं 2013-14 के बीच एक पट्टेधारी ने पट्टाक्षेत्र से 8.28 लाख एम.टी. ताम्र अयस्क हटाया था। यद्यपि जि.ख.प. ने खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 के अनुसार पट्टाक्षेत्र से हटाए गये 8.28 लाख एम.टी. ताम्र अयस्क के बदले पट्टाक्षेत्र से बाहर अवस्थित संकेद्रक संयंत्र से प्रेषित 7.67 लाख एम.टी. प्रसंस्करण किये गये ताम्र पर ₹ 13.23 करोड़ के स्वामिस्व का आरोपण किया। अधिनियम के द्वितीय अनुसूची एवं ख.स. नियमावली, 64 डी के प्रावधानों के अंतर्गत ताम्र अयस्क के मामले में, लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस के आधार पर स्वामिस्व आरोप्य था। इस प्रकार, 8.28 लाख एम.टी. ताम्र अयस्क पर ₹ 13.62 करोड़ का स्वामिस्व आरोप्य था जिसका परिणाम ₹ 38.34 लाख के स्वामिस्व के अल्पारोपण में हुआ।

हमारे द्वारा फरवरी 2015 में मामले को इंगित किये जाने के बाद, स.ख.प. ने कहा कि मामले की जाँच की जायेगी। तदन्तर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

6.7 नियत लगान का नहीं/कम आरोपण

खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत अपरिचालित पट्टों पर नियत लगान के अनारोपण के परिणामस्वरूप ₹ 20.05 लाख के नियत लगान का नहीं/कम आरोपण हुआ।

हमने चार खनन कार्यालयों⁶, में 91 पट्टों के मासिक विवरणियों के साथ माँग, संग्रहण एवं बकाया (डी.सी.बी.) पंजी की नमूना जाँच की (अगस्त 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) और पाया कि 1,750.069 हेक्टेयर पर अवस्थित 38 पट्टों के मामले में, पट्टेधारियों ने 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान खनिजों का निष्कर्षण नहीं किया

⁶ गुमला, लातेहार, लोहरदगा एवं राँची।

था और वे खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 की धारा 9 ए के प्रावधानों के अंतर्गत नियत लगान के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। जि.ख.प. असावधान थे और उन्होंने डी.सी.बी. पंजी की आवधिक जाँच नहीं की, फलतः अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत आरोप्य ` 22.66 लाख के बदले केवल छः मामलों में ` 2.61 लाख के नियत लगान के आंशिक माँग का सृजन किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप ` 20.05 लाख के नियत लगान का नहीं/कम आरोपण हुआ।

हमारे द्वारा मामले को इंगित किये जाने (अगस्त 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) के बाद, जि.ख.प. ने कहा कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदंतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

6.8 अवैध खनन के लिए दंड का आरोपण नहीं किया जाना

पट्टा समाप्ति के बाद खनिज के निष्कर्षण पर झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत दंड का आरोपण नहीं होने से ` 18.35 लाख के अर्थदंड का अनारोपण हुआ।

हमने जिला खनन कार्यालय, गुमला में पट्टा नवीकरण पंजी के साथ-साथ लघु खनिज के 33 पट्टों के पट्टा संचिकाओं की नमूना जाँच की (मार्च 2015) और पाया कि एक पट्टेधारी, जिसके पट्टे की वैधता जुलाई 2008 में समाप्त होनी थी, ने निर्धारित अवधि के अन्दर नवीकरण के लिये आवेदन दिया था। इस प्रकार, इस पट्टे की विस्तारित वैधता अक्टूबर 2008 तक विस्तारित थी जैसा कि झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली, 2004 के नियम 23(2)(ई) के प्रावधानों में दिया गया है। आगे, माँग संचिका, उत्पादन एवं प्रेषण (आर. एवं डी.) पंजी तथा डी.सी.बी. पंजी से यह उद्घटित हुआ कि पट्टेधारी ने पट्टे की विस्तारित वैधता समाप्त हो जाने के बाद (फरवरी 2009 एवं मार्च 2015 के बीच) 6,510.94 घन मीटर पत्थर का उत्पादन एवं प्रेषण किया (फरवरी 2009 एवं मार्च 2015 के बीच), इस प्रकार, इसने नियम 54(8) के अंतर्गत अवैध खनन के प्रावधानों को आकर्षित किया। इस तरह, भूतपूर्व पट्टेधारी प्रेषित मात्रा पर स्वामिस्व सहित ` 21.81 लाख के अर्थदंड के भुगतान के लिये उत्तरदायी था। जि.ख.प. ने नवीकरण आवेदन पंजी के साथ-साथ माँग संचिका, आर.एवं डी. पंजी तथा डी.सी.बी. पंजी के अनुश्रवण पर ध्यान नहीं दिया एवं ` 21.81 लाख के अर्थदंड

के बदले ₹ 3.46 लाख के स्वामिस्व का आरोपण किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 18.35 लाख के अर्थदंड का अनारोपण हुआ।

हमारे द्वारा मार्च 2015 में मामले को इंगित किये जाने के बाद, स.ख.प. ने कहा कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदंतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

6.9 बालू घाट के लिये बंदोबस्ती राशि की कम वसूली

झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (झा.ल.ख.स.) संशोधन नियमावली के अन्तर्गत बालू घाट के दो बंदोबस्तधारियों से सूद सहित नीलामी राशि ₹ 17.72 लाख वसूल नहीं की जा सकी।

हमने जिला खनन कार्यालय, गोड्डा में बालू घाट की बंदोबस्ती से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच की (फरवरी 2015) और पाया कि उच्च डाकवक्ताओं के पक्ष में दो बालू घाट क्रमशः ₹ 28.57 लाख एवं ₹ 25.32 लाख की बंदोबस्त राशि पर जून 2011 से मार्च 2014 की अवधि के लिये बंदोबस्त किये गये (जून 2011)। आगे, यह देखा गया कि बंदोबस्तधारियों ने कुल बकाया राशि ₹ 53.89 लाख के विरुद्ध ₹ 38.29 लाख का भुगतान किया। जि.ख.प., झा.ल.ख.स. संशोधन नियमावली, 2010 के नियम 12 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अवशेष राशि ₹ 15.60 लाख का माँग सृजन करने में विफल रहे। साथ ही, बंदोबस्ती के शर्तों एवं बंधजों के अनुसार बंदोबस्तधारी शेष राशि पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से ₹ 2.12 लाख के ब्याज के भुगतान के लिये भी उत्तरदायी थे।

हमारे द्वारा फरवरी 2015 में इंगित किये जाने के बाद, सहायक खनन पदाधिकारी (स.ख.प.) ने कहा कि नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। तदंतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

6.10 मासिक विवरणियों को नहीं/विलम्ब से समर्पित करने के लिए अर्थदंड का अनारोपण

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अन्तर्गत लघु खनिज के पट्टेधारियों द्वारा मासिक विवरणियों के नहीं/विलम्ब से समर्पित करने लिये 7.01 लाख के दण्ड का अनारोपण।

हमने चार खनन कार्यालयों⁷ में लघु खनिज के 155 पट्टेधारियों के मासिक विवरणियों, आर. एण्ड डी. पंजी तथा डी.सी.बी. पंजी की नमूना जाँच की (सितम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) और पाया कि 28 पट्टेधारियों ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान 198 मासिक विवरणियाँ समर्पित नहीं की और 104 मासिक विवरणियों को 12 दिन से 53 महीनों के विलम्ब से जमा किया। जि.ख.प. प्रत्येक मासिक विवरणी के लिये झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 41(3) एवं 42(2) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं/देर से जमा किये गए प्रत्येक मासिक विवरणी के लिये 20 प्रति विवरणी प्रतिदिन की दर से, अधिकतम 2500 प्रति विवरणी की दर से 7.01 लाख के दण्ड का आरोपण करने में विफल रहे।


मामले को इंगित किये जाने (सितम्बर 2014 एवं मार्च 2015 के बीच) के बाद, जि.ख.प./स.ख.प. ने कहा कि सत्यापन के बाद कार्रवाई की जायेगी। तदन्तर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)

हमने मामले को जून 2015 में सरकार को प्रतिवेदित किया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)।

⁷ चाईबासा, दुमका, पाकुड़ एवं साहिबगंज।

सदृश मामला 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) की कंडिका 7.4.14 में उठाया गया था। सरकार ने बताया कि 2.28 लाख के लिए माँग का सृजन किया गया यद्यपि, त्रुटियों/अनियमितताओं की प्रकृति अभी भी जारी है, जो राजस्व के आवर्ती रिसाव को रोकने में विभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अप्रभावशीलता को दर्शाती है।

राँची
दिनांक



(एस. रमन)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)

झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.10.3 में उल्लिखित)

अनिबंधित कार्य संवेदको का पता नहीं लगाया जाना

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	संवेदक का नाम	अवधि	स्रोत व्यवसायी (कर निर्धारण अभिलेख/टिन)	प्राप्त राशि (`)	दर (%)	कर(%)	अर्थदण्ड	कुल
1	राँची पूर्वी	लाल बाबू सिंह	2008-09	एन.बी.सी.सी./ 2008010080	7,05,052.00	12.50	88,131.50	88,131.50	1,76,263.00
2	जमशेदपुर	ए.एस.कॉरपोरेशन	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	43,065.00	12.50	5,383.13	5,383.13	10,766.25
3	जमशेदपुर	आनंद इंटरप्राइजेज	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	6,77,679.00	12.50	84,709.88	84,709.88	1,69,419.75
4	जमशेदपुर	अनिल कुमार पाण्डेय	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	10,98,510.00	12.50	1,37,313.75	1,37,313.75	2,74,627.50
5	जमशेदपुर	आस्तिक शर्मा	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	27,64,882.00	12.50	3,45,610.25	3,45,610.25	6,91,220.50
6	राँची पूर्वी	एक्सिस	2010-11	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010100	7,34,520.00	12.50	91,815.00	91,815.00	1,83,630.00
7	जमशेदपुर	बी.एस. कंस्ट्रक्शन	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	1,10,920.00	12.50	13,865.00	13,865.00	27,730.00
8	जमशेदपुर	विनय सिंह	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	5,44,813.00	12.50	68,101.63	68,101.63	1,36,203.25
9	जमशेदपुर	चिरंजीव मुखर्जी	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	6,64,954.00	12.50	83,119.25	83,119.25	1,66,238.50
10	राँची पूर्वी	कटिंग इंजीनियरिंग	2009-10	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010084	15,44,325.00	12.50	1,93,040.63	1,93,040.63	3,86,081.25
11	राँची पूर्वी	दिनेश शर्मा	2009-10	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010091	45,41,955.00	12.50	5,67,744.38	5,67,744.38	11,35,488.75
12	राँची पूर्वी	गर्ग कंस्ट्रक्शन	2010-11	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010102	34,15,307.00	12.50	4,26,913.38	4,26,913.38	8,53,826.75
13	राँची पूर्वी	गिल कंस्ट्रक्शन	2008 -09	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010069	63,82,970.00	12.50	7,97,871.25	7,97,871.25	15,95,742.50
			2009-10	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010081	66,97,314.00	12.50	8,37,164.25	8,37,164.25	16,74,328.50
			2010-11	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010095	52,63,905.00	12.50	6,57,988.13	6,57,988.13	13,15,976.25

परिशिष्ट-I (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.10.3 में उल्लिखित)

अनिबंधित कार्य संवेदको का पता नहीं लगाया जाना

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	संवेदक का नाम	अवधि	स्रोत व्यवसायी (कर निर्धारण अभिलेख/टिन	प्राप्त राशि (`)	दर (`)	कर(%)	अर्थदण्ड	कुल
14	जमशेदपुर	गुलाबी रानी चौधरी	2010-11	एल.एवं टी.लि./ 20300800003	12,33,271.00	12.50	1,54,158.88	1,54,158.88	3,08,317.75
15	राँची पूर्वी	हरि ओम कंस्ट्रक्शन	2008 -09	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010078	3,79,663.00	12.50	47,457.88	47,457.88	94,915.75
16	राँची पूर्वी	हाईटेक इंजीनियरिंग कंसल्टेंट	2009-10	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010085	11,22,639.00	12.50	1,40,329.88	1,40,329.88	2,80,659.75
17	राँची पूर्वी	आई.एफ.एफ.यू. ब्रदर्स	2010-11	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010097	81,900.00	12.50	10,237.50	10,237.50	20,475.00
18	राँची पूर्वी	कानपुरा कंस्ट्रक्शन	2008 -09	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010079	3,23,474.00	12.50	40,434.25	40,434.25	80,868.50
			2009-10	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010094	23,47,793.00	12.50	2,93,474.13	2,93,474.13	5,86,948.25
19	राँची पूर्वी	कोलकाता इंजीनियरिंग सर्विसेज	2010-11	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010098	14,82,552.00	12.50	1,85,319.00	1,85,319.00	3,70,638.00
20	राँची पूर्वी	कृष्णा कुमार	2008 -09	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010076	5,42,073.00	12.50	67,759.13	67,759.13	1,35,518.25
21	राँची पूर्वी	महतो इंटरप्राइजेज	2008 -09	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010072	25,78,750.00	12.50	3,22,343.75	3,22,343.75	6,44,687.50
22	जमशेदपुर	मोहम्मद इसा खान एण्ड संस	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	4,40,526.00	12.50	55,065.75	55,065.75	1,10,131.50
23	जमशेदपुर	मल्टीटेक इंटरप्राइजेज	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	27,53,966.00	12.50	3,44,245.75	3,44,245.75	6,88,491.50
24	राँची पूर्वी	एन.बी. राउत	2008 -09	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010074	11,56,059.00	12.50	1,44,507.38	1,44,507.38	2,89,014.75
			2009-10	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010083	4,33,635.00	12.50	54,204.38	54,204.38	1,08,408.75
25	जमशेदपुर	ॐ इंटरप्राइजेज	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	10,24,702.00	12.50	1,28,087.75	1,28,087.75	2,56,175.50
26	जमशेदपुर	ॐ साई कंस्ट्रक्शन	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	8,28,655.00	12.50	1,03,581.88	1,03,581.88	2,07,163.75

परिशिष्ट-I (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.10.3 में उल्लिखित)

अनिबंधित कार्य संवेदको का पता नहीं लगाया जाना

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	संवेदक का नाम	अवधि	स्रोत व्यवसायी (कर निर्धारण अभिलेख/टिन	प्राप्त राशि (`)	दर (%)	कर(%)	अर्थदण्ड	कुल
27	जमशेदपुर	पंचदीप कंस्ट्रक्शन लि.	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	10,08,585.00	12.50	1,26,073.13	1,26,073.13	2,52,146.25
28	राँची दक्षिणी	परमानन्द चौधरी	2010-11	एन.पी.सी.सी./ 20120100538	1,99,22,043.00	12.50	24,90,255.38	24,90,255.38	49,80,510.75
29	राँची पूर्वी	परफेक्ट यूटिलिटी सर्विसेज	2009-10	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010089	17,43,132.00	12.50	2,17,891.50	2,17,891.50	4,35,783.00
30	जमशेदपुर	प्रदीप इंजीनियरिंग वर्क्स	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	8,15,614.00	12.50	1,01,951.75	1,01,951.75	2,03,903.50
31	राँची पूर्वी	प्रोफेशनल मार्केटिंग एंड रिसर्च ग्रुप	2010-11	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010099	78,552.00	12.50	9,819.00	9,819.00	19,638.00
32	राँची पूर्वी	आर.पी. सिंह	2009-10	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010093	89,83,912.00	12.50	11,22,989.00	11,22,989.00	22,45,978.00
			2010-11	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010103	5,00,409.00	12.50	62,551.13	62,551.13	1,25,102.25
33	जमशेदपुर	आर.के.इलेक्ट्रिकल ,	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	1,47,604.00	12.50	18,450.50	18,450.50	36,901.00
34	राँची पूर्वी	रमेश प्रसाद सिंह	2009-10	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010087	20,47,480.00	12.50	2,55,935.00	2,55,935.00	5,11,870.00
35	जमशेदपुर	रैम्स इंटरप्राइजेज	2010-11	एल. एंड टी.लि./ 20300800003	2,68,232.00	12.50	33,529.00	33,529.00	67,058.00
36	राँची पूर्वी	रवि कंस्ट्रक्शन कं.	2009-10	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010090	9,79,190.00	12.50	1,22,398.75	1,22,398.75	2,44,797.50
			2010-11	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010105	75,60,656.00	12.50	9,45,082.00	9,45,082.00	18,90,164.00
37	राँची पूर्वी	रे इलेक्ट्रिकल्स	2010-11	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010104	7,16,460.00	12.50	89,557.50	89,557.50	1,79,115.00
38	जमशेदपुर	एस.पी. इंटरप्राइजेज	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	1,83,110.00	12.50	22,888.75	22,888.75	45,777.50
39	जमशेदपुर	एस.एस. इंटरप्राइजेज	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	2,00,000.00	12.50	25,000.00	25,000.00	50,000.00

परिशिष्ट-I (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.10.3 में उल्लिखित)

अनिबंधित कार्य संवेदको का पता नहीं लगाया जाना

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	संवेदक का नाम	अवधि	स्रोत व्यवसायी (कर निर्धारण अभिलेख/टिन	प्राप्त राशि (`)	दर (`)	कर(%)	अर्थदण्ड	कुल
40	राँची दक्षिणी	संजीव कुमार	2010-11	एन.पी.सी.सी./ 20120100538	50,18,942.00	12.50	6,27,367.75	6,27,367.75	12,54,735.50
41	जमशेदपुर	संतोष कुमार सिंह	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	87,19,625.00	12.50	10,89,953.13	10,89,953.13	21,79,906.25
42	जमशेदपुर	सत्येन इंजीनियरिंग कं.	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	4,96,242.00	12.50	62,030.25	62,030.25	1,24,060.50
43	जमशेदपुर	सौरव	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	5,99,530.00	12.50	74,941.25	74,941.25	1,49,882.50
44	जमशेदपुर	शॉ बिल्डर्स	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	50,10,950.00	12.50	6,26,368.75	6,26,368.75	12,52,737.50
45	जमशेदपुर	शिवम कंस्ट्रक्शन	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	4,69,076.00	12.50	58,634.50	58,634.50	1,17,269.00
46	राँची पूर्वी	शिवेन्द्र कुमार बघेल	2008 -09	एन.पी.सी.सी. लि. 2008010073	13,97,472.00	12.50	1,74,684.00	1,74,684.00	3,49,368.00
47	जमशेदपुर	सीता राम रवि दास	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	20,54,464.00	12.50	2,56,808.00	2,56,808.00	5,13,616.00
48	राँची पूर्वी	स्पोर्टिना एक्विजम प्रा. लि.	2009-10	एन.बी.सी.सी. लि. 2008010088	38,50,488.00	12.50	4,81,311.00	4,81,311.00	9,62,622.00
49	राँची पूर्वी	सुपर इंडिया इंजीनियरिंग	2008 -09	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010070	2,68,818.00	12.50	33,602.25	33,602.25	67,204.50
			2009-10	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010082	2,63,633.00	12.50	32,954.13	32,954.13	65,908.25
			2010-11	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010096	2,89,780.00	12.50	36,222.50	36,222.50	72,445.00
50	जमशेदपुर	तलेशेवर साव	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	56,410.00	12.50	7,051.25	7,051.25	14,102.50
51	जमशेदपुर	टी.के. घोष	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	59,30,503.00	12.50	7,41,312.88	7,41,312.88	14,82,625.75
52	राँची पूर्वी	ट्रांसलेक सिस्टम (इं) प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010077	56,43,453.00	12.50	7,05,431.63	7,05,431.63	14,10,863.25

परिशिष्ट-I (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.10.3 में उल्लिखित)

अनिबंधित कार्य संवेदको का पता नहीं लगाया जाना

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	संवेदक का नाम	अवधि	स्रोत व्यवसायी (कर निर्धारण अभिलेख)/टिन	प्राप्त राशि (`)	दर (%)	कर(%)	अर्थदण्ड	कुल
			2009-10	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010086	1,35,57,858.00	12.50	16,94,732.25	16,94,732.25	33,89,464.50
53	जमशेदपुर	त्रिदेव	2010-11	एल. एंड टी. लि./ 20300800003	4,77,214.00	12.50	59,651.75	59,651.75	1,19,303.50
54	राँची पूर्वी	टी.आर.यू. बिल्ड	2008-09	एन.बी.सी.सी.लि./ 2008010075	17,46,515.00	12.50	2,18,314.38	2,18,314.38	4,36,628.75
कुल					15,29,25,781.00		1,91,15,722.63	1,91,15,722.63	3,82,31,445.25

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कड़िका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)

खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुर्माना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
1	आदित्यपुर	गजानंद उद्योग प्राइवेट लिमिटेड/ 20490901506	2011-12/ 31.10.2014	31,28,29,732.00	15,75,05,204.00	15,53,24,528.00	14	2,17,45,433.92	4,34,90,867.84	6,52,36,301.76	व्यवसायी ने ₹ 15.75 करोड़ की अन्तर्राज्यीय बिक्री दिखाया था, जिस पर कर निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया, हालाँकि, 'सी' प्रपत्रों से की गयी प्राप्ति और नीले रोड परमिट के माध्यम से की गयी बिक्री के अनुसार व्यवसायी ने वास्तव में ₹ 31.28 करोड़ की सामग्री बेचा था।
2	आदित्यपुर	टायो रोल्स लिमिटेड/ 20210900011	2010-11/ 28.2.2013	88,80,36,745.08	72,34,59,000.00	16,45,77,745.08	4	65,83,109.80	1,31,66,219.61	1,97,49,329.41	व्यापार खाते के अनुसार व्यवसायी ने ₹ 72.35 करोड़ की खरीद लेखापित किया था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया हालाँकि, वार्षिक विवरणी के अनुसार व्यवसायी ने ₹ 88.80 करोड़ मूल्य की सामग्री खरीदा था।
3	आदित्यपुर	जमना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ 20590905570	2010-11/ 18.2.2014	5,46,34,590.62	5,28,59,606.00	17,74,984.62	12.5	2,21,873.08	4,43,746.15	6,65,619.23	व्यवसायी ने ₹ 5.29 करोड़का भंडार अंतरण दिखाया था जिसके लिये प्रपत्र 'एफ' में ₹ 5.28 करोड़ का 8 घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत किया था और शेष ₹ 25,433 की राशि (प्रपत्र 'एफ' द्वारा समर्थित नहीं) पर राज्य दर से कर लगाया गया। हालाँकि, नीले रोड परमिट की जाँच से पता चला कि व्यवसायी ने उपरोक्त के अतिरिक्त ₹ 18.00 लाख मूल्य के सामग्रियों की बिक्री की थी जो प्रपत्र 'एफ' में घोषणा प्रपत्र द्वारा समर्थित नहीं थे जिसका परिणाम ₹ 17.75 लाख के बिक्री आवर्त के छिपाव में आ।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)

खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुर्माना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
4	आदित्यपुर	ज्योति सेरो रबर/ 20130901025	2010-11/ 19.2.2014	60,11,086.00	36,16,342.44	23,94,743.56	4	95,789.74	1,91,579.48	2,87,369.23	व्यवसायी द्वारा दाखिल और करनिर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया बिक्री आवर्त, जो प्रपत्र 'सी' द्वारा समर्थित नहीं था, `36.16 लाख था। हालाँकि, नीले रोड परमिट की जाँच ने उदघटित किया कि प्रपत्र 'सी' द्वारा नहीं समर्थित वास्तविक बिक्री आवर्त `60.11 लाख था।
5	धनबाद	ओरिएंटल कोक इंडस्ट्रीज/ 20261700573	2010-11/ 30.9.2013	7,37,15,584.21	6,82,12,320.11	55,03,264.10	4	2,20,130.56	4,40,261.13	6,60,391.69	वार्षिक विवरणी एवं जेवैट-409 के अनुसार खरीद आवर्त `7.37 करोड़ था, हालाँकि, व्यवसायी ने व्यापार खाते में मात्र `6.82 करोड़ की खरीद लेखापित किया था जिसपर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
6	धनबाद	अनिल ट्रेडर्स/ 20421700194	2010-11/ 21.6.2012	71,38,606.00	64,44,347.00	6,94,259.00	12.5	86,782.38	1,73,564.75	2,60,347.13	नीले रोड परमिट एवं प्रपत्र 'सी' से की गयी प्राप्ति के माध्यम से कुल अन्तर्राज्यीय बिक्री `71.39 लाख संगणित की गई, हालाँकि, व्यवसायी ने `64.44 लाख का अन्तर्राज्यीय बिक्री लेखापित किया जिसपर कर निर्धारण संपन्न हुआ।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)

खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुर्माना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
7	गिरिडीह	अतिबीर इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड/ 20092300951	2010-11/ 10.2.2014	88,38,26,134.00	67,88,25,505.32	20,50,00,628.68	4	82,00,025.15	1,64,00,050.29	2,46,00,075.44	व्यवसायी ने जो लौह अयस्क चूर्ण को छटनी के बाद लौह अयस्क में हस्तांतरित किये गये `16.90 करोड़ की राशि को घटाया लेकिन व्यवसायी ने विनिर्माण खाते में कोई हस्तांतरण (प्राप्ति) नहीं दिखाया था तथा वर्ष के दौरान समग्रियों (कच्चा सामग्री) की खरीद पर मात्र `29.48 करोड़ के बराबर लौह अयस्क का क्रय लेखापित किया। अतः, वार्षिक विवरणी से पाया गया कि 2010-11 के दौरान, व्यवसायी ने `71.48 करोड़ का खरीद दिखाया था, हालाँकि व्यवसायी ने अपने विनिर्माण खाते में मात्र `67.88 करोड़ की खरीद लेखापित किया। इस प्रकार `20.50 करोड़ (`16.90 करोड़+`3.60 करोड़) के क्रय आवर्त का छिपाव हुआ।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)
खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुमाना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
8	गिरिडीह	सन्तपुरिया अलॉएज प्रा.लि./ 20692300621	2010-11/ 27.1.2014	44,47,96,985.73	35,92,15,141.93	8,55,81,843.80	4	34,23,273.75	68,46,547.50	1,02,69,821.26	व्यवसायी ने `35.92 करोड़ मूल्य के 74,560.15 मीट्रिक टन लौह अयस्क का खपत दिखाया था जिसपर कर निर्धारण संपन्न किया गया, हालाँकि, अभिलेखों में स्थित 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और लेखाओं की विवरणी (लेखा टिप्पणी-अन्य टिप्पणियाँ) से यह देखा गया कि 2010-11 के दौरान, 74,560.150 मीट्रिक टन कच्ची सामग्री (लौह अयस्क) के खपत का मूल्य मात्र `44.48 करोड़ दिखाया गया था। इस प्रकार, व्यवसायी ने `8.56 करोड़ (`44.48 करोड़-`35.92 करोड़) के आवर्त को छिपाया।
9	गिरिडीह	लाल फेरो अलॉएज कंपनी प्रा.लि./ 20492305167	2010-11/ 4.3.2014	1,07,93,223.00	0.00	1,07,93,223.00	4	4,31,728.92	8,63,457.84	12,95,186.76	व्यवसायी द्वारा उपयोग किये गये गुलाबी रोड परमिट के विवरणी के जाँच से यह देखा गया कि व्यवसायी की बिक्री `1.08 करोड़ के अस्वीकृत लौह अयस्क की बिक्री की थी लेकिन अस्वीकृत लौह अयस्क की बिक्री को विनिर्माण/व्यापार खाता में प्रकट नहीं किया।
10	गिरिडीह	वेंकटेश्वर स्पाँज आयरन एंड कंपनी प्रा.लि./ 20372305303	2009-10/ 28.2.2013	68,08,570.00	0.00	68,08,570.00	4	2,72,342.80	5,44,685.60	8,17,028.40	व्यापार खाते में वास्तविक जोड़ से पाया गया कि व्यापार खाते के जमा पक्ष में `68.09 लाख की कमी थी, जिसका परिणाम बिक्री आवर्त के छिपाव में हुआ।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कड़िका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)
खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुमाना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
11	जमशेदपुर नागरीय	टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लि./ 20181002314	2010-11/ 11.12.2013	3,06,51,303.00	2,98,52,603.00	7,98,700.00	12.5	99,837.50	1,99,675.00	2,99,512.50	2010-11 के दौरान, व्यवसायी ने `2.99 करोड़ (के.बि.क. खरीद: 2.86 करोड़+आयात: `0.13 करोड़) का अंतर्राज्यीय खरीद व्यापार खाते में दिखाया जिसपर कर निर्धारण संपन्न किया गया। हालाँकि, जैवैट-409 एवं वार्षिक विवरणी से यह देखा गया कि व्यवसायी ने `7.99 लाख मूल्य के सामग्रियों की प्राप्ति (भंडार अंतरण) अपने शाखाओं से की थी, जिसे व्यापार खाते में लेखापित नहीं किया गया।
12	जमशेदपुर नागरीय	गीतांजलि ज्वेलरीज रिटेल प्रा.लि./ 20371005794	2010-11/ 15.3.2014	7,55,42,830.00	5,51,00,989.00	2,04,41,841.00	1	2,04,418.41	4,08,836.82	6,13,255.23	व्यवसायी ने 2010-11 के दौरान `5.51 करोड़ के बराबर भंडार अंतरण के माध्यम से सामग्रियों की प्राप्ति दिखाया। हालाँकि, 2010-11 की वार्षिक विवरणी एवं मुम्बई से भंडार प्राप्ति की विवरणी से यह पाया गया कि व्यवसायी ने वास्तव में `7.55 करोड़ की सामग्रियाँ प्राप्त की थीं।
13	जमशेदपुर नागरीय	ट्रैक्टर इंडिया लि./ 20051005704	2010-11/ 12.3.2014	5,93,97,304.83	4,41,91,650.49	1,52,05,654.34	4	6,08,226.17	12,16,452.35	18,24,678.52	व्यवसायी ने 2010-11 के दौरान, व्यवसायी ने `4.42 करोड़ का अंतर्राज्यीय खरीद एवं भंडार अंतरण प्राप्ति दिखाया था जिसपर कर करनिर्धारण संपन्न किया गया। हालाँकि, रोड परमिट (504 जी) की जाँचने उद्घटित किया कि व्यवसायी ने वास्तव में `5.94 करोड़ मूल्य के सामग्रियाँ खरीदा/प्राप्त किया था।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)

खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुर्माना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
14	जमशेदपुर नागरीय	श्रीलेदर्स/ 20601000434	2010-11/ 6.6.2013	6,86,03,203.00	6,28,65,838.00	57,37,365.00	12.5	7,17,170.63	14,34,341.25	21,51,511.88	व्यवसायी ने झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 2(xlviii) के प्रावधानों के विपरीत व्यापार खाते में मू.व.क. एवं के.बि.क को सम्मिलित किया जिसका परिणाम बिक्री आवर्त के छिपाव में आ।
			2011-12/ 16.12.2013	6,86,53,993.00	6,15,06,228.00	71,47,765.00	14	10,00,687.10	20,01,374.20	30,02,061.30	व्यवसायी ने झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 2(xlviii) के प्रावधानों के विपरीत व्यापार खाते में मू.व.क. एवं के.बि.क को सम्मिलित किया जिसका परिणाम बिक्री आवर्त के छिपाव में हुआ।
15	जमशेदपुर नागरीय	आई.वी.आर.सी.एल. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लि./ 20581002094	2010-11/ 24.3.2014	74,82,06,206.00	71,16,27,243.00	3,65,78,963.00	12.5	45,72,370.38	91,44,740.75	1,37,17,111.13	ई-1 बिक्री रहित सकल आवर्त ₹71.16 करोड़ निर्धारित किया गया जिस पर कर निर्धारण संपन्न हुआ। हालांकि, व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत जेवैट-400 (टी.डी.एस.) की विवरणों से 2010-11 के दौरान किये गये कार्यों हेतु विभिन्न अभिकर्ताओं से भुगतान की वास्तविक प्राप्ति ₹74.82 करोड़ थी जिसपर ₹1.50 करोड़ का कर टी.डी.एस. के रूप में घटाया गया था।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कड़िका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)
खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुमाना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
16	जमशेदपुर	द टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लि./ 20210800004	2010-11/ 05.03.2014	6,30,44,25,980.00	3,00,89,24,704.00	3,29,55,01,276.00	4	13,18,20,051.04	26,36,40,102.08	39,54,60,153.12	व्यवसायी द्वारा घोषित सामग्री की खपत, विनिर्माण खर्च एवं सकल लाभ के आधार पर कर रहित विक्रय आवर्त `630.44 करोड़ संगणित की गई, हालाँकि, कंपनी ने `300.89 करोड़ का विक्रय आवर्त (कर रहित) दिखाया था जिसपर करनिर्धारण संपन्न किया गया। इस प्रकार व्यवसायी कम्पनी ने `329.55 करोड़ के विक्रय आवर्त को छिपाया है।
17	जमशेदपुर	टी.आर.एफ.लिमिटेड/ 20300800003	2010-11/ 19.3.2014	7,26,26,77,000.00	5,22,05,65,939.00	2,04,21,11,061.00	4	8,16,84,442.44	16,33,68,884.88	24,50,53,327.32	करनिर्धारण अभिलेखोंमें उपलब्ध सूचना के आधार पर,सामग्रियों का कुल करयोग्य आवर्त `726.27 करोड़ संगणित किया गया, जबकि व्यवसायी ने मात्र `522.06 करोड़ के बराबर करयोग्य आवर्त दिखाया था जिसपर कर निर्धारण संपन्न किया गया। इस प्रकार, `204.21 करोड़ के करयोग्य आवर्त का छिपाव था।
18	जमशेदपुर नागरीय	आई.एफ.बी. इंडस्ट्रीज लि./ 20261005175	2009-10/ 28.2.2013	2,35,86,471.26	2,26,71,104.13	9,15,367.13	12.5	1,14,420.89	2,28,841.78	3,43,262.67	504-जी की विवरणी के अनुसार, व्यवसायी ने राज्य के बाहर से `2.36 करोड़ के सामग्रियों की खरीद की थी, हालाँकि, व्यवसायी ने मात्र `2.27 करोड़ लेखापित किया जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)

खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुर्माना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
19	चाईबासा	पोद्दार मिनरल्स/ 20921200369	2010-11/ 3.10.2013	12,01,80,507.55	11,70,09,261.00	31,71,246.55	4	1,26,849.86	2,53,699.72	3,80,549.59	504-बी की विवरणी के अनुसार व्यवसायी ने राज्य के बाहर 12.02 करोड़ की सामग्री बेचा, हालाँकि, व्यवसायी ने वार्षिक विवरणी में मात्र 11.70 करोड़ लेखापित किया जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया।
20	चाईबासा	मेटलसा इंडिया प्रा.लि./ 20081205781	2010-11/ 3.3.2014	8,36,74,931.83	7,11,30,145.00	1,25,44,786.83	4	5,01,791.47	10,03,582.95	15,05,374.42	504-बी की विवरणी के अनुसार व्यवसायी ने राज्य के बाहर 8.37 करोड़ की सामग्री बेचा, हालाँकि, व्यवसायी ने वार्षिक विवरणी में मात्र 7.11 करोड़ लेखापित किया जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया।
21	रामगढ़	एस.एस.अग्रवाल/ 20591903568	2011-12/ 5.2.2014	19,52,600.00	11,29,026.00	8,23,574.00	14	1,15,300.36	2,30,600.72	3,45,901.08	हर रोड परमिट एवं प्रपत्र 'सी' के उपयोग के अनुसार व्यवसायी ने वास्तव में 19.52 लाख मूल्य के सामग्री की खरीद की लेकिन व्यापार खाते में 11.29 लाख लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया ।
22	रामगढ़	नानक फेरो अलॉएज प्रा.लि./ 20761905221	2010-11/ 25.3.2014	11,35,70,063.16	10,32,37,658.96	1,03,32,404.20	4	4,13,296.17	8,26,592.34	12,39,888.50	504-जी की विवरणी के अनुसार व्यवसायी ने राज्य के बाहर से 11.36 करोड़ की सामग्री खरीदा था,हालाँकि, व्यवसायी ने मात्र 10.32 करोड़ लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया ।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कड़िका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)

खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुमाना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
23	रामगढ़	छिन्मस्तिका सीमेंट एंड इस्पात प्रा.लि./ 20411903172	2010-11/ 27.3.2014	22,05,81,496.82	21,32,67,607.00	73,13,889.82	4	2,92,555.59	5,85,111.19	8,77,666.78	वार्षिक विवरणी के अनुसार कच्चे सामग्री की कुल खरीद `22.06 करोड़ थी लेकिन व्यवसायी ने मात्र `21.33 करोड़ (`18.94 करोड़ + `2.39 करोड़) लेखापित किया। इस प्रकार, `73.14 लाख के खरीद आवर्त का छिपाव हुआ।
24	रामगढ़	जिंदल स्टील एण्ड पावर लि./ 20021905607	2009-10/ 4.3.2013 and 28.6.2014	45,84,60,979.00	43,20,04,573.00	2,64,56,406.00	4	10,58,256.24	21,16,512.48	31,74,768.72	व्यवसायी ने भंडार अंतरण से वास्तव में `45.85 करोड़ की सामग्री (कच्ची सामग्री एवं पूंजीगत सामग्री) प्राप्त किया पर वार्षिक विवरणी में मात्र `43.20 करोड़ लेखापित किया। इस प्रकार, `2.65 करोड़ की भंडार प्राप्ति हालाँकि लेखापित नहीं हुआ।
25	रामगढ़	गल्फ ऑयल कॉरपोरेशन लि./ 20721903244	2010-11/ 30.1.2014	6,64,45,765.00	5,78,06,181.00	86,39,584.00	12.5	10,79,948.00	21,59,896.00	32,39,844.00	504-जी की विवरणी के अनुसार, व्यवसायी ने राज्य के बाहरसे `6.64 करोड़ की सामग्री खरीदा था, हालाँकि, व्यवसायी ने मात्र `5.78 करोड़ ही लेखापित किया जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया।
26	रामगढ़	भुवानिया एसेसिएट्स / 20541903634	2010-11/ 24.3.2014	18,81,99,710.34	14,28,00,152.26	4,53,99,558.08	4	18,15,982.32	36,31,964.65	54,47,946.97	खरीद विवरणी के अनुसार, कच्चे सामग्रियों की वास्तविक खरीद `18.82 करोड़ थी लेकिन व्यवसायी ने व्यापार खाते में `14.28 करोड़ लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न हुआ।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)

खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुर्माना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
27	रामगढ़	ट्रेक्टर इंडिया लि./ 20641906618	2010-11/ 28.3.2014	7,60,87,972.50	1,10,93,916.84	6,49,94,055.66	4	25,99,762.23	51,99,524.45	77,99,286.68	504-बी की विवरणी के अनुसार, व्यवसायी ने ₹7.61 करोड़ की सामग्री राज्य के बाहर बेचा/स्थानांतरित किया था, हालाँकि, व्यवसायी ने मात्र ₹1.11 करोड़ लेखापित किया गया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
28	राँची पूर्वी	माइक्रो कम्प्यूटर/ 20560200206	2010-11/ 26.3.2014	13,99,64,932.31	13,39,04,703.71	60,60,228.60	4	2,42,409.14	4,84,818.29	7,27,227.43	504-जी की विवरणी के अनुसार, व्यवसायी ने राज्य के बाहर से ₹14.00 करोड़ की सामग्री खरीदा था, हालाँकि मात्र ₹13.39 करोड़ लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
29	राँची पूर्वी	स्वास्तिक मेटल प्रा.लि./ 20260200759	2010-11/ 15.6.2013	9,95,88,306.87	9,03,55,855.99	92,32,450.88	4	3,69,298.04	7,38,596.07	11,07,894.11	व्यवसायी ने गलत रूप से ₹92.32 लाख के उत्पाद शुल्क को की गयी खरीद से घटाया जिसका परिणाम खरीद आवर्त का छिपाव हुआ।
30	राँची पूर्वी	एस्सार प्रोजेक्ट (आई) लि./ 20820206683	2010-11/ 28.3.2014	14,18,76,044.62	0.00	14,18,76,044.62	4	56,75,041.78	1,13,50,083.57	1,70,25,125.35	हरे रोड परमिट की विवरणी के अनुसार, व्यवसायी ने कार्य संविदा में उपभोग हेतु ₹14.19 करोड़ मूल्य के बिजली के सामानों की अंडर प्राप्ति की थी लेकिन इसे वार्षिक विवरणी में लेखापित नहीं किया और न ही व्यापार खाते में दिखाया जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)

खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुर्माना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
31	राँची पूर्वी	बी.पी.सी.एल./ 20430200811	2010-11/ 31.3.2014	40,18,19,704.00	9,72,59,013.56	30,45,60,690.44	4	1,21,82,427.62	2,43,64,855.24	3,65,47,282.85	व्यवसायी ने नीले रोड परमिट के माध्यम से राज्य के बाहर वास्तव में `40.19 करोड़ के बराबर सामग्रियों की बिक्री/अंतरण किया था लेकिन मात्र `9.73 करोड़ पर के.वि.क. अधिनियम के अधीन कर-निर्धारण संपन्न किया गया।
32	आदित्यपुर	गर्ग इंजीनियर्स लि./ 20210901854	2009-10/ 16.6.2012	21,02,22,559.00	20,84,77,291.15	17,45,267.85	12.5	2,18,158.48	4,36,316.96	6,54,475.44	व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ/दस्तावेजों के आधार पर, व्यवसायी का सकल आवर्त उत्पाद शुल्क सहित `21.02 करोड़ संगणित किया गया लेकिन व्यवसायी ने सकल आवर्त मात्र `20.85 करोड़ लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
33	आदित्यपुर	ए.एम.आई. इंटरप्राइजेज़ प्रा.लि./ 20850901502	2010-11/ 4.10.2013	10,85,16,714.46	9,55,03,534.90	1,30,13,179.56	4	5,20,527.18	10,41,054.36	15,61,581.55	वार्षिक विवरणी और खरीद विवरणी के अनुसार सामग्रियों की वास्तविक खरीद `10.85 करोड़ थी लेकिन व्यवसायी ने अपने जेबैट-409 में `9.55 करोड़ लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)

खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुर्माना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
34	राँची दक्षिणी	अभिजीत प्रोजेक्ट्स लि./ 20720306092	2010-11/ 21.3.2014	1,60,84,16,645.93	38,16,88,211.00	1,22,67,28,434.93	4	4,90,69,137.40	9,81,38,274.79	14,72,07,412.19	व्यवसायी ने ₹175.70 करोड़ (प्रपत्र ई-1 से समर्थित) की खरीद के विरुद्ध ₹326.77 करोड़ के मार्गस्थ बिक्री का छूट प्राप्त किया और व्यवसायी ने ₹151.07 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। अग्रतर ई-1 बिक्री, जो ई-1 प्रपत्रों से समर्थित नहीं था, पर ₹7.57 करोड़ का लाभ संगणित किया गया (बिक्री : ₹32.54 करोड़ - खरीद: ₹24.97 करोड़)। पुनः शेष अन्य वैद योग्य वस्तुओं पर ₹2.20 करोड़ का लाभ संगणित (बिक्री: ₹5.38 करोड़ - खरीद: ₹3.18 करोड़) किया गया। इस प्रकार, कुल लाभ ₹160.84 करोड़ संगणित किया गया लेकिन व्यवसायी ने मात्र ₹38.17 करोड़ का कुल लाभ व्यापार खाते में प्रदर्शित किया, जिसका परिणाम ₹122.67 करोड़ की बिक्री आवर्त के छिपाव में आ।
35	राँची दक्षिणी	सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लि./ 20050301512	2010-11/ 29.3.2014	29,43,06,889.00	0.00	29,43,06,889.00	12.5	3,67,88,361.13	7,35,76,722.25	11,03,65,083.38	त्रैमासिक विवरणियों से यह पाया गया कि व्यवसायी ने ₹29.43 करोड़ के बराबर सामग्री का राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण किया था लेकिन इसे व्यापार खाते में सम्मिलित नहीं किया न ही ऐसे अंतरण हेतु कोड जेवैट-506 प्रस्तुत किया। करनिर्धारण प्राधिकारी ने भी करनिर्धारण आदेश में इस प्रकार के लेन-देन या स्वीकृत छूट की चर्चा नहीं की, जिसका परिणाम बिक्री आवर्त के छिपाव में हुआ।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कडिका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)

खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मैसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुर्माना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
36	राँची दक्षिणी	पेप्सिको इंडिया होल्डिंग प्रा.लि./ 20530402128	2009-10/ 30.10.2013	48,36,92,045.61	45,87,36,951.70	2,49,55,093.91	4	9,98,203.76	19,96,407.51	29,94,611.27	व्यवसायी ने 2009-10 के दौरान 48.37 करोड़ (कर सहित) के बराबर राज्यान्तर्गत बिक्री हेतु 3808 नग जेबैट-504पी का उपयोग किया लेकिन अपने व्यापार लेखा में मात्र 45.87 करोड़ (कर सहित) लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
37	राँची दक्षिणी	स्पाइस मोबाइल लिमिटेड/ 20770301892	2009-10/ 18.12.2013	33,21,84,750.00	32,76,21,547.90	45,63,202.10	4	1,82,528.08	3,65,056.17	5,47,584.25	व्यवसायी ने 2009-10 के दौरान राज्य के बाहर से खरीद/प्राप्ति पर 4 प्रतिशत की दर से 1.33 करोड़ प्रवेश कर का भुगतान किया था। इस प्रकार, कुल खरीद 33.22 करोड़ संगणित किया गया लेकिन व्यवसायी ने अपने व्यापार खाते में 32.76 करोड़ मात्र की खरीद लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
38	राँची दक्षिणी	सरस्वती इंटरप्राइजेज़/ 20140302431	2010-11/ 3.6.2013	59,21,820.18	17,37,292.49	41,84,527.69	4	1,67,381.11	3,34,762.22	5,02,143.32	हरे रोड परमिट की विवरणी की जाँच से पता चला कि व्यवसायी ने राज्य के बाहर से वास्तव में 59.22 करोड़ मूल्य के सामग्री की खरीद की थी लेकिन व्यापार खाते में मात्र 17.38 लाख लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कडिका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)

खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुर्माना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
39	राँची दक्षिणी	ज्योति लैबोरेटरीज़/ 20420401073	2010-11/ 2.6.2013	8,53,37,696.18	2,10,64,498.09	6,42,73,198.09	12.5	80,34,149.76	1,60,68,299.52	2,41,02,449.28	व्यवसायी ने अपने व्यापार खाते में 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य ₹2.11 करोड़ के सामग्रियों की राज्य के बाहर से प्राप्त दिखाया जिसपर करनिर्धारण संपन्न किया गया। हालाँकि, हरे रोड परमिट की विवरणी की हमारे जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने वास्तव में 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य ₹8.53 करोड़ के बराबर वस्तुएं (डिटर्जेंट आदि) प्राप्त की थी।
40	राँची दक्षिणी	गोंडवाना सेरामिक वर्क्स प्रा.लि./ 20500101590	2010-11/ 20.9.2013	85,77,527.00	60,26,258.75	25,51,268.25	4	1,02,050.73	2,04,101.46	3,06,152.19	प्राप्त 'सी' प्रपत्रों की विवरणी एवं हरे रोड परमिट के उपयोग के जाँच से पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में राज्य के बाहर ₹85.78 लाख के बराबर सामग्री बेचा था लेकिन मात्र ₹60.26 लाख लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
41	राँची दक्षिणी	केंट आर.ओ. सिस्टम्स लि./ 20580106518	2010-11/ 7.3.2014	6,94,22,128.00	6,73,13,527.00	21,08,601.00	12.5	2,63,575.13	5,27,150.25	7,90,725.38	हरे रोड परमिट के विवरणी की जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने वास्तव में राज्य के बाहर से ₹6.94 करोड़ मूल्य की सामग्री का क्रय किया था लेकिन व्यापार खाते में मात्र ₹6.73 करोड़ लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कडिका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)

खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुर्माना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
42	राँची दक्षिणी	जी.टी.एल.लि./ 20190106226	2010-11/ 24.1.2014	1,83,37,863.46	1,71,65,871.60	11,71,991.86	12.5	1,46,498.98	2,92,997.97	4,39,496.95	आरंभिक शेष, सामग्रियों की खरीद एवं सामग्रियों के अंतिम शेष को लेकर सामग्रियों का वास्तविक उपभोग/बिक्री ₹ 1.83 करोड़ (लाभ रहित) संगणित की गयी जबकि व्यवसायी ने ₹ 1.72 करोड़ के सामग्रियों की बिक्री दर्शाया था जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
43	राँची दक्षिणी	जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि./ 20410106397	2010-11/ 14.3.2014	16,26,76,076.92	15,27,45,855.92	99,30,221.00	12.5	12,41,277.63	24,82,555.25	37,23,832.88	आरंभिक शेष, सामग्रियों की खरीद एवं अंतिम शेष को लेकर सामग्रियों का वास्तविक उपभोग/बिक्री ₹ 16.27 करोड़ संगणित की गई जबकि व्यवसायी ने ₹ 15.27 करोड़ के सामग्रियों की बिक्री दर्शाया था जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
44	राँची दक्षिणी	मिकी वायर वर्क्स प्रा.लि./ 20810100401	2010-11/ 27.2.2012	1,00,00,60,150.25	87,81,79,520.53	12,18,80,629.72	4	48,75,225.19	97,50,450.38	1,46,25,675.57	वार्षिक विवरणी के अनुसार व्यवसायी ने वास्तव में ₹ 100.01 करोड़ मूल्य की सामग्रियाँ खरीदीं जबकि व्यवसायी ने व्यापार खाते में मात्र ₹ 87.82 करोड़ की खरीद दर्शाया था जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
			2011-12/ 30.4.2014	79,14,93,042.28	70,80,24,726.81	8,34,68,315.47	5	41,73,415.77	83,46,831.55	1,25,20,247.32	वार्षिक विवरणी के अनुसार व्यवसायी ने वास्तव में ₹ 79.15 करोड़ मूल्य की सामग्रियाँ खरीदीं जबकि व्यवसायी ने व्यापार खाते में मात्र ₹ 70.80 करोड़ की खरीद दर्शाया था जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कडिका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)
खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुमाना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
45	राँची दक्षिणी	एस.के.एम. इंटरप्राइजेज़/ 20280100256	2011-12/ 4.10.2014	66,67,77,589.74	58,13,58,848.80	8,54,18,740.94	14	1,19,58,623.73	2,39,17,247.46	3,58,75,871.19	गुलाबी रोड परमिट की विवरणी के अनुसार, राँची छोड़ कर शाखाओं का वास्तविक बिक्री आवर्त `66.68 करोड़ संगणित की गईं हालाँकि व्यवसायी ने मात्र `58.14 करोड़ की बिक्री आवर्त (शाखाओं) व्यापार खाते में दर्शाया था जिसपर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
46	राँची दक्षिणी	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि./ 20960100755	2010-11/ 27.3.2014	43,30,39,07,506.41	42,17,73,85,965.24	1,12,65,21,541.17	4	4,50,60,861.65	9,01,21,723.29	13,51,82,584.94	व्यापार खाते में जमा एवं नामे पक्ष में `112.65 करोड़ का अंतर था जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया। इस प्रकार `112.65 करोड़ का यातो बिक्री आवर्त या अंतिम शेष छिपाया गया था।
47	राँची दक्षिणी	उषा मार्टिन लि. (डब्लू.आर.पी. प्रभाग)/ 20650100392	2011-12/ 22.10.2014	57,34,50,946.66	43,09,61,581.00	14,24,89,365.66	5	71,24,468.28	1,42,48,936.57	2,13,73,404.85	व्यवसायी ने भुगतान किया गया के.बि.क. `3.97करोड़ को लेखापित नहीं किया। अग्रतर, हरे रोड परमिट से यह देखा गया कि व्यवसायी ने `52.36 करोड़ मूल्य की समग्री का आयात किया लेकिन व्यापार खाते में `43.10करोड़ लेखापित किया। पुनःश्च, व्यवसायी ने हरे रोड परमिट (राज्य के बाहर से खरीद हेतु विहित) की बदौलत राज्य के भीतर समग्रियां खरीदी जिसे व्यापार खाते में (राज्यान्तर्गत) खरीद में लेखापित नहीं किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)

खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुर्माना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
48	बोकारो	सेल, बोकारो स्टील प्लांट/ 20581402316	2011-12/ 30.3.2015	77,73,60,66,129.00	75,69,66,12,687.00	2,03,94,53,442.00	2	4,07,89,068.84	8,15,78,137.68	12,23,67,206.52	व्यवसायी ने रियायती दर पर अन्तर्राज्यीय बिक्री `7569.66 करोड़ (कर रहित) दाखिल किया जिसपर करनिर्धारणसंपन्न किया गया और तदनुसार कर आरोपित किया गया। हालाँकि, हमने पाया कि व्यवसायी ने वास्तव में `7773.61 करोड़ (कर रहित) का प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत किया था। इस प्रकार `203.95 करोड़ के बिक्री आवर्त का छिपाव हुआ।
49	बोकारो	सेल, बिक्री शाखा कार्यालय/ 20671402315	2010-11/ 31.3.2014	4,28,89,58,908.75	4,07,59,31,746.12	21,30,27,162.63	4	85,21,086.51	1,70,42,173.01	2,55,63,259.52	व्यवसायी कम्पनी ने 2010-11 के दौरान राज्य के बाहर से `697.74 करोड़ के बराबर भंडार प्राप्त दिखाया था, जिसमें से, से `407.59 करोड़ 3 इकाइयों संबंधित थी, जबकि प्रपत्र 'एफ' के माँगपत्र से यह देखा गया कि व्यवसायी ने उपरोक्त 3 इकाइयों से वास्तव में `428.90 करोड़ मूल्य की सामग्रियाँ प्राप्त किया था जिसपर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
50	बोकारो	प्रेम इंडस्ट्रीज़/ 20251401382	2010-11/ 17.8.2013	2,74,82,125.04	2,56,57,126.80	18,24,998.24	12.5	2,28,124.78	4,56,249.56	6,84,374.34	व्यवसायी ने 2010-11 के दौरान राज्य के बाहर से `2.57 करोड़ का खरीद दिखाया था जिसपर करनिर्धारण संपन्न हुआ। हालाँकि, प्रपत्र 'सी' के माँगपत्र और हरे रोड परमिट से खरीद (जिसके लिए प्रपत्र 'सी' की माँग नहीं की गयी थी) की जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने वास्तव में `2.75 करोड़ के बराबर सामग्रियाँ प्राप्त की।

परिशिष्ट-II (प्रतिवेदन के कड़िका संख्या 2.3.11.1 में उल्लिखित)

खरीद/बिक्री आवर्तों का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम(मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण दिनांक	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	देय जुर्माना धारा 37(6) के अधीन	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
51	बोकारो	हिन्दुस्तान ऑटो एजेंसी/ 20741402810	2010-11/ 3.6.2013	1,71,23,74,460.43	1,59,89,64,227.82	11,34,10,232.61	12.5	1,41,76,279.08	2,83,52,558.15	4,25,28,837.23	व्यवसायी द्वारा हर रोड परमिट का उपयोग, प्रपत्र 'सी' की माँग/उपयोग के जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने राज्य के बाहर से ₹171.24 करोड़ मूल्य की सामग्रियाँ खरीदीं लेकिन व्यापार खाते में ₹159.90 करोड़ लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
52	बोकारो	चास मेटल सेंटर/ 20501405222	2010-11/ 1.3.2014	21,11,259.00	9,03,482.05	12,07,776.95	4	48,311.08	96,622.16	1,44,933.23	व्यवसायी का करनिर्धारण ₹9.03 लाख के आवर्त, जो प्रपत्र 'सी' से समर्थित नहीं थे, पर किया गया, हालाँकि, नीले रोड परमिट की जाँच से पता चला कि व्यवसायी ने वास्तव में ₹21.11 लाख मूल्य की सामग्रियाँ बेचीं जिसके लिए कोई प्रपत्र 'सी' प्राप्त नहीं किया गया।
53	बोकारो	मेकॉन लि./ 20611402639	2010-11/ 28.3.2014	20,04,56,395.00	17,75,11,630.00	2,29,44,765.00	4	9,17,790.60	18,35,581.20	27,53,371.80	त्रैमासिक विवरणियों के जाँच से पता चला कि व्यवसायी कंपनी ने राज्य के बाहर से वास्तव में ₹20.05 करोड़ मूल्य की सामग्रियाँ खरीदीं लेकिन ₹17.75 करोड़ लेखापित किया, जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
कुल				1,53,13,34,89,790.03	1,40,82,80,14,242.41	12,30,54,75,547.62		52,41,80,138.34	1,04,83,60,276.69	1,57,25,40,415.03	

**परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.2 में उल्लिखित)
तिर्यक जाँच द्वारा खरीद/बिक्री के छिपाव का पता लगाया जाना**

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण की तिथि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतये अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
1	आदित्यपुर	आहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लि./ 20660905523	2010-11/ 29.3.2014	42,26,70,208.00	39,00,77,040.00	3,25,93,168.00	12.5	40,74,146.00	81,48,292.00	1,22,22,438.00	व्यवसायी ने सकल आवर्त `39.01 करोड़ दर्शाया था जिसपर करनिर्धारण संपन्न किया गया, हालाँकि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ अभिलेखों के हमारे तिर्यक जाँच ने उद्घटित किया कि व्यवसायी ने, 2010-11 के दौरान, वास्तव में `42.27 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था।
2	आदित्यपुर	ए.एस.एल.इंडस्ट्रीज़ प्रा.लि./ 20910900887	2010-11/ 6.1.2014	47,83,43,368.92	47,41,26,225.66	42,17,143.26	12.5	5,27,142.91	10,54,285.82	15,81,428.72	व्यवसायी ने `53.23 करोड़ का राज्यान्तगत बिक्री दर्शाया था जिसमें मेसर्स टाटा मोटर्स जमशेदपुर को बिक्री `47.41 करोड़ दिखाया गया। हालाँकि, मेसर्स टाटा मोटर्स के साथ अभिलेखों के हमारे तिर्यक जाँच ने उद्घटित किया कि व्यवसायी ने वास्तव में मेसर्स टाटा मोटर्स को `47.83 करोड़ मूल्य की सामग्रियों की बिक्री की।
3	आदित्यपुर	एजटेक इंजीनियर्स/ 20760900824	2010-11/ 22.10.2013	5,38,34,506.33	5,19,61,542.40	18,72,963.93	12.5	2,34,120.49	4,68,240.98	7,02,361.47	व्यवसायी ने `6.19 करोड़ का राज्यान्तगत बिक्री दर्शाया था, जिसमें से, मेसर्स टाटा मोटर्स जमशेदपुर को बिक्री `5.20 करोड़ दर्शाया गया था। हालाँकि मेसर्स टाटा मोटर्स के साथ अभिलेखों के हमारे तिर्यक जाँच ने उद्घटित किया कि व्यवसायी ने वास्तव में मेसर्स टाटा मोटर्स को `5.38 करोड़ मूल्य के सामग्रियों की बिक्री की थी।

परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.2 में उल्लिखित)

तिर्यक जाँच द्वारा खरीद/बिक्री के छिपाव का पता लगाया जाना

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण की तिथि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतान अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
4	रामगढ़	सी.सी.एल. कुजू क्षेत्र/ 2021905510	2009-10 17.1.2014	21,94,49,000.00	19,50,99,859.00	2,43,49,141.00	4	9,73,965.64	19,47,931.28	29,21,896.92	अन्य व्यवसायी (मेसर्स सी.सी.एल. अरगड़डा क्षेत्र) के अभिलेखों के तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने कुजू क्षेत्र से `21.94 करोड़ के बराबर सामग्रियों की प्राप्ति दर्शाया था लेकिन व्यवसायी ने मात्र `19.51 करोड़ मूल्य की सामग्रियाँ हस्तांतरित दर्शाया।
			2010-11/ 14.1.2014	31,64,47,000.00	0.00	31,64,47,000.00	4	1,26,57,880.00	2,53,15,760.00	3,79,73,640.00	अन्य व्यवसायी (मेसर्स सी.सी.एल. अरगड़डा क्षेत्र) के अभिलेखों के तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने कुजू क्षेत्र से `31.64 करोड़ के बराबर सामग्रियों की प्राप्ति दर्शाया लेकिन व्यवसायी ने अरगड़डा क्षेत्र को हस्तांतरित कोई सामग्रियाँ नहीं दर्शाया था।
5	देवघर	सिंगसन आर्कन प्रा.लि./ 20732600523	2010-11/ 29.03.2014	50,19,480.00	5,00,000.00	45,19,480.00	12.5	5,64,935.00	11,29,870.00	16,94,805.00	संवेदक व्यवसायी का सकल आवर्त `5.00 लाख पर निर्धारित किया गया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया, हालाँकि, ऑकड़ों के हमारे तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने दक्षिणी वाणिज्य करअंचल, राँची में निबंधित मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से 2010-11 के लिए `50.19 लाख का भुगतान प्राप्त किया था।

परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.2 में उल्लिखित)

तिर्यक जाँच द्वारा खरीद/बिक्री के छिपाव का पता लगाया जाना

(राशि में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण की तिथि	वास्तविक आवत	लेखापित आवत	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतये अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
6	तेनुघाट	परियोजना अधिकारी कथारा वाशरी/ 20602205100	2010-11/ 20.01.2014	1,56,40,200.00	0.00	1,56,40,200.00	4	6,25,608.00	12,51,216.00	18,76,824.00	व्यवसायी कम्पनी ने राज्यान्तर्गत अपने शाखाओं से प्राप्त शून्य दर्शाया था जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया। हालाँकि, उसी वाणिज्य कर अंचल में निर्बंधित मेसर्स सी.सी.एल., दोरी क्षेत्र (टिन-20312205364) के अभिलेखों के हमारे तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि जेवैट-506 के बदौलत कथारा वाशरी को कंपनी ने 1.56 करोड़ का भंडार अंतरण दिखाया है।
7	तेनुघाट	मेसर्स आरती कंस्ट्रक्शन/ 32200592	2010-11/ 15.03.14	1,17,67,000.00	0.00	1,17,67,000.00	12.5	14,70,875.00	29,41,750.00	44,12,625.00	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष, बोकारो से संग्रहित ऑकड़के हमारे तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष, बोकारो से वर्ष 2010-11 के लिए 1.18 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था हालाँकि इसे उसके लेखे में लेखापित नहीं किया गया जिसपर करनिर्धारण संपन्न हुआ।

**परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.2 में उल्लिखित)
तिर्यक जाँच द्वारा खरीद/बिक्री के छिपाव का पता लगाया जाना**

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण की तिथि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतय अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
8	तेनुघाट	परियोजना अधिकारी स्वांग वाशरी/ 20812205056	2010-11/ 20.01.14	12,76,61,949.00	60,96,666.90	12,15,65,282.10	4	48,62,611.28	97,25,222.57	1,45,87,833.85	समान अंचल में निबंधित व्यवसायी के अन्य व्यवसायी के अभिलेखों के साथ तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने `12.77 करोड़ मूल्य के माल की प्राप्ति हेतु सी.सी.एल. दोरी क्षेत्र (टिन 20312205364) को जेवैट-506 निर्गत किया था लेकिन शाखाओं से मात्र `60.97 लाख प्राप्ति दर्शाया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
9	तेनुघाट	जैन इन्फ्राप्रोजेक्ट लि./ 20812205347	2010-11/ 22.03.14	6,70,05,808.00	1,00,000.00	6,69,05,808.00	12.5	83,63,226.00	1,67,26,452.00	2,50,89,678.00	संवेदक व्यवसायी का सकल आवर्त `1.00 लाख पर निर्धारित किया गया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया, हालाँकि ऑकड़ों के हमारे तिर्यक जाँच ने उद्घटित किया कि रॉची पूर्वी वाणिज्य कर अंचल, रॉची में निबंधित मेसर्स एन.बी.सी.सी. से व्यवसायी ने वर्ष 2010-11 के लिए `6.70 करोड़का भुगतान प्राप्त किया।
10	चाईबासा	सेल, किरीबुरू/ 20501200794	2010-11/ 24.01.2014	2,05,76,36,181.03	1,89,70,26,914.04	16,06,09,266.99	4	64,24,370.68	1,28,48,741.36	1,92,73,112.04	खनन विभाग, चाईबासा से प्राप्त ऑकड़ों के तिर्यक जाँच ने उद्घटित किया कि व्यवसायी ने वास्तव में 36.61 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क प्रेषित किया लेकिन मात्र 33.75 लाख मीट्रिक टन लेखापित किया जिसपर करनिर्धारण संपन्न किया गया।

**परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.2 में उल्लिखित)
तिर्यक जाँच द्वारा खरीद/बिक्री के छिपाव का पता लगाया जाना**

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण की तिथि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतये अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
11	चाईबासा	उषा मार्टिन लि./ 20481205166	2010-11/ 03.02.2014	1,26,84,93,890.21	91,90,40,853.01	34,94,53,037.20	4	1,39,78,121.49	2,79,56,242.98	4,19,34,364.46	खनन विभाग, चाईबासा से प्राप्त ऑकड़ों के तिर्यक जाँच ने उद्घटित किया कि व्यवसायी ने वास्तव में 15.27 लाख मीट्रिक टन लौह अयस्क प्रेषित किया लेकिन मात्र 11.06 लाख मीट्रिक टन लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
12	रामगढ़	टारपीडो कंस्ट्रक्शन प्रा.लि./ 20831900516	2010-11/ 5.2.14	2,28,36,450.00	1,55,04,511.00	73,31,939.00	12.5	9,16,492.38	18,32,984.75	27,49,477.13	अन्य विभागों से संग्रहित की गई ऑकड़ों के हमारे तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने वर्ष 2010-11 के दौरान वास्तव में ग्रा.का.वि. बोकारो से `1.99 करोड़ तथा हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, राँची से `29.57 लाख का भुगतान प्राप्त किया लेकिन मात्र `1.55 करोड़ के सकल आवर्त का विवरणी दाखिल किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
13	रामगढ़	अभिषेक शेखर/ 20301906292	2009-10/ 9.3.2011	1,29,35,650.00	2,33,785.00	1,27,01,865.00	4	5,08,074.60	10,16,149.20	15,24,223.80	समान अंचल में निर्बंधित दूसरे व्यवसायी के अभिलेखों के हमारे तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि व्यवसायी ने 2009-10 के दौरान मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, रामगढ़ से वस्तुओं की आपूर्ति हेतु `1.29 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया लेकिन करनिर्धारण मात्र `2.34 लाख के सकल आवर्त पर संपन्न किया गया।

परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.2 में उल्लिखित)
तिर्यक जाँच द्वारा खरीद/बिक्री के छिपाव का पता लगाया जाना

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण की तिथि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतये अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
14	रामगढ़	सीला प्रसाद/ 20401906308	2009-10/ 6.2.2011	39,91,650.00	2,73,260.00	37,18,390.00	4	1,48,735.60	2,97,471.20	4,46,206.80	समान अंचल में निबंधित व्यवसायी के अभिलेखों के हमारे तिर्यक जाँच ने उद्घटित किया कि व्यवसायी ने 2009-10 के दौरान मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड, रामगढ़ से वस्तुओं की आपूर्ति हेतु `39.92 लाख का भुगतान प्राप्त किया था लेकिन करनिर्धारण मात्र `2.73 लाख के सकल आवर्त पर संपन्न किया गया।
15	राँची पश्चिमी	बी.ई.एम.एल.लि./ 20870302322	2009-10/ 21.02.2013	4,95,93,150.00	3,34,21,178.00	1,61,71,972.00	4	6,46,878.88	12,93,757.76	19,40,636.64	व्यवसायी ने `25.96 करोड़ के बराबर राज्यान्तर्गत बिक्री दर्शाया था, जिसमें से.मे. टिस्को, डब्लू.बी.सी.डिपो. को बिक्री मात्र `3.34 करोड़ दर्शाया गया। हालाँकि, टिस्को, डब्लू.बी.सी.डिपो. के साथ अभिलेखों के हमारे तिर्यक जाँच से उद्घटित हुआ कि केला व्यवसायी ने `9.92 लाख (@2 प्रतिशत) का का.स.क. घटाया था, इस प्रकार, सामग्रियों की कुल आपूर्ति `4.96 करोड़ (`3.34 करोड़ X50) संगणित किया गया।

**परिशिष्ट-III (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.11.2 में उल्लिखित)
तिर्यक जाँच द्वारा खरीद/बिक्री के छिपाव का पता लगाया जाना**

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण की तिथि	वास्तविक आवर्त	लेखापित आवर्त	छिपाव	कर की दर (%)	देय कर	धारा 37(6) के अधीन भुगतये अर्थदंड	कुल आरोप्य कर और अर्थदंड	अभ्युक्ति
16	बोकारो	सेल बिक्री शाखा कार्यालय/ 20671402315	2010-11/ 31.3.2014 and 14.11.2014 (revised)	5,98,86,03,052.00	5,43,70,91,802.65	55,15,11,249.35	4	5,69,77,183.95	11,39,54,367.89	17,09,31,551.84	व्यवसायी कंपनी ने 2010-11 के दौरान मे. सेल, बोकारो इस्पात संयंत्र (टिन-20671402315) से `543.71 करोड़ के बराबर सामग्रियों की प्राप्ति दर्शाया था। जिसपर कर निर्धारण संपन्न किया गया। हालाँकि, हमने ऑफिसों का मे. सेल, बोकारो इस्पात संयंत्र के अभिलेखों के साथ तिर्यक जाँच किया और देखा कि स्थानांतरण करने वाले व्यवसायी ने वास्तव में `598.86 करोड़ मूल्य की सामग्रियों स्थानांतरित किया था और उसी राशि हेतु जेबैट-507 निर्गत किया था।
17	राँची पश्चिमी	दीपांशु प्रमोटर एंड बिल्डर प्रा.लि./ 20100300369	2010-11/ 11.11.2013	21,43,97,037.00	17,93,73,665.00	3,50,23,372.00	12.5	43,77,921.50	87,55,843.00	1,31,33,764.50	राँची दक्षिणी अंचल में निर्बंधित मेसर्स एन.पी.सी.सी. लिमिटेड से प्राप्त भुगतानों तथा टी.डी.एस. की विवरणी के अनुसार व्यवसायी ने `21.44 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया था लेकिन व्यवसायी ने मात्र `17.94 करोड़ की प्राप्ति दर्शाया था जिसपर करनिर्धारण संपन्न आ।
कुल				11,33,63,25,580.49	9,59,99,27,302.66	1,73,63,98,277.83		11,83,32,289.39	23,66,64,578.78	35,49,96,868.17	

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.12 में उल्लिखित)

स.आ. का गलत निर्धारण

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) /टिन	अवधि/करनिर्धारण की तिथि	वस्तु	निर्धारित स.आ.	निर्धारण योग्य स.आ.	कम निर्धारित स.आ.	कर की दर	आरोप्य अतिरिक्त कर	अभ्युक्ति
1	चाईबासा	सेल गुवा लौह अयस्क खान/ 20661200803	2010 -11/ 19.12.2013	लौह अयस्क	2,11,01,46,469.26	2,28,30,38,819.00	17,28,92,349.74	4%	69,15,693.99	क.नि.प्रा. ने `211.01 करोड़ का स.आ. निर्धारित किया लेकिन त्रैमासिक विवरणियों की जाँच से पता चला कि वास्तविक स.आ. `228.30 करोड़ थी।
2	देवघर	मिहिजाम वनस्पति लि./ 20482601582	2011 -12/ 18.07.2013	वनस्पति	86,06,86,080.29	86,81,64,821.00	74,78,740.71	5%	3,73,937.04	व्यवसायी ने अपने वार्षिक विवरणों में `86.06 करोड़ का स.आ. प्रदर्शित किया लेकिन जेवैट-409 का जाँच `86.81 करोड़ स.आ. दर्शाता है।
3	जमशेदपुर नागरीय	एक्साइड इंडस्ट्रीज लि./ 20011005329	2007-08/ 31.03.2010	बैटरी	41,94,88,270.33	64,33,23,513.16	22,38,35,242.83	12.50%	2,79,79,405.35	व्यवसायी ने अपने वार्षिक विवरणों/जेवैट-409 में `64.33 करोड़ का स.आ. प्रदर्शित किया लेकिन क.नि.प्रा. ने `41.95 करोड़ का स.आ. निर्धारित किया।
4	जमशेदपुर	एल.एंड टी.लि./ 20170805360	2011 -12/ 28.12.2013	हायर पर्चेज	4,68,11,551.00	4,82,86,368.00	14,74,817.00	5.00%	73,740.85	क.नि.प्रा. ने `4.68 करोड़ का स.आ. निर्धारित किया लेकिन वार्षिक विवरणों/जेवैट-409 के अनुसार स.आ. `4.82 करोड़ आता है।
5	जमशेदपुर	रोहित सरफैक्टर्स लि./ 20390802233	2010 -11/ 31.12.2013	डिटेजेंट पाउडर और केक्स	99,02,72,428.00	1,08,55,40,611.86	9,52,68,183.86	12.50%	1,19,08,522.98	क.नि.प्रा. ने क्रय आवर्त `99.02 करोड़ निर्धारित किया। हालाँकि वास्तविक क्रय आवर्त `108.55 करोड़ था।
6	जमशेदपुर नागरीय	शापुर जी पालोन जी एंड कंपनी/ 2053100685	2010 -11/ 15.03.2014	कार्य सविदा	47,77,95,224.41	60,11,84,944.41	12,33,89,720.00	12.50%	1,54,23,715.00	व्यवसायी ने अपना व्यापार खाता प्रस्तुत नहीं किया। हालाँकि की गयी खरीदों के आधार पर स.आ. का निर्धारण किया जाना था।
7	राँची दक्षिणी	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड/ 20330105162	2010 -11/ 31.03.2014	विद्युत उत्पादन व वितरण	41,26,51,000.00	46,21,75,810.00	4,95,24,810.00	12.50%	61,90,601.25	वर्तमान मामले में जे.एस.ई.बी. मीटर का स्वामी है और उपभोक्ता को आपूर्ति किया तथा इन मीटरों के उपयोग का अधिकार किया

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.12 में उल्लिखित)

स.आ. का गलत निर्धारण

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) /टिन	अवधि/करनिर्धारण की तिथि	वस्तु	निर्धारित स.आ.	निर्धारण योग्य स.आ.	कम निर्धारित स.आ.	कर की दर	आरोप्य अतिरिक्त कर	अभ्युक्ति
										जिसके विरुद्ध किराये की वसूली की गयी।
8	राँची दक्षिणी	के.ई.सी. इंटरनेशनल लि./ 20870105908	2010-11/ 24.02.14	कार्य संविदा	37,22,01,703.00	42,65,58,567.26	5,43,56,864.26	4,12.5%	62,44,085.06	`42.66 करोड़ का स.आ. गलत रूप से `37.22 करोड़ निर्धारित किया गया। `5.44 करोड़ का अन्तर 4 प्रतिशत के दर से `57.41 लाख पर और 12.5 प्रतिशत की दर से `4.81 करोड़ पर आरोप्य था।
9	राँची पश्चिमी	अभिजीत प्रोजेक्ट्स लि./ 20720306092	2010-11/ 21.3.2014	कार्य संविदा	9,47,54,11,322.22	9,53,90,87,814.73	6,36,76,492.51	4.00%	25,47,059.70	व्यवसायी ने 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य `80.02 करोड़ की सामग्रियाँ खरीदा था तथा अन्तर्गत शून्य छोड़ते हुए इसका उपभोग किया। लेकिन करनिर्धारण के समय, क.नि.प्रा. ने मात्र `73.66 करोड़ पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया।
10	धनबाद	एप्सा इंडिया प्रोजेक्ट्स प्रा.लि./ 20611705668	2010-11/ 21.2.2014	कार्य संविदा	31,08,68,361.00	32,92,79,336.68	1,84,10,975.68	12.5	23,01,371.96	व्यवसायी ने जेवैट-409 या कार्य संविदा हेतु व्यापार खाता प्रस्तुत नहीं किया। हालाँकि व्यवसायी (कार्य संवेदक) का स.आ. `31.09 करोड़ पर निर्धारित किया गया, जिसमें श्रम अवयव हेतु `30.97 करोड़ की छूट की अनुमति दी गई तथा स्क्रेप की बिक्री के रूप में शेष `11.68 लाख की राशि पर कर आरोपित किया गया। हालाँकि, आवधिक विवरणियों से यह देखा गया कि व्यवसायी ने वास्तव में `1.84 करोड़ मूल्य की सामग्री खरीदा था जिसे लेखापित नहीं किया गया।

परिशिष्ट-IV (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.12 में उल्लिखित)

स.आ. का गलत निर्धारण

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) /टिन	अवधि/करनिर्धारण की तिथि	वस्तु	निर्धारित स.आ.	निर्धारण योग्य स.आ.	कम निर्धारित स.आ.	कर की दर	आरोप्य अतिरिक्त कर	अभ्युक्ति
11	धनबाद	जगदम्बा कोक इंडस्ट्रीज प्रा.लि./ 20751700546	2010-11/ 19.9.2013	हार्ड कोक	25,88,64,161.00	28,82,85,675.29	2,94,21,514.29	4	11,76,860.57	जेवैट-409 में प्रस्तुत व्यापार खाते के अनुसार, व्यापार खाता के जमा पक्ष में `2.05 करोड़ की कमी थी, अग्रतर, जेवैट-409 में विनिर्माण खर्च `3.98 करोड़ दर्शाया गया लेकिन एक पृथक प्रस्तुत विवरणी में वास्तविक विनिर्माण खर्च `4.87 लाख था। इस प्रकार, कुल छिपाव ` 2.94 करोड़ (` 2.05 करोड़ + 88.77 लाख) संगणित किया गया।
12	जमशेदपुर नागरीय	जे.के. सरफेस एंड सर्स कोटिंग प्रा.लि./ 20881001250	2010-11/ 15.3.2014	कार्य संविदा	3,83,03,826.23	5,86,89,361.70	2,03,85,535.47	12.5	25,48,191.93	लाभ सहित कुल करयोग्य आवर्त `5.87 करोड़ संगणित किया गया जबकि व्यवसायी ने करयोग्य आवर्त मात्र `3.83 करोड़ दर्शाया था जिस पर करनिर्धारण संपन्न हुआ। इस प्रकार, व्यवसायी ने 2.04 करोड़ के करयोग्य आवर्त को छिपाया।
13	जमशेदपुर	लीडिंग कंस्ट्रक्शन / 20400800724	2011-12/ 4.1.2014	कार्य संविदा	21,28,78,646.65	40,45,20,939.84	19,16,42,293.19	14	2,68,29,921.05	करनिर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध सूचना के आधार पर, बिक्री/कार्य संविदा में उपभोग किये गये सामग्रियों का कुल करयोग्य आवर्त (लाभ सहित) `40.45 करोड़ संगणित किया गया जबकि, व्यवसायी ने मात्र `21.29 करोड़ के बराबर करयोग्य आवर्त दर्शाया था जिस पर करनिर्धारण संपन्न हुआ। इस प्रकार, `19.16 करोड़ के करयोग्य आवर्त का छिपाव था।
कुल					15,98,63,79,043.39	17,03,81,36,582.93	1,05,17,57,539.54		11,05,13,106.73	

परिशिष्ट-V (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.13.1 में उल्लिखित)

आई.टी.सी. की अधिक स्वीकृति

(राशि में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/ करनिर्धारण की तिथि	वस्तु	व्यवसायी द्वारा दावा किया गया आई.टी.सी.	अनुमति दी गयी आई.टी.सी.	अनुमत्य आई.टी.सी.	अधिक अनुमति दी गयी आई.टी.सी.	भुगतान नहीं किये गये कर की राशि	विलंब की सीमा पूर्ण महीनों में	1% प्रतिमाह की दर से ब्याज	कुल	अभ्युक्ति
1	जमशेदपुर नागरीय	इलेक्ट्रोक्राफ्ट/ 20871001304	2008-09/ 31.03.2011	इलेक्ट्रॉनिक सामग्री	1,68,80,766.06	1,68,80,766.06	1,57,24,387.11	11,56,378.95	11,56,378.95	23	2,65,967.16	14,22,346.11	क.नि.प्रा. ने पूर्ण आई.टी.सी. की स्वीकृति दी जबकि व्यवसायी ने प्रोत्साहक पर क्रेडिट नोट्स/क्रेडिट नोट का उपभोग किया था और इसे झारखण्ड राज्य के अन्दर बिक्रियों से घटा दिया था।
			2009-10/ 20.03.2013	इलेक्ट्रॉनिक सामग्री	2,38,70,878.73	2,38,70,878.73	2,20,43,313.04	18,27,565.69	18,27,565.69	34	6,21,372.33	24,48,938.02	क.नि.प्रा. ने पूर्ण आई.टी.सी. की स्वीकृति दी जबकि व्यवसायी ने प्रोत्साहक पर क्रेडिट नोट्स/क्रेडिट नोट का उपभोग किया था और इसे झारखण्ड राज्य के अन्दर बिक्रियों से घटा दिया था।
2	धनबाद	बी.सी.सी.एल., डब्ल्यू.जे. मुनीडिह 20361700033	2009 -10/ 28.02.2012	कोयला	36,92,655.77	35,38,139.53	1,24,317.76	34,13,821.77	35,68,338.01	22	7,85,034.36	41,98,856.13	क.नि.प्रा. ने 2007 के रिट याचिका संख्या 6285 में निर्णय के आलोक में राज्यान्तर्गत भंडार अंतरण हेतु आई.टी.सी. को आनुपातिक नहीं किया तथा 25.42 लाख के 2008-09 से अग्रोषित आई.टी.सी. की गलत रूप से अनुमति भी दी।

परिशिष्ट-V (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.13.1 में उल्लिखित)

आई.टी.सी. की अधिक स्वीकृति

(राशि में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/ करनिर्धारण की तिथि	वस्तु	व्यवसायी द्वारा दावा किया गया आई.टी.सी.	अनुमति दी गयी आई.टी.सी.	अनुमत्य आई.टी.सी.	अधिक अनुमति दी गयी आई.टी.सी.	शुगतान नहीं किये गये कर की राशि	विलंब की सीमा पूर्ण महीनों में	1% प्रतिमाह की दर से ब्याज	कुल	अभ्युक्ति
			2010 -11/ 06.08.2014	कोयला	13,01,945.65	13,01,945.65	0.00	13,01,945.65	13,01,945.65	32	4,16,622.61	17,18,568.26	क.नि.प्रा. ने आई.टी.सी. की गलत रूप से अनुमति दी जबकि सामग्रियों की बिक्री 5 प्रतिशत से कम थी।
3	धनबाद	इंदर हार्ड कोक इंडस्ट्रीज़/ 23391700500	2010-11/ 20.09.2013	हार्ड कोक	2,62,304.00	2,62,304.00	0.00	2,62,304.00	0.00	0	0.00	2,62,304.00	क.नि.प्रा. ने 2.62 लाख के अर्थात् आई.टी.सी. की गलत रूप से अनुमति दी हालाँकि वर्ष 2009-10 हेतु करनिर्धारण आदेश आई.टी.सी. अर्थात् किये बिना संशोधित किया गया।
4	तेनुघाट	इंडस्ट्रियल केमिकल्स/ 20682201347	2010 -11/ 22.03.2014	औद्योगिक रसायन	2,98,454.62	2,98,437.56	42,498.00	2,55,939.56	2,55,939.56	35	89,578.85	3,45,518.41	क.नि.प्रा. ने 20.44 लाख की राशि के जेवैट-404 की अधकट्टी प्रति पर पूर्ण आई.टी.सी. की अनुमति दिया।
5	चाईबासा	आर.के. मिनरल्स/ 20111205553	2011 -12/ 01.07.2013	लौह अयस्क	20,37,970.75	20,37,970.75	17,52,583.14	2,85,387.61	2,85,387.61	14	39,954.27	3,25,341.88	क.नि.प्रा. ने एस.ओ. 02 दिनांक 07.05.11 के विपरीत के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 8(2) के अधीन दूसरे राज्यों के अनिर्बंधित व्यवसायियों को की गयी बिक्री पर पूर्ण आई.टी.सी. की अनुमति दिया। अग्रतर, चूँकि व्यवसायी ने 2.85 लाख (20.38 लाख - 17.53 लाख) के गलत आई.टी.सी. का उपभोग किया जिस पर

परिशिष्ट-V (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.13.1 में उल्लिखित)

आई.टी.सी. की अधिक स्वीकृति

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/ करनिर्धारण की तिथि	वस्तु	व्यवसायी द्वारा दावा किया गया आई.टी.सी	अनुमति दी गयी आई.टी.सी	अनुमत्य आई.टी.सी	अधिक अनुमति दी गयी आई.टी.सी.	भुगतान नहीं किये गये कर की राशि	विलंब की सीमा पूर्ण महीनों में	1% प्रतिमाह की दर से ब्याज	कुल	अभ्युक्ति
													व्यवसायी अधिनियम की धारा 30(1)(3) के अन्तर्गत ब्याज और अर्थदंड भुगतान करने का उत्तरदायी था।
6	चाईबासा	देविकाभाई वेल्जी/ 20121200615	2011 -12/ 03.09.2014	लौह अयस्क	62,78,813.00	62,78,813.00	56,45,927.66	6,32,885.34	6,32,885.34	16	1,01,261.65	7,34,146.99	क.नि.प्रा. ने एस.ओ. 02 दिनांक 07.05.11 के विपरीत के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 8(2) के अधीन दूसरे राज्यों के अनिबंधित व्यवसायियों को की गयी बिक्री पर पूर्ण आई.टी.सी. की अनुमति दिया। अग्रतर, चूंकि व्यवसायी ने ₹ 6.33 लाख के गलत आई.टी.सी. का उपभोग किया जिस पर व्यवसायी अधिनियम की धारा 30(1)(3) के अन्तर्गत ब्याज और अर्थदंड भुगतान करने का उत्तरदायी था।
7	चाईबासा	सालासर मिनरल्स/ 20161205561	2011 -12/ 19.08.2014	लौह अयस्क	18,75,660.00	18,75,651.85	14,39,346.04	4,36,305.81	4,36,313.96	15	65,447.09	5,01,752.90	क.नि.प्रा. ने एस.ओ. 02 दिनांक 07.05.11 के विपरीत के.बि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 8(2) के अधीन दूसरे राज्यों के अनिबंधित व्यवसायियों को की गयी बिक्री पर पूर्ण आई.टी.सी. की अनुमति दिया। अग्रतर,

परिशिष्ट-V (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.13.1 में उल्लिखित)

आई.टी.सी. की अधिक स्वीकृति

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/ करनिर्धारण की तिथि	वस्तु	व्यवसायी द्वारा दावा किया गया आई.टी.सी.	अनुमति दी गयी आई.टी.सी.	अनुमत्य आई.टी.सी.	अधिक अनुमति दी गयी आई.टी.सी.	भुगतान नहीं किये गये कर की राशि	विलंब की सीमा पूर्ण महीनों में	1% प्रतिमाह की दर से ब्याज	कुल	अभ्युक्ति
													चूंकि व्यवसायी ने ₹4.36 लाख के गलत आई.टी.सी. का उपभोग किया जिस पर व्यवसायी अधिनियम की धारा 30(1)(3) के अन्तर्गत ब्याज और अर्थदंड भुगतान करने का उत्तरदायी था।
8	रामगढ़	भारत रिफ़ैक्टरीज़ लि. (इफको)/ 20481900078	2009 -10/ 6.3.2013/ 01.11.2014 (Revised)	फायर ब्रिक्स	1,00,92,051.00	73,84,767.00	70,09,736.00	3,75,031.00	30,82,315.00	54	16,64,450.10	20,39,481.10	व्यवसायी ने ₹21.98 करोड़ की राशि के अन्तर्राज्यीय भंडार अंतरण पर आई.टी.सी. को सही रूप से अनुपातिक नहीं किया। अतः, चूंकि व्यवसायी ने ₹30.82 लाख (₹1.01 करोड़ - ₹70.10 लाख) के गलत आई.टी.सी. का उपभोग किया जिस पर व्यवसायी अधिनियम की धारा 30(1)(3) के अन्तर्गत ब्याज और अर्थदंड भुगतान करने का उत्तरदायी था।
9	रामगढ़	दयाल फेरो अलॉयज/ 20491903128	2010 -11/ 02.01.2014	फेरो अलॉयज	12,84,828.00	14,75,766.00	12,84,828.00	1,90,938.00	0.00	0	0.00	1,90,938.00	यद्यपि व्यवसायी ने ₹12.84 लाख के आई.टी.सी. (समानुपात के बाद) का दावा किया, क.नि.प्रा. ने गलत रूप से ₹14.76 लाख के आई.टी.सी. की अनुमति दी, जिसका परिणाम ₹1.91 लाख

परिशिष्ट-V (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.13.1 में उल्लिखित)

आई.टी.सी. की अधिक स्वीकृति

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/ करनिर्धारण की तिथि	वस्तु	व्यवसायी द्वारा दावा किया गया आई.टी.सी	अनुमति दी गयी आई.टी.सी	अनुमत्य आई.टी.सी	अधिक अनुमति दी गयी आई.टी.सी.	भुगतान नहीं किये गये कर की राशि	विलंब की सीमा पूर्ण महीनों में	1% प्रतिमाह की दर से ब्याज	कुल	अभ्युक्ति
													क अधिक आई.टी.सी. की अनुमति में हुआ।
10	रामगढ़	दयाल अलॉएज एंड स्टील कास्टिंग्स/ 20741903136	2010 -11/ 02.01.2014	एम.एस. इंगोट	24,70,914.00	32,53,432.00	24,10,099.26	8,43,332.74	60,814.74	32	19,460.72	8,62,793.46	यद्यपि व्यवसायी ने `24.71 लाख के आई.टी.सी. (समानुपात के बाद) का दावा किया, क.नि.प्रा. ने गलत रूप से `32.53 लाख के आई.टी.सी. की अनुमति दी, जिसका परिणाम `7.82 लाख के अधिक आई.टी.सी. की अनुमति में हुआ। अग्रतर, हमने वास्तविक अनुमत्य आई.टी.सी. मात्र `24.10 लाख संगणित किया। इस प्रकार, `8.43 लाख के अधिक आई.टी.सी. अनुमति दी गयी। व्यवसायी ने `0.61 लाख (`24.71 लाख - `24.10 लाख) के गलत आई.टी.सी. का उपभोग किया था जिस पर व्यवसायी अधिनियम की धारा 30(1)(3) के अन्तर्गत ब्याज और अर्थदंड भुगतान करने का उत्तरदायी था।

परिशिष्ट-V (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.13.1 में उल्लिखित)

आई.टी.सी. की अधिक स्वीकृति

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/ करनिर्धारण की तिथि	वस्तु	व्यवसायी द्वारा दावा किया गया आई.टी.सी	अनुमति दी गयी आई.टी.सी	अनुमत्य आई.टी.सी	अधिक अनुमति दी गयी आई.टी.सी.	शुगतान नहीं किये गये कर की राशि	विलंब की सीमा पूर्ण महीनों में	1% प्रतिमाह की दर से ब्याज	कुल	अभ्युक्ति
11	जमशेदपुर	टी.एम.एल. डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि./ 20490806032	2010-11/ 31.3.2014	मोटर वाहन	42,31,179.86	42,31,179.86	40,97,968.13	1,33,211.73	1,33,211.73	35	46,624.11	1,79,835.84	व्यवसायी ने 4 प्रतिशत सामग्रियों का कोई भी क्रय नहीं दर्शाया था तथापि उसने ₹ 1.44 लाख के आई.टी.सी. उपभोग किया लेकिन क.नि.प्रा. ने ₹ 1.33 लाख के आई.टी.सी. की अनुमति दी। इस प्रकार, व्यवसायी ने आई.टी.सी. जिसका वह हकदार नहीं था का उपभोग किया।
12	धनबाद	रोनक इंटरप्राइजेज़/20391 705206	2010-11/ 13.6.2012	कोयला	8,52,172.32	8,52,172.32	7,81,964.93	70,207.39	70,207.39	14	9,829.03	80,036.42	नियम 35(2) व(4) के प्रावधानों के विपरीत क.नि.प्रा. ने समान वित्तीय वर्ष के लिए समान विक्रेता व्यवसायी द्वारा निर्गत जेवैट-404 में दो घोषणा पत्रों की प्रस्तुति पर आई.टी.सी. की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार, ₹ 70,207.00 की आई.टी.सी. की अनुमति गलत थी।
13	धनबाद	पार्थ इस्पात इंडिया प्रा.लि./ 20601705065	2010-11/ 29.3.2014	रेलवे स्लीपर	55,02,649.00	53,61,944.37	52,86,684.58	75,259.79	2,15,964.42	35	75,587.55	1,50,847.34	व्यवसायी को ₹ 75,260 के प्रस्तुत जेवैट-404 2009-10 से संबंधित था की गलत रूप से अनुमति दी गयी।

परिशिष्ट-V (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.13.1 में उल्लिखित)

आई.टी.सी. की अधिक स्वीकृति

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/ करनिर्धारण की तिथि	वस्तु	व्यवसायी द्वारा दावा किया गया आई.टी.सी	अनुमति दी गयी आई.टी.सी	अनुमत्य आई.टी.सी	अधिक अनुमति दी गयी आई.टी.सी.	शुगतान नहीं किये गये कर की राशि	विलंब की सीमा पूर्ण महीनों में	1% प्रतिमाह की दर से ब्याज	कुल	अभ्युक्ति
14	राँची दक्षिणी	हिंडालको इंडस्ट्रीज लि./ 20530101428	2010-11/ 07/03/2014	अल्यूमिना	55,58,744.00	51,12,797.00	48,97,154.64	2,15,642.36	6,61,589.36	35	2,31,556.28	4,47,198.64	क.नि.प्रा. न आई.टी.सी. के नकारात्मक सूची में दिये गये वस्तुओं की खरीद पर गलत आई.टी.सी. की अनुमति दी।
15	राँची दक्षिणी	उषा माटिन लि. (डब्लू.आर.पी. प्रभाग)/ 20650100392	2011-12/ 22.10.2014	वायर, वायर रोप्स	4,69,12,347.02	4,69,12,347.02	4,60,70,866.87	8,41,480.15	8,41,480.15	29	2,44,029.24	10,85,509.39	व्यवसायी ने अन्तरराज्यीय भंडार अंतरण और जॉबवर्क के लिए सही रूप से समानुपात नहीं किया।
16	राँची पश्चिमी	शिव ओम मेगा मार्ट/ 20310305619	2010-11/ 7.9.2013	रेडिमेड कपडे	5,07,075.63	5,07,075.63	3,90,542.55	1,16,533.08	1,16,533.08	28	32,629.26	1,49,162.34	जेवेट अधिनियम की धारा 21 के अनुसार, व्यवसायी `29.13 लाख के व्यापार डिस्काउंट पर आई.टी.सी. का हकदार नहीं था जिसकी क.नि.प्रा. ने अनुमति दी। चूंकि व्यवसायी ने केवल राज्यान्तर्गत क्रय किया था और सम्पूर्ण क्रय पर आई.टी.सी. का दावा किया था, व्यवसायी `29.13 लाख की छूट प्रदत्त राशि पर आई.टी.सी. का हकदार नहीं था।

परिशिष्ट-V (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.13.1 में उल्लिखित)

आई.टी.सी. की अधिक स्वीकृति

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/करनिर्धारण की तिथि	वस्तु	व्यवसायी द्वारा दावा किया गया आई.टी.सी.	अनुमति दी गयी आई.टी.सी.	अनुमत्य आई.टी.सी.	अधिक अनुमति दी गयी आई.टी.सी.	भुगतान नहीं किये गये कर की राशि	विलंब की सीमा पूर्ण महीनों में	1% प्रतिमाह की दर से ब्याज	कुल	अभ्युक्ति
17	राँची पश्चिमी	एच.सी.एल. इंफोसिस्टम्स/ 207303000171	2010-11/ 10.2.2014	आई.टी. उत्पाद	7,98,23,598.49	7,90,15,395.74	7,86,37,883.69	3,77,512.05	11,85,714.80	33	3,91,285.88	7,68,797.93	व्यवसायी ने ₹190.32 करोड़ के लिए 13 जेबैट-404 प्रपत्र प्रस्तुत किया था और क.नि.प्रा. ने, अनुपातिक वितरण कर, ₹7.90 करोड़ के आई.टी.सी. की अनुमति दी। हालाँकि, प्रस्तुत प्रपत्र के आधार पर अनुमत्य वास्तविक आई.टी.सी. मात्र ₹7.86 करोड़ संगणित किया गया जिसका परिणाम ₹3.77 लाख की अधिक अनुमति में हुआ। अग्रतर, व्यवसायी ने ₹7.98 करोड़ के आई.टी.सी. का उपभोग किया इसलिए व्यवसायी ₹11.86 लाख (₹7.98 करोड़ - ₹7.86 करोड़) पर ब्याज एवं अर्थदंड के भुगतान का उत्तरदायी था।

परिशिष्ट-V (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.13.1 में उल्लिखित)

आई.टी.सी. की अधिक स्वीकृति

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/ करनिर्धारण की तिथि	वस्तु	व्यवसायी द्वारा दावा किया गया आई.टी.सी	अनुमति दी गयी आई.टी.सी	अनुमत्य आई.टी.सी	अधिक अनुमति दी गयी आई.टी.सी.	भुगतान नहीं किये गये कर की राशि	विलंब की सीमा पूर्ण महीनों में	1% प्रतिमाह की दर से ब्याज	कुल	अभ्युक्ति
18	राँची पश्चिमी	नेक्स्ट रिटेल इंडिया लि./ 20820305914	2010-11/ 25.2.2014	बर्तन, आई.टी. उत्पाद	42,71,606.89	42,71,606.89	9,68,020.83	33,03,586.06	33,03,586.06	33	10,90,183.40	43,93,769.46	व्यवसायी ने 12 जेवैट-404 प्रपत्र की प्रस्तुति पर `4.87 करोड़ के आई.टी.सी. का उपभोग किया एवं अनुमति भी दी गयी। हालाँकि, हमारी जाँच से उद्घटित हुआ कि विक्रेता व्यवसायी द्वारा उपरोक्त में से, 6 की संख्या में प्रपत्र कर करनिर्धारण की तिथि अर्थात् 25.02.2014 के बाद की तिथि(यों) को निर्गत किये गये थे। इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि ये प्रपत्र करनिर्धारण के समय प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अतः, क.नि.प्रा. ने इन 6 प्रपत्रों में सन्निहित `33.04 लाख के आई.टी.सी. की गलत रूप से अनुमति दी।
19	राँची पश्चिमी	स्पाइस लि./एस. मोबिलिटी लि./ 20770301892	2010-11/ 18.12.2013	आई.टी. उत्पाद	40,86,254.86	40,86,254.86	29,20,995.41	11,65,259.45	11,65,259.45	31	3,61,230.43	15,26,489.88	व्यवसायी ने भुगतान किये गये प्रवेश कर के कारण `40.86 लाख के आई.टी.सी. का उपभोग किया जिसकी क.नि.प्रा. द्वारा अनुमति भी दी गयी। जब व्यवसायी ने अपनी सामग्रियों को राज्य के बाहर भंडार अंतरित किया था, वहाँ `11.65 लाख के प्रवेश कर का गलत समायोजन था।

परिशिष्ट-V (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.13.1 में उल्लिखित)

आई.टी.सी. की अधिक स्वीकृति

(राशि में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/करनिर्धारण की तिथि	वस्तु	व्यवसायी द्वारा दावा किया गया आई.टी.सी.	अनुमति दी गयी आई.टी.सी.	अनुमत्य आई.टी.सी.	अधिक अनुमति दी गयी आई.टी.सी.	भुगतान नहीं किये गये कर की राशि	विलंब की सीमा पूर्ण महीनों में	1% प्रतिमाह की दर से ब्याज	कुल	अभ्युक्ति
20	बोकारो	सेल, बोकारो स्टी प्लांट/ 20581402316	2010-11/ 22.3.2014	लौह इस्पात	64,42,70,977.00	63,44,81,610.48	61,58,44,874.70	1,86,36,735.78	28426102.3	34	96,64,874.78	2,83,01,610.56	व्यवसायी कंपनी ने ₹603.18 करोड़ मूल्य की सामग्रियों भंडार अंतरित (राज्यान्तर्गत) तथा ₹3157.57 करोड़ हेतु राज्य के बाहर भंडार अंतरण किया था जिस पर पूर्ण आई.टी.सी. अनुमत्य नहीं था बल्कि अनुपातिक किया जाना था जिसे अनुपातीकरण में न तो लेखापित/अल्पलेखापित व्यवसायी द्वारा किया गया न तो क.नि.प्रा. द्वारा ही प्रभाजित किया गया।
			2011-12/ 30.3.2015	लौह इस्पात	70,12,69,965.00	68,14,38,191.14	66,75,86,118.73	1,38,52,072.41	33683846.27	35	1,17,89,346.19	2,56,41,418.60	व्यवसायी कंपनी ने ₹587.23 करोड़ मूल्य की अपनी सामग्रियों को (राज्यान्तर्गत) भंडार अंतरित किया था जिस पर पूर्ण आई.टी.सी. अनुमत्य नहीं था बल्कि अनुपातिक किया जाना था, जिसे न तो व्यवसायी न क.नि.प्रा. द्वारा ही प्रभाजित कर लेखापित किया गया।
कुल					1,56,76,33,811.65	1,53,47,29,447.44	1,48,49,60,111.07	4,97,69,336.37	8,24,11,379.52		2,80,06,325.30	7,77,75,661.67	

परिशिष्ट-VI (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.14.1 में उल्लिखित)
सामग्रियों के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अनारोपण/अल्पापण

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (सेसर्स) /निबंधन संख्या	अवधि/करनिर्धारण की तिथि	वस्तु	निर्धारित स.आ.	अस्वीकृत छूट/निम्नतर दर पर आरोपित कर का आवर्त	आरोप्य कर की दर (%) आरोपित	आरोप्य कर	आरोपित कर	कर का अल्प आरोपण	अशुचित
1	जमशेदपुर नागरीय	मैक ब्रॉस सेल्स/ 20471000942	2009-10/ 21.03.2013	पेट्स	13,17,17,659.33	2,69,47,815.51	12.5 4	33,68,476.94	10,77,912.62	22,90,564.32	रोड परमिट 504-जी क उपयोग के आधार पर कुल अन्तर्राज्यीय खरीद `8.15 करोड़ थी। जिसमें से 12.5 प्रतिशत की सामग्री `6.84 करोड़ था लेकिन व्यवसायी ने सामग्री का गलत वर्गीकरण किया और मात्र `3.89 करोड़ ही लेखापित किया तथा शेष को 4 प्रतिशत की खरीद में लेखापित किया। जिसका परिणाम `2.69 करोड़ (`6.84 करोड़ - `3.89 करोड़ - `0.26 करोड़ की मार्गस्थ बिक्री) मूल्य की सामग्रियों के गलत वर्गीकरण और फलस्वरूप कर के गलत दर के अनुप्रयोग के कारण कर के अल्पापण में आ।
2	तेनुघाट	बालाजी ट्रेडर्स/ 20132200243	2010 -11/ 22.08.2013	सीमेंट व लोहा	62,47,524.00	12,47,524.00	4 व 12.5 0.5	87,254.21	6,237.62	81,016.59	व्यवसायी ने धारा 58 के तहत कंपोजीशन स्कीम को चुना था लेकिन वर्ष के दौरान आवर्त `50 लाख से अधिक हो गया और क.नि.प्रा. ने बढ़े हुए आवर्त पर 0.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया, हालाँकि `12.48 लाख के बढ़े हुए आवर्त पर झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 60 के अंतर्गत अन्तर 4 एवं 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोप्य था।

परिशिष्ट-VI (प्रतिवदन के कंडिका संख्या 2.3.14.1 में उल्लिखित)

सामग्रियों के गलत वर्गीकरण के कारण कर का अनारोपण/अल्पारोपण

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) /निबंधन संख्या	अवधि/करनिर्धारण की तिथि	वस्तु	निर्धारित स.आ.	अस्वीकृत छूट/निम्नतर दर पर आरोपित कर का आवर्त	आरोप्य कर की दर (%) आरोपित	आरोप्य कर	आरोपित कर	कर का अल्प आरोपण	अभ्युक्ति
3	तेनुघाट	कथारा वाशरी/ 20602205100	2010 -11/ 20.01.2014	कोल ब्रिकेट	1,19,30,84,429.07	49,09,549.76	12.5 4	6,13,693.72	1,96,381.99	4,17,311.73	व्यवसायी ने `49.10 लाख क कोयले की ईट की बिक्री की लेकिन क.नि.प्रा. ने 12.5 प्रतिशत की सही दर के बजाय 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया।
4	रामगढ़	आई.ए.जी.कंपनी लि./ 20291903141	2010 -11/ 25.03.2014	ग्लास	18,87,42,899.00	4,17,80,645.00	12.5 4	52,22,580.63	16,71,225.80	35,51,354.83	व्यवसायी ने कांच की बिक्री की जो अधिनियम की अनुसूची-II भाग-'डी' क अनुसार 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य था लेकिन क.नि.प्रा. ने इस पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया।
5	राँची पश्चिमी	खलारी सीमेंट लि. खलारी, राँची/ 20580300202	2010-11/ 02.07.2013	सीमेंट	22,59,33,346.00	2,95,07,029.00	12.5 4	36,88,378.63	11,80,281.16	25,08,097.46	क.नि.प्रा. ने `14.93 करोड़ पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया, जिसमें से, `11.98 करोड़ के मूल्य की सामग्री क्लिक्स (4 प्रतिशत की दर से करयोग्य) की बिक्री की थी और शेष `2.95 करोड़ की बिक्री सीमेंट की बिक्री थी जिस पर 12.5 प्रतिशत की दर से आरोप्य था।
6	राँची पश्चिमी	प्रेमसंस मोटर उद्योग लि. काँके रोड, राँची/ 20900301384	2010-11/ 21.06.2013	मोटर वाहन	1,23,01,77,915.00	3,97,52,412.54	12.5 4	49,69,051.57	15,90,096.50	33,78,955.07	निर्धारित का गलत रूप से `4.35 करोड़ पर 4 प्रतिशत की दर से करनिर्धारित किया गया हालाँकि 4 प्रतिशत की दर से करयोग्य सामग्रियों मात्र `37.82 लाख हतु थी और `3,97,52,412.54 की बिक्री 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य थी।
कुल					2,97,59,03,772.40	14,41,44,975.81		1,79,49,435.69	57,22,135.69	1,22,27,299.99	

परिशिष्ट-VII (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.14.2 में उल्लिखित)

गलत दर के अनुप्रयोग के कारण कर का अल्पावरोपण

(राशि में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन संख्या	अवधि/आदेश की तिथि	वस्तु	निर्धारित सकल आवर्त	व्यवसायी द्वारा किये गये छूट के दावे	अस्वीकृत छूट/कम दर पर आरोपित कर का आवर्त	कर की दर (%) आरोप्य आरोपित	आरोप्य कर	आरोपित कर	कर का कम आरोपण	अभ्युक्ति
1	रामगढ़	साहिल कंस्ट्रक्शन/ 20691900205	2010 -11/ 17.02.2014	कार्य संवेदक/ आपूर्तिकर्ता	3,29,91,370.87	1,78,90,738.77	79,93,326.61	12.5 4	9,99,165.83	3,19,733.06	6,79,432.76	संवेदक ने नियमित आधार पर श्रम पंजी का संधारण नहीं किया। करनिर्धारण प्राधिकारी ने श्रम और अन्य प्रभारों पर छूट की अनुमति नहीं दिया और झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 की नियम 22(2) के परंतुक के अनुसार 12.5 प्रतिशत की सही दर के बजाय 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया।
2	जमशेदपुर नागरीय	शापूरजी पालोनजी एंड कंपनी/ 2053100685	2010 -11/ 15.03.2014	कार्य संवेदक/ आपूर्तिकर्ता	47,77,95,224.41	41,35,36,552.53	17,36,85,352.06	12.5 4	2,17,10,669.01	69,47,414.08	1,47,63,254.93	झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 की नियम 22(2) के परंतुक के अनुसार ₹17.37 करोड़ का अस्वीकृत गैर-करयोग्य आवर्त 12.5 प्रतिशत की दर से आरोप्य था लेकिन क.नि.प्रा. ने 4 प्रतिशत की दर से गलतरूप से कर आरोपित किया।
3	आदित्यपुर	आहलुवालिया कॉन्ट्रेक्टर्स लि./ 20660905523	2009-10/ 29.03.2014	कार्य संवेदक/आपूर्तिकर्ता	20,12,87,207.00	8,03,37,421.23	1,20,50,000.00	12.5 4	15,06,250.00	4,82,000.00	10,24,250.00	झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 की नियम 22(2) के परंतुक के अनुसार ₹1.21 करोड़ का अस्वीकृत गैर-करयोग्य आवर्त 12.5 प्रतिशत की दर से आरोप्य था लेकिन क.नि.प्रा. ने 4 प्रतिशत की दर से गलत रूप से कर आरोपित किया।

परिशिष्ट-VII (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.14.2 में उल्लिखित)

गलत दर के अनुप्रयोग के कारण कर का अल्पावरोपण

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन संख्या	अवधि/आदेश की तिथि	वस्तु	निर्धारित सकल आवर्त	व्यवसायी द्वारा किये गये छूट के दावे	अस्वीकृत छूट/कम दर पर आरोपित कर का आवर्त	कर की दर (%) आरोप्य आरोपित	आरोप्य कर	आरोपित कर	कर का कम आरोपण	अभ्युक्ति
			2010 -11/ 29.03.2014	कार्य संवेदक/आपूर्तिकर्ता	39,00,77,040.00	17,84,34,039.00	54,40,000.00	12.5 4	6,80,000.00	2,17,600.00	4,62,400.00	झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 की नियम 22(2) के परंतुक के अनुसार `54.40 लाख का अस्वीकृत गैर-करयोग्य आवर्त 12.5 प्रतिशत की दर से आरोप्य था लेकिन क.नि.प्रा. ने 4 प्रतिशत की दर से गलत रूप से कर आरोपित किया।
4	राँची पश्चिमी	लिआंग सिम्प्लेक्स/ 20190305173	2008-09/ 28/03/2011	कार्य संवेदक	1,53,45,47,302.00	4,60,36,419.00	1,38,10,925.72	12.5 4	17,26,365.72	5,52,437.00	11,73,928.68	झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 की नियम 22(2) के परंतुक के अनुसार `1.38 करोड़ का अस्वीकृत गैर-करयोग्य आवर्त 12.5 प्रतिशत की दर से आरोप्य था लेकिन क.नि.प्रा. ने 4 प्रतिशत की दर से गलत रूप से कर आरोपित किया।
5	राँची दक्षिणी	एक्सेल वेंचर कंस्ट्रक्शन प्रा. लि./ 20500100717	2011-12/ 18.06.2013	कार्य संवेदक	7,02,81,713.00	2,37,98,528.96	4,64,83,184.04	14 5	68,87,607.87	29,13,928.66	39,73,679.21	झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22(2) के परंतुक के अनुसार `3.99 करोड़ के श्रम का अस्वीकृत हिस्सा 14 प्रतिशत की दर से करयोग्य था लेकिन क.नि.प्रा. ने 5 प्रतिशत की दर से गलत रूप से कर आरोपित किया और स.आ. से 27.14 लाख की राशि के संग्रहित कर की कटौती भी गलत थी क्योंकि यह 14 प्रतिशत की दर से करयोग्य था।

परिशिष्ट-VII (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.14.2 में उल्लिखित)

गलत दर के अनुप्रयोग के कारण कर का अल्पारोपण

(राशि ` में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन संख्या	अवधि/आदेश की तिथि	वस्तु	निर्धारित सकल आवर्त	व्यवसायी द्वारा किये गये छूट के दावे	अस्वीकृत छूट/कम दर पर आरोपित कर का आवर्त	कर की दर (%) आरोप्य आरोपित	आरोप्य कर	आरोपित कर	कर का कम आरोपण	अभ्युक्ति
6	राँची दक्षिणी	सिम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लिमिटेड/ 20590101007	2010-11/ 21.02.2014	कार्य संवेदक	4,48,89,580.00	2,30,93,311.00	45,37,683.00	12.5 4	5,67,210.38	1,81,507.32	3,85,703.05	झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22(2) के परंतुक के अनुसार अस्वीकृत श्रम प्रभार 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य था लेकिन क.नि.प्रा. ने `45.38 लाख के अस्वीकृत आवर्त पर 4 प्रतिशत की गलत दर से गलत रूप से कर आरोपित किया।
7	राँची दक्षिणी	जे.एस.ई.बी./ 20330105162	2010-11/ 31/03/2014	बिजली का उत्पाद और वितरण	41,26,51,000.99	41,26,51,000.00	33,01,20,800.00	12.5 4	4,12,65,100.00	1,32,04,832.00	2,80,60,268.00	झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22(2) के परंतुक के अनुसार श्रम का अस्वीकृत भाग 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य था लेकिन क.नि.प्रा. ने `33.01 करोड़ पर 4 प्रतिशत की गलत दर से गलत रूप से कर आरोपित किया।
कुल					3,16,45,20,438.27	1,19,57,78,010.49	59,41,21,271.43		7,53,42,368.80	2,48,19,452.13	5,05,22,916.63	

परिशिष्ट-VIII (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.20.2 में उल्लिखित)

झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत छूट की गलत स्वीकृति

(राशि ` में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) / टिन	करनिर्धारण की अवधि/तिथि	वस्तु	निर्धारित सकल आवर्त	व्यवसायी के द्वारा दावा की गयी छूट	प्रदत्त छूट	अनुमत्य छूट	करयोग्य आवर्त	कर की दर	आरोप्य कर	अभ्युक्ति
1	रामगढ़	कश्मीर वस्त्रालय/ 20691906044	2010-11/ 24.09.13	रेडीमेड, होजरी का सामान, कपडा, साड़ी	6,79,09,956.00	2,49,27,742.00	2,49,27,742.00	80,84,691.00	1,68,43,051.00	4.00%	6,73,722.04	व्यवसायी ने `80.85 लाख के कर मुक्त सामग्रियों सहित `2.49 करोड़ का भंडार अंतरण किया लेकिन भंडार अंतरण के प्रमाण में प्रपत्र जेवैट-506 में घोषणाएँ प्रस्तुत नहीं किया। क.नि.प्रा. ने इस आवर्त पर कर आरोपित नहीं किया, जिसका परिणाम गलत छूट में हुआ।
2	रामगढ़	प्रणीत इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड/ 20331900543	2009-10/ 14.08.13	एम एस इंगोट और एम एस बार	42,06,10,180.00	3,95,88,577.00	3,95,88,577.00	0.00	3,95,88,577.00	4.00%	15,83,543.08	व्यवसायी ने रूपांतरण प्रभारों पर छूट का दावा किया लेकिन रूपांतरण जॉब के लिए किसी श्रम प्रभार का स्पष्टीकरण नहीं दिया और न ही अन्य पक्ष (व्यवसायी) से कोई सामग्रियाँ प्राप्त पाया गया। क.नि.प्रा. ने गलत रूप से उसके व्यापार खाते से रूपांतरण प्रभारों की अनुमति दी और करनिर्धारण आदेश में इसकी चर्चा नहीं की।
3	रामगढ़	प्रणीत इस्पात उद्योग प्राइवेट लिमिटेड/ 20331900543	2010-11/ 17.02.14	एम एस इंगोट और एम एस बार	38,64,66,659.00	2,98,79,580.00	2,98,79,580.00	0.00	2,98,79,580.00	4.00%	11,95,183.20	व्यवसायी ने श्रम प्रभारों के कारण छूट का दावा किया लेकिन व्यापार खाते के व्यय पक्ष में श्रम प्रभार का

परिशिष्ट-VIII (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.20.2 में उल्लिखित)

झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत छूट की गलत स्वीकृति

(राशि ` में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) / टिन	करनिर्धारण की अवधि/तिथि	वस्तु	निर्धारित सकल आवर्त	व्यवसायी के द्वारा दावा की गयी छूट	प्रदत्त छूट	अनुमत्य छूट	करयोग्य आवर्त	कर की दर	आरोप्य कर	अभ्युक्ति
												स्पष्टीकरण नहीं दिया। क.नि.प्रा. ने गलत रूप से इसकी सामग्रियों की बिक्री से अनुमति दी।
4	रांची पूर्वी	एवरेडी इंडस्ट्रीज लिमिटेड/ 20950100712	2010-11/ 18.06.2013	बैटरी, चाय, टॉर्च, क्वायल्स	31,76,61,785.48	1,70,54,807.05	1,70,54,807.05	0.00	1,70,54,807.05	12.50%	21,31,850.88	व्यवसायी ने व्यापार खाते के जमा पक्ष में ` 1.71 करोड़ के अंतर कीमत का दावा किया जिसकी क.नि.प्रा. द्वारा अनुमति दी गई हालांकि सामग्रियाँ घोषणा प्रपत्र 'एफ' पर प्राप्त की गयी थी जिसने अंत शेष को कम कर दिया।
5	रांची पश्चिमी	नेस्ले इंडिया लिमिटेड/ 20020400905	2010-11/ 19.9.2013	एफ एम सी जी	1,19,50,22,080.87	21,68,74,575.68	21,68,74,575.68	14,93,11,812.71	6,75,62,762.97	12.50%	84,45,345.37	व्यवसायी ने मूल्य सब्सिडी और बीजक पर डिस्काउंट के कारण ` 21.69 करोड़ के छूट का दावा किया जिसकी क.नि.प्रा. द्वारा अनुमति दी गयी। हालांकि, हमारे जांच ने उदघटित किया कि कैरिंग और फोरवर्डिंग एजेंट के रूप में व्यवसायी द्वारा अर्जित ` 6.76 करोड़ का सीडी कमीशन बीजक पर डिस्काउंट के रूप में दर्शाना गलत था, इस प्रकार, इसपर छूट पर गलत स्वीकृति थी।

परिशिष्ट-VIII (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.20.2 में उल्लिखित)

झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत छूट की गलत स्वीकृति

(राशि ` में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) / टिन	करनिर्धारण की अवधि/तिथि	वस्तु	निर्धारित सकल आवर्त	व्यवसायी के द्वारा दावा की गयी छूट	प्रदत्त छूट	अनुमत्य छूट	करयोग्य आवर्त	कर की दर	आरोप्य कर	अभ्युक्ति
6	रांची पश्चिमी	मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड/ 20480302488	2010-11/ 5.2.2014	एच एल मैडिसिन	27,04,59,549.17	3,66,99,979.00	3,66,99,979.00	0.00	3,66,99,979.00	4%	14,67,999.16	व्यवसायी ने `3.67 करोड़ के बोनस इश्यू (निःशुल्क नमूना) पर छूट का दावा किया था जिसकी क.नि.प्रा. द्वारा अनुमति दी गयी। हालाँकि, जेबेट- 409 के हमारे जाँच ने उदघटित किया कि व्यवसायी ने `26.54 करोड़ हेतु एम.आर.पी. पर करयोग्य बिक्री किया और परिशिष्ट में निःशुल्क नमूना पर कर संग्रह नहीं दर्शाया। इसने इंगित किया कि बोनस इश्यू पर कर नहीं लगाया गया एवं इसने अंतिम शेष को कम किया।
7	रांची पश्चिमी	नोवार्टिस इंडिया लिमिटेड/ 209103032036	2010-11/ 5.2.2014	एच एल मैडिसिन	18,36,91,096.44	74,47,645.64	74,47,645.64	0.00	74,47,645.64	4%	2,97,905.83	व्यवसायी ने `74.48 करोड़ के अंतर कीमत पर छूट का दावा किया था जिसकी क.नि.प्रा. द्वारा अनुमति दी गयी । हालाँकि, हमारी जाँच से उदघटित हुआ कि व्यवसायी ने अंतर कीमत को व्यापार खाते के जमा पक्ष में दिखाया था जिसने अंतिम शेष को कम किया।

परिशिष्ट-VIII (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.20.2 में उल्लिखित)

झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत छूट की गलत स्वीकृति

(राशि ` में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स) / टिन	करनिर्धारण की अवधि/तिथि	वस्तु	निर्धारित सकल आवर्त	व्यवसायी के द्वारा दावा की गयी छूट	प्रदत्त छूट	अनुमत्य छूट	करयोग्य आवर्त	कर की दर	आरोप्य कर	अभ्युक्ति
8	रांची पश्चिमी	के.जी. सेल्स कॉरपोरेशन/ 207104042223	2009-10/ 10.10.2013	बिजली का सामान	22,01,88,376.35	63,94,361.00	63,94,361.00	0.00	63,94,361.00	4%	2,55,774.44	व्यवसायी ने `63.94 लाख के अंतर कीमत पर छूट का दावा किया था जिसकी करनिर्धारण आदेश में उल्लेख किए बिना क.नि.प्रा. द्वारा अनुमति दी गयी। हालाँकि, हमारे जाँच से उदघटित हुआ कि व्यवसायी ने अंतर कीमत को व्यापार खाते के व्यय पक्ष में दर्शाया था जिसने अंतिम शेष को कम किया।
कुल					3,06,20,09,683.31	37,88,67,267.37	37,88,67,267.37	15,73,96,503.71	22,14,70,763.66		1,60,51,324.00	

परिशिष्ट-IX (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.20.3 में उल्लिखित)

कार्य संविदा के अंतर्गत छूट की गलत स्वीकृति

(राशि ` में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	करनिर्धारण की अवधि/तिथि	वस्तु	निर्धारित सकल आवर्त	व्यवसायी के द्वारा दावा की गयी छूट	प्रदत्त छूट	अनुमति दिये जाने योग्य छूट	करयोग्य आवर्त	कर की दर	आरोप्य कर	अभ्युक्ति
1	देवघर	डाइभर्सिफाइड व्यापार प्राइवेट लिमिटेड/ 20732605304	2010-11/ 17.04.2014	कार्य संवेदक / आपूर्तिकर्ता	10,91,10,603.00	5,26,35,727.90	5,30,06,996.58	2,98,72,958.40	2,31,34,038.18	12.50%	28,91,754.77	संवेदक न नियमित आधार पर श्रम पंजी संधारित नहीं किया था। इस प्रकार, इस मामले में नियम 22(2) के प्रावधानों को लागू किया जाना था और श्रम एवं अन्य प्रभारों को कुल आवर्त के 30 प्रतिशत तक सीमित किया जाना था।
2	रामगढ़	यूनिवर्सल एजेंसी / 20181905167	2010-11/ 28.06.13	कार्य संवेदक / आपूर्तिकर्ता	5,42,07,759.00	88,34,988.00	88,34,988.00	49,29,488.58	39,05,499.42	12.50%	4,88,187.43	संवेदक ने अर्जित लाभ जैसा कि व्यापार खोते में दर्शाया गया से अधिक सकल लाभ पर छूट का दावा किया।
3	जमशेदपुर	लार्सन एंड दुब्रो लिमिटेड/ 20300800003	2010-11/ 23.12.13	कार्य संवेदक / आपूर्तिकर्ता	17,21,45,90,668.00	8,72,91,81,340.00	8,72,91,81,340.00	8,48,90,88,989.00	24,00,92,351.00	12.50%	3,00,11,543.88	संवेदक ने उप-संवेदक को भुगतान करने के कारण छूट का दावा किया लेकिन अनिर्बंधित उप-संवेदकों सहित करनिर्धारण आदेश में उल्लिखित उप-संवेदक/सेवा व श्रम प्रभार बगैर श्रम एवं सेवाओं के प्रमाण के थे जिसकी क.नि.प्रा. द्वारा गलत रूप से अनुमति दी गयी।
4	जमशेदपुर नागरीय	त्रिवेणी इंजीकोन्स प्राइवेट लिमिटेड / 20891001002	2010 -11/ 24.03.2014	कार्य संवेदक / आपूर्तिकर्ता	76,85,53,589.16	2,46,51,056.01	2,46,51,056.01	0.00	2,46,51,056.01	12.50%	30,81,382.00	संवेदक ने कर संग्रहण के कारण छूट का दावा किया जिसकी क.नि.प्रा. द्वारा गलत रूप से अनुमति दी गयी।
			2010 -11/ 24.03.2014	कार्य संवेदक / आपूर्तिकर्ता	76,85,53,589.16	35,98,52,282.96	35,98,52,282.96	33,07,82,230.00	2,90,70,052.96	12.50%	36,33,756.62	संवेदक न सामग्रियों से संबंधित लाभ के कारण छूट का दावा किया जिसकी क.नि.प्रा. द्वारा गलत रूप से अनुमति दी गयी।
5	जमशेदपुर नागरीय	मल्टी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड/ 20181001247	2010-11/ 11.12.13	कार्य संवेदक / आपूर्तिकर्ता	6,55,18,281.28	5,03,31,272.51	5,03,31,272.51	4,70,05,379.00	33,25,893.51	12.50%	4,15,736.69	संवेदक ने कार्य संविदा के निष्पादन के दौरान `5.03 करोड़ की सामग्रियों का उपभोग किया, लेकिन कर `4.70 करोड़ पर आरोपित किया गया।

परिशिष्ट-IX (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.20.3 में उल्लिखित)

कार्य संविदा के अंतर्गत छूट की गलत स्वीकृति

(राशि ` में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	करनिर्धारण की अवधि/तिथि	वस्तु	निर्धारित सकल आवर्त	व्यवसायी के द्वारा दावा की गयी छूट	प्रदत्त छूट	अनुमति दिये जाने योग्य छूट	करयोग्य आवर्त	कर की दर	आरोप्य कर	अभ्युक्ति
6	धनबाद	ई.पी.एस.ए. इंडिया प्रोजेक्ट्स/ 20611705668	2010-11/ 21.2.14	कार्य संवेदक / आपूर्तिकर्ता	31,08,68,361.00	30,96,99,961.00	30,96,99,961.00	9,32,60,508.00	21,64,39,453.00	12.50%	2,70,54,931.63	संवेदक ने जेवैट-409 प्रस्तुत नहीं किया एवं श्रम एवं सेवाओं के लिए अभिलेखों का संधारण नहीं किया। इस प्रकार, इस मामले में नियम 22(2) के प्रावधान लागू होंगे और श्रम एवं अन्य प्रभार कुल सकल आवर्त के 30 प्रतिशत तक सीमित होंगे।
7	आदित्यपुर	प्रक्सयर इंडिया लिमिटेड (वी.पी.एस.ए. ऑक्सीजन संयंत्र)/ 200909011241	2010-11/ 04.07.2012	मशीनरी एवं संयंत्र, गैस के पट्टे इत्यादि	14,63,03,137.00	3,39,45,045.00	3,39,45,045.00	1,68,84,000.00	1,70,61,045.00	12.50%	21,32,630.63	व्यवसायी ने मे. उषा मार्टिन और मे. प्रैक्सयर के बीच हुए समझौते के अनुसार `1.69 करोड़ के स्वीकार्य प्रभार के विरुद्ध `3.39 करोड़ के ओ एंड एम प्रभार का दावा किया।
8	रांची दक्षिणी	एन.पी.सी.सी./ 20120100538	2010-11/ 24.3.2014	कार्य संवेदक	98,18,81,664.87	90,37,71,489.00	90,37,71,489.00	80,63,52,154.00	9,74,19,335.00	12.50%	1,21,77,416.88	व्यवसायी ने उप-संवेदक को भुगतान दर्शाया और `90.38 करोड़ के छूट का दावा किया जिसकी क.नि.प्रा. द्वारा अनुमति दी गयी। हालाँकि, हमारे जाँच ने उद्घटित किया कि वास्तविक योग मात्र `83.13 करोड़ संगणित किया गया जिसमें, अनिबंधित व्यवसायियों को `2.49 करोड़ का भुगतान भी सम्मिलित था, इस प्रकार, `9.47 करोड़ कर आरोपित किये जाने योग्य थे।

परिशिष्ट-IX (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.20.3 में उल्लिखित)

कार्य संविदा के अंतर्गत छूट की गलत स्वीकृति

(राशि ` में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	करनिर्धारण की अवधि/तिथि	वस्तु	निर्धारित सकल आवर्त	व्यवसायी के द्वारा दावा की गयी छूट	प्रदत्त छूट	अनुमति दिये जाने योग्य छूट	करयोग्य आवर्त	कर की दर	आरोप्य कर	अभ्युजित
9	रांची दक्षिणी	के.ई.सी. इंटरनेशनल लिमिटेड/ 20870105908	2010-11/ 24.2.2014	कार्य संवेदक	37,22,01,703.00	22,56,40,857.00	18,74,68,820.50	36,98,858.50	18,37,69,962.00	12.50%	2,29,71,245.25	व्यवसायी ने `18.75 करोड़ के छूट का दावा किया, जिसमें `18.38 करोड़ का भुगतान उप-संवेदकों को भुगतान से संबंधित था, जिसकी क.नि.प्रा. द्वारा अनुमति दी गयी। हमारे जाँच ने उद्घटित किया कि व्यवसायी ने न तो उप-संवेदकों का कोई ब्यौरा प्रस्तुत किया, और न ही उनसे टी.डी.एस. की कटौती की थी। क.नि.प्रा. ने भी करनिर्धारण आदेश में ऐसे प्रस्तुतिकरण का उल्लेख नहीं किया। इस प्रकार, छूट की गलत अनुमति दी गयी।
10	बोकारो	गिलैन्स आरबुटनॉट एंड कंपनी लिमिटेड/ 20521406234	2010-11/ 28.2.2014	कार्य संवेदक	16,74,03,436.00	7,34,30,645.29	6,13,75,145.29	5,02,21,030.80	1,11,54,114.49	12.50%	13,94,264.31	क.नि.प्रा. ने अपने करनिर्धारण आदेश में व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत गलत और अविश्वसनीय लेखाओं का उल्लेख किया, इसलिए, करनिर्धारण झा.मू.व.क. नियमावली के नियम 22 के अंतर्गत संपन्न किया जाना चाहिए था जो कि तथापि नहीं किया गया। इस प्रकार, वास्तविक छूट `5.02 करोड़ (`16.74 करोड़ के स.आ. का 30 %) संगणित किया गया, जबकि क.नि.प्रा. ने `6.14 करोड़ के छूट की अनुमति दी।

परिशिष्ट-IX (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.20.3 में उल्लिखित)

कार्य संविदा के अंतर्गत छूट की गलत स्वीकृति

(राशि में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	करनिर्धारण की अवधि/तिथि	वस्तु	निर्धारित सकल आवर्त	व्यवसायी के द्वारा दावा की गयी छूट	प्रदत्त छूट	अनुमति दिये जाने योग्य छूट	करयोग्य आवर्त	कर की दर	आरोप्य कर	अभ्युक्ति
11	बोकारो	श्री राम ई.पी.सी. लिमिटेड / 20901405286	2010-11/ 25.3.2014	कार्य संवेदक	8,03,99,284.00	1,36,49,451.00	1,20,59,892.60	23,89,193.25	96,70,699.35	12.50%	12,08,837.42	क.नि.प्रा. ने झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 के अंतर्गत करनिर्धारण संपन्न करते समय संपूर्ण आवर्त, जिसमें के.बि.क. अधिनियम का आवर्त भी सम्मिलित था पर गलत रूप से छूट की अनुमति दी। नियम 22 के अंतर्गत छूट केवल झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत आवर्त पर लागू है।
कुल					21,03,95,92,075.47	10,78,56,24,115.67	10,73,41,78,289.45	9,87,44,84,789.53	85,96,93,499.92		10,74,61,687.49	

परिशिष्ट-X (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.20.6 में उल्लिखित)

अमान्य प्रपत्रों के विरुद्ध छूट/रियायत की गलत अनुमति

(राशि ` में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	कर निर्धारण की अवधि/तिथि	वस्तु	प्रस्तुत 'सी' / 'एफ' प्रपत्रों की कुल संख्या	प्रस्तुत प्रपत्रों का मूल्य	अवैध पाये गए प्रपत्रों की कुल संख्या	रियायती दर से लागू कर के दर से आरोपण से अस्वीकृत किए जाने योग्य लेनदेन	कर का अंतर दर (%)	कर का कम आरोपण	अभ्युक्ति
1	रामगढ़	सीसीएल, बड़कासयाल क्षेत्र/ 20621905509	2010-11/ 29.11.2013	कोयला	143	2,12,16,68,226.23	93	7,41,13,660.00	2	14,82,273.20	व्यवसायी को `7.41 करोड़ मूल्य के 93 'सी' प्रपत्र के प्रस्तुतिकरण पर कर के 2 प्रतिशत की रियायती दर की अनुमति दी गयी। जाँच से यह उदघटित हुआ कि उपरोक्त प्रपत्र में अपेक्षित जानकारी जैसे बिल संख्या एवं राशि, लेन-देन की अवधि आदि नहीं था। अतः, कर के रियायती दर के उद्देश्य से प्रपत्र अस्वीकार किये जाने योग्य थे।
2	धनबाद	श्री एंटरप्राइजेज़ कोलसेल्स प्राइवेट लिमिटेड/ 20531705015	2010-11/ 8.1.2014	कोयला	8	2,50,17,220.77	4	1,57,63,452.39	2	3,15,269.05	व्यवसायी को `2.50 करोड़ मूल्य के 8 फार्म 'सी' के प्रस्तुतिकरण पर कर के 2 प्रतिशत की रियायती दर की अनुमति दी गयी। जाँच से यह उदघटित हुआ कि `1.58 करोड़ मूल्य के 4 प्रपत्र में अपेक्षित जानकारी जैसे बिल संख्या और राशि, लेन-देन की अवधि आदि उल्लिखित नहीं थे। अतः, कर के रियायती दर के आरोपण के उद्देश्य से प्रपत्र अस्वीकार किये जाने योग्य थे।

परिशिष्ट-X (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.20.6 में उल्लिखित)

अमान्य प्रपत्रों के विरुद्ध छूट/रियायत की गलत अनुमति

(राशि ` में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	कर निर्धारण की अवधि/तिथि	वस्तु	प्रस्तुत 'सी' / 'एफ' प्रपत्रों की कुल संख्या	प्रस्तुत प्रपत्रों का मूल्य	अवैध पाये गए प्रपत्रों की कुल संख्या	रियायती दर से लागू कर के दर से आरोपण से अस्वीकृत किए जाने योग्य लेनदेन	कर का अंतर दर (%)	कर का कम आरोपण	अभ्युजित
3	रांची दक्षिणी	उषा मार्टिन लिमिटेड (इबल्यू.आर. पी. प्रभाग) / 20650100392	2011-12/ 22.10.2014	वायर, वायर रोप्स	1029	3,67,65,50,030.71	67	18,31,56,380.36	3	54,94,691.41	व्यवसायी को `17.36 करोड़ मूल्य के ऐसे 61 प्रपत्र 'सी' के प्रस्तुतिकरण पर, जो अन्य व्यवसायी(यों) के नाम पर निर्गत थे, कर के रियायती दर की अनुमति दी गयी, इस कारण, प्रपत्र अस्वीकार किये जाने योग्य थे। अग्रतर, एक क्रेता के मामले में, क्रेता व्यवसायी ने `1.92 करोड़ मूल्य का 12 प्रपत्र 'सी' प्रस्तुत किया था, जिसमें से, 3 प्रपत्र एक ही तिमाही में निर्गत किये गये थे और 6 प्रपत्र समरूप थे जिनके प्रपत्र संख्या, बीजक संख्या और तिथि एक समान थे। प्रपत्रों की राशियाँ भी एक समान थीं। इस कारण `1.40 करोड़ मूल्य के प्रपत्र अस्वीकार किये जाने योग्य थे।

परिशिष्ट-X (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.20.6 में उल्लिखित)

अमान्य प्रपत्रों के विरुद्ध छूट/रियायत की गलत अनुमति

(राशि ` में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	कर निर्धारण की अवधि/तिथि	वस्तु	प्रस्तुत 'सी' / 'एफ' प्रपत्रों की कुल संख्या	प्रस्तुत प्रपत्रों का मूल्य	अवैध पाये गए प्रपत्रों की कुल संख्या	रियायती दर से लागू कर के दर से आरोपण से अस्वीकृत किए जाने योग्य लेनदेन	कर का अंतर दर (%)	कर का कम आरोपण	अभ्युक्ति
4	बोकारो	केंस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज़/ 20461400733	2010-11/ 24.2.2014	फेरो एलॉयज	40	22,50,88,784.00	1	1,87,59,465.00	4	7,50,378.60	व्यवसायी ने `22.51 करोड़ हेतु अंतरीज्यीय भंडार अंतरण पर कर के आरोपण से छूट का दावा किया था जिसके लिये 40 प्रपत्र 'एफ' प्रस्तुत किये गये थे जिसकी क.नि.प्रा. ने अनुमति प्रदान की। हालाँकि, हमने पाया कि उपरोक्त में से, `1.88 करोड़ मूल्य का एक प्रपत्र सादा प्रस्तुत किया गया यानि विक्रेताओं का नाम और निबंधन संख्या के उल्लेख के बगैर था। अतः, प्रपत्र अस्वीकार करने योग्य था।
5	बोकारो	ए.बी.बी. लिमिटेड/ 20041405323	2010-11/ 28.3.2014	कार्य संवेदक	33	53,46,41,778.29	30	50,05,76,919.89	2	1,00,11,538.40	क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण को संपन्न करते समय मार्गस्थ बिज्जी के दावे को अस्वीकृत किया और प्रपत्र 'सी' में प्रस्तुत घोषणाओं के आधार पर 52.27 करोड़ पर 2 प्रतिशत का कर लगाया जबकि हमारी जांच से पता चला कि उपरोक्त में से 50.06 करोड़ झारखंड के व्यवसायियों से संबंधित थे अतः वे राज्य में लागू दर 4 प्रतिशत से कर आरोप्य किए जाने के योग्य थे।

परिशिष्ट-X (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.20.6 में उल्लिखित)

अमान्य प्रपत्रों के विरुद्ध छूट/रियायत की गलत अनुमति

(राशि ` में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	कर निर्धारण की अवधि/तिथि	वस्तु	प्रस्तुत 'सी' / 'एफ' प्रपत्रों की कुल संख्या	प्रस्तुत प्रपत्रों का मूल्य	अवैध पाये गए प्रपत्रों की कुल संख्या	रियायती दर से लागू कर के दर से आरोपण से अस्वीकृत किए जाने योग्य लेनदेन	कर का अंतर दर (%)	कर का कम आरोपण	अभ्युक्ति
6	बोकारो	सेल, बोकारो स्टील प्लांट/ 20581402316	2011-12/ 30.3.2015	आयरन और स्टील	1483	79,29,07,87,452.14	13	28,96,17,675.07	2	57,92,353.50	व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत 1483 फार्म 'सी' में घोषणा प्रपत्र जिसका मूल्य `7,929.07 करोड़ का था जमा करने के पश्चात क.नि.प्रा. द्वारा रियायती दर पर कर की अनुमति दी गई थी और रियायती दर पर कर का आरोपण किया गया। जाँचोपरान्त पता चला कि उपरोक्त प्रपत्र में 13 प्रपत्र जिसका मूल्य `28.96 करोड़ था वह अन्य व्यवसायियों के नाम निर्गत था। अतः प्रपत्र अस्वीकृत किए जाने के योग्य थे।

परिशिष्ट-X (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 2.3.20.6 में उल्लिखित)

अमान्य प्रपत्रों के विरुद्ध छूट/रियायत की गलत अनुमति

(राशि ` में)

क्रम संख्या	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	कर निर्धारण की अवधि/तिथि	वस्तु	प्रस्तुत 'सी' / 'एफ' प्रपत्रों की कुल संख्या	प्रस्तुत प्रपत्रों का मूल्य	अवैध पाये गए प्रपत्रों की कुल संख्या	रियायती दर से लागू कर के दर से आरोपण से अस्वीकृत किए जाने योग्य लेनदेन	कर का अंतर दर (%)	कर का कम आरोपण	अभ्युक्ति
7	बोकारो	सेल, बोकारो स्टील प्लांट/ 20581402316	2010-11/ 22.3.2014	आयरन और स्टील	1498	73,11,12,15,167.00	19	84,41,83,292.81	2	1,68,83,665.86	व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत 1498 फार्म 'सी' में घोषणा प्रपत्र जिसका मूल्य `7311.12 करोड़ का था जमा करने के पश्चात क.नि.प्रा. द्वारा रियायती दर पर कर की अनुमति दी गई थी और रियायती दर पर कर का आरोपण किया गया। जॉचोपरान्त पता चला कि उपरोक्त प्रपत्र में 19 प्रपत्र जिसका मूल्य `84.42 करोड़ था वह अन्य व्यवसायियों के नाम निर्गत था। अतः प्रपत्र अस्वीकृत किए जाने के योग्य थे।
8	रामगढ़	दयाल फेरो एलॉयज / 20491903128	2010-11/ 2.1.2014	फेरो एलॉयज	65	20,21,86,398.00	5	1,44,29,441.00	4	5,77,177.64	व्यवसायी को 5 दोषपूर्ण प्रपत्र 'एफ', जिसमें एक माह से ज्यादा का लेनदेन शामिल था, के आधार पर भंडार अंतरण पर छूट की अनुमति दी गयी थी।
कुल					4299	1,59,18,71,55,057.14	232	1,94,06,00,286.52		4,13,07,347.65	

परिशिष्ट- XI (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.4.2 में उल्लिखित)

तिर्यक सत्यापन में उजागर विक्रय आवर्त का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्र.स.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन सं.	अवधि/कर निर्धारण का तिथि	वस्तु	वास्तविक प्राप्त आवर्त	करयोग्य आवर्त (सामग्री अवयव)	लेखापित प्राप्तियाँ	छिपाया गया आवर्त	कर की दर (%)	कर	अर्थदंड	योग	अभ्युक्ति
1	राँची विशेष	भृगुनाथ सिंह/ 20080405143	2006-07/ 30.06.09	कार्य संवेदक	29,67,811	20,77,467	1,00,000	19,77,468	12.5	2,47,183	4,94,366	7,41,549.00	भवन निर्माण प्रमंडल, राँची से एकत्रित सूचना के अनुसार संवेदक ने ₹ 29.68 लाख प्राप्त किया था जबकि कर ₹ 1 लाख पर ही आरोपित किया गया था।
			2007-08/ 18.02.10		30,64,235	21,44,965	0.00	21,44,965	12.5	2,68,121	5,36,242	8,04,363.00	भवन निर्माण प्रमंडल, राँची से एकत्रित सूचना के अनुसार संवेदक ने ₹ 30.64 लाख प्राप्त किया था जबकि कर शून्य पर आरोपित किया गया था।
			2008-09/ 17.03.11		17,77,348	12,44,144	0.00	12,44,144	12.5	1,55,518	3,11,036	4,66,554.00	भवन निर्माण प्रमंडल, राँची से एकत्रित सूचना के अनुसार संवेदक ने ₹ 17.77 लाख प्राप्त किया था जबकि कर शून्य पर आरोपित किया गया था।
			2009-10/ 18.03.13		22,287	15,601	0.00	15,601	12.5	1,950	3,900	5,850.00	भवन निर्माण प्रमंडल, राँची से एकत्रित सूचना के अनुसार संवेदक ने ₹ 22,287 प्राप्त किया था जबकि कर शून्य पर आरोपित किया गया था।
			2010-11/ 15.03.14		6,25,966	438176	0.00	4,38,176	12.5	54,772	1,09,544	1,64,316.00	भवन निर्माण प्रमंडल, राँची से एकत्रित सूचना के अनुसार संवेदक ने ₹ 6.26 करोड़ प्राप्त किया था जबकि कर शून्य पर आरोपित किया गया था।

परिशिष्ट- XI (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.4.2 में उल्लिखित)

तिर्यक सत्यापन में उजागर विक्रय आवर्त का छिपाव

(राशि में)

क्र.स.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन सं.	अवधि/कर निर्धारण का तिथि	वस्तु	वास्तविक प्राप्त आवर्त	करयोग्य आवर्त (सामग्री अवयव)	लेखापित प्राप्तियाँ	छिपाया गया आवर्त	कर की दर (%)	कर	अर्थदंड	योग	अभ्युक्ति
2	धनबाद नागरीय	शशिकान्त गोपालका / 20661606154	2008-09	कार्य संवेदक	40,21,674	28,15,172	0.00	28,15,172	12.5	3,51,896	7,03,792	10,55,688.00	सड़क निर्माण प्रमंडल, धनबाद से एकत्रित सूचना के अनुसार संवेदक ने 40.22 लाख प्राप्त किया था जबकि कर शून्य पर आरोपित किया गया था।
			2009-10		38,77,505	27,14,254	0.00	27,14,254	12.5	3,39,282	6,78,564	10,17,846.00	सड़क निर्माण प्रमंडल, धनबाद से एकत्रित सूचना के अनुसार संवेदक ने 38.78 लाख प्राप्त किया था जबकि कर शून्य पर आरोपित किया गया था।
3	धनबाद नागरीय	सुभाष सिंह चौधरी/ 20611600422	2010-11/ 28.02.14	कार्य संवेदक	19,30,23,060	19,30,23,060	15,58,44,692	3,71,78,368	12.5	46,47,296	9294592	1,39,41,888.00	ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो से एकत्रित सूचना के अनुसार संवेदक ने 19.30 करोड़ प्राप्त किया था जबकि कर 15.58 करोड़ पर आरोपित किया गया था।
4	धनबाद नागरीय	गणेश यादव / 20621601435	2009-10/ 12.12.2012	कार्य संवेदक सामग्री	7,73,77,893	7,73,77,893	50,000	7,73,27,893	12.5	96,65,987	1,93,31,973	2,89,97,959.88	कार्यपालक अभियंता ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, कोडरमा ने सकरी एवं केसो नदी पर पुल निर्माण हेतु 7.74 करोड़ का भुगतान किया लेकिन 50,000 लेखापित किया जिस पर कर निर्धारण किया गया है।

परिशिष्ट- XI (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.4.2 में उल्लिखित)

तिर्यक सत्यापन में उजागर विक्रय आवर्त का छिपाव

(राशि ` में)

क्र.स.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन सं.	अवधि/कर निर्धारण का तिथि	वस्तु	वास्तविक प्राप्त आवर्त	करयोग्य आवर्त (सामग्री अवयव)	लेखापित प्राप्तियाँ	छिपाया गया आवर्त	कर की दर (%)	कर	अर्थदंड	योग	अभ्युक्ति
5	धनबाद नागरीय	जितेन्द्र प्रसाद सिंह / 250181601871	2007-08/	कार्य संवेदक सामग्री	76,09,037	76,09,037	5,29,339	70,79,698	12.5	8,84,962	17,69,925	26,54,886.75	संवेदक ने कार्यपालक अभियंता, सड़क निर्माण प्रमंडल और ग्रामीण कार्य प्रमंडल, धनबाद से `76.09 लाख प्राप्त किया था लेकिन अपने लेखाओं में `5.29 लाख लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण किया गया है।
			2008-09/	कार्य संवेदक सामग्री	1,10,42,906	1,10,42,906	12,30,826	98,12,080	12.5	12,26,510	24,53,020	36,79,530.00	संवेदक ने कार्यपालक अभियंता, सड़क निर्माण प्रमंडल और ग्रामीण कार्य प्रमंडल, धनबाद से `1.10 करोड़ प्राप्त किया था लेकिन अपने लेखाओं में `12.31 लाख लेखापित किया था जिस पर करनिर्धारण किया गया है।
6	धनबाद नागरीय	जे. एस. ब्रदर/	2008-09/ 01.04.2010	कार्य संवेदक सामग्री	8,01,474	8,01,474	1,00,000	7,01,474	12.5	87,684	1,75,369	2,63,052.75	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, धनबाद ने `8.01 लाख का भुगतान किया लेकिन करनिर्धारण मात्र `1 लाख पर किया गया।

परिशिष्ट- XI (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.4.2 में उल्लिखित)

तिर्यक सत्यापन में उजागर विक्रय आवर्त का छिपाव

(राशि में)

क्र.स.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन सं.	अवधि/कर निर्धारण का तिथि	वस्तु	वास्तविक प्राप्त आवर्त	करयोग्य आवर्त (सामग्री अवयव)	लेखापित प्राप्तियाँ	छिपाया गया आवर्त	कर की दर (%)	कर	अर्थदंड	योग	अभ्युक्ति
7	धनबाद नागरीय	सोनु एंड सरोज/ 20671601553	2008-09/ 27.03.2011	कार्य संवेदक सामग्री	33,84,508	33,84,508	20,83,742	13,00,766	12.5	1,62,596	3,25,192	4,87,787.25	संवेदक ने कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, धनबाद से ₹13.01 लाख और जि.न.नि., धनबाद से ₹20.84 लाख प्राप्त किया लेकिन अपने लेखाओं में ₹20.84 लाख लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण किया गया है।
			2009-10/ 02.11.2012	कार्य संवेदक सामग्री	12,99,341	12,99,341	10,39,000	2,60,341	12.5	32,543	65,085	97,627.88	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, धनबाद और सड़क निर्माण प्रमंडल, धनबाद ने संवेदक को क्रमशः ₹1.56 लाख एवं ₹11.43 लाख का भुगतान किया लेकिन संवेदक ने केवल बी.सी.सी.एल. बस्ता कोलिया क्षेत्र नं.-IX से ₹10.39 लाख का भुगतान दर्शाया।
8	धनबाद नागरीय	राम टहल शरण/ 20761601261	2008-09/ 28.03.2011	कार्य संवेदक सामग्री	42,25,934	42,25,934	50,000	41,75,934	12.5	5,21,992	10,43,984	15,65,975.25	संवेदक ने कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, धनबाद से ₹42.26 लाख प्राप्त किया लेकिन अपने लेखाओं में ₹50,000 लेखापित किया था जिस पर करनिर्धारण किया गया है।

परिशिष्ट- XI (प्रतिवेदन की कड़िका संख्या 2.4.2 में उल्लिखित)

तिर्यक सत्यापन में उजागर विक्रय आवर्त का छिपाव

(राशि में)

क्र.स.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन सं.	अवधि/कर निर्धारण का तिथि	वस्तु	वास्तविक प्राप्त आवर्त	करयोग्य आवर्त (सामग्री अवयव)	लेखापित प्राप्तियाँ	छिपाया गया आवर्त	कर की दर (%)	कर	अर्थदंड	योग	अभ्युक्ति
9	कतरास	मालती इंटरप्राइजेज / 20871500466	2010-11/ 19.02.14	कार्य संवेदक	31,56,31,317	31,56,31,317	18,98,68,269	12,57,63,048	12.5	1,57,20,381	3,14,40,762	4,71,61,143.00	ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, बोकारो से एकत्रित सूचना के अनुसार संवेदक ने ₹31.56 करोड़ प्राप्त किया जबकि ₹18.99 करोड़ पर करारोपण हुआ था।
10	कतरास	सुनील कुमार दसौधी/ 20281505155	2008-09/ 29.03.11	कार्य संवेदक	16,80,683	11,76,478	0.00	11,76,478	12.5	1,47,060	2,94,120	4,41,180.00	ग्रामीण कार्य प्रमंडल, धनबाद से एकत्रित सूचना के अनुसार संवेदक ने ₹16.81 लाख प्राप्त किया था जबकि करारोपण शून्य पर हुआ था।
11	कतरास	मंटु मिश्रा/ 20231500042	2008-09/ 29.03.11	कार्य संवेदक	13,73,561	9,61,493	0.00	9,61,493	12.5	1,20,187	2,40,374	3,60,561.00	ग्रामीण कार्य प्रमंडल, धनबाद से एकत्रित सूचना के अनुसार संवेदक ने ₹13.74 लाख प्राप्त किया था जबकि करारोपण शून्य पर हुआ था।
12	हजारीबाग	निर्माता इंजिनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी/ 20172101960	2010-11/ 03.05.2013	कार्य संवेदक सामग्री	1,27,28,016	1,27,28,016	0.00	1,27,28,016	12.5	15,91,002	31,82,004	47,73,006.00	संवेदक ने मेसर्स हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड से वास्तव में ₹1.27 करोड़ का भुगतान प्राप्त किया लेकिन शून्य लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।

परिशिष्ट- XI (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.4.2 में उल्लिखित)

तिर्यक सत्यापन में उजागर विक्रय आवर्त का छिपाव

(राशि ₹ में)

क्र.स.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन सं.	अवधि/कर निर्धारण का तिथि	वस्तु	वास्तविक प्राप्त आवर्त	करयोग्य आवर्त (सामग्री अवयव)	लेखापित प्राप्तियाँ	छिपाया गया आवर्त	कर की दर (%)	कर	अर्थदंड	योग	अभ्युक्ति
13	चिरकुंडा	प्रदीप स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रा. लि. / 20762005325	2008-09 23.03.11	असैनिक निर्माण कार्य	2,31,23,341	2,31,23,341	0.00	2,31,23,341	12.5	28,90,418	57,80,836	86,71,254.00	संवेदक के सकल प्राप्त के, उसी अंचल में निर्बंधित, मेसर्स भेल के अभिलेखों के साथ तिर्यक जाँच ने वास्तविक प्राप्त ₹ 2.31 करोड़ इंगित किया जबकि शून्य के रूप में लेखापित किया गया।
14	चिरकुंडा	अमिया इंडस्ट्रीज़/ 20262005245	2009-10/ 03.09.2012	असैनिक निर्माण कार्य	10,22,008	10,22,008	8,63,967	1,58,041	12.5	19,755	39,510	59,265.00	संवेदक के सकल प्राप्त के, उसी अंचल में निर्बंधित, मेसर्स मैथन पावर लिमिटेड के अभिलेखों के साथ तिर्यक जाँच ने वास्तविक प्राप्त ₹ 10.22 लाख इंगित किया जबकि ₹ 8.64 लाख के रूप में लेखापित किया गया।
15	साहिबगंज	दिनेश कुमार यादव/ 20562705245	2010-11/ 28.10.13	कार्य संवेदक	9,72,426	6,80,698	0.00	6,80,698	12.5	85,087	1,70,174	2,55,261.00	सड़क प्रमंडल, साहिबगंज से एकत्रित सूचना के अनुसार संवेदक ने ₹ 9.72 लाख प्राप्त किया था जबकि शून्य पर कर आरोपित किया गया।
16	साहिबगंज	कैशर रब्बानी/ 20912705204	2010-11/ 10.05.12	कार्य संवेदक	3,95,748	2,77,024	0.00	2,77,024	12.5	34,628	69,256	1,03,884.00	सड़क प्रमंडल, साहिबगंज से एकत्रित सूचना के अनुसार संवेदक ने ₹ 3.96 लाख प्राप्त किया था जबकि शून्य पर कर आरोपित किया गया।
योग					67,20,48,079	66,58,14,306	35,17,59,835	31,40,54,471		3,92,56,809	7,85,13,619	11,77,70,428.00	

परिशिष्ट- XII (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2..5.1 में उल्लिखित)
झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना

(राशि ` में)

क्र.स.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन सं.	अवधि/कर निर्धारण की तिथि	वस्तु	वास्तविक विक्रय/क्रय आवर्त	लेखापित क्रय /विक्रय	छिपाया गया आवर्त	कर की दर (%)	कर	अर्थदंड	योग	अभ्युक्ति
1	हजारीबाग	सी.सी.एल. पिपरवार एरिया, बचरा, पिपरवार/ 20932105592	2009-10/ 20.04.12	कोयला	26,17,53,24,000	20,97,32,19,738	5,20,21,04,262	4	20,80,84,170	41,61,68,340	62,42,52,510	लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं के अनुसार वास्तविक आवर्त `2617.53 करोड़ था लेकिन `2097.32 करोड़ लेखापित था जिस पर कर निर्धारण संपन्न किया गया।
2	हजारीबाग	माउंट शिवालिक इंडस्ट्रीज़/ 20432105609	2010-11/ 15.01.14	बीयर/ आइ.एम. एफ.एल.	7,36,92,000	7,31,40,000	5,52,000	50	2,76,000	5,52,000	8,28,000	प्रपत्र 'एफ' की मासिक प्राप्ति और आवश्यकता के अनुसार सामग्रियों की प्राप्ति `7.37 करोड़ थी लेकिन उसके व्यापार खाते में `7.31 करोड़ लेखापित था जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
3	हजारीबाग	अनिन्दिता ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट लि. / 20052103675	2010-11/ 22.11.13	स्पींज आयरण	1,11,04,543	30,20,306	80,84,237	4	3,23,369	6,46,738	9,70,107	वार्षिक विवरणी के अनुसार, अंतरराज्यीय खरीद `1.11 करोड़ था जबकि जेवैट-409 में प्रस्तुत विनिर्माण लेखे में इसे `30.20 लाख दर्शाया गया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
4	झरिया	गणपति मिनिटेक प्रा. लि./ 20961800292	2010-11/ 07.08.13	रॉक टूल्स, मशिनरी स्पेयर्स, हार्डवेयर	16,75,49,105	5,47,87,852	11,27,61,253	12.5	1,40,95,157	2,81,90,314	4,22,85,471	जेवैट-404 में टी.डी.एस. विवरणी और संलग्न विवरणी के अनुसार, विक्रय आवर्त `16.75 करोड़ था जबकि `5.48 करोड़ की बिक्री व्यापार लेखे में दर्शाया गया।
5	झरिया	बी.सी.सी.एल. ई.डब्ल्यू.जेड. एरिया / 20821800757	2010-11/ 21.10.13	कोयले की धुलाई एवं बिक्री	1,53,38,22,101	1,45,83,79,000	7,54,43,101	4	30,17,724	60,35,448	90,53,172	तिर्यक मिलान सूचना ने दर्शाया कि कोयले की प्राप्ति जेवैट-506 के आधार पर `153.38 करोड़ थी लेकिन `145.84 करोड़ विनिर्माण लेखे में लेखापित किया गया।

परिशिष्ट- XII (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2..5.1 में उल्लिखित)
झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना

(राशि ` में)

क्र.स.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन सं.	अवधि/कर निर्धारण की तिथि	वस्तु	वास्तविक विक्रय/क्रय आवर्त	लेखापित क्रय /विक्रय	छिपाया गया आवर्त	कर की दर (%)	कर	अर्थदंड	योग	अभ्युक्ति
6	झरिया	बी.सी.सी.एल. लोदना परिया-X /20801800089	2008-09/ 12.02.11	कोयला	3,22,23,18,000	3,18,68,10,000	3,55,08,000	4	14,20,320	28,40,640	42,60,960	वार्षिक लेखे के अनुसार स.आ. `322.23 करोड़ था लेकिन व्यवसायी ने `318.68 करोड़ स.आ. दर्शाया था।
7	सिंहभूम	भगवती ऑक्सीजन लि./ 20791101161	2010-11/ 03.03.12	ऑक्सीजन गैस एवं औद्योगिक गैस	8,70,46,789	7,87,60,617	82,86,172	4	3,31,447	6,62,894	9,94,341	लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के अनुसार विनिर्मित और ट्रेड सामग्रियों का विक्रय `8.70 करोड़ था जबकि उसके लेखे में `7.88 करोड़ की बिक्री दर्शाया गया था जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
			2011-12/ 16.08.13	ऑक्सीजन गैस एवं औद्योगिक गैस	15,82,14,872	9,58,23,659	6,23,91,213	5	31,19,561	62,39,122	93,58,683	लेखापरीक्षक प्रतिवेदन के अनुसार विनिर्मित और ट्रेड सामग्रियों का विक्रय `15.82 करोड़ था जबकि उसके लेखे में `9.58 करोड़ की बिक्री दर्शाया गया था जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
8	सिंहभूम	हिन्दुस्तान कॉपर लि./ 20661100020	2010-11/ 04.03.14	सान्द्र कॉपर	2,28,78,14,002	1,51,12,81,946	77,65,32,056	4	3,10,61,282	6,21,22,564	9,31,83,846	प्रपत्र 'एफ' की उपयोगिता विवरणी और उसी अंचल में निबन्धित मेसर्स इंडिया रिसोर्स लिमिटेड के संपन्न करनिर्धारण अभिलेख के साथ तिर्यक जाँच ने उद्घटित किया कि व्यवसायी ने वास्तव में `228.78 करोड़ मूल्य का सान्द्र तॉबा प्राप्त किया था लेकिन मात्र `151.13 करोड़ लेखापित किया।
9	सिंहभूम	लफार्ज इंडिया प्रा. लि./ 20521101358	2008-09 29.01.10 (14.10.14)	सिमेंट	5,14,06,73,154	4,37,82,83,417	76,23,89,737	12.5	9,52,98,717	19,05,97,434	28,58,96,151	व्यवसायी न कच्चे माल की खरीद पर भुगतान किये गये उत्पाद शुल्क `76.24 करोड़ को शामिल नहीं किया था।

परिशिष्ट- XII (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2..5.1 में उल्लिखित)
झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना

(राशि ` में)

क्र.स.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन सं.	अवधि/कर निर्धारण की तिथि	वस्तु	वास्तविक विक्रय/क्रय आवर्त	लेखापित क्रय /विक्रय	छिपाया गया आवर्त	कर की दर (%)	कर	अर्थदंड	योग	अभ्युक्ति
			2010-11/ 22.03.14	सिमेंट	6,69,43,32,047	5,86,82,28,571	82,61,03,476	12.5	10,32,62,935	20,65,25,870	30,97,88,805	व्यवसायी न कच्चे माल की खरीद पर भुगतान किये गये उत्पाद शुल्क `82.61 करोड़ को शामिल नहीं किया था।
10	पाकुड़	मास्टर सुन्दर दास एंड संस / 20881300301	2009-10/ 15.02.11	स्टोन बॉल्डर, चिप्स	10,20,31,132	7,50,09,002	2,70,22,130	12.5	33,77,766	67,55,532	1,01,33,298	विवरणों के अनुसार, वास्तविक उत्पादन 1.63 करोड़ सी.एफ.टी. था लेकिन व्यापार लेखों में 1.20 करोड़ सी.एफ.टी. लेखापित किया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
11	पाकुड़	आदिनाथ स्टोन वर्क्स / 20941300268	2010-11/ 04.04.12	स्टोन बॉल्डर, चिप्स	21,19,129	1,31,915	1,987,214	12.5	2,48,402	4,96,804	7,45,206	चेक पोस्ट (पाकुड़ धुलियान रोड) विवरणों के अनुसार, अंतर्राज्यीय बिक्री `21.19 लाख था, लेकिन करनिर्धारण `1.32 लाख पर किया गया।
12	धनबाद नागरीय	सिएट लि./ 20761600582	2010-11/ 17.06.13	टायर, ट्यूब, फ्लैप	23,16,06,262	20,68,61,198	85,246	4	3,410	6,820	10,230	चूँकि भंडार प्राप्ति `22.38 करोड़ था इसलिए वास्तविक विक्रय आवर्त `23.16 करोड़ होना चाहिए जबकि व्यवसायी ने विक्रय आवर्त `20.69 करोड़ दर्शाया है।
							2,46,59,818	12.5	30,82,477	61,64,954	92,47,431	
13	कतरास	बी.सी.सी.एल. वेस्टर्न वाशरी जोन, महुदा वाशरी/ 20811500790	2009-10/ 05.03.13	कोयले की धुलाई एवं बिक्री	74,21,88,000	73,45,40,000	76,48,000	4	3,05,920	6,11,840	9,17,760	वार्षिक लेखापरीक्षित खाते में वास्तविक विक्रय आवर्त `74.22 करोड़ दर्शाया गया जबकि करनिर्धारण `73.45 करोड़ पर संपन्न किया गया।

परिशिष्ट- XII (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2..5.1 में उल्लिखित)
झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत विक्रय/क्रय आवर्त का छिपाया जाना

(राशि ` में)

क्र.स.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन सं.	अवधि/कर निर्धारण की तिथि	वस्तु	वास्तविक विक्रय/क्रय आवर्त	लेखापित क्रय /विक्रय	छिपाया गया आवर्त	कर की दर (%)	कर	अर्थदंड	योग	अभ्युक्ति
14	कतरास	आदित्य अरव देव कंस्ट्रक्शन कं. प्रा. लि../ 20211500247	2009-10/ 22.11.13	कार्य संवेदक	11,21,13,495	8,47,78,658	2,73,34,837	4	10,93,393	21,86,786	32,80,179	रोड परमिट (504जी) और प्रपत्र 'सी' के उपयोगिता के अनुसार वास्तविक खरीद ` 11.21 करोड़ था लेकिन व्यापार लेखे में ` 8.48 करोड़ लेखापित किया गया जिस पर करनिर्धारण संपन्न किया गया।
15	पलामू	अंसु फुटवेयर / 20090505947	2010-11/ 18.02.14	फुटवेयर	60,37,202	21,79,880	38,57,322	4	1,54,293	3,08,586	4,62,879	वर्ष 2009-10 का अंत शेष ` 60.37 लाख था, लेकिन व्यवसायी ने वर्ष 2010-11में प्रारंभिक शेष ` 21.80 लाख दिखाया था
योग					46,74,79,85,833	38,78,52,35,759	7,96,27,50,074		46,85,56,343	93,71,12,686	1,40,56,69,029	

परिशिष्ट- XIII (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.5.2.1 में उल्लिखित)

करयोग्य आवर्त का गलत निर्धारण

(राशि ` में)

क्र.स.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन सं.	अवधि/करनिर्धारण का दिनांक	वस्तु	वास्तविक करयोग्य आवर्त	निर्धारित करयोग्य आवर्त	अंतर	कर की दर (%)	कर	अभ्युक्ति
1	धनबाद नागरीय	नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कं. लि./ 20711602501	2010-11/ 07.02.14	कार्य संवेदक	9,81,10,206	7,47,27,715	2,33,82,491	12.5	29,22,811	जेबैट-409 के आधार पर करयोग्य आवर्त `9.81 करोड़ संगणित किया गया लेकिन करनिर्धारण `7.47 करोड़ पर संपन्न किया गया।
2	कतरास	मालती इंटरप्राइजेज़/ 20871500466	2010-11/ 19.02.14	कार्य संवेदक	13,00,03,356	12,05,66,351	94,37,005	12.5	11,79,626	नियम 22(1)(डी) के अनुसार करयोग्य आवर्त `13.00 करोड़ संगणित किया गया लेकिन करनिर्धारण `12.06 करोड़ पर संपन्न की गई थी।
3	कतरास	आदित्य अरव देव कंस्ट्रक्शन कं. प्रा. लि./ 0211500247	2009-10/ 27.03.13 संशोधित 22.11.13	कार्य संवेदक	11,27,92,980	9,66,60,466	1,61,32,513	12.5	20,16,564	व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत व्यापार लेखे के अनुसार करयोग्य आवर्त `11.28 करोड़ संगणित किया गया लेकिन करनिर्धारण `9.67 करोड़ पर संपन्न किया गया।
4	कतरास	बी. राय / 20771505117	2009-10/ 25.03.13	कार्य संवेदक	9,42,17,146	8,57,21,164	84,95,982	12.5	10,61,998	नियम 22(1)(डी) के अनुसार करयोग्य आवर्त `9.42 करोड़ संगणित किया गया लेकिन करनिर्धारण `8.57 करोड़ पर संपन्न किया गया।
5	कतरास	संतोष कुमार चौरसिया / 20341500127	2008-09/ 24.08.09	कार्य संवेदक	11,32,42,714	10,30,12,689	1,02,30,025	12.5	12,78,753	व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत व्यापार लेखे के अनुसार करयोग्य आवर्त `11.32 करोड़ संगणित किया गया लेकिन करनिर्धारण `10.30 करोड़ पर संपन्न किया गया।
6	कतरास	प्रीति इंटरप्राइजेज़ / 20651500684	2009-10/ 25.03.2013	कार्य संवेदक	3,55,44,322	2,15,81,517	1,39,62,806	12.5	17,45,351	नियम 22(2) के अनुसार सकल आवर्त से श्रम एवं अन्य प्रभारों के रूप में 30 प्रतिशत की कटौती के बाद करयोग्य आवर्त निर्धारित किया जाना था ।

परिशिष्ट- XIII (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.5.2.1 में उल्लिखित)

करयोग्य आवर्त का गलत निर्धारण

(राशि में)

क्र.स.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन सं.	अवधि/करनिर्धारण का दिनांक	वस्तु	वास्तविक करयोग्य आवर्त	निर्धारित करयोग्य आवर्त	अंतर	कर की दर (%)	कर	अभ्युक्ति
7	हजारीबाग	उदय प्रसाद/ 20152101292	2009-10/ 14.02.2013	कार्य संवेदक	86,40,212	64,27,326	22,12,886	12.5	2,76,611	सकल आवर्त से टी.डी.एस., रॉयल्टी और सुरक्षित जमा की गलत रूप से कटौती की गई।
			2010-11/ 14.02.2013		48,76,267	31,06,981	17,69,286	12.5	2,21,161	सकल आवर्त से टी.डी.एस., रॉयल्टी और सुरक्षित जमा की गलत रूप से कटौती की गई।
8	हजारीबाग	राम चन्द्र यादव/ 20892101370	2009-10/ 09.02.2013	कार्य संवेदक	54,98,150	31,86,837	23,11,313	12.5	2,88,914	नियम 22(2) के अनुसार सकल आवर्त से श्रम एवं अन्य प्रभारों के रूप में 30 प्रतिशत की कटौती के बाद करयोग्य आवर्त निर्धारित किया जाना था।
9	हजारीबाग	सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन/ 20732103495	2009-10/ 09.05.12	कार्य संवेदक सामग्री	13,32,32,582	8,41,02,675	4,91,29,907	12.5	61,41,238	संवेदक ने लेखाओ का संधारण नहीं किया था। इस प्रकार इस मामले में नियम 22(2) के प्रावधान लागू होंगे और श्रम एवं अन्य प्रभार सकल आवर्त के 30 प्रतिशत तक सीमित होगा।
	हजारीबाग	सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन/ 20732103495	2010-11/ 28.05.12	कार्य संवेदक	9,00,97,692	4,67,77,408	4,33,20,284	12.5	54,15,036	संवेदक ने लेखाओ का संधारण नहीं किया था। इस प्रकार इस मामले में नियम 22(2) के प्रावधान लागू होंगे और श्रम एवं अन्य प्रभार सकल आवर्त के 30 प्रतिशत तक सीमित होगा।
10	हजारीबाग	पुष्पांजलि कंस्ट्रक्शन/ 20402103240	2008-09/ 14.03.2011	कार्य संवेदक सामग्री	3,44,55,998	1,66,90,512	1,77,65,486	12.5	22,20,686	क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय, भाड़ा और मजदूरी मद की कटौती की गलत अनुमति दी लेकिन संवेदक ने वस्तु के मूल्य का सही निर्धारण करने के लिये लेखा प्रस्तुत नहीं किया था।

परिशिष्ट- XIII (प्रतिवेदन की कड़िका संख्या 2.5.2.1 में उल्लिखित)

करयोग्य आवर्त का गलत निर्धारण

(राशि में)

क्र.स.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/निबंधन सं.	अवधि/करनिर्धारण का दिनांक	वस्तु	वास्तविक करयोग्य आवर्त	निर्धारित करयोग्य आवर्त	अंतर	कर की दर (%)	कर	अभ्युक्ति
	हजारीबाग	पुष्पांजलि कंस्ट्रक्शन/ 20402103240	2009-10/ 16.07.2012	कार्य संवेदक सामग्री	10,27,42,665	5,42,04,778	4,85,37,887	12.5	60,67,236	क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय, भाड़ा और मजदूरी मद की कटौती की गलत अनुमति दी लेकिन संवेदक ने वस्तु के मूल्य का सही निर्धारण करने के लिये लेखा प्रस्तुत नहीं किया था।
	हजारीबाग	पुष्पांजलि कंस्ट्रक्शन/ 20402103240	2010-11/ 16.07.2012	कार्य संवेदक सामग्री	11,88,19,769	6,17,27,996	5,70,91,773	12.5	71,36,472	क.नि.प्रा. ने कर निर्धारण संपन्न करते समय, भाड़ा और मजदूरी मद की कटौती की गलत अनुमति दी लेकिन संवेदक ने वस्तु के मूल्य का सही निर्धारण करने के लिये लेखा प्रस्तुत नहीं किया था।
11	कोडरमा	ए.आर.एस.एस. त्रिवेणी (जे.वी.) 20642405489	2009-10/ 19.03.13	कार्य संवेदक	11,92,62,564	10,22,25,055	1,70,37,509	12.5	21,29,689	संवेदक ने लेखा का सन्धारण नहीं किया था। इस प्रकार नियम 22(2) के अनुसार सकल आवर्त से मजदूरी और अन्य मद में 30प्रतिशत तक की कटौती कर के करयोग्य आवर्त निर्धारित होगा।
		योग			1,20,15,36,624	88,07,19,469	32,08,17,154		4,01,02,144	

परिशिष्ट- XIV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.9 में उल्लिखित)
झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत कर के गलत दर का अनुप्रयोग

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण का तिथि	वस्तु	अवलोकन के अंतर्गत आवर्त	दाखिल/आरोपित कर की दर	आरोप्य कर की दर	आरोपित कर	आरोप्य कर	अंतर	अभ्युक्ति
1	हजारीबाग	महावीर रिट्रेडर्स/ 20332103327	2010-11/ 21.03.13	टायर का रिट्रेडिंग	13,55,055	4	12.5	54,202	1,69,382	1,15,180	12.5% कर योग्य आवर्त ₹ 16.31 लाख था लेकिन मात्र ₹ 2.76 लाख पर 12.5% की दर से कर आरोपित किया गया तथा शेष पर 12.5% के बदले 4% की दर से कर आरोपित किया गया।
			2011-12/ 22.02.14		13,40,288	4	12.5	53,612	1,67,536	1,13,924	12.5% कर योग्य आवर्त ₹ 16.92 लाख था लेकिन ₹ 3.51 लाख पर ही 12.5% की दर से कर आरोपित किया गया तथा शेष पर 12.5% के बदले 4% की दर से कर आरोपित किया गया।
2	हजारीबाग	उदय प्रसाद/ 20152101292	2009-10/ 14.02.13	कार्य संवेदक	10,15,000	4	12.5	40,600	1,26,875	86,275	करनिर्धारण प्राधिकारी ने अनिर्दिष्ट वस्तु होने के कारण अस्वीकृत श्रम प्रभारों पर 4% की दर से कर आरोपित किया, झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) के अंतर्गत यह 12.5% की दर से करयोग्य है।
			2010-11/ 14.02.13		16,56,927	4	12.5	66,277	2,07,116	1,40,839	करनिर्धारण प्राधिकारी ने अनिर्दिष्ट वस्तु होने के कारण अस्वीकृत श्रम प्रभारों पर 4% की दर से कर आरोपित किया, झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) के अंतर्गत यह 12.5% की दर से करयोग्य है।

परिशिष्ट- XIV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.9 में उल्लिखित)

झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत कर के गलत दर का अनुप्रयोग

(राशि में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण का तिथि	वस्तु	अवलोकन के अंतर्गत आवत	दाखिल/आरोपित कर की दर	आरोप्य कर की दर	आरोपित कर	आरोप्य कर	अंतर	अभ्युक्ति
3	हजारीबाग	अजय कुमार सिंह/ 20952103277	2008-09/ 22.03.2011	कार्य संवेदक/ भवन सामग्री आपूर्तिकर्ता	31,49,550	4	12.5	1,25,982	3,93,694	2,67,712	करनिर्धारण प्राधिकारी ने श्रम पर छूट की अनुमति नहीं दी और झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) के परंतुक के अनुसार 12.5% की सही दर के बजाय 4% की दर से कर आरोपित किया।
			2009-10/ 27.08.2011		49,49,766	4	12.5	1,97,991	6,18,721	4,20,730	करनिर्धारण प्राधिकारी ने श्रम पर छूट की अनुमति नहीं दी और झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) के परंतुक के अनुसार 12.5% की सही दर के बजाय 4% की दर से कर आरोपित किया।
			2010-11/ 07.03.2013		4,50,000	4	12.5	18,000	56,250	38,250	करनिर्धारण प्राधिकारी ने श्रम पर छूट की अनुमति नहीं दी और झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) के परंतुक के अनुसार 12.5% की सही दर के बजाय 4% की दर से कर आरोपित किया।
4	हजारीबाग	जय माँ वैष्णव देवी कंसट्रक्शन/ 20322103866	2009-10/ 14.03.2012	कार्य संवेदक/ भवन सामग्री आपूर्तिकर्ता	13,04,800	4	12.5	52,192	1,63,100	1,10,908	करनिर्धारण प्राधिकारी ने मजदूरी और अन्य संबद्ध प्रभारों के दावे को अस्वीकृत किया लेकिन आरोप्य 12.5% के बजाय गलत रूप से 4% की दर से कर आरोपित किया।
5	हजारीबाग	रुद्रा कंसट्रक्शन / 20252105910	2009-10/ 21.02.2013	कार्य संवेदक/ भवन सामग्री आपूर्तिकर्ता	85,48,645	4	12.5	3,41,946	10,68,581	7,26,635	क.नि.प्रा. ने मजदूरी और अन्य संबद्ध प्रभारों को अस्वीकृत किया। लेकिन आरोप्य 12.5% के बजाय गलत रूप से 4% की दर से कर आरोपित किया।
			2010-11/ 10.04.2013		40,69,346	4	12.5	1,62,774	5,08,668	3,45,894	क.नि.प्रा.ने मजदूरी और अन्य संबद्ध प्रभारों को अस्वीकृत किया। लेकिन आरोप्य 12.5% के बजाय गलत रूप से 4% की दर से कर आरोपित किया।

परिशिष्ट- XIV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.9 में उल्लिखित)

झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत कर के गलत दर का अनुप्रयोग

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/दिन	अवधि/कर निर्धारण का तिथि	वस्तु	अवलोकन के अंतर्गत आवर्त	दाखिल/आरोपित कर की दर	आरोप्य कर की दर	आरोपित कर	आरोप्य कर	अंतर	अभ्युक्ति
6	हजारीबाग	राजेन्द्र सिंह/ 20132102758	2009-10/ 14.02.2013	कार्य संवेदक/ भवन सामग्री आपूर्तिकर्ता	10,39,546	4	12.5	41,582	1,29,943	88,361	क.नि.प्रा.ने मजदूरी और अन्य संबद्ध प्रभारों को अस्वीकृत किया लेकिन आरोप्य 12.5% के बजाय गलत रूप से 4% की दर से कर आरोपित किया।
7	हजारीबाग	सिद्धार्थ कंस्ट्रक्शन/ 20732103495	2009-10 / 09.05.2012	कार्य संवेदक/ भवन सामग्री आपूर्तिकर्ता	27,75,000	4	12.5	1,11,000	3,46,875	2,35,875	क.नि.प्रा.ने मजदूरी और अन्य संबद्ध प्रभारों को अस्वीकृत किया लेकिन आरोप्य 12.5% के बजाय गलत रूप से 4% की दर से कर आरोपित किया।
8	धनबाद नागरीय	सुभाष सिंह चौधरी / 20611600422	2010-11/ 28.02.14	कार्य संवेदक	1,45,91,038	4	12.5	5,83,642	18,23,880	12,40,238	₹ 3.01 करोड़ के आवर्त पर 12.5% की दर से कर आरोप्य था लेकिन ₹ 1.55 करोड़ पर 12.5% की दर से तथा शेष राशि पर 4% की दर से कर आरोपित किया।
9	धनबाद नागरीय	श्रीराम प्रीसिजन्स/ 20051600536	2009-10/ 01.09.12	चाँदी, स्वर्ण गहना, बहुमूल्य पत्थर, जवाहरात	3,00,137	1	12.5	3,001	37,517	34,516	प्लैटिनम एक अनिर्दिष्ट वस्तु है जिस पर 1% के बदले 12.5% की दर से कर आरोप्य है।
			2010-11/ 25.09.13		12,57,188	1	12.5	12,572	1,57,149	1,44,577	प्लैटिनम एक अनिर्दिष्ट वस्तु है जिस पर 1% के बदले 12.5% की दर से कर आरोप्य है।
10	धनबाद नागरीय	कमिंस इंडिया लि. / 20301600447	2009-10/ 15.12.12	डीजल इंजन, स्पेयर पार्ट्स, टेल्को इंजन और चेसिस	8,78,63,267	4	12.5	35,14,531	1,09,82,908	74,68,378	झा.मू.व.क. अधिनियम, 2005 की धारा 13 के अंतर्गत अनुसूची-II भाग-डी के अनुसार डीजल इंजन, स्पेयर पार्ट्स, टेल्को इंजन और सभी प्रकार के चेसिस पर 4% के बदले 12.5% की दर से कर आरोप्य है।

परिशिष्ट- XIV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.9 में उल्लिखित)

झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत कर के गलत दर का अनुप्रयोग

(राशि में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/टिन	अवधि/कर निर्धारण का तिथि	वस्तु	अवलोकन के अंतर्गत आवर्त	दाखिल/आरोपित कर की दर	आरोप्य कर की दर	आरोपित कर	आरोप्य कर	अंतर	अभ्युक्ति
11	धनबाद नागरीय	नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कं. लि./ 20711602501	2008-09/ 02.02.2013	कार्य संवेदक/ भवन सामग्री आपूर्तिकर्ता	1,00,00,000	4	12.5	4,00,000	12,50,000	8,50,000	जेवैट-409 में संवेदक ने 4% की दर पर करयोग्य आवर्त 26.94 करोड़ दर्शाया था जबकि क.नि.प्रा. ने 27.94 करोड़ पर गलत रूप से 4% की दर से कर आरोपित किया।
12	धनबाद नागरीय	इलेक्ट्रो इन्विपमेंट इंटरप्राइजेज/ 20611601683	2009-10/ 16.04.2012	कार्य संवेदक/ भवन सामग्री आपूर्तिकर्ता	45,73,863	4	12.5	1,82,955	5,71,733	3,88,778	करनिर्धारण प्राधिकारी ने श्रम एवं अन्य प्रभारों पर छूट की अनुमति नहीं दी और झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) के परंतुक के अनुसार 12.5% की सही दर के बजाय 4% की दर से कर आरोपित किया।
13	कतरास	मालती इंटरप्राइजेज/ 20871500466	2008-09/ 10.03.11	कार्य संवेदक	6,00,000	4	12.5	24,000	75,000	51,000	करनिर्धारण प्राधिकारी ने अनिर्दिष्ट सामग्री होने के कारण अस्वीकृत श्रम प्रभारों पर 4% की दर से कर आरोपित किया, झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) के अंतर्गत यह 12.5% की दर से करयोग्य है।
14	कतरास	ए टू जेड मेनटेनेंस एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज/ 20941505765	2009-10/ 03.01.2012	कार्यसंवेदक/ भवन सामग्री आपूर्तिकर्ता	9,02,981	4	12.5	36,119	1,12,873	76,753	क.नि.प्रा.ने छूट की अनुमति नहीं दी और झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) के परंतुक के अनुसार 12.5% की सही दर के बजाय 4% की दर से कर आरोपित किया।
			2010-11/ 01.03.2012		21,05,391	4	12.5	84,216	2,63,174	1,78,958	कर निर्धारण प्राधिकारी ने छूट की अनुमति नहीं दी झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) के परंतुक के अंतर्गत 12.5% की सही दर के बजाय 4% की दर से कर आरोपित किया।

परिशिष्ट- XIV (प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 2.9 में उल्लिखित)

झा.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत कर के गलत दर का अनुप्रयोग

(राशि ` में)

क्र. सं.	अंचल का नाम	व्यवसायी का नाम (मेसर्स)/दिन	अवधि/कर निर्धारण का तिथि	वस्तु	अवलोकन के अंतर्गत आवत	दाखिल/आरोपित कर की दर	आरोप्य कर की दर	आरोपित कर	आरोप्य कर	अंतर	अशुक्ति
15	गोइडा	विजय इलेक्ट्रिकल्स लि. / 20312505191	2009-10/ 23.03.13	कार्य संवेदक	3,14,00,000	4	12.5	12,56,000	39,25,000	26,69,000	कर निर्धारण प्राधिकारी ने अस्वीकृत अनिर्दिष्ट सामग्री होने के कारण श्रम प्रभारों पर 4% की दर से कर आरोपित किया, झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) के अंतर्गत यह 12.5% की दर से करयोग्य है।
			2010-11/ 24.07.13		3,92,81,171	4	12.5	15,71,247	49,10,146	33,38,900	कर निर्धारण प्राधिकारी ने अस्वीकृत अनिर्दिष्ट सामग्री होने के कारण श्रम प्रभारों पर 4% की दर से कर आरोपित किया, झा.मू.व.क. नियमावली, 2006 के नियम 22 (2) के अंतर्गत यह 12.5% की दर से करयोग्य है।
					22,45,28,958			89,34,439	2,80,66,120	1,91,31,681	

परिशिष्ट-XV (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 5.13 में उल्लिखित)

विद्युत शुल्क एवं अधिभार के कम भुगतान के लिए अर्थदंड का आरोपण नहीं किया जाना

(राशि में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	संवेदक का नाम (मेसर्स)	निबंधन संख्या	अवधि/आदेश की तिथि	उपभोगित इकाई	निर्धारण आदेश के अनुसार सृजित माँग	माँग पत्र के अनुसार भुगतान की गयी शुल्क एवं अधिभार	कम भुगतान (7-8)	विलम्ब की अवधि (महीनों में)	अवधि जिसके लिए अर्थदंड आरोप्य है		
										तीन महीने तक @ 2.5 प्रतिशत	तीन महीनों के पश्चात @5 प्रतिशत	कुल आरोप्य अर्थदंड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	झरिया	सेल (इस्को)	एस.डी./ ई.डी.-03	2010-11/ 31.10.13	3,68,04,511.00	56,14,328.39	36,35,759.00	19,78,569.39	29	1,48,392.70	25,72,140.21	27,20,532.91
2	झरिया	बी.सी.सी.एल. बस्ताकोला क्षेत्र-IX	जे.एच./ ई.डी. -03	2007-08/ 29.10.13	5,28,18,806.40	70,24,901.00	64,31,746.00	5,93,155.00	65	44,486.63	18,38,780.50	18,83,267.13
				2008-09/ 29.10.13	5,42,91,459.00	72,20,764.00	66,11,070.00	6,09,694.00	53	45,727.05	15,24,235.00	15,69,962.05
				2009-10/ 29.10.13	5,12,19,605.00	68,12,207.00	62,37,011.00	5,75,196.00	41	43,139.70	10,92,872.40	11,36,012.10
				2010-11/ 29.10.13	5,03,45,640.80	66,95,970.00	61,30,588.00	5,65,382.00	29	42,403.65	7,34,996.60	7,77,400.25
				2011-12/ 29.10.13	5,16,77,535.32	95,09,460.00	81,77,385.00	13,32,075.00	17	99,905.63	9,32,452.50	10,32,358.13
				2012-13/ 29.10.13	5,13,79,444.00	99,16,233.00	62,56,474.00	36,59,759.00	5	2,74,481.93	3,65,975.90	6,40,457.83

परिशिष्ट-XV (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 5.13 में उल्लिखित)

विद्युत शुल्क एवं अधिभार के कम भुगतान के लिए अर्थदंड का आरोपण नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	संवेदक का नाम (मेसर्स)	निबंधन संख्या	अवधि/आदेश की तिथि	उपभोगित इकाई	निर्धारण आदेश के अनुसार सृजित माँग	माँग पत्र के अनुसार भुगतान की गयी शुल्क एवं अधिभार	कम भुगतान (7-8)	विलम्ब की अवधि (महीनों में)	अवधि जिसके लिए अर्थदंड आरोप्य है		
										तीन महीने तक @ 2.5 प्रतिशत	तीन महीनों के पश्चात @5 प्रतिशत	कुल आरोप्य अर्थदंड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	झरिया	बी.सी.सी.एल. सुदामडीह ई.जे. क्षेत्र	एस.डी./ ई.डी.-43	2009-10 / 29.10.13	3,89,67,822.00	45,59,624.00	23,14,884.00	22,44,740.00	41	1,68,355.50	42,65,006.00	44,33,361.50
				2010-11/ 29.10.13	3,83,45,481.00	44,86,805.00	22,78,188.00	22,08,617.00	29	1,65,646.28	28,71,202.10	30,36,848.38
4	झरिया	बी.सी.सी.एल. लोदना क्षेत्र	जे.एच./ ई.डी.-02	2006-07/ 29.10.13	7,58,63,696.00	85,19,658.00	69,22,424.00	15,97,234.00	77	1,19,792.55	59,09,765.80	60,29,558.35
				2007-08/ 29.10.13	8,16,89,740.00	91,61,890.00	73,94,491.00	17,67,399.00	65	1,32,554.93	54,78,936.90	56,11,491.83
				2008-09/ 29.10.13	8,31,30,520.00	93,62,728.00	76,91,318.00	16,71,410.00	53	1,25,355.75	41,78,525.00	43,03,880.75
				2009-10/ 29.10.13	8,23,72,848.00	92,77,255.00	76,21,634.00	16,55,621.00	41	1,24,171.58	31,45,679.90	32,69,851.48
				2010-11/ 29.10.13	8,27,04,280.00	92,73,800.00	74,76,895.00	17,96,905.00	29	1,34,767.88	23,35,976.50	24,70,744.38

परिशिष्ट-XV (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 5.13 में उल्लिखित)

विद्युत शुल्क एवं अधिभार के कम भुगतान के लिए अर्थदंड का आरोपण नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	संवेदक का नाम (मेसर्स)	निबंधन संख्या	अवधि/आदेश की तिथि	उपभोगित इकाई	निर्धारण आदेश के अनुसार सृजित माँग	माँग पत्र के अनुसार भुगतान की गयी शुल्क एवं अधिभार	कम भुगतान (7-8)	विलम्ब की अवधि (महीनों में)	अवधि जिसके लिए अर्थदंड आरोप्य है		
										तीन महीने तक @ 2.5 प्रतिशत	तीन महीनों के पश्चात @5 प्रतिशत	कुल आरोप्य अर्थदंड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	हजारीबाग	गिद्दी वाशरी हजारीबाग	ई.डी.-08	2008-09 / 10.10.13	1,54,75,361.00	26,30,811.37	3,35,253.00	22,95,558.37	52	1,72,166.88	56,24,118.01	57,96,284.88
				2009-10/ 10.10.13	1,45,93,559.00	24,80,904.99	3,00,006.00	21,80,898.99	40	1,63,567.42	40,34,663.13	41,98,230.56
				2010-11/ 10.10.13	1,39,84,075.00	23,77,293.00	2,76,881.00	21,00,412.00	28	1,57,530.90	26,25,515.00	27,83,045.90
6	तेनुघाट	सी.सी.एल. करगली वाशरी	टी.जी./ ई.डी.-15	2006-07/ 25.10.13	1,69,56,061.00	6,78,242.00	24,747.00	6,53,495.00	77	49,012.13	24,17,931.50	24,66,943.63
				2007-08/ 25.10.13	1,83,15,959.00	7,32,638.00	99,486.00	6,33,152.00	65	47,486.40	19,62,771.20	20,10,257.60
				2008-09/ 25.10.13	1,78,27,667.00	7,13,106.00	-	7,13,106.00	53	53,482.95	17,82,765.00	18,36,247.95
				2009-10/ 25.10.13	1,73,67,010.00	6,94,680.00	2,56,844.00	4,37,836.00	41	32,837.70	8,31,888.40	8,64,726.10
				2010-11/ 25.10.13	1,82,32,420.00	7,29,296.00	1,89,971.00	5,39,325.00	29	40,449.38	7,01,122.50	7,41,571.88

परिशिष्ट-XV (प्रतिवेदन के कंडिका संख्या 5.13 में उल्लिखित)

विद्युत शुल्क एवं अधिभार के कम भुगतान के लिए अर्थदंड का आरोपण नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	अंचल का नाम	संवेदक का नाम (मेसर्स)	निबंधन संख्या	अवधि/आदेश की तिथि	उपभोगित इकाई	निर्धारण आदेश के अनुसार सृजित माँग	माँग पत्र के अनुसार भुगतान की गयी शुल्क एवं अधिभार	कम भुगतान (7-8)	विलम्ब की अवधि (महीनों में)	अवधि जिसके लिए अर्थदंड आरोप्य है		
										तीन महीने तक @ 2.5 प्रतिशत	तीन महीनों के पश्चात @5 प्रतिशत	कुल आरोप्य अर्थदंड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	तेनुघाट	जी.एम., सी.सी.एल. दोरी क्षेत्र, दोरी	टी.जी./ ई.डी.-10	2005-06/ 26.10.13	4,37,81,484.00	8,75,629.68	-	8,75,629.68	85	65,672.23	35,90,081.69	36,55,753.91
				2006-07/ 26.10.13	4,11,50,271.00	8,23,005.42	-	8,23,005.42	73	61,725.41	28,80,518.97	29,42,244.38
				2007-08/ 26.10.13	4,44,29,295.00	8,88,585.90	-	8,88,585.90	61	66,643.94	25,76,899.11	26,43,543.05
				2008-09/ 26.10.13	4,33,08,326.00	8,66,166.52	-	8,66,166.52	49	64,962.49	19,92,183.00	20,57,145.49
				2009-10/ 26.10.13	4,28,78,803.00	8,57,576.06	-	8,57,576.06	37	64,318.20	14,57,879.30	15,22,197.51
				2010-11/ 26.10.13	4,50,35,768.00	9,00,715.36	-	9,00,715.36	25	67,553.65	9,90,786.90	10,58,340.55
कुल					1,22,49,47,447.52	12,36,84,273.69	8,66,63,055.00	3,70,21,218.69		27,76,591.40	7,07,15,669.01	7,34,92,260.41

© भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agjh@cag.gov.in